: माला, खंड 5, अंक 41

सोमवार, 9 सितम्बर, 1991
18 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

दशम लोक सभा, खंड 5 पहला सत्र' 1991/1913 (शक)

अंक 41 सोमवार, 9 सितम्बर, 1991/18 भाद्र, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 732 से 735	—	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 736 से 744 और 746 से 753	—	21-43
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6097 से 6162, 6164 से 6170, 6172 से 6279 और 6281 से 6330	—	42-276
हरियाणा में बहादुरगढ़ में बराई गांव के लोगों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के बारे में	—	276-286
असम में "उल्फा" आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में	—	286-299
सभापटल पर रखे गये पत्र	—	299-305
संसदीय समितियां		
कार्य सारांश——सभा पटल पर रखा गया	—	305

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) गंदी बस्तियों हेतु गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 294 के 5 अगस्त, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किया जाना तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में

श्रीमती शीला कौल — 305

(दो) मध्य प्रदेश के खारगोन जिले के पश्चिम निमाड़ में अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों से संबंधित घटना — 311-312

श्री एम. एम. जैकब

(तीन) सरकार द्वारा तीन बाल्टिक राज्यों एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया को मान्यता दिया जाना

श्री एडुआर्डो फैलीरो — 340

स्वेच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक

पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव — 305-310

श्री मनमोहन सिंह — 305-306

श्री जार्ज फर्नान्डीज — 306-308

श्री सोमनाथ चटर्जी — 307-310

विधेयक पुरः स्थापित

(एक) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक — 310-311

(दो) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक — 311

नियम 377 के अधीन मामले — 312-316

(एक) उड़ीसा के कोरा पुट जिले में महामारियों को फैलने से रोकने और वहां काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों का प्रतिपूरक भत्ता बहाल करने की आवश्यकता

श्री के. प्रधानी — 312-313

(दो) गुजरात और बंबई हाई के तेल के कुओं से तेल के उत्पादन में आई गिरावट को रोकने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति — 313-314

(तीन) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

डा. परशुराम गंगवार — 314

(चार) सीतापुर, उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपाय करने की आवश्यकता

श्री जनार्दन मिश्र — 314-315

(पांच) बिहार की सासाराम-बक्सर रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह — 315

(छः) उड़ीसा में भुवनेश्वर को ख-2 श्रेणी का नगर घोषित करने की आवश्यकता

श्री शिवाजी पटनायक — 315-316

(सात) तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कपास का निर्यात रोकने की आवश्यकता

श्री सी. श्रीनिवास — 316

(आठ) तमिलनाडु के कुडालोर में कलवारोयन पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों की दशा सुधारने की आवश्यकता

श्री पी. पी. कालियापेरुमल — 316

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव — 317

श्री राम नाईक — 317-318

श्री एस. बी. चव्हाण	—	319
कुमारी उमा भारती	—	320-326
श्री पी. एम. सईद	—	326-330
श्री राम विलास पासवान	—	330-335
श्री मणि शंकर अय्यर	—	341-346
श्री सोमनाथ चटर्जी	—	346-352
श्री गुलाम नबी आजाद	—	352-356
श्री इन्द्रजीत गुप्त	—	356-364
श्री यू. विजय कुमार राजू	—	364-367
श्री गुमान मल लोढा	—	367-380
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	—	380-383

लोक सभा

सोमवार 9 सितम्बर, 1991/18 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् की हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री

[अनुवाद]

* 732. श्री राम कापसे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा हिन्दी में प्रकाशित अनुपूरक पुस्तकें सामान्यत: बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं जबकि ये पुस्तकें स्टाक में पड़ी रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, नहीं। रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार रा शै. अ. प्र प. द्वारा हिन्दी में प्रकाशित अनुपूरक पुस्तकें देश भर में स्थित थोक एजेन्टों के माध्यम से अन्य पुस्तकों के साथ-साथ वितरित की जाती है । ये एजेन्ट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिक्री के लिए पुस्तकें मंगाते हैं। अनुपूरक पुस्तकें प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के बिक्री एम्पोरियम (पटल) द्वारा भी स्टाक में रखी जाती है। रा. शै. अ. प्र. प. संस्थाओं और व्यक्तियों से सीधे आदेश प्राप्त होने पर भी पुस्तकें भेजता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम कापसे : मेरी यह व्यक्तिगत जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हजारों पुस्तकें गोदामों में पड़ी रही हैं और रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा प्रकाशित 41% पुस्तकें परिचालित की गई थी और केवल 17% बेची गई थीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धी टिप्पणी के बारे में, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 17% के जो आंकड़े हैं वह जो उन्होंने पहले प्रश्न पूछा था उसमें से लिए गए हैं। मेरे ख्याल से इसका उल्लेख तब किया गया जब पहले प्रश्न पूछा गया था और उस समय केवल 80 0 प्रतियां बेची गई थी। उस समय पुस्तकों का क्या प्रतिशत था जब उन्होंने प्रश्न पूछा था और पहले तीन सालों में 8000 प्रतियां बेची गई थी। यदि आप उनकी गणना करें तभी 17 प्रतिशत बनेगा। अन्यथा रा. शै. अ. प्र. प. प्रति वर्ष 25 मिलियन प्रतियां प्रकाशित करती हैं और लगभग 18-20 मिलियन प्रतियां वर्ष के दौरान बिक जाती हैं। आज की यही स्थिति है।

हिन्दी में सप्लीमेंटरी पुस्तकें प्रकाशित करने के सम्बन्ध में, हमारे पास नौ शीर्षक हैं। वास्तव में हमें पुनः मुद्रण करना पड़ा और हिन्दी सप्लीमेंटरी की 3.51 लाख प्रतियां वितरित की गई।

श्री राम कापसे : महोदय लेकिन बात अभी भी यही है कि अनेक प्रकाशित पुस्तकें रा. शै. अ. प्र. प. के गोदामों में पड़ी हैं और उन्हें समय पर परिचालित नहीं किया जाता। विद्यार्थियों को उचित समय पर सस्ते दामों पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं। क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवायेंगे क्या गैर सरकारी पुस्तक विक्रेताओं जो इन विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, के लाभ के लिए कोई रैकेट हैं। क्या मन्त्री महोदय यह देखेंगे कि रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें समय पर विद्यार्थियों को सस्ते दामों पर मिल सके ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गोदामों में अनेक पुस्तकें पड़ी हैं। इसके विपरीत जब कभी थोक विक्रेताओं द्वारा अथवा संस्थानों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं मांग की जाती है तो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं...(व्यवधान)

श्री राम कापसे : विद्यार्थी स्वयं सोचे नहीं मंगवा सकते हैं। अतः उन्हें समय पर परिचालित किया जाए। कृपया इसकी जांच की जाए। यही मेरा अनुरोध है।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तकों के पाठकों और सप्लीमेंटरी पुस्तकों के पाठकों में कुछ फर्क हैं। वास्तव में प्रश्न सप्लीमेंटरी पाठकों के बारे में पूछा गया था। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं यदि पाठ्य पुस्तकों की बात है तो मैं इसकी जांच करूंगा। लेकिन संगत मुद्दा यही है। हमने यह निर्णय लिया है कि थोक विक्रेताओं के अतिरिक्त, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए कलकत्ता, अहमदाबाद

और मद्रास में तीन क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों को पुस्तकों की सीधे आपूर्ति हो सके।

श्री ओबल्लम पालिप्रहो। महोदय, पूरे देश में भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न विद्यालयों में रा. शै. अ. प्र. प. की पुस्तकों की आवश्यकता होती है। अपने देश की विशालता को देखते हुए क्या रा. शै. अ. प्र. प. के 35 बिक्री केन्द्र पर्याप्त हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भिन्न-भिन्न राज्यों में रा. शै. अ. प्र. प. के बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की कोई मांग है। यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

महोदय, लेकिन तथ्य यह है कि सभी अपेक्षित पुस्तकें सभी केन्द्रों में उपलब्ध नहीं है। अतः विद्यार्थी और उनके अभिभावक संसद सदस्यों को आग्रह करते हैं कि वे उन्हें दिल्ली केन्द्र से खरीद कर लाएं और वहां बांटे मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है। क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे और यह देखेंगे कि सभी केन्द्रों में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा पूरे देश में थोक एजेन्ट भी हैं। यहां तक कि पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर में भी थोक एजेन्ट हैं। माननीय सदस्य उड़ीसा से हैं। यदि वह जानना चाहते हैं तो मैं थोक एजेन्टों का नाम व पते भी बता सकता हूं :—

ज्ञान भारती, प्लाट 18 स्टेशन स्क्वेयर, यूनिट-3 भुवनेश्वर। वह निश्चित रूप से उससे पुस्तकें ले सकते हैं, वहां आपूर्ति की जा रही है।

श्री राम नाईक : मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य केन्द्रीय गोदाम में कुल कितनी पुस्तकें रखी हैं और उनकी कीमत कितनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सदस्यों को गोदाम में पड़ी पुस्तकों की सूची परिचालित करेगी ताकि जब विद्यार्थी और प्रोफेसर हमारे पास आएं तो हम उन्हें यह देखकर बता सके कि ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसे बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें पुस्तकों की सूची और उनकी प्रतियों की संख्या बताएगी जो किसी दिन विशेष को उपलब्ध हैं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न पूछकर मुझसे पूर्ण जानकारी मांग रहें हैं। यह उचित नहीं है। इन्होंने सप्लीमेंटरी पाठकों की बात करते-करते अन्य बातें पूछने लगे (व्यवधान) मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से जानकारी दूंगा।

(हिन्दी)

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : क्या सरकार स्टाक पर छापा मार कर इस सच्चाई को उजागर करेगी कि स्टाक में किताबें पड़ी रहती हैं और पढ़ने वालों को उपलब्ध नहीं होती।

(अनुवाद)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम नहीं समझते कि यदि थोक विक्रेता कोई वस्तु स्टाक में रखता है तो कोई समस्या नहीं रहती है और रा. शै. अ. प्र. प. के स्टाक में रहने से समस्या

उत्पन्न होती है। अतः छापे मारने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(हिन्दी)

प्रो. प्रेम चन्द्र : अध्यक्ष जी, प्रश्न पहले भी आया है कि बहुत सी किताबें एन. सी. ई. आर. टी. की छात्रों को नहीं मिलती हैं और प्राइवेट कम्पनीज इनकी छाप कर वही किताबें बेच रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे मामले आपके ध्यान में आए हैं और इसके अतिरिक्त यह भी पूछना चाहता हूं कि पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में जहां कई-कई मील चलकर पुस्तकें लेने के लिए लोगों को जाना पड़ता है वहां पर भी एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा छपी हुई पुस्तकों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे ?

(अनुवाद)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे सरकारी प्रकाशकों द्वारा कानूनी तौर पर पुस्तकें पुनः प्रकाशित नहीं की जा सकती। यह गैर-कानूनी तौर पर किया जा सकता है। चूंकि यह मेरे ध्यान में लाया गया है अतः मैं इसकी जांच करूंगा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में थोक के एजेन्ट हैं जो मांग होने पर अथवा पहले से अनुमान लगाकर क्रयादेश देने का अधिकार रखते हैं और क्रयादेश देते हैं।

उत्प्रवास की स्वीकृति

*733. **श्री ई. अहमद :**

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैध रोजगार वीजा प्राप्त कर लेने के बाद भी अनेक लोगों को उत्प्रवास की स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया जाता है और इससे उन्हें मुम्बई, दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रुकना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्प्रवास सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने का है जिससे वैध रोजगार वीजा धारी व्यक्तियों को उत्प्रवास की स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवनसिंह चाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसी खबरें मिली हैं कि अनेक व्यक्ति जिनके पास वैध वीजा था वे उत्प्रवास स्वीकृति पाने में असमर्थ रहे थे क्योंकि उनके पास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 तथा इस उद्देश्य से उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित कागजात नहीं थे।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री ई. अहमद : मन्त्री महोदय ने उत्तर में जो कागजात प्राप्त करने की बात कही है वह

एक उलझा हुआ मामला है। अभी भी 10,000 लोग सहार हवाई अड्डे पर रुके हुए हैं जबकि उनके पास खाड़ी देशों का रोजगार वीजा है। दिल्ली और त्रिवेन्द्रम में भी ऐसा ही है। जब सरकार अनेक अन्य श्रेणियों को इन अप्रवास नियमों से छूट देती है तो इन श्रमिकों को जो अकुशल हैं और जिनके पास रोजगार वीजा है उन्हें इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट क्यों नहीं दी जाती है? अनेक अजेन्सियां भी इसका लाभ उठा रही हैं। भारत सरकार ने जो रवैया अपनाया है उसका फिलीपाइन्स और बंगलादेश जैसे देश लाभ उठा रहे हैं। जब देश में बेरोजगारी की स्थिति है और विदेशी मुद्रा की कमी है तो सरकार इन श्रमिकों के प्रति उदार रवैया क्यों नहीं अपनाती।

श्री पवनसिंह घाटोवार : सरकार को अप्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी है। उत्प्रवास स्वीकृति लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि श्रमिकों को बाहर भेजने के लिए पीटीए की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस निर्णय का प्रभाव यह हुआ है कि पी. टी. ए. होने का वास्तविक सबूत होने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता है लेकिन रोजगार संविदा प्राप्त करने की आवश्यकता रहेगी। इस निर्णय से भारतीय श्रमिक खाड़ी देशों में जा सकेंगे।

जो व्यक्ति अप्रवास स्वीकृति से छूट चाहता है उसे विमान के टिकटों और पासपोर्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

यूरोप और उत्तरी अमरीका जाने वाले व्यक्तियों को उत्प्रवास की जांच औपचारिकताओं से छूट दे दी गई है। सरकार सभी श्रमिकों को स्वीकृति नहीं दे सकती है क्योंकि इस बारे में विगत में अनेक शिकायतें मिली हैं। हमें इस पर कुछ निगरानी रखनी होगी। लेकिन हाल में बम्बई में हुई कठिनाइयों को देखते हुए हमने विदेश मन्त्रालय से सभी व्यवसायों के निरीक्षकों, कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों, हल्के, मध्यम और भारी वाहन चालकों, आशुलिपिकों, स्टोर कीपरों, टाइम कीपरों और टकण सहायकों सहित लिपिक कार्यकर्ताओं तथा घरेलू रोजगार में लगे रसोइयों को छोड़कर रसोइयों के लिए उदार नीति अपनाने के लिए कहा है। इन मामलों में हमने उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं और हम निर्णय लेने वाले हैं ताकि उत्प्रवास स्वीकृति की आवश्यकता न रहे।

श्री ई अहमद : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने विदेश मन्त्रालय से संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि इन व्यक्तियों से 1500 अथवा 2000 रुपए जमा कराने के लिए कहा जाए और भर्ती करने वाले ऐजेन्टों को उत्तरदायी बनाया जाए तथा यदि इस बारे में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इन शर्तों पर उन्हें आगे कार्यवाही करने के लिए कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछिए। आप भाषण नहीं दे सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है और आप भाषण दे रहे हैं। इस प्रकार आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री ई. अहमद : मैं केवल बात स्पष्ट कर रहा हूं ताकि मन्त्री महोदय ठीक प्रकार से उत्तर दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप पूछना चाहते हैं वह आप इतना लम्बा भाषण दिए बिना भी पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद आप प्रश्न पूछिए ।

श्री ई. अहमद : ठीक है। मैं यह तथ्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि मन्त्री महोदय बम्बई में हजारों लोगों के सामने आ रही समस्याओं को समझ सकें। मन्त्री महोदय को यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि उनके विभाग में क्या हो रहा है। अत. मन्त्री महोदय इस माननीय सभा को यह क्यों नहीं बताते कि मन्त्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के पास सही दस्तावेज हैं और खाड़ी देशों का वैध बीजा है उन्हें उसी प्रकार छूट दी जाए जैसे उत्प्रवास नियमों से अन्य श्रेणियों के लोगों को दी गई है। आप उन श्रमिकों के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार क्यों नहीं करते हैं जो रोजगार पाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हम श्री अहमद के सुझाव का स्वागत करते हैं। सरकार इस पर विचार करेगी। जहां तक स्वीकृति की बात है उसमें कुछ कठिनाइयां हैं .

श्री ए. चारलेस : माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया है कि कुछ कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। मैं त्रिवेन्द्रम का हूं। त्रिवेन्द्रम में एक उत्प्रवास कार्यालय है। मैं जानता हूं कि अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें बीजा प्राप्त किया गया है। उत्प्रवास में केवल इसी की आवश्यकता होती है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या कोई विशेष विशिष्ट अवधि निर्धारित की जाएगी जिसमें यदि सभी कागजात और अन्य स्वीकृति उपलब्ध होगी तो उत्प्रवास की स्वीकृति दे दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह अवधि निर्धारित कर सकते है?

श्री पवनसिंह घाटोवार : महोदय, चूंकि अनेक लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अत: स्पष्ट उत्तर देना कठिन है।

श्री ए. चारलेस : उन्हे अन्य दस्तावेज मिल गए हैं।

अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं है।

श्री ए. चारलेस : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि यह सम्भव नहीं है।

श्री पवनसिंह घाटोवार : महोदय, हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे।

श्री पी. सी. चाको : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि अनेक व्यक्तियों के पास वैध रोजगार बीजा है और उन्हे अप्रवास स्वीकृति नहीं दी गई है। यह गंभीर स्थिति है और इसका घिसा पिटा उत्तर दिया गया है। चूंकि यह सत्य है कि हजारों लोग उत्प्रवास स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और माननीय मन्त्री महोदय द्वारा नैमित्तिक कदम उठाए

गए हैं। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि मन्त्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को शीघ्र लागू करने के लिए उनके मन्त्रालय में विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ?

श्री पवनसिंह घाटोबार : महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि विशेषज्ञ और अर्द्ध-कुशल क्षेत्र के कामगारों की 6 श्रेणियों के लिए उत्प्रवास सम्बन्धी जांच की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में इसमें अधिसंख्यक कर्मचारी आ जायेंगे। अन्य कर्मचारियों के लिए हमारे अधिकारियों को दस्तावेजों के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करना है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने वाले ने कहा है कि कई व्यक्ति फंस गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास आंकड़े हैं कि कितने व्यक्ति उत्प्रवासन नियम न मानने से बम्बई दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम में फंस गए हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि वे उत्प्रवासन अनुमति देने के लिए इन नियमों में कब छूट देंगे।

श्री पवनसिंह घाटोबार : महोदय, इस समय मेरे पास इन स्थानों के सही आंकड़े नहीं हैं, किन्तु मेरे विचार में इस महीने के भीतर, हम उन श्रेणियों में उत्प्रवासन की अनुमति दे देंगे जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है।

श्री पी. एम. सईद : अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप के केन्द्र शासित प्रदेश में एक कार्यालय है जहां पर उत्प्रवासन की अनुमति दी जाती है। जब राजीव जी ने इस केन्द्र शासित प्रदेश का दौरा किया था, हमने उनसे मांग की थी कि इसके अलग-थलग होने के कारण इस केन्द्र शासित प्रदेश में एक कार्यालय होना चाहिए, किन्तु अफसरों ने इसे केवल उसी द्वीप तक सीमित रखा था जहां पर राजीव जी ने इसे, अर्थात मिनिकाय को अन्य द्वीप समूहों से अलग घोषित कर दिया था। क्या मुझे माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि क्या इसके अन्तर्गत अन्य द्वीप समूह भी सम्मिलित किए जायेंगे ?

श्री पवनसिंह घाटोबार : महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

"जल प्रदूषण"

[हिन्दी]

*734. **श्री यशवन्तराव पाटिल :**

श्री बारेलाल जाटव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदियों का 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन नदियों का पानी प्रदूषित है; और

(घ) नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) । (क)से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) देश की नदियों के कुल जल का कितना प्रतिशत प्रदूषित हो रहा है- इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आंकलन नहीं किया गया है ।

(ख) नदियों के जिन भागों में शहरों में बहने वाले मलजल के नाले छोड़े जाते हैं और औद्योगिक विसर्जन किए जाते हैं उनसे नीचे की ओर बहने वाले भाग आम तौर पर प्रदूषित रहते हैं । अधिकांश शहरी मलजल को बिना शोधित किये अथवा आंशिक रूप से शोधित करके बहा दिया जाता है । औद्योगिक बहिस्रावों के भी कुछ भाग को अपेक्षित स्तर तक शोधित नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नदी के जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसके अलावा, कृषि अपवाहों जिनमें कीट नाशक दवाएं और उर्वरक होते हैं, धोबी घाटों और मानव तथा पशुओं के नहाने से भी नदियों का पानी प्रदूषित होता है ।

(ग) नदी जल गुणवत्ता निगरानी के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने गंगा के कुछ भागों के अलावा 13 अन्य नदियों अर्थात साबरमती, यमुना, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, चम्बल, सतलज, सामोदर, गोमती, काली, खान, क्षिप्रा और हिंडन के कुछ अत्यधिक प्रदूषित हिस्सों का पता लगाया है ।

(घ) नदियों के जल में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं;

2. परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

4. उद्योगों से कहा गया है कि वे बहिस्रावों और उत्सर्जन को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें ।

5. नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गए हैं ।

6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और ऋण सुविधाएं दी जाती हैं;

7. सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है;

8 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 किस्म के उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली इन श्रेणियों की इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की गई है।

9. गंगा कार्य योजना के तहत गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

श्री यशवंतराव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या नदियों का 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित हो रहा है, क्या इस बारे में सरकार ने सर्वेक्षण किया है, इसका मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि कोई स्पष्ट आकलन नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है; सरकार के पास सारी जानकारी होनी चाहिए। आज दिनोंदिन औद्योगिक क्षेत्र बढ रहा है और प्रदूषण की वजह से हजारों एकड़ जमीन अनुपजाऊ हो रही है। पीने के पानी की भी समस्या बढ़ रही है। क्या इस बारे में देश की महत्वपूर्ण नदियों का सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है या नहीं ? यदि है तो कब तक यह सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा।

श्री कमलनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में बताया है कि प्रिसाइज डिटर्मिनेशन कि कितना पानी सब नदियों का प्रदूषित हुआ है, यह उपलब्ध नहीं है, परन्तु करीब 450 मानटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, इनमें से कुछ मेजर तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ साधारण तरीके से काम कर रहे हैं।

जहां तक औद्योगिक प्रदूषण का सवाल है, जितनी मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको इस साल 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि वे एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें।

श्री यशवन्तराव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने औद्योगिक प्रदूषण दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है, यदि हां तो केन्द्र सरकार क्या इस बात से सहमत है ?

श्री कमलनाथ : हमारे प्रस्तावित एक्शन प्लान में 50 प्रतिशत भार राज्य सरकार को वहन करना होगा और 50 प्रतिशत भार केन्द्र सरकार वहन करेगी। कुछ राज्यों ने मांग की है कि सारा भार केन्द्र सरकार वहन करे, कुछ राज्य, जैसे हरियाणा आदि ने स्वीकार कर लिया है कि वे 50 प्रतिशत भार वहन करेंगे।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम राजीव जी के समय में बनारस में गंगा का प्रदूषण समाप्त करने के लिए काम शुरू किया गया और इसमें तमाम रुपया भी खर्च हुआ।

मैं आप से जानना चाहता हूँ कि पहले आप यह बताइए कि देश की सब से पवित्र नदी गंगा जी है और इसका प्रदूषण समाप्त करने के लिए जो योजना बनाई गई थी, उस पर कितना खर्च हुआ और कितनी सफलता मिली, और उसका पानी कितना स्वच्छ हो पाया है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री कमल नाथ : जहां तक वाराणसी का प्रश्न है वहां करीब 4,062 लाख की राशि स्कीमों

के लिए स्वीकृत की गई थी।

[अनुवाद]

(व्यवधान)। महोदय, गंगा सफाई योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर की गई कुल सहायता राशि 12,774 लाख रुपए थे, 3 मार्च 1990 तक खर्च 6,892 लाख रुपए है। 1991 में भी खर्च वहन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र : मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी सफलता मिली और पानी कितना स्वच्छ किया है आपने ? (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, भारत में ऐतिहासिक कारणों से ज्यादातर शहर नदियों पर बसे हुए हैं और बड़े-बड़े शहर बसे हुए हैं। मन्त्री जी के उत्तर में कहा गया है कि ज्यादातर प्रदूषण जो नदियों के जल का हो रहा है—शहर का जो मल-मूत्र है, वह नदियों में नालों के द्वारा जाता है और बड़े बड़े उद्योग धन्धों के द्वारा प्रदूषण होता है। मुख्य बात यह है कि राज्य सरकारों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह नगरपालिकाओं और महापालिकाओं का जो मल मूत्र है, उसको शोधित करके कहीं छोड़ें और वह सारा का सारा नदियों में जा रहा है और वह सबसे बड़ा कारण है नदियों के प्रदूषण का। भारत में नदियों में लोग स्नान करते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, लोग उनका पानी पीते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार जो अनुदान 50 फीसदी दे रही है उन योजनाओं पर प्रदूषण को दूर करने के लिए, उसके अलावा इस पर भी विचार करेगी कि बड़ी-बड़ी जो नगर महापालिकाएं हैं या बड़े-बड़े जो उद्योग-धन्धे हैं, उनकी सहायता बढ़ाई जाए ताकि वह आवश्यक कदम उठा सकें कि गंदा मल-मूत्र जो शहरों का है, वह नदियों में नहीं जाए ?

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : शहरी प्रदूषण को रोकने के लिए मेरा अर्थ है, नदियों में जो शहरी क्षेत्र प्रदूषण फैला रहे हैं उनके सम्बन्ध में, शहरी विकास मन्त्रालय के पास बहुत सी योजनाएं हैं जो इन विषयों को उठाने के लिए राज्य सरकारों तथा दोनों बड़ी और छोटी नगर पालिकाओं से सम्पर्क कर रहे हैं। अतः ऐसा शहरी केन्द्रों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने का कार्य प्राथमिक तौर पर शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अभी बनारस का नाम लिया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने उनको अलाउ किया था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा भी उससे सम्बन्धित बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां प्रदूषण रोकने के लिए बनारस में और कानपुर में विशेष संस्थानों में करोड़ों रुपया खर्च किया जिसका हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने उद्घाटन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा प्रश्न के उत्तर में

मां आपने कहा है कि धोबियों के कपड़े धोने से गंगा में प्रदूषण फैलता है। बनारस में और कानपुर में काफी मात्रा में धोबी लोग कपड़े धोकर अपना जीविकोपार्जन करते थे और अब वहां पर प्रदूषण के कारण उनको रोक दिया गया है। उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और साथ ही वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट पर प्रतिदिन सैकड़ों मुर्दे जलाए जाते हैं और उससे प्रदूषण जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए आपने वहां पर विद्युत शवदाहगृह बनवा दिया लेकिन इन दिनों करीब तीन वर्ष से वाराणसी का जो विद्युत शवदाहगृह है, वह काम नहीं कर रहा है और उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है और मुर्दे पुनः मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट पर जलाकर गंगा नदी में फेंक दिए जाते हैं। इन धोबियों के लिए और इन मुर्दों के लिए आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री कमलनाथ : अध्यक्ष जी, वाराणसी में सबसे अधिक राशि और सबसे अधिक योजनाएं लागू करी गई है। जहां तक धोबियों का प्रश्न है, और मुर्दों का प्रश्न है, यह राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार उस पर ध्यान जरूर दे रही है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर के भाग 'ग' में कहा है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने कृष्णा नदी के कुछ अत्यधिक प्रदूषित हिस्सों का पता लगाया है। कृष्णा नदी विजयवाडा शहर के नजदीक अत्यधिक प्रदूषित हैं। अतः क्या उनका मन्त्रालय जल प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा ?

मल व्यवस्था इत्यादि के लिए पहले एक योजना मंजूर की गई थी, किन्तु अब भारत सरकार के अनुसार लागत बढ़ जाने से उस योजना को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है। किन्तु जल प्रदूषण के महत्व को ध्यान में रखते हुए विजयवाड़ा शहर के नजदीक कृष्णा नदी में जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उनका मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय के परामर्श से तथा उसके साथ मिलकर आवश्यक कदम उठायेगा ?

श्री कमलनाथ : महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि कृष्णा नदी में कई अत्यधिक प्रदूषित हिस्से हैं। इनमें से एक भाग कराड से सांगली तक है। इसकी पहचान की जा चुकी है और प्रदूषण का स्रोत चीनी तथा शराब उद्योगों का उत्सर्जन है, विशेषतया, कराड तथा सांगली के बीच का स्थान मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि ऐसी कुछ नई योजनाएं हैं जिन्हें प्रदूषण नियन्त्रण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिली है तथा उद्योगों को इन योजनाओं से लाभ मिल सकता है लघु उद्योग समूह के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और अन्य उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था उपलब्ध है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मेरा प्रश्न विजयवाड़ा शहर के पास कृष्णा नदी में बहने वाले मलजल से सम्बन्धित है।

श्री कमलनाथ : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं कृष्णा नदी में औद्योगिक प्रदूषण की बात कर रहा हूं। जहां तक कृष्णा नदी में बहने वाले मलजल से होने वाले प्रदूषण का प्रश्न है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किया जा सकता है, इस विषय पर शहरी विकास मन्त्रालय के साथ बातचीत करेंगे।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि कराड तथा सांगली के बीच कृष्णा नदी अत्यधिक प्रदूषित है। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण का मुख्य कारण चीनी फैक्टरियों से निकलने वाला सीरा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र में चीनी फैक्टरियों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या चीनी विकास कोष की ओर से जल प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन अथवा कुछ धनराशि देने का प्रस्ताव है।

श्री कमलनाथ : महोदय, मलनिस्त्राव उपचार तथा प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों के प्रतिस्थापन के लिए इन उद्योगों को 31 दिसम्बर, 1991 तक का समय दिया गया है। इसके पश्चात भी यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो कदम उठाए जायेंगे। जहां तक प्रोत्साहन का सम्बंध है, मेरे विचार में, पर्याप्त प्रोत्साहन है और एक प्रोत्साहन वह कानून होगा जिसे हम 31 दिसम्बर, 1991 के पश्चात लागू करेंगे। वित्तीय प्रोत्साहन के सम्बन्ध में ऐसी विश्व बैंक योजनायें हैं। जिनसे उद्योगों को आकर्षक दरों पर ऋण मिल सकेगा, लघु उद्योग समूहों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा 40 प्रतिशत ऋण होगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका वही पिटे-पिटाये रास्ते से जवाब न देकर, गहराई से जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि क्या इस देश की 70 प्रतिशत नदियों का पानी पोल्यूटिड है, उसके उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए सरकार उसे मान चुकी है। यहां कई ऐसे माननीय संसद सदस्य होंगे, जो देश के नदी किनारे बसे गांवों से आते होंगे, नदियों से लगे गांवों से आते होंगे, वे जानते होंगे कि हिन्दुस्तान की लगभग प्रत्येक नदी पोल्यूटिड है। हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग इन नदियों का पानी पीते हैं। इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारें जो आपसे 50 प्रतिशत ग्रांट मांगती हैं और इस सम्बन्ध में जो गाइडलाइन्स बनती हैं, मुझे लगता है कि राज्य सरकारें उसके अनुसार काम नहीं करती है लेकिन उसका शिकार इस देश के करोड़ों लोगों को होना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गाइडलाइन्स है या नहीं हैं पैसे की कमी के कारण, जो भी हो। दूसरी चीज है अध्यक्ष महोदय कि जितने बिजनेस घराने हैं और जो नदी के किनारे इंडस्ट्रीज लगाए हुए है, मैं मानकर चलता हूं और यह बहुत सी रिपोर्ट में भी पाया गया है कि वे सरकार की गाइडलाइन्स को नजरअंदाज करते हैं, तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे बिजनेस घराने हैं जो सरकार की गाइड लाइन्स को उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार करोड़ों लोगों को दुख पहुंचाते हैं, क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं कि इन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की हो और इसके साथ ही मैं एक खास जानकारी चाहता हूं कि उड़ीसा में एक रूसी कुल्या नदी है, उसके किनारे उद्योग लगाकर, जो संसद की कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी गाइड लाइन को उस बिजनेस घराने ने तोड़ा है, तो क्या यह बात मन्त्री महोदय के ध्यान में है और ऐसे लोगों के खिलाफ और राज्य सरकारों ने इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी ली है तो क्या कार्यवाही हुई ?

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ । महोदय, एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई थी जिसने 542 औद्योगिक एककों की पहचान कर ली है जो गंगा जल में मल निस्त्राव का विसर्जन करते हैं । पहले उत्तर प्रदेश में 191, बिहार इत्यादि में छः थे । वे नदी में प्रदूषण बहा रहे थे । इनमें से 48 एकक बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला रहे हैं । हमने उनकी पहचान कर ली है ।

जैसा मैंने कहा था कि एककों पर मुकदमा चलाया जा चुका है; इनमें से कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं तथा कुछ राज्य क्षेत्र के एकक हैं ।

मेरे पास उस एकक विशेष के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है जिसका श्री रविराय ने उल्लेख किया है । यदि वे मुझे वह सूचना दे दें तो मैं उस एकक के विरुद्ध कदम उठाऊंगा ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : इसका मतलब है कि किसी बिजनैस घराने के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री कमल नाथ : किसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री रविराय : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हुई है ?

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है । केवल एक पर मुकदमा चलाया गया है । अन्यों ने कुछ समय मांगा है । इस सम्बन्ध में जल प्रदूषण अधिनियम तथा अन्य कानून के अन्तर्गत जो निर्धारित समय-सीमा दी गई है वह इस वर्ष की 31 दिसम्बर है ।

डा. (श्रीमती) के. एस. लोन्धम : चूंकि सेलाई पेपर, पोन्नी शोनी मिल, इत्यादि उद्योगों के कारण जो कावेरी नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, ईरोड तथा तिरुचेंगोड में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन तीन उद्योगों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है ।

श्री कमलनाथ : महोदय, मैं यह अन्य सदस्यों को भी बताना चाहता हूं कि चूंकि यह राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अधिनियम है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नहीं, पहले राज्य को कार्यवाही करनी होती है ।

मुझे मालूम नहीं है कि इस विशेष मामले में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं । किन्तु यदि माननीय सदस्य इसे मेरे ध्यान में लाते हैं, तो मैं केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को इसकी जांच करने के लिए कहूंगा :

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहा कि 31 दिसम्बर तक की

तारीख दी गई है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी ? क्या यह कार्रवाई की जाएगी कि उद्योगों को और समय दे दिया जाए ? यह कार्रवाई तो "कार्रवाई" नहीं होगी। "कार्यवाही" होगी। दोनों में अन्तर है।

अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि ऐसे उद्योग प्रबन्ध करें कि प्रदूषण रुके, लेकिन अभी भी नदियों के किनारे उद्योगों को जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उसमें प्रदूषण को रोकने की कोई शर्त जुड़ी हों, ऐसा नहीं है और नये उद्योग खुल रहे हैं जो नदियों को और प्रदूषित करेंगे। क्या इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाजपेयी जी की चिन्ता से सहमत हूं। अब जो नये उद्योग खुल रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार और उस आधार पर मैंने इस सदन में कहा था कि हम नोटिफिकेशन इश्यू कर रहे हैं। क्योंकि जो लिबरलाईजेशन इंडस्ट्रियल पालिसी में हुआ है उससे उसका फायदा उठाकर ऐसा न हो कि नदियों के किनारे ऐसे उद्योग आ जाएं जो नदियों को और प्रदूषित करें। इस पर हम कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि रोक लगाई जा सके। जहां तक माननीय वाजपेयी जी का प्रश्न है कि 31 दिसम्बर के बाद किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी, 31 दिसम्बर का समय अब नहीं पहले से दिया गया गया है और मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पर सख्ती से कार्यवाही करेंगे, कोई छूट नहीं देंगे क्योंकि उनको काफी समय मिला है। करीब 17 ऐसी पर्टीकुलर टाइप आफ इण्डस्ट्रीज हैं जिनको इसका पालन हम 31 दिसम्बर तक सख्ती से करवायेंगे।

[अनुवाद]

श्री डी. के. नायकर : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हरिहर पोलिफाइबर फैक्टरी के पास तुंगभद्रा जल प्रदूषित है। नदी के दोनों किनारों पर लोग पीने के पानी का प्रयोग कर रहे हैं जो लोगों को अस्वास्थ्यकर रहा है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पानी स्वच्छ बनाने के लिए क्या कोई सख्त कार्यवाही की गई है।

श्री कमल नाथ : सब नदियों में प्रदूषण के विभिन्न स्तर हैं। ऐसी कोई नदी नहीं है जो प्रदूषित न हो। कुछ अत्यधिक प्रदूषित हैं तथा कुछ कम प्रदूषित हैं। जिस नदी का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु मैं इसकी जांच करूंगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

[हिन्दी]

*735. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि

दिसम्बर, 1990 के मूल्यों को आधार मानते हुए ग्रामीण श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 20 रुपए की दर से दी जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके सिफारिश की जांच-पड़ताल की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, खंड "ख" और "ग" जो है उसमें मैंने जानना चाहा था कि इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है और निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है। लेकिन इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह बता दें कि इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्राय: राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्रामीण श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हम उस रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज रहे हैं और उनकी टिप्पणी प्राप्त होने के बाद हम कोई निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से इस बारे में विचार-विमर्श कब तक किए जाने की संभावना है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमारे अगले राज्य श्रम सम्मेलन में यह भी एक चर्चा का विषय होगा।

श्री वसुदेव आचार्य : मेरी समझ में यह नहीं आता कि राज्य सरकारों से विचार-विमर्श की क्या आवश्यकता है क्योंकि जब ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था तब राज्यों से उनके विचार इस सम्बन्ध में लिये गये थे और बहुत पहले से ही हम यह मांग करते रहे हैं कि न केवल न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में बल्कि ग्रामीण श्रम के बारे में भी कोई विस्तृत कानून बनाए जायें। चार वर्ष पहले केवल ग्यारह रुपये मजदूरी निर्धारित की गई थी। कृषि श्रम में ग्रामीण श्रम का 41 प्रतिशत हिस्सा है। कृषि श्रमिकों की संख्या 110 मिलियन है कुछ राज्यों में उन्हें चार वर्ष पहले निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। अन्य पहलु भी है जैसे रोजगार गारन्टी इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप प्रश्न पूछें, भाषण न दें। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिक उन्नति के कारण ग्रामीण श्रम प्रभावित हुआ है। यह भी पहलु है। इस आयोग का गठन 1987 में किया गया था। चार वर्ष के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी।

अध्यक्ष महोदय : कई अन्य सदस्य भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया अपनी बात थोड़े में ही कहें।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत कानून बनाने जा रही है। ताकि कृषि महिला श्रमिकों सहित कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इसके आगे दूसरा पहलु जो इससे जुड़ा है वह है भूमि सुधार। क्या भूमि सुधार अधिनियम मे संशोधन किया जाएगा। मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का मामला भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ा है (व्यवधान)

श्री पवन सिंह चाटोवार : ग्रामीण श्रम पर गठित राष्ट्रीय आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में तीन वर्ष से अधिक समय लगा। उन्होंने बहुत ही विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कई मंत्रालयों से सम्बन्धित है। हम उस रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज रहे हैं। उनके उत्तर मिलने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

जहां तक खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का सम्बन्ध है श्री बसुदेव आचार्य जी अच्छी तरह जानते है कि इस कार्य के लिए राज्य सरकार ही सबसे उपयुक्त और सक्षम सरकार है जो न्यूनतम मजदूरी निधारित कर सकती है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : विस्तृत कानून बनाने के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री पवन सिंह चाटोवार : विभिन्न विभागों से टिप्पणी और रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी। फिर इस पर निर्णय लेने के लिये भी हमें राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना होगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने महिला मजदूरों को, गांव-गांव की महिला मजदूरों को मैटरनिटी लीव देने की सिफारिश की है ? अगर की है तो क्या सरकार इसको लागू करने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह चाटोवार : ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग ने कई ऐसी सिफारिशें की हैं। उन्होंने बाल श्रम, महिला श्रम और ग्रामीण श्रम के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं। सरकार इन

पर विचार कर रही है। राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद भारत इस पर उपयुक्त समय पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, महिला मजदूरों की संख्या बहुत है और ऐसा नहीं है कि वह प्रेगनेंट न होती हों। इसलिये साधारण स्तर पर इसको शामिल मत करिये। क्या इसको लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनका उत्तर नकारात्मक नहीं है सकारात्मक है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'नहीं' नहीं कहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, ग्रामीण श्रम पर गठित राष्ट्रीय आयोग की मैं सदस्या थी। न्यूनतम मजदूरी पर अन्तरिम रिपोर्ट देने का प्रश्न था। इसलिये मुझे यही कहना है कि जब मैं ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की सदस्या था तो आयोग ने पूरे देश का भ्रमण किया और विचार विमर्श के बाद आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट तैयार की। यदि यही स्थिति है तो विचारणीय शर्तें अंतरिम रिपोर्ट देने से जुड़ी नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूं कि अंतरिम रिपोर्ट का क्या हुआ। विचारणीय शर्तें यही थीं। यदि विचारणीय शर्तें यही थी तो सरकार को राज्य सरकारों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करना चाहिए। तभी इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की पूरी रिपोर्ट हमें मिल गयी है। मैंने पहले ही कहा है कि हाल ही में हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यहां तक कि उस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद भी पूरा नहीं हुआ है। विभिन्न राज्य सरकारों और विभागों को इसे भेजा जा रहा है। उसे प्राप्त करने के बाद मैं समझता हूँ कि तभी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय रूप से कह सकेगी।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में खेत मजदूरों को 20 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देने की बात तय की गई है। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि खेतहर मजदूर धान की रोपाई में, गेहूँ की बुवाई में और अन्य फसलों के काम में कितना समय काम करेगा, तब उसको 20 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : माननीय सदस्य जानते हैं कि अब भी कई राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजदूरी 20 रुपये से अधिक है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह राज्य स्तर पर न्यूनतम मजदूरी लागू करे। इस संबंध में हमें अभी पूरी सफलता नहीं मिली है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं में लगाए गए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक ठेकेदारों

के हस्तक्षेप के कारण नहीं दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों से सांठगांठ करके वे कार्य ले लेते हैं और परियोजना में लगाए गए श्रमिकों को कम पारिश्रमिक देते हैं। यदि ऐसा है, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करता हूँ कि यदि उनके पास ऐसा कोई विशेष मामला है तो वह हमारे सामने रखे और उसकी जांच अवश्य करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : चूंकि ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की यह सिफारिश है कि दिसम्बर 1990 के समय जो मूल्य का स्तर था उसके अनुरूप उन्हें दिया जाए। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस निर्धारित मजदूरी से कम किसी भी स्थिति में ग्रामीणों को नहीं दिया जाए ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैंने पहले ही कह दिया है कि न्यूनतम मजदूरी लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : आयोग गठित करने का क्या लाभ है ? (व्यवधान)

श्री शरत चन्द्र पटनायक : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां सरकार की सिफारिश से भी कम न्यूनतम मजदूरी है। यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार संबंधित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस संबंध में पत्र लिखने का विचार रखती है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, क्या माननीय सदस्य कृषि मजदूरों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में पूछ रहे हैं।

श्री शिवाजी पटनायक : मैं यह जानना चाहता कि क्या केन्द्र सरकार ने जो सिफारिश की है न्यूनतम मजदूरी उससे भी कम है। और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन राज्यों के नाम जानना चाहते हैं जहां न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा की गई सिफारिशों से भी कम है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : सरकार निश्चय ही राज्यों को कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिये पत्र लिखेगी। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की यही सिफारिशें हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने की

बात कही गई है। इस बारे में मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्रम आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि 17.75 रुपए ग्रामीण श्रमिकों को प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी, लेकिन देखने में आया कि राज्य सरकारों ने इसका ईमानदारी से पालन नहीं किया। इससे बंधुआ मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और गांवों में इनका शोषण हो रहा है। अब जो 20 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने की सिफारिश की गई है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए केन्द्र सरकार क्या विशेष रूप से राज्य सरकारों को हिदायत देगी ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकारों से वे बात करने वाले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई विशेष जानकारी है ?

[हिन्दी]

श्री पवन सिंह घाटोवार : अध्यक्ष जी, हम जरूर चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंटस एग्रीकल्चर लेबर की मिनिमम वेजिज को इम्पलीमेंट करें। सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग जरूर कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. पी रेड्डया यादव : क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चीनी उद्योगों, के. सी. पी लिमिटेड इत्यादि में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों को आयोग द्वारा निर्धारित मात्र न्यूनतम मजदूरी 20 रुपये ही दी जाती है ? क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि उन उद्योगों में नियोजित ग्रामीण मजदूरों को वे सभी लाभ मिल सकते हैं जो औद्योगिक मजदूरों को मिलते हैं ? चीनी उद्योगों के नियोजक, आमतौर पर वहां ग्रामीण मजदूर होते हैं तो उन्हें केवल 20 रुपये ही देते हैं और अन्य कोई लाभ उन्हें नहीं दिया जाता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो सकती क्योंकि कोई श्रमिक चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का, यदि वह किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य कर रहा है तो वह उस प्रतिष्ठान का औद्योगिक मजदूर है और उसके अनुरूप ही लाभ मिलेंगे।

श्री के. पी रेड्डया यादव : उन मजदूरों को मात्र 20 रुपये ही दिये जाते हैं और उन्हें अन्य कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने की कोशिश करें कि यह राज्य सरकार का दायित्व है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैंने पहले ही कह दिया है कि इसे लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है और कोई भी कार्यवाही करना राज्य सरकार की जिमेदारी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां राज्य सरकारों के जरिए इस पर अमल करना है, इस बारे में उनके सामने समस्याएं हल होने तक केन्द्र सरकार की तरफ से जहां-जहां ग्रामीण कर्मचारियों को काम पर लगाया जाता है, जिन-जिन योजनाओं पर लगाया जाता है और विशेषकर जितनी यूनियन टैरीटोरिज हैं, लक्षद्वीप से लेकर पूर्वी भारत के कई इलाकों तक, क्या इन तमाम जगहों पर केन्द्र सरकार इस 20 रुपये वाले प्रस्ताव को तत्काल अमल में लाने का काम करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : माननीय सदस्य से यह बहुत ही अच्छा सुझाव मिला है । मैंने पहले ही बताया है कि यह एक सिफारिश है । उस सिफारिश पर सरकार को निर्णय लेना है । न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कोई निर्णय लेने के बाद ही केन्द्र सरकार इसे निश्चित रूप से लागू करेगी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार के झूठे दावों की कलई खुल गई है ।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों का नाम लेकर क्यों अपनी कमजोरी को छिपाते रहते हो .

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी श्रमिकों की जगह पर काम करते हैं, जिनको आधा वेतन दिया जाता है । उस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबन्ध लगाया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे न लिए जाएं । लेकिन जहां-जहां बच्चे यह काम कर रहे हैं, उन जगहों पर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है ?

अध्यक्ष सहोदय । मन्त्री जी, चाइल्ड लेबर के बारे में गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है ?

[अनुवाद]

बाल श्रम संबंधी प्रावधानों को आप लागू करेंगे या नहीं ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हम इसकी जांच करेंगे ।

]हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र से खेतीहर मजदूरों का लगभग 12 लाख खेतीहर मजदूरों का पलायन हो गया है । दूसरे राज्यों में असम में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में, चूंकि उनको बिहार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है और खेती घाटे का व्यवसाय हो गया है, सरकार खेतीहर मजदूरों के पलान को रोकने तथा

उनको रोजगार मुहैया कराने और न्यूनतम मजदूरी दिलाने की क्या कोई ठोस व्यवस्था करना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नवोदय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति

*736. प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या अन्य अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा पाठ्यक्रम (सर्विस कोर्स) आयोजित किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) स्नातकोत्तर शिक्षकों की आवश्यकता कक्षा xI और xII को पढ़ाने के लिए होती है । नवोदय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाएं (हिन्दी को छोड़कर (केवल कक्षा x तक पढ़ाई जाती हैं । इसलिए हिन्दी के स्नातकोत्तर शिक्षक कक्षा xI और xII के लिए नियुक्त किए जाते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1988-89 से 1990-91 तक हिन्दी में स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए एक सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*737. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ ।

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम की बराक घाटी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने

का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह विश्वविद्यालय कब से कार्य शुरू कर देगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) असम के सिल्चर में शिक्षण और सम्बद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए मई, 1989 में एक विधान लागू किया गया था। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य तक फैला है। कछार, करीमगंज, उत्तरी कछार पर्वतीय और करबी आंगलोंग के जिलों में स्थित सभी कालेज अधिनियम के प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे।

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे विश्वविद्यालय खोलने के लिए सिल्चर में जमीन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ।

मध्य प्रदेश में घातक बीमारी

*738. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अगस्त, 1991 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "ड्रेडिड डिजीज किल्स दन इन एम. पी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल अफ्रीका में पायी जाने वाली 'कपोसी सारकम" नामक नई घातक बीमारी देश में आ गई है और असाध्य पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इससे अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

क्या बीमारी के सही कारण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार का विशेषज्ञ डाक्टरों के एक दल को मध्य प्रदेश भेजने का विचार है : और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश तथा इसके पड़ोसी राज्यों में इस बीमारी के फैलने को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संसार के विभिन्न देशों द्वारा यत्र-तत्र "कपोसी सारकम" की सूचना दी गई है ' तथापि, इसका सबसे अधिक प्रकोप अफ्रीकी देशों तथा यू. एस. ए. में होता है। यह

रोग औषधों से ठीक हो सकता है तथा इसका उपचार उचित इलाज द्वारा किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निदानों की समीक्षा करने तथा आगे उचित कार्रवाई करने हेतु श्री गणेश सोमवर के मामले के पूरे ब्यौरे मांगे हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष

[हिन्दी]

*739. श्री साईमन मरांडी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 को राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया था;

(ख) यदि हां; तो इस अवधि में राज्यवार कितने व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया और चालू वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार साक्षरता को ग्रामीण रोजगार, कृषि विकास, कृषि मजदूर प्रशिक्षण और स्वास्थ्य चेतना जैसे कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शत-प्रतिशत साक्षरता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और इस वर्ष इस कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम.राजन कुमार मंगलम) : (क) वर्ष 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया था।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित किए गए बताए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, उस वर्ष के दौरान लगभग 2 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए 42 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान भी प्रारंभ किए गए थे। यद्यपि चालू वर्ष के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है, फिर भी क्षेत्र-दृष्टिकोण पद्धति में चल रहे केंद्र आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, वर्ष 1991-92 के दौरान, पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 25-30 और जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है जिसका अर्थ है कि साक्षरता और संख्यात्मकता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अतिरिक्त, शिक्षु अपने वंचित अधिकारों के कारणों के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं और

विकास प्रक्रिया में सहभागिता और संगठन के जरिये वे अपनी परिस्थितियों में सुधार करने की ओर अग्रसर होते हैं। इसी संदर्भ में ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को विकास संबंधी अन्य विभागों के कार्यक्रम को विकास सम्बन्धी अन्य विभागों के कार्यक्रमों के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि सफल साक्षरता कार्यक्रमों से व्यक्तियों के जीवन स्तर में कुल मिलाकर सुधार हुआ है और नव साक्षरों ने अपनी परिवर्धित जागरूकता और उन्नत कार्यात्मक क्षमता के कारण विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ङ) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और वर्ष 1995 तक (15-35) आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का उद्देश्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षता उन्मूलन के लिए निर्धारित व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सैक्टर में क्रमश: 120.00 करोड़ रु. तथा 287.30 करोड़ रु का बजट प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में से विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि, प्रत्येक मामले में अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं पर निर्भर करेगी। इस के अतिरिक्त, 1991-92 के लिए राज्य सैक्टर में प्रौढ़ शिक्षा के लिए 58.75 करोड़ रु. और प्रारंभिक शिक्षा के लिए 749.43 करोड़ रु. के परिव्यय का अंतरिम तौर पर अनुमोदन कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1990.91 के दौरान राज्य-वार नामांकित किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91 के दौरान नामांकित किए गए
1.	आंध्र प्रदेश	695642
2.	अरुणाचल प्रदेश	34951
3.	असम	367300
4.	गोवा	941254
5.	गुजरात	6197
6.	बिहार	432927
7.	हरियाणा	बन्द कर दिया गया
8.	हिमाचल प्रदेश	53011

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	75357
10.	कर्नाटक	323300
11.	केरल	शत प्रतिशत साक्षर
12.	मध्य प्रदेश	724907
13.	महाराष्ट्र	843306
14.	मणिपुर	59241
15.	मेघालय	5326
16.	मिजोरम	28799
17.	नागालैण्ड	15541
18.	उड़ीसा	850000
19.	पंजाब	157848
20.	राजस्थान	510555
21.	सिक्किम	6963
22.	तमिलनाडु	681890
23.	त्रिपुरा	48601
24.	उत्तर प्रदेश	1996897
25.	पश्चिम बंगाल	209351
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	9017
27.	चंडीगढ़	7642
28.	दादरा और नागर हवेली	4500
29.	दमन तथा दीव	1135
30.	दिल्ली	66813
31.	लक्षद्वीप	1019
32.	पांडिचेरी	6693

15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण

]अनुवाद]

*740. श्री लालजन बाश एस. एम. :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए चालू वर्ष में कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) की गई कार्रवाई से सम्बन्धित स्थिति के ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम के ब्यौरे तथा की गई कार्रवाई की स्थिति

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्रवाई बिन्दू	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)
सूत्र सं. 1, 2, और 3		
साम्प्रदायिक रूप से संवेदन शील क्षेत्रों में जिला अधिकारियों की तैनाती	राज्य सरकारों को संशोधित तथा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना ।	साम्प्रदायिक सद्भाव के संवर्धन हेतु संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में परिचालित किए गए
अच्छे कार्य के लिए जिला व पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करना	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3
साम्प्रदायिक तनाव भड़काने या हिंसा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई	राज्य सरकारों को संशोधित तथा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना	साम्प्रदायिक सद्भाव के संवर्धन हेतु संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों को अप्रैल 1990 में परिचालित किए गए
सूत्र सं. 4		
साम्प्रदायिक अपराधों के परीक्षण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना	उन स्थानों पर जहां साम्प्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर भड़क चुकी है, अनन्य रूप से सामुदायिक अपराधों के परीक्षण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।	दिल्ली, मेरठ, और भागलपुर में विशेष न्यायालयों का पहले ही गठन किया जा चुका है। अन्य स्थानों पर न्यायालयों की स्थापना हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।
सूत्र सं. 5		
दंगों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रह राहत	मृत्यु/स्थायी अपंगता के मामलों में अनुग्रह अनुदान की राशि को संशोधित कर 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने तथा दंगो के शिकार कम आय वाले व्यक्तियों की विधवाओं को 500 रुपये प्रति मास पेंशन देने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करना	राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में जारी साम्प्रदायिक सद्भाव संवर्धन सम्बन्धी संशोधित दिशानिर्देशों में ये मदें भी शामिल हैं।
सूत्र सं. 6		
साम्प्रदायिकता सद्भाव बनाए रखने में रेडियो/	दंगों के दौरान समुदायों के बीच परस्पर सहायता	इन कार्यक्रमों को कवर करने वाले विशेष फीचर

1	2	3
दूरदर्शन की भूमिका	दर्शाने वाले विशेष फीचर, सांप्रदायिक सद्-भाव की आवश्यकता पर सीरियल विभिन्न समु-दायों की प्रतिभागिता वाले विशेष कार्यक्रम आदि प्रसारित/टेलिकास्ट करना।	कमीशन किए जा रहे हैं।
सूत्र सं. 7		
आपत्तिजनक और भड़काने वाली सामग्री का प्रकाशन-संपादक आदि के विरुद्ध कार्रवाई	इस संबंध में विशिष्ठ उपायों पर विचार करना।	समय-समय पर राज्य सरकारों को इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
सूत्र सं. 8, 9 और 10		
राज्य पुलिस बलों में भर्ती केन्द्रीय पुलिस संगठनों में भर्ती सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आदि में भर्ती	नमूनों सर्वेक्षणों के माध्यम से पुलिस बलों में भर्ती अभियान कानून और व्यवस्था ड्यूटियों के लिये मिले जुले बटालियन खड़ा करना साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण हेतु अनुस्थापन कार्यक्रम सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों/बैंकों में भर्ती बोर्डों की रचना मानीट-रिंग और सरकार/बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की मानिटरिंग	राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के बेहतर प्रतिनिधित्व, मिले जुले बटालियन खड़ा करने और पुलिस बलों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्य-क्रम सुनिश्चित करें। भर्ती और भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/आयोगों आदि में अल्पसंख्यकों के प्रति-निधित्व के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है।

1	2	3
सूत्र सं. 11-12		
तकनीकी शिक्षा और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1. सामुदायिक पालिटैकनिकों के विस्तार केन्द्रों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए प्रासंगिक कौशलों और उपयुक्त टेकनोलोजी में तकनीकी शिक्षा का प्रसार	अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाले सभी 41 जिलों को सामुदायिक पालिटैकनिकों की योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।
	2. अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाले जिलों में अल्पसंख्यक शिल्पियों और कारीगरों के लिए प्रासंगिक व्यवसायों को जोड़कर आई. टी. आई. ओ. में प्रशिक्षण का पुनर्संस्थापन/उन्नयन	1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 9 अल्पसंख्यक संकेंद्रण जिलों को शामिल किया गया। 1991-92 के दौरान 17 को शामिल किया जायेगा
	3. उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न भर्ती/प्रवेश परीक्षाओं के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण।	इस योजना के अन्तर्गत 1990-91 में 36 परीक्षा-पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए थे।
	4. अल्पसंख्यक कालेजों/विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना का पुनर्संठन और विस्तार।	17 अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों के 20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना क्रियान्वयनाधीन है।
सूत्र सं. 13		
लाभों का उचित और पर्याप्त हिस्सा	हस्तशिल्प अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों/क्षेत्रों में हस्तशिल्प के लिए पैकेज कार्यक्रम।	1990-91 के दौरान आगरा (संगमरमर जड़ाई/स्टोन वर्क), हैदराबाद (द्वितीय कार्य) और हावड़ा (चिकन कार्य) में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित किए।

1	2	3
		मुरादाबाद में धातु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र का संयंत्र कार्य कर रहा है। काष्ठ नक्काशी की डिजाइन विकास परियोजना सहारनपुर में शुरू की गई है।
	हथकरघा	
	अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में हथकरघा विकास के लिए सघन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।	कन्नूर, कालीकट जिलों और नादिया के सोनितपुर को परियोजना पैकेज में शामिल किया गया है। मुर्शिदाबाद को शामिल किया जाना है।
	भागलपुर और मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम।	एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। भागलपुर में 852 हथकरघा बुनकरों को नये पिट करघा दिए गए हैं, 493 लाभग्राहियों को सामान्त धन और ब्याज इमदाद के रूप में 22.54 लाख रुपए वितरित किए गए और 473 व्यक्तियों को को कार्य शेड-सह-गृहों के लिए 41.82 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।
लघु उद्योग		
	(क) साझा सुविधा केन्द्रों/ प्रारूप विकास केन्द्रों की स्थापना।	(क) अलीगढ़ और हावड़ा में ताले, चमड़े के सूट केस और सूई बनाने के उद्योगों के लिए सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों/प्रारूप विकास केन्द्रों

1	2	3
		को शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये।
	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजी योजनाएं।	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना तैयार की गई। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिला उद्योग केन्द्र/ स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कारंवाई शुरू की गई।
	(ग) कारीगरों/ई. डी. पी. प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम।	(ग) कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम के अन्तर्गत लगभग सभी राज्यों द्वारा विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। राज्य की कार्य योजनाओं में, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए उद्यमी संबंधी विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
	खादी तथा ग्रामोद्य	
	उद्योग ग्रामीण कारीगरों के लिए निधियों का विशेष आवंटन और विशेष कार्यक्रम।	खादी और ग्रामोद्य उद्योग बोर्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना प्रस्तावित की गई। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों को 13.17 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की गई और ग्रामीण उद्योग आयोग ने

1	2	3
		एक अल्पसंख्यक मूल्यांकन सैल स्थापित किया है।
	आई. आर. डी. पी/ट्राइसेम स्व: रोजगार/प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का बेहतर उपयोग।	स्थानीय विशेष व्यवसायों/ धन्धों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकारों को जिला-वार कार्य योजना तैयार करनी हैं। आन्ध्र-प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और अत्तर-प्रदेश द्वारा कार्य योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं।
	ऋण सहायता	
	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ऋण की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम।	मार्च, 1991 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 213 शाखाएं खोली गई 198 अतिरिक्त केन्द्रों का निर्धारण किया गया।
सूत्र सं. 14 और 15		
शिकायतों का समाधान, वक्फ आदि पर अधिक्रमण को हटाना।	वक्फ सम्पत्तियों/कब्रिस्तानों आदि पर अतिक्रमणों से सम्बन्धित शिकायतों सम्बन्धी समस्याओं से निपटने, शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र और सन्तोषजनक आधार पर उपाय करना।	इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को समय-समय पर निदेश जारी किये गए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सहायता

*741. श्री येल्लैया नन्दी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्राप्त सहायता का उपयोग कर्मचारिवृन्द, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और इस कार्यक्रम के मूल्यांकन पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त ऐसी कुल कितनी सहायता राशि का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष किया जा रहा है;

(ग) क्या आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार के ऐसे सामान्य कार्यों के लिए विदेशी सहायता को बन्द करने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सहायता का उपयोग संकटपूर्ण कार्यकलापों के लिए किया जाता है जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। व्यापक कार्यकलापों में ये शामिल हैं--कुष्ठ नियंत्रण में अध्येतावृत्ति और प्रशिक्षण, संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति, कुष्ठ रोधी औषधें, कार्यकारी अनुसंधान कार्यकलाप, विशेष अभिविन्यास कार्यकलापों का आयोजन, परामर्शदाताओं की सहायता से अनुवीक्षण और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंट्री बजट से दी गई सहायता इस प्रकार है :—

द्विवार्षिक	व्यय (अमेरिकी डालर)
1988-89 (1 जनवरी, 1988-31 दिसम्बर, 1989)	14,80,210
1990-91 (1 जनवरी, 1990-31 दिसम्बर, 1991)	6,31,000

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन निधि से चलाए गए सभी कार्यकलाप इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अनिवार्य हैं और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस योजना में इस कार्यक्रम के लिए

उपलब्ध निधि की अनुपूर्ति करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के बजट के बाहर के संसाधनों को भी उपयोग में लाना और भी अधिक आवश्यक है।

बच्चों को प्रतिरक्षण टीके लगाना

[हिन्दी]

*742. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री रामलखन सिंह यादव।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ बच्चों की प्रतिरक्षण टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान इस कारण से कितने बच्चों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वैक्सीनों के कारण 54 बच्चों के मरने की सूचना मिली है। इनमें से 21 मौतें 1988 में, 12 मौतें 1989 में तथा 21 मौतें 1990 में हुई जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न उपाबन्ध में दिया गया है।

व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 250 लाख गर्भवती महिलाओं और 220 लाख शिशुओं को हर वर्ष टीके लगाए जाते हैं। यद्यपि रोगप्रतिरक्षण एक सुरक्षित प्रक्रिया है, फिर भी बहुत कम ऐसे मामले हैं जिनमें टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से इन्कार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, वैक्सीनों की गुणवत्ता पर नियंत्रण, चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उपकरणों की आपूर्ति तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पूरी-पूरी तकनीकी सहायता सुनिश्चित करके रोगप्रतिरक्षण के कारण परिहार्य मौतों के खतरे को कम से कम करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं। वैक्सीनों को उचित तापमान में रखने के लिए देश भर में एक कोल्ड चेन प्रणाली तैयार की गई है। प्रत्येक टीके के लिए अलग-अलग सिरिंजों और सुइयों के इस्तेमाल पर बल दिया गया है और इन सिरिंजों और सुइयों को समुचित रूप से विसंक्रमित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरण प्रदान किए गए हैं।

टीका लगाने से होने वाली किसी भी मौत की जांच 48 घण्टे के अन्दर चिकित्सक दल द्वारा की जानी होती है। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

उपाबन्ध

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोगप्रतिरक्षण से हुई बच्चों की मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	1988	1989	1990
1.	आंध्र प्रदेश	1	—	3
2.	असम	—	—	1
3.	गुजरात	—	—	2
4.	हरियाणा	—	—	1
5.	हिमाचल प्रदेश	—	3	1
6.	मध्य प्रदेश	2	—	9
7.	महाराष्ट्र	4	—	1
8.	मिजोरम	2	—	—
9.	उड़ीसा	2	2	1
10.	राजस्थान	7	1	—
11.	सिक्किम	—	—	1
12.	तमिलनाडु	3	2	—
13.	उत्तर प्रदेश	—	4	—
14.	पश्चिम बंगाल	—	—	1
		21	12	21

अस्पतालों के लिए आधुनिक उपकरणों का खरीदा जाना

*743. श्री राम टहल चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में अस्पतालों को चिकित्सा हेतु अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या सभी राज्यों को समान सहायता राशि देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ङ) चूंकि संविधान के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य और अस्पताल इत्यादि राज्य विषय है, इसलिए संघ सरकार उपचार के लिए अत्यधिक परिष्कृत और आधुनिक उपकरणों को खरीदने हेतु विभिन्न राज्यों में अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं करती। वैसे, संघ सरकार मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ, क्षय रोग, दृष्टिहीनता इत्यादि के उन्मूलन/नियन्त्रण करने में राज्यों को मदद देती है।

अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा निधि का उपयोग

[अनुवाद]

*744. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए स्वीकृत की गई पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरी धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार द्वारा सभी इक्कीस राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को गत तीन वर्षों के दौरान उनकी अंश पूंजी में निवेश के रूप में निर्मुक्त 63.214 करोड़ रुपये उपयोग कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के दलितों का आर्थिक विकास

[हिन्दी]

*746. श्री कालका दास :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति निदेशालय दिल्ली ने दिल्ली के दलितों के आर्थिक विकास के लिए कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निदेशालय द्वारा उन्हें वितरित की गई सिलाई मशीन या इस्तरी जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि कोई वस्तु वितरित नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1991-92 के दौरान वितरित की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वयाधीन हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निदेशालय, दिल्ली प्रशासन निम्नलिखित को कार्यान्वित कर रहा है :—

1. स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता (लघु और कुटीर उद्योग के लिए इमदाद)
2. तिपहिया वाहनों की खरीद के लिए सीमांत धन
3. अनाधिसूचित जनजातियों का आर्थिक पुनर्वास
4. समाज के कमजोर वर्गों के लिए कि ओस्क/थड़ों का निर्माण
5. प्रेस वालों के लिए प्लेटफार्मों का निर्माण
6. दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास के निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार है :—

वर्ष	वितरित सिलाई मशीनें	वितरित लोहे की प्रैस/इस्तरी
1988-89	2865	348
1989-90	1729	291
1990-91	957	2

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार स्टाक में 1686 सिलाई मशीनें और 105 धोबी प्रैसें थी। इनमें से अब तक 731 सिलाई मशीनें और 45 लोहे की इस्तरियां चालू वर्ष 1991-92 के दौरान पात्र लाभभोगियों को वितरित की जा चुकी हैं। पहले से संस्वीकृत 432 सिलाई मशीनें और 62 धोबी प्रैसें लाभभोगियों द्वारा अभी ली जानी हैं। लाभभोगियों द्वारा इन्हें ले लिये जाने के बाद भी चालू वर्ष के दौरान 532 सिलाई मशीनें फिर भी वितरण के लिए रह जायेंगी। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए सिलाई मशीनों के नये स्टाक खरीदने हेतु 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

सरकारी आवास का आवंटन

[अनुवाद]

*747. श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री चेतन पी. एस चौहान :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी कितनी अवधि के बाद रिहायशी आवास के आवंटन के हकदार बनते हैं;

(ख) कितने सरकारी कर्मचारियों को पहली बार आवास का आवंटन किया गया था और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने कर्मचारियों को बड़े आवास की पेशकश की गई थी;

(ग) सरकारी आवास की आवंटन पद्धति में और अधिक सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी "सामान्य पूल" से आवास के आवंटन के पात्र हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) ये कार्यालय जिन्हें सामान्य पूल वास के लिए पात्र घोषित किया गया है, में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी रिहायशी वास के आवंटन के लिए पात्र हैं। रिहायशी वास की अत्यधिक कमी के कारण टाईप-I से टाईप IV के सम्बन्ध में सेवावधि के आधार पर तथा टाईप V से टाईप VIII के सम्बन्ध मे विशिष्ट तारीख को प्राप्त कर रहे मूल वेतन के आधार पर वास्तविक आवंटन किए जाते है।

(ख) यद्यपि सही ब्यौर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलों को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित किए गए विभिन्न श्रेणी के मकानों के ब्यौरे अनुमानत: इस प्रकार हैं :—

	1989	1990	1991 (8/91 तक)
टाईप I	1274	1244	804
टाईप II	2560	2822	2354
टाईप III	2711	2215	2449
टाईप Iv	1062	1091	793
टाईप V	470	513	380
टाईप VI	65	72	55

तथापि, प्रथम बार किए गए आवंटनों तथा उच्चतर बास के लिए किए गए आवंटनों के अलग आकड़े नहीं रखे जाते है।

(ग) आवंटन की पद्धति के सरलीकरण के लिए आवास भण्डार की उपलब्धता को कम्प्यूटरीकृत किया गया है आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा सूची स्थिति भी कम्प्यूटरीकृत है।

शिकायतों की जांच और आवास से संबंधित पूछताछ के उत्तरों के लिए एक अब सम्पर्क अधिकारी का मनोनयन किया गया है।

(घ) नीति के मामले के रूप में, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी सामान्य पूल बास के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, इस प्रकार के कुछ संगठनों के लिए विशेष कारणों से नीति को शिथिल किया गया है।

(ङ) भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी सामान्य पूल से आवंटन के पात्र हैं। सामान्य पूल आवास की कमी को देखते हुए इसमें किसी प्रकार की रियायत/छूट सामान्यतः नहीं दी जाती है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

*748. श्री संजय लाल :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त पदों की संख्या श्रेणीवार और क्षेत्रवार कितनी है;

(ग) क्या पिछले दो सत्रों के दौरान इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई भर्ती नहीं की गई है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षकों की भर्ती शुरू की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो ये पद कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) शिक्षकों के श्रेणी-वार रिक्त स्थान नीचे दर्शाए गए है :—

क्र. सं.	वर्ग	1990-91 के दौरान रिक्त स्थान
1.	स्नातकोत्तर शिक्षक	1047

1	2	3
2.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	847
3.	प्राथमिक शिक्षक	881
4.	विविध श्रेणियां	873

विद्यालय-वार रिक्त स्थानों के ब्यौरे सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक आयुक्तों द्वारा रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 के लिए सीधी भर्ती वाले शिक्षकों का पेनल में वास्तविक रिक्त स्थानों की संख्या से 50% अधिक नाम रखकर तैयार किया गया था और चुने गए उम्मीदवारों को पूरी तरह अपाया नहीं गया है। ये पेनल अभी भी प्रभावी हैं।

(ङ) और (च) वर्तमान पेनलों के समाप्त होने के बाद ही और सीधी भर्ती की जा सकती है।

शहरी क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना

[हिन्दी]

* 740. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना को शहरी क्षेत्रों में भी क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो शहरी क्षेत्रों में इसे कैसे क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं किन्तु नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में अन्य बातों के अलावा, माइक्रो उद्योगों की स्थापना, मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना और शहरी निर्धनों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास और आश्रय उन्नयन शामिल है।

(ग) नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 113 करोड़ रुपए की राशि नियतित की गई है।

विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करना

[अनुवाद]

*750 श्री शंकरसिंह वघेला :

डा. ए. के. पटेल। क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैदिक गणित को विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और वैदिक गणित को अतिरिक्त तथा वैकल्पिक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में कब तक शामिल कर लिया जाएगा;

(ग) इस प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कुछ विद्यालयों ने वैदिक गणित के शिक्षण एवं ज्ञान में रुचि दिखाई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) किसी भी राज्य सरकार अथवा स्कूल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद से जो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या का विकास करने वाली एक पदनामित एजेन्सी है, इस मामले में सम्पर्क स्थापित नहीं किया है ।

राजस्थान में आदिवासी उप-योजना विभाग को राशि का आवंटन

[हिन्दी]

*751. श्री भेरूलाल मीणा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में आदिवासी उपयोजना विभाग को वर्ष 1989 से अब तक वर्ष-वार तथा योजना वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आदिवासी उप-योजना का लाभ मिला है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिला है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राजस्थान की राज्य योजना को आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत किया गया आवंटन और 1989 से भारत सरकार द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आवंटन	विशेष केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)
1989-90	7989 00	1479.64
1990-91	8826 00	1583.98

(ख) और (ग) आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की स्थिति नीचे दी गई है:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1989-90	75000	69201	91 प्रतिशत
1990-91	64039	69 8	108 प्रतिशत

मादक द्रव्य/पदार्थ विरोधी इकाइयां

*751-क. **श्री राजबीरसिंह :**

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक द्रव्यों/पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति को रोकने के लिए मादक पदार्थ विरोधी इकाइयों की स्थापना की गई है, और

(ख) यदि हां, तो मादक द्रव्यों/पदार्थों के सेवन की लत छुड़ाने के सम्बन्ध में सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मन्त्रालय द्वारा नशीली दवाओं के व्यसनियों को परामर्श, निव्यंसन और उत्तरवर्ती देखभाल सेवायें प्रदान करने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 112 परामर्श केन्द्रों, 44 निव्यंसन केन्द्रों और 10 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के माध्यम से देखभाल तथा परामर्श सेवाएं प्रदान की गई।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में काली वर्षा और हिमपात

*753. **प्रो. प्रेम धूमल :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के बाद इस वर्ष के आरम्भ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में काली वर्षा और हिमपात हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों और प्रभाव का पता लगाने के प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) जम्मू और कश्मीर के गुड और सोनमर्ग क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में मार्च, 1991 में काली बर्फ के कुछ इक्के-दुक्के पिंड देखे गए।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) । कुछ प्रभावित क्षेत्रों से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण से इस घटना के बारे में किसी विशिष्ट कारण का पता नहीं चल सका। चूंकि यह एक असामान्य घटना है, जो केवल एक ही बार हुई है, इसलिए उस क्षेत्र की जलवायु और पारिस्थितिकी पर इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र में पशुओं का मरना

6097 श्री राम नाईक :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पनाऊ और तालासेरी तालुकों तथा दादरा नागर हवेली में, जनवरी से मार्च, 1991 की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा सीसा युक्त विभिन्न पदार्थों के विसर्जन के कारण काफी संख्या में पशु मर गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले की जाँच करने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां । पनाऊ और तालासेरी तालुकों में धातु विषाक्तता के कारण 322 मवेशियों के मरने की खबर है ।

(ख) इस मामले की जांच करने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. मैसर्स हिन्दुस्तान एसाय मैन्युफेक्चरिं कं. लि. सीसा का विनिर्माण करती है । इस यूनिट को बन्द करने की कार्यवाही संघशासित क्षेत्र, सिलवासा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरु की गई थी, उसके बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1987 की धारा 31 क के तहत 5-3-91 को इस यूनिट को बंद करने का आदेश दिया ।

2. कम्पनी ने यूनिट को बंद करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 886/91 दिनांक 30-4-91 दायर की । दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूनिट को इस आशय के सपथ-पत्र के आधार पर 1 मई, 1991 से उत्पादन शुरु करने की इजाजत दी कि उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखा जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण 6 महीने की अवधि के भीतर लगा दिए जायेंगे । इस पर अनुवर्ती कार्यवाही शुरु कर दी गई है ।

3. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई,91 और 12-13 जुलाई, 91 को इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी की । परिवेशी वायु गुणवत्ता में सीसे और सांखिया की मात्रा को मापा गया और उनको निर्धारित सीमाओं के भीतर पाया गया ।

4. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद ने मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है ।

दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना

6098. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिषद के गठन और इसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड ने कुछ समय पहले इं. गां. रा. मु. वि. अधिनियम, 1985 की धारा 16 के अधीन विश्वविद्यालय के एक प्राधिकरण के रूप में दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए एक संविधि अनुमोदित की है।

संविधि के प्रावधानों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद का गठन निम्नलिखित अनुसार होगा:—

(i) कुलपति, इं. गां. रा. मु. वि.

अध्यक्ष

(ii) शिक्षा सचिव या उनका नामजद व्यक्ति

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सदस्य

(iv) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(v) प्रबन्ध बोर्ड के दो सदस्य

(vi) ऐसे राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के दो कुलपति जिन्हें केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उचित घोषित किया गया है ।

(vii) मुक्त विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे विश्वविद्यालयों के पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के दो अध्यक्ष जिन्हें केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उचित घोषित किया गया है।

(viii) विजिटर द्वारा तीन व्यक्ति नामांकित किए जायेंगे जिसमें से एक मुक्त विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य विश्वविद्यालय का कुलपति हो सकता है, दूसरा व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा में विशेषज्ञ तथा तीसरा जनमाध्यम/संचार में विशेषज्ञ हो सकता है।

(ix) मुक्त विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षा पद्धति में एक अध्यापक/प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पदनामित इं. गां. रा. मु. वि. का रजिस्ट्रार/निदेशक दूरस्थ शिक्षा परिषद का सचिव होगा।

संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद की यह सामान्य जिम्मेदारी है कि वह वे सभी कदम उठाये जो मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा

सद्धतियों की प्रोन्नति इसके समन्वित विकास व इसके निर्धारण के लिए इं. गां. रा. मु. वि. अधिनियमों के प्रावधानों, संविधियों व अध्यादेशों के अनुरूप हैं। उपर्युक्त अध्यादेश तभी लागू होगा जब विजिटर इं. गां. रा. मु. वि. अधिनियम, 1985 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार अपनी स्वीकृति दे देगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का बिना पारी के आवंटन

[हिन्दी]

6099. श्री शिवशरण वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों की संख्या कितनी है जिनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने जनवरी, 1991 से जून 1991 तक की अवधि के दौरान बिना पारी के आवास आवंटित करने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या उन सभी लोगों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 62

(ख) जी, नहीं। तथापि, 27 मामलों में आवंटन करने की सूचना दी गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना-बारी के आवंटन के लिए निर्धारित 22 1/2 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैटों के आधार पर फ्लेटों का विशिष्ट नियतन/आवंटन किया जाता है।

विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा

[अनुवाद]

6100 श्री राम निहोर राय :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजदूतों, राज्यपालों/उपराज्यपालों, स्वायत्त निकायों के चेयरमैनों तथा कुलपतियों के कितने पद इस समय भरे गए;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित पदों पर इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को तैनात किया गया;

(ग) क्या भाग (क) में उल्लिखित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए कोटा भर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है:—

पद का नाम	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जन जाति की संख्या
1. राजदूत	105	11	6
2. राज्यपाल/ उप-राज्यपाल	28	अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या संकलित नहीं की गई।	
3. स्वायत्त निकायों के अध्यक्ष		सूचना एकत्र की जा रही है।	
4. कुलपति			

(ग) और (घ) : इन पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

6.01. श्री माग्ये गोवर्धन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के अन्त तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे;

(ख) वर्ष 1989-90 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे निर्धन व्यक्तियों की संख्या कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या था और इसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धि कितनी थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 2000 तक के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिन परिवारों को विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप-योजना तंत्र के माध्यम से 1980-81 से 1989-90 तक आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उनकी संख्या 2 65,74,466 है।

(ख) 1989-90 में 30,52,198 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 34,68,158 परिवारों को विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप-योजना तंत्र के माध्यम से गरीबी की रेखा पार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप-योजना तंत्र के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य से पंचवर्षीय

योजना और वार्षिक योजनाओं के लिए लक्ष्य नियत किए जाते हैं। 1991-92 में गरीबी की रेखा पार करने योग्य बनाने के लिए अनुसूचित जाति और/जनजाति के 33,56,704 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है, इसलिए लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

गुजरात में राजकोट में पेय जल आपूर्ति योजनाएं

[हिन्दी]

6102. श्री एस. एम. बेकारिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गुजरात के राजकोट शहर में पेय जल की आपूर्ति की कुछ योजनाएं सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राजकोट नगर निगम ने आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) की ऋण सहायता के साथ 31 करोड़ रुपये की लागत से भादर जलापूर्ति पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वित की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पट्टे पर दिये गये फ्लैटों और भूखण्डों को पट्टा मुक्त करना

[अनुवाद]

6103. श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली में पट्टे पर दिये गये भूखण्डों और फ्लैटों को पट्टा मुक्त करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त शर्तें दिल्ली विकास प्राधिकरण की बहुमंजिली आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पट्टे पर दिये गये फ्लैटों पर भी लागू होंगी; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दिये गए फ्लैटों को पट्टा मुक्त करने की शर्तें क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) 500 वर्ग मीटर आकार तक के आवासीय प्लाटों, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और दिल्ली विकास

प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा बनाए गए फ्लैटों के बारे में लीजहोल्ड के अधिकार को फ्रीहोल्ड में बदलने के आदेश 11.3.1991 को जारी किए गए थे। विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ विचार विमर्श पर आधारित इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र विस्तार, कवरेज और विस्तृत रूपात्मकताएं सरकार के विचाराधीन हैं।

छोटा नागपुर में साक्षर आदिवासी

[हिन्दी]

6104. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर-संथाल परगना में रहने वाले साक्षर आदिवासियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार आदिवासियों के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, छोटा नागपुर संथाल परगना के अन्तर्गत आने वाले धनबाद, लोहारडाग, रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और पूर्व सिंहभूम जिलों की साक्षरता दर, समग्र बिहार राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है। इसी प्रकार, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा जिलों की साक्षरता दरें, समग्र बिहार राज्य की औसत साक्षरता दर से कम हैं। लेकिन, छोटानागपुर संथाल परगना क्षेत्र में रह रहे साक्षर आदिवासियों की प्रतिशतता के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) छोटानागपुर-संथाल परगना क्षेत्र सहित देश भर के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को और अधिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों में सरकारी स्कूलों में कम से कम अपर-प्राइमरी स्तर तक ट्यूशन शुल्क की समाप्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए समर्थन सेवाओं का प्रावधान; लड़कियों को स्कूल जाने में सक्षम बनाने के लिए शिशु केन्द्रों की व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, उपस्थिति छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन का प्रावधान; और कार्य अनुभव के लिए नक्शों/चार्टों जैसी सहायक शिक्षण सामग्री का प्रावधान शामिल है। अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंकों, राज्य सरकारों को छात्रावासों, आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान विदेशी छात्रवृत्तियों आदि जैसी कई योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा।

"महानगरों में पर्यावरणीय प्रदूषण"

6105. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास चार महानगरों के पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार इन नगरों को पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इन महानगरों को कब तक प्रदूषण से मुक्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इन नगरों में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार इन नगरों में वायु प्रदूषण स्तर कुल मिलाकर निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं और आगे चलकर भी सीमाओं के भीतर रहेंगे। यद्यपि सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड सीमा के अन्दर हैं लेकिन मद्रास के अलावा इन नगरों में धूल कणों का स्तर अधिक है। इसका मुख्य कारण धूल और भारी यानीय यातायात है। कुल मिलाकर इन नगरों में इस समय जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यद्यपि इसके लिए अलग से कोई विशेष स्कीम तैयार नहीं की जा रही है, फिर भी प्रदूषण नियंत्रण के जारी कार्यक्रम में तेजी लाई गई है। इसमें वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी, मानक तैयार करना और उन्हें लागू करना शामिल है। पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए/उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक तैयार किए गए हैं।

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किए गए हैं।

3. परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

4. इन नगरों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

6. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसंक्रमणों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन करें।

7. उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाती है।

8. मलजल के शोधन के लिए मलजल और जल निवासी प्रणाली के निर्माण/उनमें वृद्धि करने की स्कीम शुरू की गई हैं। इस तरह की स्कीमें केन्द्र सरकार की गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत कलकत्ता में शुरू की गई हैं।

9. सामूहिक वहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक योजना शुरू की गई है।

10. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

11. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत सभी वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को सलाह दी गई है कि वे ठोस उत्सर्जन मानकों को 1 मार्च, 1990 से लागू करें।

12. यानीय प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

13. पैट्रोलियम उद्योग से कहा गया है कि पैट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके 1993 तक इसे प्रति लिटर 0.15 ग्राम कर दें।

14. मोटर वाहनों के प्रत्येक निर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित वाहनों का एक आदि-प्रारूप प्रस्तुत करना होता है, जिसकी जांच सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एक एजेंसी द्वारा की जाती है और वह इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि उत्पादन उत्सर्जन मानकों सहित नियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए किया गया है। यह उपबन्ध 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गया है।

15. राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान, नागपुर सड़क पर चल रहे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए देशी उत्प्रेरक कन्वर्टर तैयार कर रहा है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

महिला साक्षरता दर और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना

[अनुवाद]

6106. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि करने तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर विशेष बल दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा, जो कि देश में महिला साक्षरता दर सहित सम्पूर्ण

साक्षरता दर को बढ़ाने के दो मुख्य कार्यक्रम हैं, को बढ़ावा देने में कार्यरत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा विभिन्न एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

(लाख रुपए)

केन्द्रीय सहायता की धन राशि

क्र. सं	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	1988-89	1989-90	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	406.59	570.28	2275.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.45	42.38	15.18
3.	असम	238.38	256.10	181.82
4.	बिहार	454.22	677.36	760.93
5.	गोवा	11.26	65.47	5.47
6.	गुजरात	460.17	512.21	828.28
7.	हरियाणा	166.30	205.89	105.07
8.	हिमाचल प्रदेश	45.09	61.93	54.02
9.	जम्मू और कश्मीर	111.49	8.15	13.48
10.	कर्नाटक	488.86	393.17	1298.85
11.	केरल	210.33	421.91	533.11
12.	मध्य प्रदेश	563.61	726.81	1278.20
13.	महाराष्ट्र	667.44	665.40	906.20
14.	मणिपुर	84.92	81.50	22.13
15.	मेघालय	39.06	67.81	32.91
16.	मिजोरम	13.40	16.61	13.67
17.	नागालैंड	14.92	42.00	37.29
18.	उड़ीसा	216.60	493.27	609.91

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	146.22	175 01	104.45
20.	राजस्थान	595.48	595.36	507.58
21.	सिक्किम	4.38	38 84	7.89
22.	तमिलनाडु	464.86	648.15	45281
23.	त्रिपुरा	30.79	47.58	15.32
24.	उत्तर प्रदेश	1123.60	852.15	1228.81
25.	पश्चिमी बंगाल	469.78	268.06	1586.58
	संघ शासित प्रदेश			
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11.96	16.00	19.38
27.	चंडीगढ़	5.94	6.51	14.31
28.	दादरा और नगर हवेली	3.54	4.30	5.51
29.	दमन और दीव	0.79	0.73	0.66
30.	दिल्ली	92.19	214 85	299.29
31.	लक्षद्वीप	4.83	1.95	0.32
32.	पांडिचेरी	18.50	50 37	40 13

विवरण-2

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी धन राशि 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2422.24	2324.08	2932.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	74.81	46.76	82.16
3.	असम	468.13	1154.21	207.68

1	2	3	4	5
4.	बिहार	2637.71	1552.07	8405.51
5.	गोवा	23.62	65.62	47.47
6.	गुजरात	248.02	829.07	579.82
7.	हरियाणा	320.82	149.62	86.50
8.	हिमाचल प्रदेश	417.91	465.77	303.36
9.	जम्मू और कश्मीर	567.87	174.70	0.67
10.	कर्णाटक	911.44	541.16	724.50
11.	केरल	327.23	280.00	221.28
12.	मध्य प्रदेश	3094.23	1081.52	2477.04
13.	महाराष्ट्र	483.96	341.74	720.15
14.	मणिपुर	142.75	3.98	75.13
15.	मेघालय	—	—	100.49
16.	मिजोरम	27.95	10.94	42.43
17.	नागालैंड	56.67	42.98	5.83
18.	उड़ीसा	1832.92	1322.89	2210.94
19.	पंजाब	470.25	460.85	286.69
20.	राजस्थान	1666.26	2319.38	4165.74
21.	सिक्किम	44.56	—	15.36
22.	तमिलनाडु	1230.12	2026.98	547.51
23.	त्रिपुरा	—	76.12	7.70
24.	उत्तर प्रदेश	2949.49	3556.76	2331.85
25.	पश्चिमी बंगाल	522.47	82.49	385.82
	संघ शासित प्रदेश			
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	8.27	—
27.	चंडीगढ़	2.83	2.89	5.64

1	2	3	4	5
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	4.14
29.	दमन और दीव	1.18	—	53.59
30.	दिल्ली	48.22	134 82	106.09
31.	लक्षद्वीप	—	—	10.72
32.	पांडिचेरी	27.23	20.32	—

विदेशों में पी. एच. डी. और एम. डी. में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए डालरों का प्रावधान

[हिन्दी]

6107. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोवियत संघ तथा अन्य भूतपूर्व समाजवादी देशों में पी. एच. डी. और एम. डी. आदि में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों से डालरों के रूप में एक मुश्त धनराशि ली जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने हेतु डालर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों, आदि के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययनों के लिए भारत सरकार के तत्वावधान में विदेश भेजे जाने वाले छात्रों/अध्येताओं से उनके अध्ययनों के लिए डालरों में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की राशि वसूल नहीं की जाती। विदेशी संस्थाओं में निजी तौर पर प्रवेश चाहने वाले स्व-वित्तपोषित छात्रों को प्रवेश-शुल्क शिक्षा-शुल्क, आदि देने पड़ सकते हैं। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को विदेशों में भारतीय छात्रों से ऐसा किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें ऐसे भुगतानों के कारण होने वाली कठिनाइयों का/यदि कोई हो, के कारण उल्लेख किया गया हो।

विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न पूर्वी यूरोपीय देशों में प्राइवेट अध्येताओं की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(i) **बलगारिया** :—अब, बलगारियाई विश्वविद्यालय पी. एच. डी. और एम. डी. आदि

पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों से 4000 अमरीकी डालर (सब मिलाकर) प्रति वर्ष वसूल कर रहे हैं।

(ii) सोवियत संघ :—जहां, छात्रों और संस्थाओं के बीच आंशिक आपूर्तित आधार पर सीधे ही व्यवस्थाएं की जाती हैं, आंशिक भुगतान या तो डालरों अथवा अन्य मुद्रा में किया जाता है जहां मध्यस्थों तथा संस्थाओं द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं, छात्र रुपयों में एकमुश्त भुगतान करते हैं।

(iii) हंगरी :—खाड़ी के क्षेत्र के स्ववित्तपोषित छात्रों को प्रवेश-शुल्क, शिक्षा शुल्क आदि का भुगतान दुर्लभ मुद्रा में करना पड़ता है।

(iv) रोमानिया :—रोमानिया में डिग्री पाठ्यक्रम करने के इच्छुक विदेशी छात्रों को चिकित्सा संकाय के लिए 310 अमरीकी डालर प्रतिमास अर्थशास्त्र सहित पालिटेक्निक संस्थानों में 270 अमरीकी डालर थियेटर संस्थान के लिए 710 अमरीकी डालर और संगीत संस्थान के लिए 420 अमरीकी डालर का भुगतान करना पड़ता है। छात्र अपनी सुविधानुसार प्रत्येक मास अथवा एकमुश्त राशि में शुल्क का भुगतान करते हैं।

वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई सम्पत्ति

[अनुवाद]

6108. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सम्पत्ति के बारे में बनी समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है जिसका वक्फ बोर्ड ने वक्फ सम्पत्ति होने का दावा किया है;

(ख) इस समिति की सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है;

(ग) उन सम्पत्तियों के नाम क्या हैं जिसे सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को दीर्घकालीन पट्टे पर अन्तरित करने का निर्णय लिया है तथा जिन्हें वास्तव में बोर्ड को अन्तरित कर दिया गया है; और

(घ) उन अन्य सम्पत्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें बोर्ड को अभी तक अन्तरित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) बनी समिति की सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था और भूमि तथा विकास कार्यालय व दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन 123 सम्पत्तियों को वक्फ बोर्ड

को अन्तरित करने की स्वीकृति सूचित करते हुए 27 मार्च, 1984 को व्यापक आदेश जारी किये थे। इस मामले में उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण इन सम्पत्तियों का वास्तविक अन्तरण नहीं किया गया है।

विवरण

वर्मा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों का सार

(क) मस्जिद और दरगाह

(i) स्थलों पर विद्यमान और नियमित रूप से उपयोग में आ रही वक्फ सम्पत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड/मुतावालीस को अन्तरित कर दी जायेंगी और सरकार उनके स्वामित्व से संबंधित अपना दावा वापस लेगी। वक्फ बोर्ड/मुतावालीस को वृहद योजना और पालिका उप-नियमों के अनुसार इन सम्पत्तियों का विकास करने का अधिकार होगा।

(ii) वह स्थल जिस पर वक्फ सम्पत्ति, विद्यमान नहीं है और जिस पर सरकार ने भवन, पार्क आदि का निर्माण कर लिया है, सरकार को सौंप दी जायेगी। इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड अपना दावा वापस लेगा।

(iii) वे वक्फ सम्पत्ति जो जीर्णावस्था में है किन्तु उपयोग के लायक है, दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दी जायेगी। सरकार ऐसी सम्पत्ति पर से अपने स्वामित्व का दावा वापस लेगी। तत्पश्चात दिल्ली वक्फ बोर्ड को वृहद् योजना और पालिका उप-नियमों के अनुसार उनका विकास करने की अनुमति दी जाये। दिल्ली वक्फ बोर्ड, उस क्षेत्र के आसपास, जहां वक्फ सम्पत्ति स्थित है, की वास्तुकीय को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से इन वक्फ का विकास करेगा। ऐसी सम्पत्तियों की दिल्ली राजपत्र अधिसूचना यथावत रहेगी और सरकार उनकी अधिसूचना के विरुद्ध न्यायालयों से मामले वापस लेगी।

(iv) वे वक्फ जो जीर्णावस्था में है और उपयोग के लायक नहीं है, दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं सौंपी जायेगी। इन सम्पत्तियों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं होगा और ऐसी वक्फ के सम्बन्ध में यदि कोई अनुबन्ध हो उसे समाप्त माना जाएगा।

(ख) कब्रिस्तान

(i) उन कब्रिस्तानों, जहां कब्रें विद्यमान हैं और जिनका इस प्रकार स्थान विवरणिका में रिकार्ड है, ऐसी सम्पत्तियों से सरकार अपना दावा वापस लेगी और न्यायालयों से भी मामले वापस लेगी। बोर्ड को यथासंभव वृहद् योजना और पालिका उप-नियमों के अनुसार उनके अनुरक्षण और विकास की अनुमति दी जायेगी। स्वामित्व, अनुरक्षण और विकास का अधिकार दिल्ली वक्फ बोर्ड का होगा और ऐसे कब्रिस्तानों के सम्बन्ध में यदि कोई अनुबन्ध हो तो उसे समाप्त माना जायेगा।

(ii) ऐसे कब्रिस्तान, जहां कब्रें विद्यमान नहीं हैं और जिन्हें पार्कों के रूप में विकसित कर दिया गया है। अथवा जिन पर सरकार या नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा भवनों का निर्माण कर लिया गया है, के सम्बन्ध में दिल्ली वक्फ बोर्ड की क्षतिपूर्ति की जायेगी और ऐसे कब्रिस्तानों से दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार/नगर निगम के पक्ष में अपना दावा वापस लेगा।

बिहार में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

[हिन्दी]

6109. श्री ललित उरांव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के क्या नाम हैं;

(ख) इस पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इन जिलों में लोगों को साक्षर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए प्रतिकूल सामाजार्थिक परिस्थितियों तथा अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(ग) प्रारंभिक-शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय-प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय-सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की सलाह दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता दर 36.23 (सभी व्यक्ति) से नीचे साक्षरता दर वाले जिलों की सूची

राज्य का नाम	क्रम सं.	जिले का नाम	साक्षरता दर
1.	2.	3.	4.
बिहार	1.	पश्चिम चम्पारन	18.78
	2.	पूर्णिया	19.26

1	2	3	4
	3.	पूर्व चम्पारन	19.33
	4.	सीतामढ़ी	19.56
	5.	सहरसा	20.26
	6.	पलामऊ	20.41
	7.	कटिहार	21.03
	8.	गोपालगंज	21.37
	9.	मधुबनी	21.74
	10.	संथाल परगना	22.25
	11.	हजारी बाग	23.50
	12.	सिवान	23.71
	13.	गिरडीह	23.91
	14.	दरभंगा	23.94
	15.	मुजफ्फरपुर	24.25
	16.	समस्तीपुर	24.86
	17.	वैशाली	20.55
	18.	बेगुसराय	26 06
	19.	नवादा	26.53
	20.	मुंगेर	26.06
	21.	सारेन	27.28
	22.	भागलपुर	27 47
	23.	औरंगाबाद	28.49
	24.	गया	30.07
	25.	रोहतास	30.55
	26.	भोजपुर	31.55
	27.	रांची	31.41
	28.	नालन्दा	32.92
	29.	सिंहभूम	34.59

महाराष्ट्र में पेय जल की कमी

[अनुवाद]

6110. श्री अन्ना जोशी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महाराष्ट्र के कितने शहरों में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान पेय जल की कमी रही थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त पेय जल की कमी को दूर करने हेतु कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सहायता व्यय की वित्त-व्यवस्था की योजना, जो 1989-90 तक प्रचालन में थी, के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए "मारजिन मनी" नामक कतिपय राशि प्रत्येक राज्य सरकार को नियतित की गई थी। "मारजिन मनी" में उपलब्ध निधि से यदि वे स्थिति से निपटने में असमर्थ होते थे तो केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। महाराष्ट्र सरकार, जिसके पास 13 करोड़ रु. की "मारजिन मनी" थी, ने सूखे की स्थिति सहित अभाव की स्थितियों के लिए 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया था।

1.4.90 से सहायता व्यय की वित्त-व्यवस्था की योजना को संशोधित किया गया है जिसके अन्तर्गत 3 तथा 1 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान से प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि की व्यवस्था की गई है। सहायता व्यय की वित्त-व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों का निर्णय करने के लिए राज्य स्तर की समिति समर्थ है। महाराष्ट्र सरकार को 1990-91 के दौरान आपदा राहत निधि में 44 करोड़ रुपये की राशि नियतित की गई थी जिसमें 33 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान के रूप में और 11 करोड़ रुपये राज्य अंशदान के रूप में थे। राज्य सरकार ने 39.44 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जिसमें सूखे से राहत के लिए 2.78 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास वित्त निगम के कृत्य

6111. श्री के. डी. कुनील सुरेश :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :—

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम ने केरल के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यह शाखाएं केरल राज्य में आवास समस्याओं को किस प्रकार हल करने में सफल हुई हैं; और

(घ) आवास विकास वित्त निगम द्वारा केरल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का निर्माण करने के लिए आवेदकों को दिये गए ऋण का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवास विकास वित्त निगम से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार केरल राज्य में इसकी कोचीन और तिरुवनन्त-पुरम में केवल दो शाखा हैं।

(ग) आवास विकास वित्त निगम द्वारा केरल में आवास समस्या का समाधान करने में योगदान जनसंख्या के मध्यम, निम्न मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिहायशी मकानों की अधिप्राप्ति खरीद और निर्माण में वित्त पोषण द्वारा किया जाता है।

(घ) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार केरल स्थित दो शाखों ने 105.88 करोड़ रुपये के आवास ऋण स्वीकृत किये हैं जिसमें से 68.42 करोड़ रुपये 16,300 रिहायशी एककों के लिए संवितरित किये गये हैं।

बदायूं में नवोदय विद्यालय

(हिन्दी)

6112. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदायूं जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर खोला जायेगा और इसके कब से कार्य करना शुरू करने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय स्कीम में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश के 62 में से 35 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय खोलना सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के प्रस्ताव पर निर्भर करता है, जिन्हें शुरुआती तौर पर 2-3 वर्षों के लिए नवोदय विद्यालय चलाने के लिए संसाधनों और प्रशासनिक सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता के अतिरिक्त 30 एकड़ उपयुक्त भूमि निःशुल्क और पर्याप्त भवन तथा अन्य अवस्थापनाएं प्रदान करनी होती हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई उपयुक्त प्रस्ताव नहीं मिला है।

पी. एच. डी. पूर्व शोधवृत्ति

[अनुवाद]

6113. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गणित के छात्रों को कोई पी. एच. डी. पूर्व शोधवृत्ति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड द्वारा दी जा रही शोधवृत्ति का ब्यौरा क्या है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी, कार्य मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गणित सहित सभी विषयों में एम. फिल/पी. एच. डी डिग्री के लिए उन उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है जो राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा (एन. ई. टी.) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। ये अध्येतावृत्तियां उस विश्वविद्यालय/संस्थान के माध्यम से दी जाती है, जहां छात्र एम. फिल./पी. एच. डी. डिग्री के लिए स्वयं को पंजीकृत कराता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा दिसम्बर 1990 में आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा में 21 उम्मीदवारों ने गणित में अर्हता प्राप्त की।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदूषण के दोषी व्यक्तियों पर कर

[हिन्दी]

6114. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रदूषण के लिए दोषी व्यक्तियों पर कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) प्रदूषण फैलाने के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के

तहत कार्रवाई की जाती है । इस समय उद्योगों से जल की खपत के लिए वसूल किए जाने वाले उपकर के बदले उद्योगों द्वारा विसर्जित प्रदूषकों की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर बढ़िलाव प्रभार वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी

अनुवाद)

6115. **श्री के. पी. आर. चौधरी :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय वन सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) क्या वे अन्य अखिल भारतीय सेवाधिकारियों के समतुल्य हैं; और

(ग) भारतीय वन सेवा के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कितना कोटा है और कोटे में से कितने प्रतिशत पद भरे गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस समय भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या 2246 है ।

(ख) तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमान समान नहीं हैं ।

(ग) भारतीय वन सेवा के प्राधिकृत संवर्ग में वे 302 पद भी शामिल हैं, जो भारतीय वन सेवा अधिकारियों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम ग्राह्य हैं । इस समय केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 144 भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं ।

सरकारी क्वार्टरों का अनुरक्षण

6116 **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या शहरी विकास मन्त्री 5 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1591 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकारी क्वार्टरों के अनुरक्षण के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस धन का किस प्रकार उपयोग किया गया तथा कितना धन अप्रयुक्त रह गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निवासियों के कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ कितनी बैठकें की और इन बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गए और अभी कितने निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु लम्बित हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में शहरों का विकास

6117. श्री टी. वी. अंब्रलोज :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम, कालीकट तथा कोचीन के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कोझीकोट में विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ करने के लिए 316.5 करोड रुपये लागत की शहरी विकास योजनाओं के लिए एक प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में केरल सरकार से परिचर्चा की गई हैं। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश पद्धति में परिवर्तन

6118. श्रीमती वासवराजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को आगामी सत्र से प्रवेश पद्धति में व्यापक परिवर्तन करने के निर्देश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अधिनियम तथा संविधियों के अनुसार निश्चित की जाती है। वि.अ.आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने अगले शैक्षिक सत्र से प्रवेश प्रणाली में कोई परिवर्तन करने के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की हैं। आयोग ने हाल ही में सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाए। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक माडल शैक्षिक कार्यक्रम भी परिचलित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश पूरा करने की अन्तिम तिथि भी बताई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कनिष्ठ अभियंताओं की संवर्ग समीक्षा

6119. **श्री जितेन्द्रनाथ दास :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं की दूसरी संवर्ग समीक्षा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : जी, हां।

(ख) जब तक सरकार द्वारा मामले पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता, ब्योरा प्रकट प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

(ग) चूंकि, इसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों से परामर्श करना शामिल है इसलिए, कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली दान-राशि की जांच करने के लिए समिति का गठन

[हिन्दी]

6120. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली दान-राशि की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) क्या समिति को इसमें वित्तीय अनियमितता का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) पंजीकरण शुल्क, जमानत-राशि, दान-राशि तथा भवननिधि इत्यादि के नाम पर धन लेने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

[illegible]द (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दिल्ली प्रशासन ने दिनांक 10.12.90 को सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट (सहायता प्राप्त) गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश जारी करके यह ताकीद कर दी है कि वे प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान न लें और न ही कर्जा लेने अथवा अन्यथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई सीट सुरक्षित रखें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन

[अनुवाद]

6121. श्री पंचानन तीरकी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, संवर्ग-वार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कितने स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए;

(ख) कितने मामलों में सेवा-काल के निर्धारित मापदंड का उल्लंघन किया गया तथा इस उल्लंघन के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

महाबलीपुरम के मंदिर

6122. श्री गुरुदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं शताब्दी के महाबलीपुरम मंदिर पर कागज लुगदी का विस्तृत लेप किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंदिर को समुद्री कटाव से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर की रासायनिक सफाई और लवणों के सोखने के लिए मंदिर पर कागज की लुगदी का विस्तृत लेप किया गया है, चूंकि यह मन्दिर समुद्र के निकट है।

(ग) तटबन्ध दीवार के निर्माण के अतिरिक्त मन्दिर के आस-पास के क्षेत्र का विकास लान बिछाने के साथ-साथ, कैसुरीना के वृक्षों का रोपण करके मन्दिर को सुरक्षित किया जा रहा है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बनाई गई योजना का क्रियान्वयन

6123. श्री ए. चार्ल्स :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बनाई कार्य योजना के क्रियान्वयन पर हुए व्यय का 80% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) केरल में इंजीनियरी कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन सम्बन्धी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के 80 प्रतिशत हिस्से के रूप में 2.06 करोड़ रुपये मुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से मार्च, 1990 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार द्वारा अब इस प्रस्ताव का फरवरी, 1991 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार को 1.5 करोड़ रुपये का एक तदर्थ अनुदान मुक्त किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त

6124. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने अधिकारी विभिन्न राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद वापस नहीं बुलाया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की संख्या 14 है जिनमें से 6 अधिकारी न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी में है। इनमें से 7 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति अवधि के तीन वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात भी वापस नहीं बुलाया गया है।

भारत में ट्रिवाजोलम औषधि का प्रयोग

6125. श्री राम नरेश सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "डीपिंग" गोलियों के निर्माण में ट्रिवाजोलम औषधि (जेनिरिकनाम) का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है और इन गोलियों की निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अमरीका और यूरोप में सुरक्षा की दृष्टि से इस औषधि के प्रयोग के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य और औषध प्रशासन ने पर्याप्त सावधानी के रूप में उच्च क्षमता अर्थात 0.5 मि. ग्रा. क्षमता वाली औषध के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस क्षमता वाली औषध को इस्तेमाल करने की यूरोपीय देशों में भी अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, औषध ट्रायजोलम को 0.25 मि. ग्राम और 0.125 मि. ग्राम की क्षमता में बेचा जा रहा है ।

(घ) भारत में जेरिएट्रिक के रोगियों में चिंता विकृतियों और आइसोमनिया में इस औषध की 0 125 मि ग्राम क्षमता वाली गोलियों की नैदानिक जांच की जा रही है ।

"पुनर्मूल्यांकन कितना सही" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6126. श्री रामशरण यादव ।

श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जुलाई, 1991 को नवभारत टाइम्स में "पुनर्मूल्यांकन कितना सही" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात 33 से 99 अंक देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विद्यार्थियों को भी पुनर्मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने का है;

(घ) क्या इस संस्थान की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए सरकार का पुनर्मूल्यांकन का काम उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित किसी समिति, बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्थान को सौंपने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक यह लिपिक स्तर की गलती थी जिसे बोर्ड की परीक्षा के उपनियमों के प्रावधानों के मुताबिक सुधार लिया गया था। किसी खास विषय में उम्मीदवार के अंकों को 33 से बढ़ाकर 99 अंकों के योग की जांच के आधार पर किया गया था न कि पुनर्मूल्यांकन के आधार पर।

(ग) जी, नहीं। सी. बी. एस. ई. से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड की परीक्षा के उपनियमों के अन्तर्गत उत्तर-पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन को कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान, भोपाल

6127. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान, भोपाल के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को भी अखिल भारतीय निकाय ने मान्यता नहीं दी है और यह संस्थान इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय संघ द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा वानिकी प्रबन्ध में अपने द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा को मान्यता दिलाने के प्रश्न की भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान जांच कर रहा है।

रैबिज के उपचार के लिए अनुसंधान

[अनुवाद]

6128. **श्री विजय नवल पाटिल :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस की "पास्चर इंस्टीट्यूट" तथा अमरीका की कम्युनिकेबल डिसीजेज

इंस्टीट्यूट ने रैबीज के उपचार के लिए अनुसंधान कार्य में सहयोग देने हेतु रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, पुणे, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन है, ने मानव मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी (रैबीज) प्रतिपिंडों के उत्पादन के लिए पास्चर इंस्टिट्यूट, पेरिस के साथ एक सहयोगी अध्ययन किया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवास नीति

6129 श्री पी. सी. थामस :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवास नीति घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकानों की सुलभता में वृद्धि करने हेतु इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन नामक एक संगठन की स्थापना की गई है। यह संगठन सेवारत/अथवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और विधवंत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिये "लाभ-हानि रहित" आधार पर मकानों का निर्माण करने के लिये उत्तरदायी है।

खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था

[हिन्दी]

6130. श्री विजय कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार खेतिहर मजदूरों के ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी आयु स्कूल जाने की है;

(ख) उनमें से स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात कितना है;

(ग) क्या इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर स्कूल जाने लायक आयु अथवा स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों अर्थात असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों, लड़कियों तथा उन कामकाजी बच्चों जो किसी एक अथवा अन्य कारणों से नियमित स्कूलों में नहीं जा सकते, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में सभी अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों पर्वतीय, मरुस्थली तथा आदिवासी क्षेत्रों तथा कामकाजी बच्चों के संकेन्द्रित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत योजना लगभग दो घंटे के लिए संचालित केन्द्रों में अंश-कालिक शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें प्रति केन्द्र 20-25 नौसिखियों दाखिले होते हैं। ये केन्द्र ऐसे समय तथा स्थान पर चलाए जाते हैं जो नौसिखियों के लिए सुविधाजनक होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य, ऐसी कोटि की शिक्षा प्रदान करना है जो कि दो वर्ष की अवधि में नियमित प्राइमरी स्कूल शिक्षा के समतुल्य हो।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में संशोधन

[अनुवाद]

6131. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या साहुल :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में संशोधन करके ऐसा प्रावधान करने का है जिससे कि न्यायालय सरकारी मकानों में रह रहे अप्राधिकृत व्यक्तियों को स्थगन-आदेश न दे सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यायालयों की शक्तियों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध न्याय के हित में नहीं होगा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की क्षति

6132. **डा जयन्त रंगपी :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दौरान असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न जातियों के

कितने वन्य जीवों की मृत्यु हुई, शिकार-चोरों द्वारा मारे गये अथवा बाढ़ के कारण मर गये अथवा खो गये;

(ख) अब तक कितने शिकार-चोरों को दोषी पाया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता दी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वन्य जीवों के आक्रमण के कारण जन अथवा धन की हुई क्षति के बदले काजीरंगा में अथवा काजीरंगा के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) इस राष्ट्रीय उद्यान को, पशुओं को बाढ़ और शिकार-चोरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गयी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस अवधि में अभी तक किसी भी चोरी-छिपे शिकार करने वाले को दोषी नहीं ठहराया गया है।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उसके आस-पास बढ़ाए गए क्षेत्रों के रख-रखाव और विकास के लिए स्वीकृति केन्द्रीय सहायता की राशि इस प्रकार है :—

	रुपये लाख में
1988-89	126.16
1989-90	शून्य
1990-91	51.87
कुल :	178.03

(घ) पिछले तीन वर्षों में वन्यजीवों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को दिए गए मुआवजे की राशि इस प्रकार है :—

	रुपये
1988	5,000
1989	10,000
1990	25,000
कुल :	40,000

(ङ) भारत सरकार ने असम में चोरी छिपे शिकार, बाढ़ और अन्य प्रकार की अशांति से गैंडों की सुरक्षा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1986-87 में 'असम में गैंडों का संरक्षण'' नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित असम में गैंडों के सभी वासस्थलों को शामिल किया गया है। यह स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी और इसके अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के लिए एक करोड़ रुपये की धन-राशि का आवंटन किया गया है। स्कीम की गतिविधियों में हथियारों, वाहनों, मोटर बोटों तथा वायरलैस सैटों से सज्जित चोरी-छिपे शिकार रोधी अतिरिक्त दलों का गठन, चोरी-छिपे शिकार करने वालों के बारे में सूचना प्रदान करने पर पुरस्कार तथा बाढ़ के समय गैंडों तथा अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उच्च भूमि का निर्माण शामिल है।

विवरण

क. चोरी छिपे शिकार के कारण जीवों की मृत्यु

1988	24 गैंडे
1989	44 गैंडे
1990	34 गैंडे

ख. बाढ़ के कारण मृत्यु

वर्ष	गैंडे	हाथी	बाघ	जंगली भैंसे	जंगली सूअर	भालू	साही	हिरण
1988	44	2	2	3	69	28	10	1050
1989	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1990	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल :	46	2	2	3	69	28	10	1050

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम और हाई टेक कार्बन इन्डस्ट्रीज, रेणुकूट द्वारा प्रदूषण

6133. श्री राम निहोर राय :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अन्तर्गत रेणुकूट में हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी हिन्डालको और हाई टेक कार्बन इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्धारित मानकों को 31 दिसम्बर, 1991 तक पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपकरण लगाने के निदेश दिये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर घाटी के सरकारी अधिकारियों द्वारा दिल्ली में आवास उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध

6134. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी .

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर घाटी में कार्यरत कुछ केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को घाटी में उग्रवादियों की धमकियां मिलने के कारण दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित कार्यालयों में समायोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर अनुकम्पा के रूप में आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रत्येक अनुरोध को गुणावगुण आधार पर निर्णित किया जाता है।

उड़ीसा को आवास और शहरी विकास निगम की सहायता

6135. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ग्रामीण आवास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराता रहा है;

(ख) यदि हां, तो आवास और शहरी विकास निगम ने ग्रामीण आवास के लिए उड़ीसा को वर्ष 1990-91 में और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की; और

(ग) ग्रामीण लोगों को मकानों के निर्माण के लिए ऋण देने हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुणाचलम) : ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित पात्र उधार लेने वाली एजेन्सियों को हुडको ऋण उपलब्ध करवा रहा है।

(ख) हुडको ने उड़ीसा के ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए 1990-91 के दौरान 5.45 करोड़ रुपये की ऋण की धनराशि मंजूर की थी। चालू वित्त-वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास के लिए अब तक कोई ऋण स्वीकृत नहीं किए गए हैं। यद्यपि, इस प्रयोजन के लिए हुडको द्वारा 4.23 करोड़ रुपये का अंतरिम नियतन किया गया है।

(ग) हुडको मानक शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेन्सियों को ऋण मंजूर करता है। 1-4-91 से प्रभावी व्यापक संशोधित शर्तें इस प्रकार है :—

लागत सीमा	—	10,000 रुपये प्रति रिहायशी यूनिट
ऋण की अधिकतम राशि	—	50 प्रतिशत
ब्याज की दर	—	7 प्रतिशत
वापस भुगतान करने की अवधि	—	11 वर्ष

वसन्त कुंज में वैकल्पिक फ्लैट

6136. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व वित्त पोषी योजना के अंतर्गत वसन्त कुंज में विशेष रूप से ब्लाक 'बी' पाकेट-7 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ फ्लैटों का वास्तविक आवंटियों को किया गया आवंटन रद्द कर दिया गया था और वे अन्य लोगों को आवटित कर दिए गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार उन लोगों को वैकल्पिक फ्लैट आवंटित करने का है जिनके आवंटन रद्द कर दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन्हें कब तक फ्लैट आवटित कर दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री. एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सैक्टर-बी, पाकेट 7, वसन्त कुंज के आवटियों के सम्बन्ध में फ्लैटों का विशिष्ट आवंटन पात्रता सूची प्रदर्शित करने के बाद किया गया था जिसके लिये समाचार पत्रों में यथोचित प्रचार किया गया था। जिनके नाम इस पात्रता सूची में नहीं थे और जिन्होंने आपत्तियां दायर की थी और जो विशिष्ट

आवंटनार्थ मानदण्ड से सम्बन्धित नीति मार्गदर्शनों के अन्तर्गत भी आते थे, पर कम्प्यूटर के माध्यम से लाटरी निकालकर आवंटन हेतु विचार किया गया था। उन व्यक्तियों, जिनके नाम पात्रता सूची में नहीं थे और जिन्होंने अपनी आपत्तियां दायर नहीं की थी, को छोड दिया गया था और शेष फ्लैट पुनः आवंटित कर दिये गए थे।

ऐसे सात मामले हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आये हैं जिनमें भुगतान न करने/भुगतान के प्रमाण में चालान जमा न करने के कारण व्यक्तियों को अयोग्य पाया गया था।

(ग) और (घ) शेष आवंटियों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार भावी लाटरी में समायोजित करने के लिए विचार किया जाता है।

डी. डी. ए. की आवासी योजनाएं

6137. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत डी. डी. ए की विभिन्न आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बनाये गए तथा वास्तव में आवंटित किए गए मकानों की अलग-अलग तथा श्रेणी वार संख्या क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक आरम्भ की गई 17 आवास पंजीकरण योजनाओं के ब्यौरा संलग्न विवरण-I "क" में दिये गए है।

(ख) जैसा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित/आवंटित मकानों के श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 के अनुसार है।

विवरण-I

क्रम संख्या	योजना का नाम	पंजीकरण वर्ष
1	2	3
1.	सामान्य आवास योजना	1969
2.	सामान्य आवास योजना	1971-72
3.	सामान्य आवास योजना	1972
4.	सामान्य आवास योजना	1973
5.	सामान्य आवास योजना	1976

1	2	3
6.	सामान्य आवास योजना (सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की योजना	1982
7.	सामान्य आवास योजना (सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी योजना	1985
8.	नवीन पद्धति योजना	1979
9.	स्व-वित्त पोषित योजना	1977-78
10	स्व-वित्त पोषित योजना	1978-79
11.	स्व-वित्त पोषित योजना	1979
12.	स्व-वित्त पोषित योजना (सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी योजना	1981
13.	स्व-वित्त पोषित योजना	1982
14.	स्व-वित्त पोषित योजना (सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी योजना	1983
15.	स्व-वित्त पोषित योजना	1985
16.	स्व-वित्त पोषित योजना	1985
17	अम्बेडकर आवास योजना	1989

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित फ्लैटों के श्रेणी-वार ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	श्रेणी वार आवंटित फ्लैटों की संख्या स्व-वित्त योजना	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता	योग
1.	1988-89	11379	4675	8319	7774	32147
2.	1989-90	3573	2796	9361	9715	25445
3.	1990-91	1480	800	4497	8315	15092
						72684

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित श्रेणी-वार फ्लैटों के ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	श्रेणी-वार निर्मित फ्लैटों की संख्या				योग
		स्व-वित्त पोषित योजना	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता/ इ. डब्ल्यू. एस.	
1.	1988-89	9091	3052	6996	4792	23931
2.	1989-90	1642	2312	8264	8794	21012
3.	1990-91	1625	273	2832	4116	8846
						53789

दिल्ली प्रशासन के अधीन अस्पताल

6138. श्री रोशन लाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में कितने तथा कौन-कौन से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक अस्पताल की बिस्तर क्षमता कितनी है ;

(ख) उन अस्पतालों का नाम क्या है जिनमें रोगों का पता लगाने के तथा अन्य उपयोग के आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इन सभी अस्पतालों के पास अपने-अपने क्लिनिकल फोटोग्राफिक यूनिट हैं;

(घ) यदि नहीं तो ऐसे अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनके पास अपने पृथक फोटोग्राफिक यूनिट उपलब्ध नहीं हैं और जहां फोटोग्राफर आदि मेडिकल कालेजों, जिनसे ये अस्पताल सम्बद्ध हैं, के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन अस्पतालों में अन्य अस्पतालों/मेडिकल कालेजों के नियंत्रण से मुक्त, पृथक क्लिनिकल फोटोग्राफिक यूनिट स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन के अधीन अतरंग सुविधाओं वाले 10 अस्पताल हैं । इन अस्पतालों के नाम और उनकी पलंग क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) ये सभी अस्पताल अपेक्षित नैदानिक और अन्य उपकरणों से सुसज्जित हैं।

(ग) और (घ) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में एक क्लिनिकल फोटोग्राफिक यूनिट है मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में भी एक क्लिनिकल फोटोग्राफिक फोटो है जो गुरु नानक नेत्र केन्द्र और लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ङ) और (च) गुरुतेग बहादुर अस्पताल मे एक स्वतंत्र क्लिनिकल फोटोग्राफिक यूनिट खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	पलंग क्षमता
1	2	3
1.	लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल	1425
2.	गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल	350
3.	गुरु नानक नेत्र केन्द्र	150
4.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	500
5.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	500
6.	मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा	578+26 (तहाड़ जेल)
7.	सिविल हॉस्पिटल एण्ड पूअर हाऊस हास्पिटल	40+60
8.	संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल	100
9.	डा. एन. सी. जोशी मैमोरियल अस्पताल	30
10	नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल	100

साधारण बीमा निगम में सहायकों के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति

6139. श्री केशरी लाल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 3 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम में नियुक्त सहायकों द्वारा अपना अपरेन्टिसशिप प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा कर लिये जाने के पश्चात् उनके स्थानान्तरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति का ब्योरा क्या है;

(ख) इस समय उनको देय वेतन तथा भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमित कर्मचारियों पर सामान्य बीमा निगम में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने की कोई बाध्यता है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न पक्षों की ओर से ऐसे बंधन रोधी बाध्यता लगाने की प्रथा को समाप्त करने की मांग को देखते हुए यह बाध्यता हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रणराजन कुमार मंगलम) : (क) साधारण बीमा निगम के अन्य सभी सहायकों के मामले में लागू पदोन्नति और स्थानान्तरण नीतियां, व्यावसायिक धारा के माध्यम से नियुक्त सहायकों के लिए भी समानरूप से लागू होंगी।

(ख) प्रशिक्षु सहायकों को उनके एक वर्ष की प्रशिक्षुता अवधि के दौरान 1000 रु. की वृत्तिका दी जाती है। सहायक के रूप में नियुक्त किए जाने पर वे 1000 रु. प्रतिमाह मूल वेतन वृत्तिका दी जाती है। महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता के हकदार होते हैं। कुल परिलब्धियां तैनाती के शहरों के अनुसार 1783.40 से 1853.40 रु. के बीच होती है।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रोहिणी में आवासीय भू-खण्डों का दुकानों में बदला जाना

6140. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान रोहिणी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित अनेक फ्लैटों और आवासीय भू-खण्डों को दुकानों में परिवर्तित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। रोहिणी में 137 फ्लैट आवंटितियों और 784 प्लाट आवंटितियों को आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त प्लाट आवंटन के 64 मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पट्टे रद्द कर दिये हैं।

व्यावसायिक शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने के लिए कदम

6141. श्री दिग्विजय सिंह भूरिया ।

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) शिक्षा प्राप्ति के बाद लाभकारी रोजगार दिलाने की दृष्टि से, अधिक से अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) फरवरी, 1988 में शुरू की गई माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच उपलब्धि के स्तर में भिन्नता है । यद्यपि कुछ राज्यों को अभी भी गति प्राप्त करनी है, वर्ष 1990 के प्रारम्भ में 6 राज्यों और 1 केन्द्र शासित प्रदेश में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए शीघ्र मूल्यांकन अध्ययनों से कुल मिलाकर सकारात्मक लक्षणों का पता चलता है ।

(ग) उठाए गए कदमों में जरूरत के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करना, समय नियोक्ताओं के सहयोग से रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, समीक्षा करना तथा भर्ती नियमावलियों में संशोधन करना तथा स्व-रोजगार को सुकर बनाना शामिल है ।

मध्य प्रदेश में मोरों का मारा जाना

6142. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बहुत से मोरों को विष देकर मार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधियों को सजा दी गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में पक्षी वध के कितने मामलों की सूचना सरकार को मिली है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मध्यप्रदेश सरकार ने मोरों की अस्वाभाविक मौत की तीन घटनाओं के बारे में बताया है, जो 25-1-91, 17-4-91 और 22-5-91 को घटी । पहली घटना 25-1-91 को नजीराबाद (बैरासिया) राजगढ़ जिले में घटी जिसमें 15 मोरों को मरा पाया गया । वन विभाग द्वारा दो अभियुक्तों के विरुद्ध

न्यायालय में मुकदमे दर्ज किये गए। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 300 रुपए का जुर्माना और न्यायालय के बैठने तक उन्हें बन्द रखने की सजा दी। मोर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि अनुसूची 1 में शामिल किसी पशु को मारने वाले व्यक्ति को कम से कम 500 रुपये का जुर्माना या अधिकतम 6 वर्ष की कैद की सजा, लेकिन जो 6 माह से कम नहीं होगी या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। यह बताया गया है कि इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।

दो अन्य मामलों में मिर्जापुर (तालेन) और रोसला में क्रमशः दिनांक 14-4-91 और 23-5-91 को 150 और 4 मोरों के मारे जाने की सूचना मिली है। राजगढ़ जिले के ये क्षेत्र मुख्यतः बंजर क्षेत्र हैं और वहां कोई वन अधिकारी तैनात नहीं है। पुलिस द्वारा मामलों की जांच की जा रही है। मोरों की मृत्यु के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। मृत पाये गए दो मोरों के आन्तरांग (विसेरा) को न्यायिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कमरे वाला होस्टल आवास

6143. श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार महानगरों, विशेषकर दिल्ली में, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अविवाहितों के लिए एक कमरे वाले होस्टल टाईप आवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरामदों में खिड़कियां लगाकर उन्हें कमरे में परिवर्तन करना

6144. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में खुले बरामदों में खिड़कियां लगाकर उन्हें कमरे का स्वरूप प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ की थी जिसमें कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जमा की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों ने आवश्यक धन-राशि जमा कर दी है तथा अब तक इनमें से कितने मकानों के बरामदों को कमरे का स्वरूप प्रदान कर उनमें खिड़कियां लगाई गई हैं;

(घ) कितने मकानों में अभी यह कार्य किया जाना बाकी है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) शेष मकानों के बरामदों में शीघ्र खिड़कियां लगाकर उन्हें कमरे का स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1988 में पहले यह निर्णय लिया गया था कि गैर संरचनात्मक प्रकृति के परिवर्धन/परिवर्तन, जो कि सुख-सुविधाओं के अनुमोदित पैमाने का भाग है, सरकारी मकानों में एक समान चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे बशर्ते कि निधियों की सुलभता हो और इस प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन विभिन्न टाईपों के मकानों के लिए निर्धारित वार्षिक वित्तीय सीमाओं से अधिक न हो। तथापि, यदि कोई आवंटिती इस प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन अपने मकान में प्राथमिकता के आधार पर करवाना चाहता है तो उसे उस पर लागत का 10% पेशगी भुगतान वहन करना होगा उसके बाद उस मकान के आवंटिती से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। चूंकि बरामदों में ग्लेजिंग कार्य की लागत विभिन्न टाईप के मकानों के लिए निर्धारित वार्षिक वित्तीय सीमाओं से अधिक हो जाती है अतः इस पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया गया कि 30.5.91 से आवंटिती के अनुरोध पर लागत का 10% लेकर बरामदों में ग्लेजिंग का कार्य कर दिया जाए और विभिन्न टाईप के मकानों के लिए निर्धारित वार्षिक वित्तीय सीमाएं बरामदों में ग्लेजिंग कार्य के मामले में लागू नहीं होंगी।

(ग) से (ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान 576 आवंटितियों ने बरामदों में ग्लेजिंग के कार्य के लिए अपेक्षित राशि जमा की थी। 384 मकानों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष जिन 193 मामलों में जमा राशि हाल ही में प्राप्त की गई है, के कार्य के लिए पहले ही अवार्ड कर दिया गया और इसके चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले पूरा हो जाने की आशा है।

कटे हुए फलों व खाद्यान्न के विक्रय पर प्रतिबन्ध

6145. **श्री भीवल्लम पाणिग्रही** .

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में कटे हुए फलों तथा खाद्यान्न, जिन पर खुले होने के कारण धूल पड़ती है तथा मक्खियां भिनभिनाती हैं, के विक्रय पर सितम्बर, 1991 तक प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली छावनी के क्षेत्रों में भी यह प्रतिबन्ध लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। वैसे दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में कटे हुए फलों और धूल में खुले पड़े बिना ढके खाद्य पदार्थों जिनपर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, की बिक्री पर रोक लगा दी है।

प्रारम्भ में दिल्ली नगर निगम ने इस बारे में 144-1991 से चार महीनों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी जिसे और दो महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने भी पूरे वर्ष अपने क्षेत्र में कटे हुए फलों और धूल में खुले पड़े बिना ढके खाद्य पदार्थों जिनपर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, की बिक्री पर रोक लगा दी है।

राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगे हुए स्वैच्छिक संगठन

(146. श्री प्रवीण डेका :

मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक स्वैच्छिक संगठन राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत और इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या
1	3
आन्ध्र प्रदेश	18
असम	21
अरूणाचल प्रदेश	2
बिहार	3

1	2	3
दिल्ली		12
गोवा		2
गुजरात		4
जम्मू एवं कश्मीर		3
कर्नाटक		29
केरल		10
महाराष्ट्र		11
मेघालय		2
मणिपुर		22
नागालैंड		1
उड़ीसा		4
पंजाब		1
राजस्थान		6
तमिलनाडु		11
उत्तर प्रदेश		5
पश्चिम बंगाल		35
	कुल योग :	102

राजनैतिक दलों को सरकारी आवास

6147. श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति संसद के राजनैतिक दलों और ग्रुपों को उनके पदाधिकारियों हेतु सरकारी आवास आवंटित करने की है;

(ख) यदि हां, तो संसद के प्रत्येक राजनैतिक दल/ग्रुप को अब तक ऐसे कुल कितने आवास दिये गये हैं; और

(ग) संसद के राजनैतिक दलों/ग्रुपों के पदाधिकारियों हेतु ऐसे आवास प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण पत्र में दिये गये अनुसार।

(ग) मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(i) केवल ऐसी राजनीतिक पार्टियों/ग्रुपों जिनको स्पीकर द्वारा मान्यता प्राप्त है, को ही वास दिए जाते हैं।

(ii) एक पार्टी को रिहायशी प्रयोजनार्थ 6 एकड़ों की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर केवल एक सिहाई कर्मचारियों को आवंटन किया जा सकता है।

(iii) आवंटन पार्टी के किसी कर्मचारी के नाम न करके राजनीतिक पार्टियों के नाम किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	आवंटिती का नाम (राजनीतिक पार्टी)	आवंटित वास का विवरण
1	2	3
1.	कांग्रेस (आई) पार्टी	से. 2V/109 आर. के. पुरम
2.	—वही—	से. 2/598 आर. के. पुरम
3.	—वही—	से. 4/181 आर. के. पुरम
4.	—वही—	से. 4/892 आर. के. पुरम
5.	—वही—	781 लक्ष्मी बाई नगर
6.	—वही—	41 2-402 अल्बर्ट स्क्वायर
7.	—वही—	556 जे मन्दिर मार्ग
8	—वही—	896 बी. के. एस मार्ग
9.	—वही —	80 एच से. 4 डी आई जैड एरिया
10.	—वही—	74 बी —वही—
11.	—वही—	81 बी —वही—
12.	ए. आई. सी. सी. (आई)	12, पार्क लेन

1	2	3
13.	—वही—	डी-1/109 चाणक्य पुरी
14.	—वही—	5, रायसिना रोड
15.	डी. पी. सी. सी. (आई)	2, तालकटोरा रोड
16.	भारतीय जनता पार्टी	11, अशोका रोड
17.	—वही—	सूट न. 24, बी. पी. हाऊस
18.	—वही—	सूट न. 523, —वही—
19.	—वही	सूट न. 56 —वही—
20.	लोक दल (ए)	15 विंडसर प्लेस
21.	लोक दल (बी)	3, प. पंत मार्ग
22.	लोक दल	सूट न. 1 बी. पी. हाऊस
23.	लोक दल	सूट न 2, बी. पी. हाऊस
24.	जनता पार्टी	सूट न. 115 - वही—
25.	—वही—	सूट न. 416 —वही—
26.	जनता पार्टी	सूट न. 415, बी पी हाऊस
27.	—वही—	5, प. पंत मार्ग
28.	जनता दल	सूट न. 17 बी. पी. हाऊस
29.	—वही—	10, लोधी स्टेट
30.	सी. पी. आई. (एम) पार्टी	सूट न. 8, बी. पी. हाऊस
31.	—वही—	सूट न. 14, —वही—
32.	सी. पी. आई. पार्टी	सूट न. 119 —वही—
33.	—वही—	सूट न 201 ए. —वही—
44.	—वही—	सूट न. 309, —वही—
35.	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी	सूट न. 310, —वही—
36.	ए. आई. ए. डी. एम. के. पार्टी	सूट न. 513, —वही—
37.	बहुजन समाज पार्टी	12, जी. आर. जी. रोड
38.	समाजवादी जनता पार्टी	16, डा. आर. पी. रोड
39.	समाजवादी जनता पार्टी	13, विंडसर प्लेस

मानसिक रूप से विकलांगों का कल्याण

6148. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कल्याण मंत्रालय द्वारा मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास, राष्ट्रीय विकलांग बोर्ड, तथा पुनर्वास परिषद के सम्बन्ध में में रखा गया विधेयक किस स्थिति में है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : ये सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं।

सागरपुर कालोनी में बिना लाइसेंस वाली फैक्टिरियों द्वारा प्रदूषण

6149. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित घनी आबादी वाली सागरपुर कालोनी में कुछ बिना लाइसेंस वाली फैक्टरियां प्रदूषण फैला रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो आवासीय क्षेत्रों में विभिन्न गैस सिलैंडरों का प्रयोग करके वायु-प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी फैक्टरियों/उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उन्हें इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुइ हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सागरपुर कालोनी में गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने वाली अत्यधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाली कोई यूनिट नहीं पाई गई। दिल्ली नगर निगम द्वारा 1990 में एक तदर्थ नीति के तहत 9 यूनिटों को पंजीकृत किया गया।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में शान्तिनिकेतन कालोनी में पानी की अपर्याप्त सप्लाई

6150. श्री समत कुमार मंडल।

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी दिल्ली की शान्तिनिकेतन कालोनी में पानी की सप्लाई पूर्णत: अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित है और प्रात:काल तथा सायंकाल दोनों ही समय मुश्किल से एक घंटा और कुल मिनटों तक ही होती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या इस कालोनी में मूलभूत नागरिक सुविधा की कमी के कारण उभरी टंकियां, शौचालयों और रसोईघरों के नल अक्सर सूखे रहते हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान (डी. डब्लू. एस. डी. यू.) ने सूचित किया है कि शान्तिनिकेतन कालोनी में पानी की सप्लाई करीब प्रात:काल में तीन घंटे तथा सायंकाल में तीन घंटे के लिए सामान्यत: उपलब्ध रहती है। इस कालोनी को अनुमानित पानी की आवश्यक मात्रा की सप्लाई सामान्य परिस्थितियों के अनुसार की जा रही है।

तथापि, दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि इस कालोनी के भूभाग की विषम प्रकृति के कारण कुछ क्षेत्रों को पानी कम समय के लिए उपलब्ध होता होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत शोध परियोजनायें

6151. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 और 1991 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनेक शोध परियोजनाओं के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विषयवार इसका ब्यौरा क्या है और बड़ी तथा छोटी शोध परियोजनायें वर्ष 1990 और 1991 के दौरान किस तारीख को प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) इन शोध परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन शोध परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की कोई समय सीमा निर्धारित है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वीकृत परियोजनाओं को प्रस्तुत करने की तारीख से ही सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बित छोटी और बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग द्वारा प्राप्त

परियोजनाएं टिप्पणियों के लिए विशेषज्ञों के पास भेजी जाती है। आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियां, आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए मध्यस्थों की टिप्पणियों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार करती है। अनेक मामला में विशेषज्ञ आयोग को अपनी टिप्पणियां देने में पर्याप्त समय ले लेते हैं।

(ङ) आयोग ने अनुसंधान परियोजनाओं को संस्वीकृति के लिए कोई समय ढांचा निर्धारित नहीं किया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विज्ञान

1	2	3
1.	भौतिकी	3
2.	रसायन शास्त्र	5
3.	गणित और सांख्यकी	3
4.	भूगोल	3
5.	जीव विज्ञान	11
6.	वनस्पति	13
7.	इत्यादि (जैव विज्ञान)	12 कुल : 50
	कला, सामाजिक विज्ञान और भाषा	
1.	आधुनिक भारतीय भाषाएं	25
2.	संस्कृत	7
3.	फारसी	2
4.	अंग्रेजी	10
5.	भाषा विज्ञान	1
6.	इतिहास	20
7.	ललित कला संगीत	1

1 2	3
8. दर्शन शास्त्र	2
9. समाजिक ज्ञान	9
10. कानून	2
11. राजनैतिक ज्ञान	4
12 शिक्षा	13
13. मनोविज्ञान	6
14 अर्थशास्त्र	13
15. वाणिज्य	7
16. अतिरिक्त	2 कुल योग : 124

1990-91 के दौरान प्राप्त हुए और लम्बित छोटे अनुसंधान परियोजनाएं

विज्ञान

1. भौतिक	34
2. रसायन विज्ञान	164
3. गणित और सांख्यिकी	21
4 भू-विज्ञान	12
5. भूगोल	7
6. गृह विज्ञान	7
7. जीव विज्ञान	76
8. वनस्पति शास्त्र	41

9. फार्मासी और सूक्ष्म जैविकी 15 कुल योग 377 1990-91 के दौरान प्राप्त हुए छोटे अनुसंधान परियोजनाओं में कोई भी लम्बित नहीं हैं।

मधुबन कालोनी में फ्लैटों का आवंटन हेतु प्रस्तावित नामों को स्वीकृति

6152. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अधिकारी सहकारी आवास निर्माण संस्था लिमिटेड को

सामूहिक मकान बनाने के लिये भूमि का आवंटन किया गया है और इस संस्था ने मधुबन नाम से एक कालोनी विकसित की है,

(ख) क्या सहकारी समितियों के पंजीयक ने इस संस्था के सदस्यों को प्लाटों का आवंटन करने से पूर्व उनके नामों की अपनी मंजूरी नहीं दी थी, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा के नए सदस्यों को आवास

6153. श्री मोहन रावले :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दसवीं लोक सभा के नये संसद सदस्यों को विभिन्न हास्टलों में आवास दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने विभिन्न हास्टलों में संसद सदस्यों के आवास पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की है और उन्हें आवास आवंटित होने तक और कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ; और

(घ) इस समय हास्टलों में रह रहे सभी संसद सदस्यों के लिए आवास की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी और उन्हें फ्लैटों का कब्जा वास्तविक रूप से कब तक दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को अस्थायी वास मुहैया कराने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

वास्तविक आवंटन लोक सभा सचिवालय द्वारा कर दिये गए हैं।

(ग) अब तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए 50 लाख रुपये की राशि उद्दिष्ट की गई है।

(घ) संसद सदस्यों को लोक सभा संसद सदस्य पूल से आवंटन किया जाता है तथा आवास समिति, लोक सभा द्वारा उनके आवंटन पर विचार किया जाता है।

अनुसंधान केन्द्रों को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित करना

6154. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्थान का विचार अपने अनुसंधान केन्द्रों को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में वन अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केन्द्र भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जो एक स्वायतशासी संगठन है के अनुसंधान आधारभूत ढांचे के भाग हैं। इसकी वानिकी अनुसंधान गतिविधियों की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा इसके अनुसंधान ढांचे को मजबूत और पुनर्गठित करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

सहकारी आवास समितियों के मामलों का माध्यस्थम में लम्बित पड़े रहना

6155. श्री सुधीर गिरि :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सहकारी ग्रुप आवास समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी आवास समितियों के विवादों से सम्बन्धित किन-किन पार्टियों के मामले माध्यस्थम हेतु भेजे गए हैं ; और

(ख) माध्यस्थम के पास वर्ष 1986 से लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 60/61 के अंतर्गत सहकारी समितियों के विभिन्न मामलों से सम्बन्धित विवाद सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के विरुद्ध, सदस्यों द्वारा समिति के विरुद्ध, समितियों द्वारा सदस्यों के विरुद्ध और एक समिति द्वारा अन्य समिति आदि के विरुद्ध उठाए जा सकते हैं। सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में प्रतिवर्ष इस प्रकार के औसतन लगभग 2000 मध्यस्थता मामले प्राप्त/निपटाये जाते हैं। तथापि, मध्यस्थता मामलों की इतनी अधिक संख्या में पार्टियों के नामों के बारे में कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) जैसाकि सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा सूचित किया गया है, मध्यस्थता के लिए 1986 से पूर्व प्राप्त हुआ कोई मामला लम्बित नहीं है।

तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल

6156. डॉ० (श्रीमती) के एस सौन्दरम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने हॉस्टल निर्मित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा और कोई खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) । (क) वर्ष 1990-91 के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण हेतु तमिलनाडु में अनुदानग्राही संस्थाओं को 32.22 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी । तमिलनाडु में 3038 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए अब तक 60 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

(ख) और (ग) योजना के अन्तर्गत, परियोजनाओं का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार स्थान निर्धारण नहीं किया जाता । सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त पात्र संगठनों के आवेदन-पत्रों पर परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाता है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग के संकाय में सदस्य

[हिन्दी]

6157. श्री राम विलास पासवान :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के संकाय में ऐसे कौन से सदस्य हैं जिन्होंने 1981 से एक भी अनुसंधान पत्र प्रकाशित नहीं किया है ;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय में पुन: नियुक्त ऐसे कौन से प्रोफेसर हैं जिन्होंने गत दशक के दौरान एक भी लेख प्रकाशित नहीं किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जाती है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भरतपुर की प्राचीन बन्दूकों का भण्डारण

6658. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भरतपुर की प्राचीन बन्दूकों की संख्या कितनी है और उनका भण्डारण कहां किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन बन्दूकों का ध्यान रखा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का इन बन्दूकों का भण्डारण किसी बेहतर स्थान पर करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भरतपुर की बन्दूकों की कुल सं. 669 है जिन्हें राज्य सरकार संग्रहालय, भरतपुर की निगरानी में रखा गया है ।

(ख) और (ग) जी, हां । इन बन्दूकों को पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार संग्रहालयों द्वारा की गई समुचित सुरक्षा के अन्तर्गत रखा गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं । इन बन्दूकों को पहले ही राजस्थान सरकार की उचित देख-भाल और सुरक्षा के अन्तर्गत रखा गया है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

"अलवर के किले को "वनराज सफारी पार्क" में परिवर्तित करने का प्रस्ताव"

[अनुवाद]

6159. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलवर के किले को "वनराज सफारी पार्क" के साथ-साथ एक छोटे होटल में परिवर्तित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि अलवर के किले को "वनराज सफारी" और एक छोटे होटल में परिवर्तित करने का विचार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि

6160. श्री राजवीर सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बंजर भूमि का अनुमान लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) (क) और (ख) परती भूमि का राज्यवार कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में परती भूमि का विस्तार निम्न प्रकार है।

	परती भूमि का कुल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
उत्तर प्रदेश	80.61
बिहार	54.58

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार

[हिन्दी]

6161. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए गए अत्याचार के परिणामस्वरूप की जाने वाली हत्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक श्रेणी के अलग-अलग कितने व्यक्तियों की हत्या की गई;

(ग) क्या ऐसी हत्याएं रोकने के लिए राज्यों को विशेष उपाय करने के अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में गैर अनुसूचित जातियों/जनजातियों द्वारा मारे गए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	मारे गए व्यक्ति	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1988	579	119
1989	556	96
1990	548	120

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया गया है। इस अधिनियम में कठोर दंडों की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार के मामलों में शीघ्र परीक्षण हेतु विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट/स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम में अत्याचारों के शिकार हुए व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था है। भारत सरकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दोनों के ही कार्यान्वयन की लागत 50:50 हिस्से के आधार पर राज्य सरकारों के साथ बंटाती है। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के नियंत्रण हेतु एहतियाती निवारक, दंडात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों को शामिल करते हुए, राज्य सरकारों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। प्रधान मंत्री द्वारा 31.8.1991 को सभी मुख्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे कि राज्यों में प्रशासनिक तंत्र को इस प्रकार चुस्त बनाया जाए कि अत्याचार की घटनाएं फिर से न हो और यदि प्रशासन में कोई चूक हो तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में खरा न उतरता हो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाई अवश्य की जानी चाहिए।

होम्योपैथिक कालेजों की स्थिति में सुधार

[अनुवाद]

6162. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद ने उन होम्योपैथिक परिषद ने उन होम्योपैथिक कालेजों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन सभी कालेजों को बन्द करने का है जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय परिषद समय-समय पर होम्योपैथी कालेजों का निरीक्षण करती है और

सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/राज्य परिषदों/कालेजों और राज्य सरकारों को ऐसे कालेजों में पाई गई कमियों के बारे में सूचित किया जाता है ताकि वे इन्हे दूर कर सकें और अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों, दे सकें। निरीक्षण रिपोर्ट, सुधारात्मक कदम उठाने के लिए और चिकित्सीय निरीक्षकों द्वारा बताई गई अपर्याप्ताओं को ठीक करने के लिए विश्वविद्यालय/राज्य परिषद जैसे सम्बद्ध निकायों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भी भेजी जाती हैं। यह परिषद होम्योपैथिक कालेजों में न्यूनतम अपेक्षाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए भी सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ मिल-जुलकर कार्य करती है।

(ख) और (ग) जी नहीं, केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत होमियोपैथी कालेजों को इस आधार पर बन्द करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि वहां पर शिक्षा बहुत निम्न स्तर की है। वैसे, केन्द्रीय परिषद निम्न स्तर के संस्थान, जो पर्याप्त मानक और आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं, द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं को मान्यता नही देती। न्यूनतम अपेक्षाएं और मानदण्डों को पूरा न करने वाले नए होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के खोलने की अनुमति न देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहमत कराने में केन्द्रीय परिषद उनके साथ मिलकर कार्य करती है।

उप-प्रधानाचार्यों के आरक्षित पद को भरना

[हिन्दी]

6 64. श्री मोहन लाल झिकराम :

क्या कार्मिक लोक शिकायत विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग को दिसम्बर 1983 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उप-प्रधानाचार्यों के पद न भरे जाने के विरुद्ध विभिन्न संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षित पदों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान शुरू करना चाहती है;

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षित पदों को भरने के लिए विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मान्यता प्राप्त संगठनों को भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि उपाचार्यों के पद सम्बद्ध भर्ती निकायों के अन्तर्गत स्नातकोत्तर शिक्षकों से चयन के आधार पर केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं अतः विशेष भर्ती का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में लोगों को वृद्धावस्था पेंशन

6165. **श्री रामजदन :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने लोगो को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य सरकार को पेंशन की दर बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को राजी करने के लिए निवेदन किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस मामले में प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलने हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) । (क) राज्य विषय होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों में से प्रदान की जाती है और रिकार्ड उनके स्तर पर रखे जाते हैं । वर्ष 1987-88 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर्ताओं की कुल संख्या 1,28,713 है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया गया था कि वे 100 रु. प्रति माह की एक रूप दर से पेंशन प्रदान करें और 60 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध जनसंख्या को कम से कम 90 प्रतिशत शामिल करे, का सुझाव दिया था । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 1990 से पेंशन की दर 60/-रु. प्रति माह से बढ़ाकर 100 रु. कर दी गई है ।

महान व्यक्तियों की जन्म शताब्दियां

[अनुवाद]

6166. **श्री ब्रज भूषण शरण सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1988 के पश्चात् कौन-कौन से महान व्यक्तियों के जन्म शताब्दी समारोह मनाये गये और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : जनवरी, 1988 से अब तक निम्नलिखित जन्म समारोह मनाए गए हैं :—

1. मौलाना अबुल कलाम आजाद
2. डा एस. राधाकृष्णन
3. पं. जवाहरलाल नेहरू
4. श्री जी. वी. रमण
5. कनक दास
6. शंकराचार्य
7. श्री पपनाशम शिवन
8. उस्ताद सादिक अली खां
9. तानसेन
10. गोविन्द प्रसाद
11. कु. ज्योतिर्मयी गांगुली
12 कांजीवरम नयन पिल्लै
13. राजकुमारी अमृत कौर
14. आचार्य नरेन्द्र देव
15. डा. संपूर्णानन्द
16. श्री प्रकाश
17. नलिनी कांत गुप्ता
18. जे. बी. कृपलानी
19. गोपीनाथ बारदोलाई
20. गोविन्द प्रसाद
21. जमनालाल बजाज
22. जयशंकर प्रसाद
23. डा. एस. के. सिन्हा
24. के. एम. मुंशी
25. आरियाकुडी रामानुज आयंगर
26. माखन लाल चतुर्वेदी
27. वृन्दावन लाल वर्मा
28. भारतीदासन

29. गणेश राम चंदेरा बेहेरेबुवा

30. राम नरेश त्रिपाठी

31. लक्ष्मी नारायण गार्डे

32. गणेश शंकर विद्यार्थी

33. अस्ति कुमार हल्दर

34. डा. बी. आर. अम्बेडकर

35. खान अब्दुल गफ्फार खान

शताब्दियों, जिनमें डा. बी. आर. अम्बेडकर और खान अब्दुल गफ्फार खान की शताब्दियां शामिल नहीं है, पर 1236.57 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। इसमें भारतीय स्वाधीनता की 40वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव तथा पं. जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी समारोह पर 1164.45 लाख रुपए का किया गया व्यय भी शामिल है।

भारत में शराब की खपत

6'67. श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक वर्ष देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराबों की कुल कितनी मात्रा में खपत होती है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों से इसकी खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो क्या सरकार ने अब नशाबन्दी के विचार को त्याग दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान शराब की खपत में सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि शराब की खपत लगभग सभी राज्यों में बढ़ रही है। भारत सरकार ने मद्य निषेध लागू करने हेतु किए जाने वाले तात्कालिक तथा दीर्घावधि उपाय निर्धारित करते हुए ब्यौरेवार दिशानिर्देश सभी राज्य सरकारों को 1978 में भेज दिए गए थे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में कल्याण मंत्रालय के दिनांक 14.2.91 के पत्र द्वारा जो कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित है, पिछली बार स्मरण कराया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शराब की खपत बढ़ रही है	के दौरान शराब की खपत		
			1987	1988	1989
			(लाख लिटरों में)		
1	2	3	4	5	6
1.	असम	हां	16.2	28.4	36.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश में शराब की कोई दुकान नहीं है, अत: राज्य में शराब की बिक्री/खपत का प्रश्न नहीं उठता			
3.	आंध्र प्रदेश	हां	1547.97	1610.63	1789.91
4.	बिहार	हां	135.71	161.38	181.25
5.	गुजरात	हां	14.20	14.60	19.53
6.	गोवा	हां	152.43	179.07	151.23
7.	हरियाणा	हां	355.17	372.96	451.36
8.	हिमाचल प्रदेश	हां	59.04	63.66	70.64
9.	जम्मू और कश्मीर	हां	35.80	40.30	40.90
10.	कर्नाटक	हां	742.36	797.07	919.16
11.	केरल	हां	397.69	337.69	405.51
12.	मणिपुर	हां	6.11	6.89	6.95
13.	मध्य प्रदेश	हां	350.42	382.05	422.57
14.	मेघालय	हां	16.43	18.81	18.53
15.	महाराष्ट्र	हां	1332.90	1353.50	6844.00
16.	मिजोरम	नहीं	3.01	0.82	—

1	2	3	4	5	5
17.	नागालैंड	नहीं	21.60	18.55	8.13
18.	उड़ीसा	हाँ	114.55	126.92	142.69
19.	पंजाब	हाँ	421.00	501.30	557.60
20.	राजस्थान	हाँ	418.72	434.27	659.11
21.	सिक्किम	परिवर्तन	455 85	131.68	58.89
22.	तमिलनाडु	हाँ	491.03	610.40	635.80
23.	त्रिपुरा	हाँ	1.44	2.02	2.64
24.	उत्तर प्रदेश	हाँ	525.50	550.00	651.00
25.	पश्चिमी बंगाल	हाँ	188.60	254.00	315.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	नहीं	4.92	3.45	3 00
27.	चंडीगढ़	हाँ	6.60	6.60	7.45
28.	दादरा और नगर हवेली	हाँ	24.69	27.74	28.69
29.	दमन और द्वीव	हाँ	2.74	3.50	5.50
30.	दिल्ली	हाँ	535.50 (लाख बोतलें)	550.80 (लाख बोतलें)	626.70 (लाख बोतलें)
31.	लक्षद्वीप	हाँ	—	2.76 (बोतलें)	43.32
32.	पांडिचेरी	हाँ	219.60	214.03	243.20

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि का पाठ्य पुस्तकों की उत्पादन लागत पर प्रभाव

6'68. श्री सुधीर सावंत ।

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में की गयी अखबारी कागज के मूल्यों में 30% की वृद्धि का स्कूलों और कालेजों की पाठ्य पुस्तकों की उत्पादन लागत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण पाठ्य पुस्तके और मंहगी हो जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं स्कूलों और कालेजों की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु प्राय: अखबारी कागज प्रयुक्त नहीं होता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत रेल का टालीगंज से गड़िया तक विस्तार

6169. श्री राधिका रंजन प्रामाणिक :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का टॉलीगंज से गाड़िया स्टेशन तक विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने मैट्रो रेलवे का टालीगंज से गाड़िया तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। जांच करने के पश्चात, यह महसूस किया गया था कि उपर्युक्त परियोजना के विषय में व्यवहार्यता रिपोर्ट अद्यतन करने तथा परियोजना की निधीयन पद्धति तैयार करने की आवश्यकता है। अतः, यह मामला प. बंगाल सरकार को वापस भेज दिया गया था। प. बंगाल सरकार ने विद्यमान व्यवहार्यता अध्ययन को अद्यतन करने के लिए मैसर्ज रेल इन्डिया टैक्नीकल एंड इकनामिक सर्विसेज को नियुक्त किया है।

घटिया दवाईयां

6170. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1977 के दवाई नियमों में संशोधन किए जाने के कारण बाजार में भारी मात्रा में घटिया दवाईयां आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दवाईयां बनाने वाली इकाइयों की "इन हाऊस" प्रयोगशाला की कार्य परिस्थितियों की गुणवत्ता और स्तर में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। औषध और प्रशासन सामग्री नियम, 1945 के नियम, 71

और 76 में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना जारी करके संशोधन किया गया था ताकि लाइसेंसधारी के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वह गुणकारी औषधों का विनिर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने परिसर में पर्याप्त "इन हाऊस" गुणवत्ता नियंत्रण जांच करे।

संशोधित नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी को अपने परिसर में तैयार की गई औषधों की क्षमता, गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने होते हैं।

केंद्रीय पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्षों में व्याप्त रोष

6172. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुस्तकालयों में कार्य कर रहे पुस्तकाध्यक्षों में रोष व्याप्त है;

(ख) क्या इस रोष को दूर करने के लिए पुस्तकाध्यक्ष केन्द्रीय सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 1991 के "जनसत्ता" में "किताबों की तरह चुप नहीं रहेंगे लाइब्रेरियन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) रोष व्यक्त करने वाले अभ्यावेदनों के संबंध में आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

चुंगी प्रवेश कर इत्यादि को समाप्त करने का प्रस्ताव

6173. **डा. वी. वल्लल पेरुमल :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध आने-जाने पर चुंगी प्रवेश कर इत्यादि के रूप में कई बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कम से कम क्षेत्र के भीतर लगाए गए ऐसे प्रतिबन्धों को समाप्त करेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में एक राज्य से अन्य राज्य में माल के निर्बाध आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं, तथापि, कुछ घोषित माल का आवागमन चुंगी की ड्यूटी/प्रवेशकर संबंधित राज्यों में जहां यह अनुमेय है, की वसूली की शर्त पर है।

(ख) और (ग) चुंगी करके उन्मूलन का प्रश्न राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर है क्योंकि यह राज्य का विषय है।

"मध्य प्रदेश के भिलाई शहर में प्रदूषण"

6174. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के भिलाई शहर में वायु में कितना प्रदूषण है;

(ख) क्या वहां के अनेक कारखाने वायु, जल और भू-प्रदूषण रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) भिलाई में परिवेशी वायु गुणवत्ता साधारणत: सीमा के भीतर है।

(ख) और (ग) भिलाई नगर क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र है। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने भिलाई इस्पात संयंत्र को 31 दिसम्बर, 1991 तक वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। मण्डल ने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने के लिए दो इकाइयों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें भी दर्ज किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

4 बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसंजन को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन करें;

5. राज्य सरकारों के परामर्श से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 किस्म के उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली इस श्रेणी की इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हटाकर कहीं और ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण खरीदने के लिए ऋण सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

7. सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी इकाइयों के समूहों को सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

"राष्ट्रीय प्राणी-उद्यान में की गई नियुक्तियां"

6175. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रुप "ख" "ग" और "घ" पदों के लिए की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताएं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं के दो मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। पहला मामला, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में उच्च श्रेणी लिपिक, श्री आर. डी. शर्मा की दिनांक 29.3.90 से उद्यान अधीक्षक के पद, जो कि समूह 'ख' का पद है, पर नियुक्ति से संबंधित है। चूंकि श्री शर्मा उद्यान अधीक्षक पद के लिए अनिवार्य अर्हता में नहीं रखते है, इसलिए उनको उनके मूल पद, अर्थात उच्च श्रेणी लिपिक पद पर वापस भेज दिया गया है। दूसरे मामले में श्री आर. ए. खान को दिनांक 1-4-1987 से शिक्षा सहायक नियुक्त किया गया था। उनको 9-5-1988 को नियमित नियुक्ति दी गई थी। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के वर्तमान निदेशक ने बताया है कि शिक्षा सहायक का पद कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है। किन्तु राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के तत्कालीन निदेशक ने रोजगार कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सूची मंगाई और रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर उक्त पद के लिए नियुक्ति की। लेकिन औपचारिक रूप से चयन समिति का गठन नहीं किया गया। नियमों और कानूनी मत के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

असम में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

6176. **श्री किरिप चालिहा**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के श्रेणी-वार कुल कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम पुरी में स्वचित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैट

[हिन्दी]

6177. श्री मोतीलाल सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिम पुरी में स्वचित्त पोषित योजना के अन्तर्गत श्रेणी-II के पिछले फ्लैटों का निर्माण और आवंटन किया है;

(ख) क्या फ्लैटों कीपहले निश्चित की गई कीमतें उनकी अब मांगी जा रही कीमत से कम थी;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने भूमि तल फ्लैटों का आवंटन रद्द किया गया था और उसके क्या कारण थे और उनमें से कितने फ्लैटों का पुनः आवंटन किया गया था और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी और इस प्रकार किए गए आवंटन में उनकी क्या कीमत निश्चित की गई थी; और

(घ) इन फ्लैटों की कीमत बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिमपुरी में 2967 श्रेणी-II के स्वचित्त पोषित फ्लैटों का निर्माण किया गया था और 2553 फ्लैटों का आवंटन किया था।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार 1989-90 के दौरान कोई भी आवंटन रद्द नहीं किया गया था :

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पहले निर्धारित की गई फ्लैटों की लागत अन्तरिम थी और फ्लैटों के पूरा होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय के आधार पर संशोधित होने की क्या दर थी। किए गए वास्तविक व्यय और किये जाने वाले व्यय के आधार पर लागत में अंतरिम लागत पर कुछ बढ़ोतरी हुई है।

विभिन्न विभागों में सहायकों के वेतनमानों में असमानता

[अनुवाद]

6.178. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले स्वायत्त कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत सरकार के कार्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यालयों में सहायकों के वेतनमान क्या है; और

(ग) क्या इनमें कोई असमानता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों, मास्को में मानविकी विज्ञान का अध्ययन

6.179. डा. सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय, मास्को में मानविकी विज्ञान की कोई शाखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्कूल में सभी विषयों के अध्यापक हैं; और

(ग) यदि हां, तो सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय मास्को में सभी विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षक नियुक्त हैं सिवाय इतिहास के, जिसके लिए स्थानीय प्रबंध किया गया है। दिसम्बर, 1989 में भारतीय दूतावास ने सूचित किया था कि उन्हें इतिहास विषय के लिए स्नातकोत्तर शिक्षक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्यालय में 2 स्तर पर मानविकी वर्ग में केवल एक विद्यार्थी अध्ययनरत था, जिसके लिए एक मानद अध्यापक उपलब्ध था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"सिलवासा और दमन में प्रदूषण"

[हिन्दी]

6180. श्री काशीराम राणा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिलवासा और दमण में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई और रासायनिक उद्योगों की स्थापना के कारण प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वनभूमि थी;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्रों में कितने रासायनिक उद्योग थे;

(घ) इस अवधि के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में प्रदूषण रहित उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ)। (क) पेड़ों की कटाई से प्रदूषण बढ़ने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन रासायनिक इकाइयों से प्रदूषण की संख्या बढ़ी है।

(ख) सिलवासा के आसपास लगभग 40 प्रतिशत भू-क्षेत्र में वन हैं। 1987 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दमन में वन क्षेत्र कुछ नहीं था जबकि 1989 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1.78 प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए गए।

(ग) दमन में 2 नए रासायनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं।

(घ) दमन में 8 उद्योगों और सिलवासा में 10 उद्योगों ने मानकों का उल्लंघन किया है।

(ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला प्रदूषण की निगरानी कर रही है। दोषी इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और शोधन संयंत्रों में सुधार का कार्य शुरु कर दिया गया है। दमन को पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र माना गया है। इन दोनों स्थानों पर जिस किस्म के उद्योग लगाने की अनुमति दी जा सकती है, उसका पता लगाने के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने सभी उद्योगों की एक सूची तैयार की है।

कुष्ठ रोगी

[अनुवाद]

6181. श्री सी. पो. मुद्दालगिरियप्पा :

श्री रमेश चेन्निथला :

श्री एन. डेंनिस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में लगभग चालीस लाख व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है; क्या इस रोग से प्रभावित सभी जिलों को वर्ष 1992 तक चरणबद्ध तरीके से एक नए नियंत्रण (उपचार की प्रक्रिया) के अधीन लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक देश के कितने जिलों को राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में शामिल किया गया है तथा अभी कितने जिलों को शामिल किया जाना है; और

(घ) कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने का लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिठार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 2400 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर 5 व्यक्तियों में रोग की व्यापकता वाले सभी 201 स्थानिकमारी वाले जिलों को बहु औषध चिकित्सा की मंजूरी दी गई है।

(घ) सन 2000 तक सभी मामलों में रोग की क्रियाशीलता को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिससे कि इस रोग की संचरण दर को शून्य तक लाया जा सके।

इन्सुलिन इन्जेक्शन के स्थान पर खाने की गोलियां

[हिन्दी]

6182 श्री सज्जन कुमार।

श्री डी. एल. शर्मा प्रेम :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री राम प्रकाश चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विदेशों में मधुमेह के रोगियों के लिए इन्सुलिन इन्जेक्शन के स्थान पर खाने की गोलियां विकसित की गई हैं जो विदेशों में बाजारों में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो भारत के बाजारों में ऐसी गोलियां उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि यह गोली मधुमेह के रोगियों को अविलम्ब उपलब्ध हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) विश्व में कहीं भी बाजार में इंसुलीन के स्थान पर खाने वाली गोलियां नहीं हैं। खाई जाने वाली गोली पर विदेशों में अभी प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

"विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम में वायु प्रदूषण"

[अनुवाद]

6183. श्री एम. वी. वी एस. मूर्ति :

श्री वी सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम शहरों में वायु प्रदूषण अनुमत्य सीमा को लांघ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायु प्रदूषण को न्यूनतम अनुमत्य सीमा तक लाने के लिए सरकार से क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विजयवाड़ा मे वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर है। विशाखापट्टनम में, कभी-कभी परिवेशी वायु मे सल्फर डाइआक्साइड की मात्रा अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो जाती है।

(ग) वायु प्रदूषण को कम से कम करने में सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं —

1. विशाखापट्टनम में वायु प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी तथा वायु प्रदूषण के स्तर को दिसम्बर, 91 तक निर्धारित सीमाओं के भीतर लाने के लिए यह कार्य योजना उद्योगों को ससूचित कर दी गई है।

2. प्रमुख प्रदूषक उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगा लिए हैं और अन्य उद्योगों में लगाए गए उपकरणों में संशोधन और अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

3. वायु प्रदूषण की समस्या को न्यूनतम करने के लिए स्थिति की समीक्षा करने तथा उपायों के बारे में सुझाव देने, यदि कोई हों, के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी।

आई/वी. द्रव का स्थानापन्न

6184. श्री सुदर्शन राय चौधरी

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री राजबीर सिंह

श्री बंडारु दत्तात्रेय

डा. रामचन्द्र डोम

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद

डा. पी. बल्लभ पेरुमल

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 8 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध नियंत्रक (भारत) ने कई, 1989 में आई/वी द्रव के भंडार को बदल देने का आदेश दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषध नियंत्रक (दिल्ली) के साथ उन्होंने स्वयं उस भंडार को फरवरी-मार्च, 1989 में निपटा दिया था; और

(ग) यदि ऊपर भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या अप्रैल मई, 1989 में यह मान लिया गया था कि भंडार वास्तव में प्रदूषित थे, और इसलिए स्थानापन्न की मांग की गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं। औषध नियंत्रक (भारत ने मई, 1989 में औषध नियंत्रक, तमिलनाडु को सुझाव दिया था कि वह मैसर्स आस्लर्स फार्मा लिमिटेड को नई दिल्ली में वितरकों के पास पड़े अन्तःशिरा द्रवों के स्टाक की जांच करने हेतु अपना प्रतिनिधि भेजने की हिदायत दें कि यदि वितरक के पास पड़े स्टाक को संदूषित पाया जाए, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, तो मैसर्स आस्लर्स फार्मा लिमिटेड से स्टाक को वापिस उठाने हेतु न कि स्टाक को प्रतिस्थापित करने हेतु कहा जा सके जिसकी सूचना औषध नियंत्रक (दिल्ली प्रशासन) और औषध नियंत्रक (भारत) को भी भेजी जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीच में विद्यालय छोड़ने के कारण

6185 श्रीमती बिल कुमारी भंडारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीच में ही विद्यालय छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने तथा अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की श्रम क्षमता के उपयोग के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : जी हां।

(ख) स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों के सम्बन्ध में पाए गए प्रमुख कारण हैं :

(i) बच्चों द्वारा परिवार की आय को बढ़ाने के लिए कार्य करना या अपने अभिभावकों की अन्यथा मदद करना आवश्यक हो जाता है;

(ii) लड़कियों को पानी लाने और छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने सहित घरेलू काम-काजकरने पड़ते हैं;

(iii) स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाओं व अपर्याप्त शैक्षिक सामग्री का होना;

(IV) ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान पाठयक्रम, स्थानीय जरूरतों के अनुसार नहीं है, विशेषकर जहां कि क्षेत्रीय बोली बोलने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री की भाषा अपरिचित होती है;

(V) अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में अभिभावकों की अरुचि।

(ग) स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए और स्कूलों में बच्चों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम इस प्रकार हैं :

(i) 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों से 1 कि. मी. की पैदल चलने लायक दूरी के अन्दर प्राइमरी स्कूलों का प्रावधान 1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों के मामले में छूट के तौर पर 200 की ही जनसंख्या वाली बस्तियों पर प्राइमरी स्कूलों का प्रावधान;

(II) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार;

(III) शिक्षक प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना;

(Iv) निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान ।

स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों, बिना स्कूल वाले स्थानों के बच्चों और पूर्णकालिक स्कूलों में भाग न ले सकने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चला रही है, जिसके अन्तर्गत, शिक्षुओं की सुविधानुसार स्थित केंद्रों में कोटि में प्राइमरी स्कूल स्तर के समतुल्य अंशकालिक शिक्षा प्रदान की जाती है ।

भोपाल में राष्ट्रीय फेफड़ा संस्थान

[हिन्दी]

6186. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भोपाल के "भोपाल गैस पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1986 में औद्योगिक, आपदा प्रबन्ध का राष्ट्रीय फेफड़ा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान का दिल्ली में स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसकी मुख्य रूप से भोपाल में आवश्यकता है; और

(ग) क्या उक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल, अहमदाबाद और पुणे में भी खोले जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डा. के तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से (ग) सरकार औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में चिन्तित है, जिनके कारण अनेक मौतें हो सकती है और कई लोगों में विकलांगता आ सकती है । तदनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने दिल्ली में औद्योगिक आपदा राष्ट्रीय फेफड़ा संस्थान, जिसके भोपाल, अहमदाबाद और पुणे में तीन क्षेत्रीय उप-केन्द्र होंगे, स्थापित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। तथापि इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

केरल में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय

[अनुवाद]

6187. श्री रमेश चेन्तिला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ केरल राज्य में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) इस समय केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । केरल के शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के विस्तार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में धन के आवंटन पर निर्भर करेगा । धन के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

केंद्रीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघ के लिये मानदण्ड

6188 प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघों के गठन तथा कार्यकलापों को नियंत्रण के लिए मार्ग निर्देश/मानदंड बना लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं । यद्यपि केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राय: अभिभावक शिक्षक संघ के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करता है और इनके माध्यम से अधिमानत: वस्तुओं के रूप में अंशदान को भी प्रोत्साहित करता है, तो भी ऐसे संघों के लिए कोई मानक संविधान नहीं बनाया गया है ।

पश्चिम जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों का विकास

6189. श्री एम. ज्ञानेन्द्र रेड्डी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को "मोडीफाइड एरिया डवलपमेंट एप्रोच" प्रोजेक्ट के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश की जनजातियों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भगवान बुद्ध की प्रतिमा का गुम हो जाना

6190. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय सहायता से भारी लागत पर बनाई गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा के, जिसे आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील में अधिष्ठापित किया जाना था, राज्य सरकार द्वारा ठेके पर बुलाई गई ए. बी. सी. कम्पनी द्वारा ढोए जाते समय खो जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार इसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से नहीं बल्कि अपने ही पैसे से तैयार करवाई थी । प्रतिमा को ले जाने तथा स्थापित किए जाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी । तथापि, 10.3.90 को ले जाते समय दुर्घटनावश प्रतिमा फिसल कर हुसैन सागर झील हैदराबाद में गिर गई । राज्य सरकार प्रतिमा को ढूंढ कर निकालने का प्रयास कर रही है ।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आवासीय फ्लैट्स

6191. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली मे आवश्यक/कार्य संचालन कर्मचारियों के लिए टाइपवार कुल कितने आवासीय फ्लैट्स/एकक हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ फ्लैटों में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने फ्लैट हैं और अनाधिकृत कब्जा करने वाले लोगों को इन फ्लैटों से निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) श्रेणीवार आवासीय क्वार्टरों तथा जिन अधिकारियों को ये क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, उनके पदनामों की सूची निम्नलिखित है :

आवासीय क्वार्टर		पद, जिसके लिए आवास निर्धारित है
टाइप	संख्या	
1	2	3
"ए"	1	निदेशक

1	2	3
"बी"	2	संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक तथा सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी
"सी"	8	प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, हेडकीपर निदेशक के वैयक्तिक सहायक, स्टोरकीपर और चिड़ियाघर रेंजर
"डी"	46	पशु कीपर्स तथा सहायक पशु कीपर्स, अटेन्डेंट और चपरासी

(ख) और (ग) श्री आई एच. खान को संयुक्त निदेशक के रूप में चिड़ियाघर परिसर में टाइप "बी" क्वार्टर आवंटित किया गया था। श्री खान का तबादला अप्रैल, 1990 में संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय प्राणि उद्यान से मंत्रालय में वन अनुसंधान यूनिट में सहायक वन महानिरीक्षक के पद पर किया गया था। उन्होंने क्वार्टर खाली नहीं किया है। निदेशक, राष्ट्रीय प्राणि उद्यान ने श्री आई. एच. खान द्वारा रखे गए क्वार्टर को खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू की लेकिन उन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली से स्थगन आदेश ले लिया है। स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

"हिन्दुस्तान लीवर फैक्टरी द्वारा प्रदूषण"

6192. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड फैक्टरी, खामगांव के प्रदूषित जल के कारण चाटपुरी गांव के कुओं का पानी और भूमि बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फैक्टरी के प्रदूषित जल को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन किसानों को मुआवजा देने का है जिनकी भूमि और कुओं का पानी इस फैक्टरी के कारण प्रभावित हुआ है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) खामगांव में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड फैक्टरी के पास एक बहिस्राव शोधन संयंत्र है और अपने अपशिष्ट जल के लगभग 80 प्रतिशत भाग को फिर से उपयोग में ला रही है। एक निरीक्षण के दौरान अवमल सुखाने वाली पट्टियों से रिसाव होता पाया गया। फैक्टरी के नजदीक के कुओं के पानी को प्रदूषित घोषित किया गया और किसानों को सलाह दी गई कि इसको सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लाया जाए।

(ग) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूनिट को निदेश दिये हैं कि अवमल सुखाने वाली पट्टियों से हो रहे रिसाव को 15 दिन के भीतर बन्द किया जाए। अवमल सुखाने वाली पट्टियों से रिसाव को रोकने के लिए कैच ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्व प्राधिकारियों से मुआवजे के मुद्दे की जांच करने का अनुरोध किया है।

"राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता"

6193. श्री सूर्य नारायण सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिड़ियाघर (प्राणी उद्यान) के माली, चौकीदार और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का है, जिन्हें जोखिम भत्ता नहीं मिल रहा है लेकिन वे इस प्रकार की ड्यूटी करते हैं जिसमें बहुत खतरा होता है और काफी समय लगातार कार्य करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो यह भत्ता कब देना शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता तथा उपयुक्त जोखिम भत्ता देने सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिये चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर चिड़ियाघर के कर्मचारियों को जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाता है। समिति ने सिफारिश की थी कि भूमिगत नालियों, सीवर लाइनों की सफाई तथा संक्रामक रोग अस्पतालों आदि में कार्य कर रहे कर्मचारियों को जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केवल सहायक कीपरों, कीपरों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जो या तो पशु बाड़ों अथवा चिड़ियाघर के अस्पताल में पशु वार्डों की सफाई करते है, उन्हें जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाता है। माली चौकीदार तथा ऐसे अन्य कर्मचारी जो सफाई कार्य नहीं करते हैं, वे जोखिम भत्ते के पात्र नहीं है।

"राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पशुओं/पक्षियों की मृत्यु"

6194. श्री लोक नाथ चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में हाल ही के वर्ष में पशुओं और पक्षियों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई है;

(ख) क्या उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मरने वाले इन पशुओं और पक्षियों की संख्या कितनी है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुओं और पक्षियों की संख्या और मरे पशुओं और पक्षियों की संख्या इस प्रकार है :—

	1988-89		1989-90		1990-91	
	पशु	पक्षी	पशु	पक्षी	पशु	पक्षी
पशुओं और पक्षियों की कुल संख्या	399	1200	408	1295	415	1366
वर्ष के दौरान मरने वाले पशुओं और पक्षियों की संख्या	112	142	1·4	294	69	74

राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली में मृत्यु के विशिष्ट कारणों का पता लगाने के लिये प्रत्येक मृत जंगली जानवरों का पोस्ट-मार्टम कराया जाता है। प्रमुख प्रजातियों के मामले में आन्तरिक की प्रयोगशाला में विस्तृत परीक्षण और जांच की जाती है।

"परियोजनाओं के लिए वन भूमि उपलब्ध कराना"

6195. डा. बसंत पंवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के कल्याण की परियोजनाएं स्थापित करने हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने का है जहां राज्य सरकार द्वारा वनों के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र की अंकोला तहसील में संगवी परियोजना को स्वीकृति देने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासियों/पिछड़े वर्ग के लोगों के हित को देखते हुए वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु नियमों को उदार बनाने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य वनों का संरक्षण करना है जो क्षेत्र तथा वनों में रहने वाले आदिवासियों को पारिस्थितिकीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। वनेतर कार्यों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्तावों को उनके गुणावगुण के आधार पर बहुत सावधानी पूर्वक जांच की जाती है और आदिवासियों के कल्याण की परियोजनाओं के मामलों पर भी इसी तरीके से विचार किया जाता है। इस मंत्रालय को महाराष्ट्र की अकोला तहसील में संगवी परियोजना के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव दिनांक 21.8.1991 को प्राप्त हुआ था। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) आदिवासियों/पिछड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के बारे में विद्यमान दिशा-निर्देशों में उपयुक्त रियायतें दी गई हैं। आगे किसी तरह की रियायतें देने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कापर-टी का प्रयोग

6196 **श्री आदित्यन आर. अनुक्कोडी** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाहित महिलाओं द्वारा कापर-टी का प्रयोग करने की परिवार कल्याण योजना विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विवाहित महिलाओं ने कापर-टी की सुविधा का उपयोग किया;

(ग) क्या उनके द्वारा कापर-टी का प्रयोग करके कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की रिपोर्ट या शिकायतें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिठार्थ) : (क) और (ख) कापर टी (आई. यू डी) हमारे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का अकसे अधिक लोकप्रिय गम निरोधक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आई, यू. डी. निवेशनों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	आई यू डी निवेशन (संख्या)
1988-89	58,51,483
1989-90	49,26,693 (अनन्तिम)
1990-91	5[illegible],22,143 (अनन्तिम)

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 और 89-90 के दौरान 76.5% और 77.5% आई यू डी के स्वीकार कर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से थे।

(ग) और (घ) आई यू डी के उपयोग से संबंधित सामान्य शिकायतों/गौण प्रभावों में कमर दर्द पेट दर्द और रजस्राव आदि के दौरान अधिक रक्तस्राव होना शामिल है। आई यू डी के उपयोग के बाद होने वाली जटिलताओं को कम करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से स्वीकारकर्ताओं को परामर्शी सेवाओं के जरिए अनुवर्ती सेवाएं प्रदान की जाती है। 'ए' टाइप के प्रसवोत्तर केन्द्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके चिकित्सीय और अर्धचिकित्सीय कार्मिकों की तकनीकी और परामर्शी कार्य कुशलताएं उन्नत बनाई जाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम

हिन्दी]]

6197. डा. लाल बहादुर रावल

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत राज्यवार और कितने आंगनवाड़ी कर्मचारी कार्यरत है,

(ख) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) देश में समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस) परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के लिए संस्वीकृत केंद्रीय प्रायोजित आई सी डी एस परियोजनाओं की संख्या 6 हैं। अलीगढ़ जिले में संस्वीकृत आंगनवाड़ियों की कुल संख्या 740 है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 समुदाय विकास ब्लाकों को आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर कर लिया गया है। ये संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या क्रमशः 127 और 150 है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की राज्य वार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1990-91 तक स्वीकृत परियोजनाएं			स्वीकृत आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की संख्या		
	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	137	9	146	18154	850	19004
असम	60		60	7554		7554
बिहार	228		228	25054		25054
गुजरात	105	14	119	18553	1200	19753
हरियाणा	48	44	92	3375	4726	10101
हिमाचल प्रदेश	33		33	3731		3731
जम्मू और कश्मीर	41	23	64	3980	1581	5561
कर्नाटक	112	29	141	22013	3236	25269
केरल	63	24	87	8952	3374	12329
मध्य प्रदेश	270		270	26703		26703
महाराष्ट्र	165		165	26735		26735
मणिपुर	24		24	2244		2244
मेघालय	27		27	1721		1721
नागालैंड	26		26	2306		2306
उड़ीसा	134		134	12448		12448
पंजाब	61		61	7064		7063
राजस्थान	114	17	131	14631	1569	16200
सिक्किम	4		4	405		405
तमिलनाडु	111		111	11182		11182

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	19		19	2427		2427
उत्तर प्रदेश	329	8	337	35686	680	36366
वैस्ट बंगाल	174	16	190	26268	1600	27868
अण्डेमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	4		4	247		247
गोआ	11		11	1103		1103
अरुणाचल प्रदेश	37		37	2030		2030
चण्डीगढ़	2		2	200		200
दादर एण्ड नागर हवेली	1		1	125		125
दिल्ली	24	2	26	2955	200	3155
दमन एण्ड द्वीप	2		2	79		79
लक्यद्वीप	1		1	60		60
मिजोरम	19	2	21	1100	109	1209
पाण्डेचरी	5		5	677		677
अखिल भारतीय कुल :	2341	188	2529	291785	19125	310910

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया अनुदान

[अनुवाद]

6198. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों विशेषत: महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक विश्वविद्यालय को मंजूर और दिए गए अनुदान का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कोई अनुदान मंजूर किया गया था परन्तु दिया नहीं गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी, कार्य मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने सातवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को 454.59 करोड़ रुपए का कुल योजनागत अनुदान जारी किया । महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत तथा जारी किए गए अनुदान निम्नलिखित है :—

(रु लाखों में)

	विश्वविद्यालय का नाम	संस्वीकृत राशि	मुक्त की गई राशि
1.	अमरावती विद्यालय	75.80	75.80
2.	बम्बई विश्वविद्यालय	602.38	601.05
3.	मराठवाड़ा	294.57	294.38
4.	नागपुर विश्वविद्यालय	365 61	362.65
5.	पूना विश्वविद्यालय	696.18	676.76
6	एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय	380.98	380.48
7.	शिवाजी विश्वविद्यालय	228.66	228.34

जंगली सूअरों द्वारा फसल को क्षति

6199. डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के कई जिलों अन्य प्रत्येक राज्यों में जंगली सूअरों खड़ी फसल को क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है और जंगली सूअरों द्वारा राज्यवार कितनी क्षति हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार "वन्य जीव संरक्षण" अधिनियम में कोई संशोधन करने का

है जिससे कि जंगली सूअरों द्वारा की जा रही भारी क्षति को देखते हुए उन्हें इसके प्रभाव क्षेत्र से अलग किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) आन्ध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में जंगली सूअरों द्वारा खड़ी फसलों को क्षति पहुंचाये जाने के बारे में समय-समय पर सूचना प्राप्त होती रहती है।

(ख) केवल जंगली सूअरों द्वारा फसलों को पहुँचाई गई क्षति के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जंगली सूअरों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की परिधि से बाहर निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जंगली सूअर उक्त अधिनियम की अनुसूची-3 में आते हैं। राज्य सरकारों को अनुसूची-1 व अनुसूची-2 के भाग-2 में शामिल वन्यजीवों को छोड़कर किसी भी अन्य जीव को सम्पूर्ण राज्य या किसी क्षेत्र विशेष में पीड़क जन्तु, अर्थात खड़ी फसलों के लिए हानिकारक घोषित करने का अधिकार है। पीड़क घोषित किए गए जन्तुओं के शिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए शिक्षकों के पदों का सृजन

6200 श्री मनोरंजन भक्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से शिक्षकों के पदों के सृजन एवं शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम.राजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पोर्ट ब्लेयर स्थित डिग्री कालेज के लिए प्राध्यापकों के 18 पदों के सृजन के सम्बन्ध में, एक प्रस्ताव मिला है। इस कालेज के वर्तमान स्टाफ की संख्या 55 है सरकार ने पहले ही इस कालेज के लिए जनवरी, 1989 में प्राध्यापकों के 14 पद स्वीकृत किए थे। प्राध्यापकों के 18 पदों के सृजन के सम्बन्ध में संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव को पर्याप्त औचित्य के अभाव में स्वीकृत नहीं किया गया है।

आंगनवाड़ी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भर्ती और उनकी पदोन्नति

6201. श्री अमाधि च ण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे आंगनवाड़ी

केन्द्रों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी रखे जाते हैं अर्थात परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर (मुख्य सेविका तथा मुख्य सेविका स्टाफ। इन कार्मिकों की भर्ती राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर की जाती है और पदोन्नति आदि सम्बन्धित सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों द्वारा शासित होती है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी स्तर पर दो कार्यकर्ता होते हैं अर्थात आंगनवाडी कार्यकर्ता और सहायिकाएं। ये अंशकालिक, अवैतनिक और स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं जो स्थानीय समुदाय से लिए जाते हैं। अत: ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते। हमारे दिशा-निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 18-44 वर्षों के बीच की आयु की महिला होनी चाहिएं। इन कार्यकर्ताओं का चयन करना पूर्णतया राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के हाथ में होता है हमारे दिशा-निर्देशों के अनुसार इनके चयन में विशेष ध्यान देना होता है ताकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चे आसानी से आंगनवाड़ी में आ सकें। आई सी डी एस परियोजनाएं अधिकांशतया ऐसे क्षेत्रों में स्थित होती हैं जहां अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की होती है।

पालक्काड में नवोदय विद्यालय

6202. **श्री वी. एस विजयराघवन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालक्काड में नवोदय विद्यालय की स्थापना उसी स्थान पर की गई है जिसकी अनुमति केन्द्रीय सरकार ने दी थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यालय के पास स्थाई भवन सहित सभी बुनियादी सुविधायें हैं; और

(घ) क्या विद्यालय ने अब कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी, नहीं। नवोदय विद्यालय खोलना

सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकार के प्रस्ताव पर निर्भर करता है, जिन्हें शुरुआती तौर पर 2-3 वर्षों के लिए नवोदय विद्यालय चलाने के लिए 30 एकड़ उपयुक्त भूमि निःशुल्क, पर्याप्त भवन और अन्य अवस्थाएं प्रदान करनी होती हैं। राज्य सरकार से प्राप्त मूल प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय खोलने का स्थाई स्थान अगाली, जिला पलक्कड़ (पालघाट) थी और मलमपुझा में विद्यालय के अस्थाई कार्य के लिए अवस्थापना प्रदान की गई थी। निरीक्षण दल और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व-प्रस्तावित भूमि विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं थी। फल स्वरूप अगाली के बजाय मलमपुझा में 20 एकड़ भूमि प्रदान की गई (जहां विद्यालय अस्थाई तौर पर स्थित है।) विद्यालय का स्थाई भवन अब मलमपुझा में निर्माणाधीन है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्थाई तौर पर दी गई भूमि पर निर्मित अस्थाई भवनों में यह विद्यालय अभी कार्य कर रहा है। समिति द्वारा अतिरिक्त अर्ध-स्थाई भवन का निर्माण करवाया गया है और वहां पर्याप्त सुविधाएं हैं।

(घ) जी, हां।

प्राचीन अरबी तथा फारसी पुस्तकों के संरक्षण के लिये अनुसंधान संस्थान

6203. **श्री राम नारायण डूंडवा :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरबी तथा फारसी की प्राचीन पुस्तकों का संरक्षण करने तथा उन पर अनुसंधान कार्य करने के लिए कितने अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या टोंक, राजस्थान में एक ऐसा अनुसंधान संस्थान कार्यरत है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए अरब देशों से सहायता लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) भारत सरकार ने ऐसे किसी संस्थान की स्थापना नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में कारखानों द्वारा प्रदूषण

6204. **श्री राम प्रकाश चौधरी :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुदर्शन पार्क, मोती नगर में अनेक अनधिकृत कारखाने चल रहे हैं जिनके कारण पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई और क्षेत्र के निवासियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी, 1991 के दौरान इस क्षेत्र का एक सर्वेक्षण किया। अधिकांश यूनिटों को दिल्ली नगर निगम द्वारा 1990 में एक तदर्थ नीति के तहत पंजीकृत किये जाने की रिपोर्ट मिली है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में लगभग 30 उद्योग चल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मशीनों की दुकानें, फैब्रिकेशन और पी. वी. सी पाइपिंग्स की यूनिटें हैं। इन सभी यूनिटों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत नोटिस जारी किये गए हैं, जिनमें उनसे उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने को कहा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को अनुदान देना

[हिन्दी]

6205. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कालेजों को दिए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार का अनुदान देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र कालेजों को पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु उनके सामान्य विकास तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामान्य विकास के अधीन भवनों, उपकरणों व पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए सहायता दी जाती है।

सहायता की मात्रा, छात्रों के नामांकन व अध्यापकों और अध्यापन विभागों की संख्या पर निर्भर करती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटन अभी मालूम नहीं है। तथापि विश्व अनु. आ. द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने विभिन्न राज्यों के पात्र कालेजों, जिनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है, के कार्य जारी रखने और उनमें आबंटन के लिए 1990-91 में 325,90 रुपए की कुल अनुदान राशि जारी की है। 1991-92 के लिए अनुदान जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	दिया गया अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	187.46
2.	असम	56.79
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.10
4.	बिहार	273.35
5.	गोवा	6.28
6.	गुजरात	115.23
7.	हरियाणा	91.46
8.	हिमाचल प्रदेश	19.39
9.	जम्मू व कश्मीर	10.85
10.	कर्नाटक	176.55
11.	केरल	156.68
12.	मध्य प्रदेश	90.89
13.	महाराष्ट्र	415.73
14	मणिपुर	10.36
15. क	मेघालय	4.95
15.	उड़ीसा	72.82
16.	पंजाब	173.60
17.	राजस्थान	79.52
18.	तमिलनाडु	30.95
19.	त्रिपुरा	1.73
20.	उत्तर प्रदेश	476.51
21.	पश्चिम बंगाल	195.91
22.	दिल्ली	325.08
23.	पांडिचेरी	1.71
		3,251.90

प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता के लिये आदिवासी भाषाओं में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

6206. **श्री रवि राय :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता के लिये आदिवासी भाषाओं में पाठ्य सामग्री प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी बच्चों के लिये ये सुविधायें कितनी आदिवासी भाषाओं में उपलब्ध करायी गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी नीति के इस महत्वपूर्ण पक्ष को लागू तथा समन्वित करने के लिये कोई कक्ष बनाया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) रा. शै. अ. तथा प्र. परिषद और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने पचास आदिवासी तथा सीमावर्ती भाषाओं में स्कूल प्राइमर तथा सत्रह भाषाओं में साक्षरता प्राइमर तैयार किए हैं।

(ग) शिक्षा विभाग आदिवासी भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित कार्य को समन्वित करता है। अलग से कोई कक्ष का सृजन करना विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को सहायता

[हिन्दी]

6207. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की है ;

(ख) क्या उक्त योजना पर यह पूरी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है। तथापि, कुछ विशिष्ट रोगों के नियंत्रण/

उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को और ज्यादा सुदृढ़ करने के विचार से केन्द्र उन्हें केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मुख्य स्कीमों के लिए महाराष्ट्र राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण निम्न प्रकार है।

कार्यक्रम का नाम	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता	
	1989-90	1990-91
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन		(लाख रुपये)
कार्यक्रम	755.77	953.83
2. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	30 88	37.84
3. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	65.63	56.68
4. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	135.79	186.66
5. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	43.21	40.97

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाल किले के मौलिक मुगलकालीन वैभव/ब्रिटिश कालीन वैभव को पुनः स्थापित करने के कार्यक्रम

[अनुवाद]

6208. डा. सी सिलवेरा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाल किले के मौलिक मुगलकालीन वैभव को पुनः संस्थापित करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अंग्रेजों द्वारा लाल किले पर आधिपत्य के दौरान लाल किले के मौलिक ब्रिटिश कालीन वैभव को भी पुनः स्थापित करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ङ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(च) इस परियोजना के कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पुरातत्वीय क्षेत्र लाल किला, दिल्ली के स्मारकों का संरक्षण इनकी सुरक्षा के समय विद्यमान इनके मूल ढांचे के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन इस क्षेत्र का मुख्य भाग अभी भी रक्षा मंत्रालय के पास है। इसके सौंपे जाने पर इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार संरक्षण और अनुरक्षण किया जाएगा।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में जल और वायु प्रदूषण

6209. श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री टी. जे. अंजलोज :

डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, तमिलनाडु, और केरल में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अलग-अलग संख्या और प्रकार क्या है ;

(ख) क्या ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख इकाइयों की संख्या क्रमशः 159, 150 और 102 है। ये इकाइयां मुख्यतया निम्नलिखित श्रेणियों से हैं, अर्थात् सीमेंट, ताप विद्युत संयंत्र, लौह और इस्पात, उर्वरक, जस्ता स्मेल्टर, तांबा स्मेल्टर, एल्युमिनियम स्मेल्टर, तेल शोधक कारखाने, मद्य निर्माणशाला (अर्थात फर्मेन्टेशन) लुगदी और कागज, जकरी औषधियां, रंग और रंगाई इन्टरमीडिएट्स, कीटनाशक निर्माण, पेट्रोकैमिकल्स, चीनी और फार्मेस्यूटिकल्स। इन बड़ी और मझोली इकाइयों के अलावा, इन राज्यों में छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूह भी हैं, जिनमें मुख्यतया चर्मशोधन कारखाने और रंगाई इकाइयां शामिल हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक समय बद्ध कार्य योजना के तहत उपर्युक्त श्रेणियों की प्रदूषित इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करने

की अपेक्षा की गई है। सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत हरियाणा में प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं

6'10. श्री राम सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत हरियाणा में सभी प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(ख) यदि नहीं तो इन्हें कब तक प्रदान किया जायेगा ;

(ग) हरियाणा में कितने एकल-शिक्षक विद्यालयों को दो-शिक्षक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) अभी तक, 4848 प्राइमरी स्कूलों में से 3869 स्कूलों को आपरेशन ब्लैक बोड योजना के अन्तर्गत अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था की मंजूरी दी गई है।

(ख) आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी इस योजना के अन्तर्गत पहले से शामिल खंडों में इसकी कार्यान्वयन प्रगति पर निर्भर करती है।

(ग) अभी तक, 302 प्राइमरी स्कूलों में दूसरे शिक्षक की मंजूरी दे दी गई है।

(घ) वर्ष 1988-89 से 1990-91 के बीच हरियाणा राज्य सरकार को प्रदान की गई 228 72 लाख रु. की राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है—

1988-89	:	117.33 लाख रु
1989-90	:	111.39 लाख रु.
1990-91	:	—कुछ नहीं—

यमुना पार क्षेत्र में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

6211. श्री बी. एल. शर्मा (प्रेम) :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना-पार क्षेत्र में नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय खोलने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय स्कीम में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। इस प्रयोजन के लिए दिल्ली को ब्लाकों के आधार पर उजिलों में बांटा गया है तो जिलों/ब्लाकों अर्थात् कंझावला और नजफगढ़ में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय खोलना सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के प्रस्ताव पर निर्भर करता है जिन्हें शुरूआती तौर पर 2-3 वर्षों के लिए नवोदय विद्यालय चलाने के लिए संसाधनों और प्रशासनिक सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता के अतिरिक्त 20 एकड़ उपयुक्त भूमि, नि:शुल्क और पर्याप्त भवन तथा अन्य अवस्थापनाएं प्रदान करनी होती हैं।

जोखिम भत्ता के पात्र कर्मचारी

[अनुवाद]

6212. श्री नामी भट्टाचार्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोखिम भत्ता पाने की अर्हता रखने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सूची बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य उप केन्द्र

[हिन्दी]

6213. श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 1995 उपकेन्द्रों की स्थापना की गई। वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान नए उपकेन्द्रों को खोलने के लिए कोई मंजूरी जारी नहीं की गई।

एल आई जी फ्लैट्स, प्रसाद नगर में अनधिकृत निर्माण

[अनुवाद]

6214. श्री गोविन्द चन्द्र भुण्डा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (एल. आई. जी.) फ्लैट्स, प्रसाद नगर नई दिल्ली के आवंटितियों ने 1 जनवरी, 1986 से पूर्व और इसके बाद भी अपने फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, दिल्ली विकास प्राधिकरण एल. आई. जी. फ्लैट्स प्रसाद नगर, नई दिल्ली में 1 जनवरी 1986 से पूर्व और इसके बाद 80 मामलों में अनधिकृत/परिवर्द्धन/परिवर्तन किया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापकों/प्राध्यापकों की नियुक्ति

6215. श्री एम. के. अलियास :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषतः दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों/प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों/अध्यापकों की भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का है; और

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मानदण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों, सांविधियों और अध्यादेशों में दिया गया है। शिक्षकों को नियमित नियुक्तियों का विज्ञापन देना अपेक्षित है और ये नियुक्तियां विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा की जाती है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज, कालेज शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित संगत अध्यादेशों में शामिल किए गए प्रावधानों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं संघ लोक सेवा आयोग को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का कार्य सौंपने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पाने के लिए केरल को यूनेस्को से सहायता

6316 श्री एम. रामन्ना राय।

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पाने के लिए केरल सरकार ने कितनी धन-राशि खर्च की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में यूनेस्को ने कोई सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) साक्षरता अभियान मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में गठित की गई एक पंजीकृत सोसाइटी केरल साक्षरता समिति द्वारा कार्यान्वित किया गया था। समिति ने भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान में से 370 लाख रु. तथा यूनिसेफ से प्राप्त अनुदान में से 60 लाख रु. खर्च किए हैं।

केरल सरकार ने स्वयं सीधे तौर पर इस अभियान में कोई खर्च वहन नहीं किया है।

(ख) अभियान के लिए यूनेस्को से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम

6217. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस जिले में आयोडीन की कमी के परिणामस्वरूप होने वाली मानसिक तथा शारीरिक विकृतियों की संख्या का पता लगा लिया है; और

(ग) क्षेत्र में आदिवासियों को आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में आयोडीन की कमी की समस्या का पता लगा लिया है। 1980 में रायगढ़ जिले में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि घेंघा की घटना दर 34.82 प्रतिशत थी और मानसिक एवं शारीरिक विकृतियों की घटना दर 2.3 प्रतिशत थी।

आयोडीन की कमी की समस्या से उबरने के लिए केन्द्र सरकार की सलाह पर मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में आयोडीनयुक्त नमक के अलावा अन्य नमक की बिक्री पर रोक लगाते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य को 2.18 लाख मीटरिक टन आयोडीन नमक की आपूर्ति की।

जिले/राज्य में आदिवासी और अन्य लोगों के बीच आयोडीनयुक्त नमक के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षक, संचार के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है।

काम के आधार को मौलिक अधिकार बनाना

6218. कुमारी उमा भारती :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि फिलहाल तैयार की जा रही है, का एक मुख्य उद्देश्य अधिक रोजगार का सृजन करना है।

उड़ीसा में सिमिलीपाल वन का विकास

6219. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में "सिमिलीपाल" वन के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्य की प्रगति क्या है और इस संबंध में क्या भावी योजना बनाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, हां। उड़ीसा में सिमिलीपाल वन के एक भाग को बाघ रिजर्व रूप में विकसित करने की एक स्कीम है।

(ख) वर्ष 1974-75 से 1990-91 तक सिमिलीपाल बाघ रिजर्व में रख-रखाव, विकास और आधारभूत कार्यों पर कुल 3,95,17,400 रुपए की राशि खर्च की गई। वन्यजीव प्रबंध को मजबूत बनाया गया है जिससे वनस्पतिजात और प्राणिजात को सुरक्षा मिली है और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है।

गणना वर्ष	संख्या
1979	65
1984	71
1989	93

राज्य सरकार के वन विभाग ने सिमिलीपाल बाघ रिजर्व के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें तैयार की हैं:—

1. 5 वर्षों के लिए 400 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से सीमान्त गांवों के पारि विकास की स्कीम।

2. सिमिलीपाल बाघ रिजर्व से अन्यत्र ले जाये जाने वाले आदिवासी गांवों के लिए लाभ-भोगी स्कीम, जिस पर 5 वर्षों में 1,37,04,000/- रुपए खर्च किए जायेंगे।

3. 5 वर्षों के लिए 83.594 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से वन्यजीवों के चोरी छिपे शिकार और अवैध व्यापार के नियन्त्रण की स्कीम ।

उड़ीसा में शहरी जल सप्लाई योजनाएं

6220. श्री शरत चंद्र पटनायक :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :—

(क) सरकार का विचार उड़ीसा के सोनपुर, टिटिलगढ़, पाटनगढ़ कांटाबंजी और बोलनगीर में शहरी जल सप्लाई योजना शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए सरकार द्वारा अब तक कोई धनराशि दी गई है ?

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुनाचलम) : (क) और (ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है । शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वित करना राज्य सरकारों एवं शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है । उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनपुर को जल-आपूर्ति लगभग पूरी हो रही है । टिटिलागढ़ और बोलनगीर में जल आपूर्ति बढ़ाने की योजनाओं को आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) से सहायता हेतु तैयार कर लिया गया है तथा पाटनगढ़ और कान्टबंजी में जल आपूर्ति योजनाएं चालू हालत में हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति देना

6221. डा. वी. राजेश्वरन :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा अपने यूनिटों का विस्तार करने के लिए सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो जाएगा तथा प्रदूषण बढ़ जाएगा;

(ग) क्या सरकार का एक ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव है जिससे औद्योगिक कार्यों को निश्चित पर्यावरण नियमों से नियमित किया जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) जी नहीं। नई औद्योगिक नीति में यह व्यवस्था है कि औद्योगिक स्थानों की अवस्थीकरण और भूमि उपयोग विनियम तथा पर्यावरणीय कानून के तहत विनियमित किया जाता रहेगा। इस प्रकार, पर्यावरणीय प्रदूषण और खतरों को कम करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अब भी लेनी होगी।

(ग) और (घ) विभिन्न अधिनियमों के तहत मौजूदा प्रावधान पर्यावरणीय दृष्टि से औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त है।

आन्ध्र प्रदेश में आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की उपलब्धता

6222. श्री बी. सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली, इब्राहिम पट्टनम और कृष्णा जिले के आस-पास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां पाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जड़ी बूटियों की पहचान करके उनके संरक्षण की कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ने अपनी एक स्कीम के अन्तर्गत विशेष महत्व के लगभग 30 प्रभावकारी औषधीय पादपों का चयन किया है और उपयुक्त क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से औषध फार्म तैयार करने के लिए उनका जिलों में वितरण किया गया है। कोंडापल्ली वन क्षेत्र सुझाए गए क्षेत्रों में से एक है।

पांचतारा होटलों द्वारा प्रदूषण

6223. श्री के. तुलसिऐया वान्डायार :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पांचतारा होटलों के नाम क्या हैं जिन्हें बड़े शहरों में प्रदूषण फैलाते पाया गया है; और

(ख) इन होटलों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) प्रमुख नगरों में स्थित कुछ पांचतारा होटल वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित सभी मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में जिन होटलों के नाम बताए गए हैं वे हैं: — नई दिल्ली स्थित ओबराय, ताज पैलेस और मौर्य शेराटन, बंगलौर स्थित वेस्ट एण्ड, ताज रेजिडेंसी, अशोक विडसर मेनर, ओबराय और होलिडे इन, मद्रास स्थित चोला शेराटन, ताज कारोमंडल, पार्क शेराटन तथा कोनमैअर।

(ख) इन होटलों को एक समय सीमा के भीतर विसर्जन सम्बन्धी मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया था। इनमें से कुछ होटलों ने अपेक्षित मानकों को पूरा कर लिया है, जबकि कुछ अन्य होटलों ने इन्हें पूरा करने की कार्यवाही शुरु कर दी है।

दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी

[हिन्दी]

6224. श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली समाज कल्याण और सलाहकार बोर्ड जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या ये कर्मचारी दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सम्पदा निदेशालय ने उक्त कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध किए हैं, और

(घ) यदि हां, तो अन्य सभी पात्र कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य युवा और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कार्यालय में 19 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और इसी कारण से वे सरकारी आवास प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़ी खानों को चालू करना

6225. श्री भवानी लाल वर्मा :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउर केला इस्पात संयंत्र, राउर केला, बराइबार, जिला बिलासपुर के अन्तर्गत इस्पात डोलोमाइट कावेरी की खानें और मैसर्स लाल एंड कम्पनी (धान) खमरिया डोलोमाइट खान, छोटा नागपुर फोरेस्ट सिंडीकेट लिमिटेड की खानें कई वर्षों से बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन खानों में खनन कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठा रही है;

(ग) क्या उक्त खानों के नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों ने श्रमिकों को बकाया वेतन, बोनस, उपदान तथा भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें उनकी बकाया राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घोटड़कार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्यमियों को डी. डी ए. फ्लैटों का कब्जा देना

[अनुवाद]

6226. श्री गोरेश्वर साबे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरी धनराशि का भुगतान प्राप्त करने के बावजूद डी. डी ए.द्वारा लघु उद्यमियों को फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है; और

(ग) इनका कब्जा कब तक दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जहां पूरी धनराशि का भुगतान करने के बावजूद लघु उद्यमियों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया है । तथापि 23 औद्योगिक प्लाटों के मामलों में पूरी अदायगी प्राप्त हो गई थी लेकिन झुग्गी समूहों द्वारा अनधिकृत कब्जे व मुकदमों के कारण इन्हें प्लाटों का कब्जा नहीं दिया जा सका। झुग्गी निवासियों को दूसरे स्थान पर बसाने और/अथवा मुकदमों की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद इन प्लाटों का कब्जा सौंप दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना

6227. श्री मुकुल वासनिक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को, महाराष्ट्र में जिलावार प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत और निर्णय हेतु लम्बित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे निजी इन्जीनियरिंग कालेजों की राज्यवार संख्या क्या है जिनको शुल्क केपीटेशन मांगने तथा अन्य अनाचारों के आधार पर मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(घ) क्या सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की कोई योजना बनाई है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 17 है और जिलावार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) 17 प्रस्तावों में से, दो का अनुमोदन कर दिया गया है, पांच पर कार्यवाही की जा रही है तथा बाकी 5 अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को इसके व्यावसायिक और प्रशासनिक सम्बन्धी क्रियाकलापों में सुदृढ़ बनाने से संबंधित कार्यवाही पहले से ही आरम्भ कर दी गई है ।

विवरण

क्र सं.	जिले का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	बम्बई	4
2.	ठाणे	1
3.	औरंगाबाद	1
4.	बुलदाना	1
5.	लातूर	1
6.	नागपुर	2

1	2	3
7.	पुणे	3
8.	कोल्हापुर	1
9.	धुले	1
10.	रत्नागिरि	1
11.	यवतमाल	1
		कुल 17

केन्द्रीय शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना

6228 श्री चित्त बसु :

क्या क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैसा कि विधि आयोग ने सुझाव दिया है, केन्द्रीय शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित न्यायाधिकरण का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। केन्द्रीय शिक्षा न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेना इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संगम विहार, दिल्ली में भूमि की अनधिकृत बिक्री

6229. श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संगम विहार, नई दिल्ली में भूमि की अनधिकृत और अवैध बिक्री किए जाने सम्बन्धी मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

6230. श्रीमती सुमित्रा महाजन .
डा. जी. एल. कनोजिया :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त संस्थानों में प्रतिवर्ष विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किए जा रहे हैं;

(ग) इस सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गये हैं :

(घ) प्रशिक्षण पूरा करने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुछ नये तकनीकी व्यवसाय से सम्बन्धित विषय आरम्भ करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवनसिंह चाटोवार) : (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत देश में 2240 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 31.7.1991 की स्थिति के अनुसार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार, सीटिंग क्षमता सहित सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) एक से दो वर्षों की अवधि वाले विभिन्न व्यवसायों के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की सीटिंग क्षमता लगभग 3.7 लाख है।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। विगत वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न राज्यों में जिला मुख्यालयों से इतर स्थानों पर स्थापित किए गए हैं।

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किए गए शिल्पकार स्वयं को स्वः रोजगार उद्यमों में नियोजित कर सकते हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए कौशलों के अनुसार रोजगार ग्रहण कर सकते हैं। नियोजन सेवाएं सामान्यतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं।

(ङ) और (च) जी हां; दिल्ली स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फोटोग्राफर, वाणिज्यिक कला, टेक्सटाइल डिजाइनिंग तथा डेटा प्रिपरेशन तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे नए तकनीकी व्यवसाय शुरू किए गये हैं।

विवरण

31.7.1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सीटिंग क्षमता सहित सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ. प्र. संस्थानों की संख्या				निजी औ. प्र. संस्थानों/केन्द्रो की संख्या				औ. प्र. संस्थानों/ औ. प्र. केंद्रों की कुल संख्या (5+9)	कुल सीटिंग क्षमता (6 + 10)
		संबद्ध	गैर-संबद्ध	योग	सीटिंग क्षमता (सरकारी)	संबद्ध	गैर-संबद्ध	योग	सीटिंग क्षमता (निजी)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	57	7	64	15300	186	16	202	24992	266	40292
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	240	0	0	0	0	2	240
3.	असम	20	1	21	4232	0	0	0	0	21	4232
4.	बिहार	31	0	31	13360	3	2	5	568	36	13928

5.	गोवा	11	0	11	2768	3	1	4	176	15	2944
6.	गुजरात	63	14	77	17824	70	7	77	7390	154	26214
7.	हरियाणा	60	3	83	13629	14	10	24	816	107	14436
8.	हिमाचल प्रदेश	32	0	32	3392	0	0	0	0	32	3392
9.	जम्मू और कश्मीर	7	25	32	3532	0	0	0	0	32	3532
10.	कर्नाटक	34	0	34	8000	136	10	146	12184	180	20184
11.	केरल	19	3	22	10780	227	6	233	31216	255	41996
12.	मध्य प्रदेश	59	5	64	16672	3	1	4	368	68	17048
13.	महाराष्ट्र	109	4	113	37472	103	12	115	9216	228	46688
14.	मणिपुर	1	5	6	496	0	0	0	0	6	496
15.	मेघालय	3	0	3	360	1	0	1	196	4	556
1.6	मिजोरम	1	0	1	240	0	0	0	0	1	240
17.	नागालैण्ड	1	2	3	404	0	0	0	0	3	404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	उड़ीसा	13	2	15	5016	6	5	11	920	26	5936
19.	पंजाब	93	3	96	16800	8	8	16	800	112	17600
20.	राजस्थान	27	6	33	5000	15	11	26	1644	59	6644
21.	सिक्किम	1	0	1	144	0	0	0	0	1	144
22.	तमिलनाडु	43	1	44	15960	20	56	257	15802	301	31762
23.	त्रिपुरा	2	1	3	528	0	0	0	0	3	528
24.	उत्तर प्रदेश	65	92	147	42304	65	38	103	7904	250	50288
25.	पश्चिम बंगाल	20	0	20	9648	10	0	10	452	30	10100
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0	1	176	0	0	0	0	1	176
27.	चण्डीगढ़	2	0	2	896	1	0	1	16	3	912
28.	दादर तथा नगर हवेली	1	0	1	192	0	0	0	0	1	192
29.	दमन व द्वीव	2	0	2	288	0	0	0	0	2	288

30.	दिल्ली	12	1	13	7004	20	3	23	932	36	7936
31.	लक्षद्वीप	0	1	1	64	0	0	0	0	2	64
32.	पांडिचेरी	3	0	3	464	1	0	1	32	4	496
	योग :	815	166	981	253256	1073	186	1259	116624	2240	369880

"अवर वीमेन ऐट यूनीसेफ" शीर्षक से समाचार

6231. श्री के. वी. कंगाबालू :

श्री के. प्रधानी :

क्या कल्याण मन्त्री 4 अगस्त, 1991 के सन्डे टाइम्स के "अवर वीमेन ऐट यूनीसेफ" समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के कार्यकारी बोर्ड में हमारे प्रतिनिधि के रूप में किसी नामित कर्मचारी का चयन किया था ।

(ग) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) महिला एवं बाल विकास, सचिव की अभ्यर्थिता भारत सरकार द्वारा अनुमोदित थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सांस्कृतिक शिक्षा क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाएं

[हिन्दी]

6232. श्री मोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार से 25 लाख रुपये या इससे अधिक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली उन संस्थाओं के क्या नाम है जो सांस्कृतिक शिक्षा और बौद्धिक कार्य कलापों में रत हैं;

(ख) क्या मंत्रालय को इन संस्थाओं के कार्यकलापों और कार्यकरण की कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की संस्थाओं को दी गई सरकारी सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा इन संस्थाओं को दी गई सहायता में से खर्च की गई धनराशि की जांच के लिए किसी जांच समिति के गठन का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी ।

स्व वित्त पोषण योजना के फ्लैटों का कब्जा

[अनुवाद]

6233. डा. कृपा सिंधु जोई :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण उन व्यक्तियों को बिना बारी के फ्लैट आवंटित कर रहा है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व वित्त पोषण योजना की श्रेणी तीन के अन्तर्गत पंजीकृत है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें 1 जनवरी, 1989 से 31 दिसम्बर, 1990 तक ऐसे आवंटन के आधार पर कब्जा दिया गया है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें वर्ष 1988 में आवंटन के पत्र जारी किए गए थे, किन्तु अभी कब्जा नहीं दिया गया है; और

(घ) इन आवंटियों के लिए स्थान निर्धारित करने का मानदंड क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। कुल मिलाकर 2 1/2 प्रतिशत के कोटे के लिए।

(ख) श्रेणी 111 में स्वयं वित्त पोषित फ्लैटों के लिए पंजीकृत 17 व्यक्तियों, जिन्हें 1.1.83 से 31.12.90 की अवधि के दौरान बिना बारी के आधार पर नियतन/आवंटन किया गया, के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने और किश्तों की अनुसूची के अनुसार आवंटी द्वारा फ्लैट की लागत का पूरा भुगतान करने और दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण जैसे निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेने के बाद ही कब्जा पत्र जारी किया जाता है।

(ग) श्रेणी-111 के अन्तर्गत स्वयं वित्त पोषित फ्लैटों के लिए पंजीकृत 8 व्यक्तियों, जिन्हें 1988 के दौरान बिना बारी के आधार पर फ्लैट आवंटित किए गए थे लेकिन जिन्हें अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विशेष इलाके में आवंटन या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाता है या अन्य मामलों में ड्रा द्वारा किया जाता है।

विवरण-I

क्रम सं.	आवंटी का नाम	फ्लैट न /क्षेत्र जहां आवंटन किया गया
1	2	3
1.	श्रीमती एम. एस. प्रोमिला रे	वसंत कुंज श्रेणी-111
2.	श्रीमती ऊषा राज हंस खन्ना	एगंत कुंज श्रेणी-111
3.	श्री जे. वी. बिलिमोरिया	दूसरी मंजिल, मुखर्जी नगर
4.	श्रीमती प्रेम लता	श्रेणी-111, मुखर्जी नगर (पहली मंजिल)
5.	श्रीमती देवयानी शुक्ला	श्रेणी-111 (स्व. वि. पोषित) "सी" कोंडली बरौली

1	2	3
6.	श्री वी. के. महाजन	श्रेणी-111 वसंत कुंज
7.	श्री सुरेन्दर जीत	—वही—
8.	श्री भरत टंडन	654, पॉकिट ई, त्रिलोकपुरी
9.	संजय मेहता	श्रेणी-111 वसंत कुंज
10.	श्री एस. के. मेहरा	सरिता विहार (48, पॉकिट एच)
11.	श्रीमती मंजू कुमार	348, पॉकिट एफ, सरिता विहार
12.	श्री एल. एस. पचौरी	श्रेणी-111 एफ. एफ. सेक्टर-जी, कोंडली
13.	श्री हितेन भैया	4090-ए, ग्राउंड फ्लोर, सी-4, वसंत कुंज
14.	श्री विनोद सेना	दूसरी मंजिल/सेक्टर-जी/जी/कोंडली
15.	प्रमिला गुप्ता	पहली मंजिल/सेक्टर-जी/कोंडली
16.	कामिनी थुस्सू	ग्राउंड फ्लोर/सेक्टर-जी/कोंडली
17.	शुचमा कालिया	186, पॉकिट-ई, त्रिलोकपुरी

विवरण-2

क्रम सं.	आबटी का नाम	प्लॉट सं./क्षेत्र जहां आबंटन किया गया है
1.	श्रीमती पुष्पा गुप्ता	सरिता विहार
2.	श्री गोपाल दास	—वही—
3.	श्री रोसम्मा जोसफ	वसंत कुंज
4.	श्री एम. जे. एस. पन्नु	—वही—
5.	श्रीमती भारतीय शर्मा	सरिता विहार
6.	श्रीमती कमलेश मित्तल	वसंत कुंज
7.	श्री सतिन्दर बग्गा	—वही—
8.	श्री सुखदेव बरार	—वही—

गोस्टी आनंतपुर (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

6234. श्री अनन्त वेंकट रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की ओर से गोस्टी, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी, अनन्तपुर में 1991-92 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सरकारी अस्पतालों में टेलीफोन सुविधाएं

[हिन्दी]

6235. श्री फूलचन्द वर्मा :

डा. जी. एल. कनोजिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मुफ्त टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिठार्थ) : (क) और (ख) सरकार ने सारे देश में सभी जिला अस्पतालों और शहरों में मुख्य अस्पतालों में केवल लोकल काल सुविधाओं वाली निःशुल्क टेलीफोन सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये टेलीफोन अस्पतालों के आपातकालीन/केजुअल्टी वार्डों के नजदीक प्रदान किए जा रहे हैं।

मानव शरीर के अंगों का प्रतिरोपण

[अनुवाद]

6236. श्री तेज नारायणसिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव शारीरिक अंगों के प्रतिरोपण के मामलों में भारत एक सस्ते बाजार के रूप में तेजी से उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान भारत की यात्रा पर आए विदेशियों की संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे अमानवीय व्यापार को बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मानव अंगों का गैर कानूनी व्यापार हो रहा है। इस उद्देश्य के लिए भारत आने वाले विदेशियों के कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, देश में मानव अंगों के व्यापार को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार व्यापक कानून बनाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है जो देश भर में लागू होगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य मानव अंगों और उत्तकों के प्रयोग तथा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उनके दान को विनियमित करना है।

पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राजसहायता देने पर व्यय की गई धनराशि

62.7. श्री पी. पी. कालियापेरुमल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राजसहायता देने की योजना के अन्तर्गत राज्यवार तथा भाषावार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लेखक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तमिल भाषा में प्रकाशित कितनी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राजसहायता दी गई ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुस्तकों के सस्ते प्रकाशन की योजना के अन्तर्गत प्रकाशकों को आर्थिक सहायता और लेखकों को रायल्टी पर 9,11 679.00 रुपए की राशि खर्च की गई है। राज्यवार और भाषावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अब तक इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले लेखकों की संख्या 6030 है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में तमिल पुस्तकों के लिए 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 2 को अनुमोदित किया गया है और एक को रद्द कर दिया गया है। समीक्षा रिपोर्टों के अभाव के कारण शेष तीन शीर्षकों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं.	वर्ष	प्रकाशकों को आर्थिक सहायता और लेखकों को रायल्टी पर किया गया व्यय	भाषावार व्यय		राज्यवार व्यय	
			भाषा	व्यय	राज्य	व्यय (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1988-89	3,34,267.00	अंग्रेजी	2,91,200.00	दिल्ली	2,67,083.00
			हिन्दी	43,067.00	उत्तर प्रदेश	39,721.00
					राजस्थान	13,969.00
					गुजरात	13,494.00
2.	1989-90	3,56,342.00	अंग्रेजी	3,56,342.00	दिल्ली	2,91,345.00
					पंजाब	26,978.00
					महाराष्ट्र	18,900.00
					तमिलनाडु	19,119.00
3.	1990-91	2,21,070.00	अंग्रेजी	3,05,034.00	दिल्ली	1,07,304.00
			हिन्दी	16,036.00	उत्तर प्रदेश	22,140.00
					राजस्थान	5,7,94.00
					कर्नाटक	34,795.00
					महाराष्ट्र	51,037.00

कुल	9,11,679.00	अंग्रेजी	8,52,576.00	दिल्ली	6,65,732.00
		हिन्दी	59,103.00	उत्तर प्रदेश	51,861.00
				राजस्थान	19,763.10
				गुजरात	14,494.00
				पंजाब	26,978.00
				महाराष्ट्र	69,937.00
				तमिलनाडु	19,119.00
				कर्नाटक	34,795.00

सिवान में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने में विलम्ब

6238. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सिवान जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इसके लिए स्थान का निरीक्षण करने तथा भवन का चयन करने जैसी प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विद्यालय को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निरीक्षण पर यह पता लगा कि इस समय प्रस्तावित स्थल पर भूमि उपलब्ध नहीं है।

चण्डीगढ़ में नया अस्पताल खोलना

6239. श्री पवन कुमार बंसल

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि चिकित्सा की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ में एक नए अस्पताल की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) नए अस्पताल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा और यह कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. जाराबेती सिंठाच) : (क) से (ग) सूचना चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया दिया जाएगा।

दरभंगा, बिहार में एक कैन्सर यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव

[हिन्दी]

6240. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के दरभंगा जिले में एक केन्सर इकाई यूनिट की स्थापना करने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने की संभावना है और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) उक्त कैन्सर यूनिट में कब से काम आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार ने मेडिकल कालेज, दरभंगा के आनकालाजी विंग के विकास के लिए 50 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।

(ग) और (घ) सूचना को जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की पद्धति पर संस्थान स्थापित करना

6241. श्री गोविन्द राम निषाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की पद्धति पर संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी नहीं, चूंकि संविधान के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य और अस्पताल आदि राज्य का विषय है, अतः प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा संस्थान स्थापित करना सम्भव नहीं है।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

6242. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) चालू वर्ष के दौरान कल्याण के क्षेत्र में और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को कितनी सहायता दी गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में विद्यमान नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) परिवार कल्याण क्षेत्र की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों और संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से दी जाती है। इन योजनाओं में प्रयोगेतर कार्यक्रम योजना, नसबंदी योजना, शहरी सुधार योजना और जननेता शिविर योजना शामिल हैं। इन योजनाओं को सरकारी संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों की संस्थाओं के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारें और संघराज्य क्षेत्र प्रशासन अनुमोदित प्रतिमान के अनुसार स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करती है वैसे, योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान रिलीज की गई धनराशियों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समय इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में ऐसे किसी संशोधन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण-

क्रम सं.	योजना का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान रिलीज की गई राशि	
		1985-86	1986-87
1.	प्रायोगिक/नई परियोजना (इकोवा समेत) योजना	50,33,957	99,98,219
2.	स्वास्थ्य के निजी स्वयंसेवी संगठन	1,50,14,350	2,26,38,799
3.	जनसंख्या अनुसंधान/सर्वेक्षण	12 91,600	12,21,796
4.	जन शिक्षा	88,375	25,000

गुजरात में ग्रामीण अस्पतालों के लिए विश्व बैंक से सहायता

6243. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में ग्रामीण अस्पतालों के विकास के के लिए विश्व बैंक से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में आदिवासियों के लिए कार्यक्रम

6244. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के रांची डिवीजन में आदिवासी बहुत क्षेत्रों में आदिवासियों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किए गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों पर अप्रैल, 1989 से मार्च, 1991 तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या स्वीकृत की गई धनराशि को सही ढंग से खर्च नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (टाइसेम) एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1979 को आरम्भ की गई थी ताकि उन्हें कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, उद्योगों सेवाओं, कार्य व्यापार के क्षेत्र में स्व: रोजगार आरम्भ करने योग्य बनाया जा सके। वास्तविक और वित्तीय प्रगति के जिला वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, बिहार राज्य के सम्बन्ध में प्रगति निम्न प्रकार है :—

क. वास्तविक	1989-90	1990-91
1. प्रशिक्षित किये गए युवकों की कुल संख्या	21691	21734
2. प्रशिक्षित किये गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति युवकों की संख्या	11464	9275
3. स्वरोजगार में लगे युवकों की संख्या	10612	9213
4 वेतन पर रोजगार प्राप्त युवकों की संख्या	655	1737
5. कुल रोजगार प्राप्त	11267	10950
ख. वित्तीय		
किया गया व्यय (रुपये लाखों में)	277.25	सूचित नहीं किया गया।

1990-91 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवकों की कवरेज बढ़ाकर 50% कर दी गई है। इसी प्रकार महिलाओं की न्यूनतम कवरेज बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।

बिहार में नेहरू युवक केन्द्र

[अनुवाद]

6245. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने नेहरू युवक केन्द्र है, वे कहां-कहां स्थित हैं और उनके अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में उक्त प्रत्येक केन्द्र पर, वर्षवार, वास्तव में कितना व्यय किया गया;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन केन्द्रों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष, केन्द्रवार, अनुमानत: कितने युवाओं से सम्पर्क स्थापित किया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विभाग विकास विभाग में राज्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी) : (क) बिहार राज्य के 39 नेहरू युवा केन्द्र हैं। प्रत्येक केन्द्र जिले की सीमा के अन्दर मार्गदर्शी उपरेखाओं के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है। बिहार में केन्द्रों के स्थान तथा पूर्ण पते संलग्न विवरण-I पर दिये गये हैं।

(ख) 1988-89 के दौरान बिहार राज्य के केन्द्रों द्वारा 63.55 लाख रुपये खर्च किये गये। इस व्यय का केन्द्र-वार ब्योरा संलग्न विवरण-2 पर दिया गया है।

1989-90 के दौरान बिहार राज्य के लिए 71.03 लाख रुपये का व्यय हुआ। बिहार राज्य के प्रत्येक केन्द्र द्वारा किया गया यह व्यय भी अनुबन्ध-II पर दिया गया है।

1990-91 के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए कार्यक्रमों हेतु 17,50,000/-रु. की धनराशि जारी की गई थी। चूंकि अभी 90-91 के खातों का संकलन नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्येक केन्द्र पर हुआ वास्तविक व्यय ज्ञात नहीं है। इसे बाद में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष की कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक केन्द्र के नियमित कार्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

(घ) 1990-91 के दौरान बिहार के 39 नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 18196 युवाओं ने भाग लिया। 1988-89 तथा 1989-90 के तदनुरूपी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इन तीन वर्षों के केन्द्रवार आंकड़े संकलित किए जा रही हैं और इन्हें बाद में प्रस्तुत किया जायेगा।

विवरण-I

बिहार

1. नेहरू युवा केन्द्र,
गैस लाल चौक पुरानी सुतरी पो.
बेतिया,
बेतिया, बिहार-845438.
2. नेहरू युवा केन्द्र,
शंकर सरदार
मोहल्ला भावनदास
पो. लाल बाग
दरभंगा, बिहार-846004.
3. नेहरू युवा केन्द्र,
प्रथम तल, राजहंस प्रैस,
आर. डी. एण्ड डी. जे. कालेज रोड,
मुंगेर, बिहार-811201.
4. नेहरू युवा केन्द्र,
रैनबो हाऊस,
सर्किट हाऊस के पास,
बलतांगंज (पालम्),
बिहार-822101.

5. नेहरू युवा केन्द्र,
बाल भारती स्कूल के पास
सिविल लाइन्स, सासाराम,
रोहतास, बिहार-821115.

6. नेहरू युवा केन्द्र,
एस. एम. पी. द्विवेदी रोड,
नया बाजार चौक भागलपुर,
बिहार-812003.

7. नेहरू युवा केन्द्र,
जय प्रकाश नगर,
भारतवीवस स्टैंड के पीछे,
धनबाद, बिहार-826001.

8. नेहरू युवा केन्द्र,
बिन्दा बाबू लेन,
नया टोला,
मुजफ्फरपुर, बिहार-842001.

9. नेहरू युवा केन्द्र,
एम. आई जी. 55,
चाणक्यपुरी कालोनी,
कतारी हिल रोड,
नया, बिहार-823001.

10 नेहरू युवा केन्द्र,
सहरसा,
बिहार-852201.

11. नेहरू युवा केन्द्र,
मंजू महल कणकपुरी,
पो. आरा ह,
भोजपुर, बिहार-802301.

12. नेहरू युवा केन्द्र,
आफिसर कालोनी,
मिर्चा बाड़ी,
कटिहार, बिहार-854415.

13. नेहरू युवा केन्द्र
बेलवाना,
पूर्वी चम्पारन
मोतीहारी
बिहार-845401

14. नेहरू युवा केन्द्र,
मोइनूल हक स्टेडियम,
राजेन्द्र नगर, पटना,
बिहार-800016.

15. नेहरू युवा केन्द्र,
काशीपुर,
समस्तीपुर,
बिहार-848101

16. नेहरू युवा केन्द्र,
दहियावान,
पश्चिमी मेहमूद चौक,
सारा, बिहार-841301.

17. नेहरू युवा केन्द्र,
फ्लैट नं. डब्ल्यू-2, शांति बिल्डिंग,
पो. एन. बोस कम्पाऊंड,
राँची, बिहार-834001.

18. नेहरू युवा केन्द्र,
खण्डक पार्क,
बिहार शरीफ,
नालन्दा, बिहार-803101

19 नेहरू युवा केन्द्र,
इन्दिरा गांधी स्टेडियम,
पूर्निया, बिहार-854301.

20 नेहरू युवा केन्द्र,
न्यू कृष्ण नगर कालोनी,
कारमेल स्कूल के पीछे, गिरिडीह,
बिहार-815201.

21. नेहरू युवा केन्द्र,
गोपालगंज,
बिहार-841428.

22. नेहरु युवा केन्द्र,
हॉस्पिटल रोड़, आसानबाली,
गोड्डा, बिहार-814133.

23. नेहरु, युवा केन्द्र,
चुहा बागान पोस्ट,
दुमका, बिहार-814101.

24. नेहरु युवा केन्द्र,
जुल्लु पार्क, हजारी बाग,
बिहार-825301.

25. नेहरु युवा केन्द्र,
मिशन चौक,
लोहरडागा,
बिहार-835302.

26. नेहरु युवा केन्द्र,
पावर हाऊस रोड,
गछो टोला,
बेगुसराय, बिहार-851101.

27. नेहरु युवा केन्द्र,
जिलाधीश निवास के पास,
सर्कुलर रोड, डेहरी,
बिहार-814 113.

28. नेहरु युवा केन्द्र,
तुलसी निवास के पास'
डुंगरी खैबगा, सिंहभूम,
बिहार-833201.

29. नेहरु युवा केन्द्र,
त्रिमूर्ति,भवन
महरगंज रोड, औरगाबाद,
बिहार-824101.

30. नेहरु युवा केन्द्र,
गोशाला रोड, पो. संहोली,
हाजीपुर (उत्तर),
खगरिया, बिहार-851204.

31. नेहरु युवा केन्द्र,
मदई चौक, हाजीपुर,
वैशाली, बिहार-844123.

32. नेहरु युवा केन्द्र,
मनिग्रा हाऊस, वार्ड नं. 1,
माधेपुर, बिहार-852113.

33. नेहरु युवा केन्द्र,
फतेहपुर,
सरहरण रोड़, सिवां,
बिहार-841226.

34. नेहरु युवा केन्द्र,
बाजार समिति काम्पलैक्स,
चंनपुर रोड़, गुमला,
बिहार-835207.

35. नेहरु युवा केन्द्र,
गांधी मैदान,
जहांनाबाद,
बिहार-804408.

36. नेहरु युवा केन्द्र,
गोपाल पूल के पास,
पो. जिला साहिब गंज,
साहिबगंज, बिहार-816109.

37. नेहरु युवा केन्द्र,
सर्किट हाऊस के उत्तर में,
मधुबनी,
बिहार-847211.

38. नेहरु युवा केन्द्र,
राजोपट्टी, दूमरा रोड़,
सीतामढ़ी, बिहार-843301.

39 नेहरु युवा केन्द्र,
राम नगर,
जिलाधीश निवास के पास,
नवादा, बिहार-805110.

विवरण-2

1988-89 तथा 1989-90 के दौरान बिहार राज्य के नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम धनराशि का उपयोग

जिला	1988-89 उपयोग की गई धनराशि (रुपये)	1989-90 उपयोग की गई धनराशि (रुपये)
1	2	3
पश्चिमी चम्पारन	188,497	133,100
भागलपुर	199,609	198,434
भोजपुर	203,186	178,579
छपरा	146,578	177,193
दरभंगा	324,334	234,637
धनबाद	139,800	141,718
कटिहार	198,734	176 494
रांची	556,692	194 251
मुंगेर	198,158	272,710
मुजफ्फरपुर	251,715	327,814
मोतीहार	177,944	126,474
नालन्दा	172,962	168,487
पलामू	299,895	164,796
गया	185,887	172,281
पटना	214,144	180,328
पुर्निया	228,053	175,012
रोहतास	176,588	193,850
सहरसा	115,050	29 370
समस्तीपुर	94,427	177,186
सिरिम	195,676	158,032
गोपालगंज	136,697	181,022
बेगुसराय	868,989	105,401
वैशाली	146,949	113,623

1	2	3
साहिबगंज	91,781	169,839
सोढ़ा	130,769	125,588
देवघर	42,731	34,101
माधेपुरा	6,955	159,389
मधूबनी	180,747	197,022
दुमका	62,179	103,844
सिंहभूम	84,180	666,607
सिवान	121,866	139,650
सीतामढ़ी	136,584	159,054
हजारीबाग	176,991	203,550
औरंगाबाद	194,449	152,503
गुमला	155,879	121,915
नवादा	141,666	178,550
लोहारडागा	84,019	1187,86
खगारिया	15,000	102,308
जहानाबाद	शून्य	
कुल	6,355,260	6,103,705

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

6246 श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 12 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं 2650 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा वर्ष-वार शीर्षक सहित अंग्रेजी हिन्दी और उर्दू में अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ख) नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने गठन के समय से ही लेखक, प्रकाशक और भाषा के नाम सहित किन-किन पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) बच्चों के लिए कितनी पुस्तकों हेतु वित्तीय सहायता दी गयी;

(घ) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा वर्ष-वार शीर्षे पुस्तकों की कितनी प्रतियां प्रकाशित की गयी और 31 मार्च, 1991 तक उनका कितना स्टाक था; और

(ङ) नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इसके शुरु होने से लेकर 31 मार्च, 1986 तक 3101

1986-87	146
1987-88	107
1988-89	448
1990-91 (अलेखापरीक्षित)	679
कुल	5432

अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू की मूल पुस्तकें/अनुवाद/संशोधित संस्करणों को दर्शाने वाला एक विवरण समापटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) एक विवरण समापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) बाल पुस्तकों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध करने हेतु अभी हाल ही में शुरु की गई अन्वेषणात्मक योजना के अन्तर्गत अब तक एक पुस्तक प्रकाशित की गई है।

(घ) इसके शुरू होने से लेकर 31 मार्च, 1986 तक 14529597

1986-87	6111178
1987-88	815347
1988-89	3043974
1989-90	8204416
1990-91 (अलेखापरीक्षित)	3659354
कुल	3,08,68,866

31 मार्च, 1991 को स्टाक में 45,14 499

(ङ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तकों की बिक्री को प्रोन्नत करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप अब बिक्री संतोषजनक है :

(क) नियमित रूप से सूची और अन्य प्रोन्नत सामग्री प्रकाशित करना;

(ख) प्रमुख समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में समीक्षा हेतु विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तकें भेजना,

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का न्यूजलेटर उन सभी भाषाओं में प्रकाशित करना जिनमें

न्यास द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और ये विभिन्न वर्गों को भेजना जैसे पुस्तकालयों स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं, स्वैच्छिक एजेंसियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, नीति निर्माताओं प्रकाशकों, पुस्तकों, पुस्तक विक्रेताओं इत्यादि,

(घ) अंग्रेजी सहित 13 भारतीय भाषाओं में प्रमुख समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में सुनिर्मित विज्ञापन जारी करके राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तकों के लिए मांग उत्पन्न करना,

(ङ) सुनियोजित आधार पर भारी संख्या में स्थाई आर्डर के ग्राहकों को नियुक्त करना, ताकि सभी भाषायी क्षेत्रों को समुचित ढंग से शामिल किया जा सके।

(च) आर्डर बुक करने के लिए अलग-अलग पुस्तक विक्रेताओं के पास नियमित आधार पर जाने के लिए बिक्री प्रोन्नत प्रतिनिधियों और बिक्री प्रोन्नत एजेन्टों को भेजना,

(छ) बिलोनों, लेखन सामग्री, पत्रिकाओं इत्यादि के दुकानदारों के जरिए पूर्व-स्कूल पुस्तकों की बिक्री की संभावना का पता लगाना;

(ज) रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों/संगठनों इत्यादि को प्रदर्शन स्थानों में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशकों को प्रदर्शित करना;

(झ) उन राज्य और केन्द्र सरकारी निकायों जिनके पास इसे प्रोन्नत करने के साधन हैं को कनसाईनमेन्ट आधार पर पुस्तकें मुहैया करना;

(ञ) न्यास के प्रदर्शन वाहनों के दौरों को समुचित ढंग से नियोजित और समन्वित करके इनसे अधिक से अधिक लाभ उठाना।

(ट) सभी प्रमुख पुस्तक मेलों/उत्सवों में भाग लेकर और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 50 पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(ठ) लेखक से भेंट/पुस्तक विमोचन/साक्षरता कार्यक्रम/समारोह आयोजित करने के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों को प्रोन्नत करने के लिए कदम उठाना।

हुडको की सहायता से महाराष्ट्र में आवास परियोजनाएं

6247. श्री जम्मा जोशी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महाराष्ट्र के पुणे शहर की आवास की समस्या को हल करने के लिए हुडको के विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र राज्य से सम्बन्धित कौन-कौन से प्रस्ताव हुडको के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) हुडको के प्रारम्भ से 30.6.91 तक इसने पूणे शहर के लिए 42 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ये परियोजनाएं हुडको की 34.70 करोड़ रुपये की वचनबद्धता सहित 54.39 करोड़ रुपये के लागत की है। ये परियोजनाएं 16088 रिहायशी एकक और 2219 विकसित प्लाट मुहैया करेंगी हुडको की पाइप लाइन में इस समय पुणे से कोई आवास योजना नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र में विभिन्न अभिकरणों से 15.74 करोड़ रुपये की ऋण राशि की आवास योजनाएं हुडको के अनुमोदन/स्वीकृति के विभिन्न स्तरों में है।

महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय

6248. श्री अन्ना जोशी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, जिले-वार, कितने नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में अध्यापकों और गैर-अध्यापक कर्मचारियों के सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं; और

(ग) इन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जो किराये के तथा दान दिये गये भवनों में चल रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) अभी तक महाराष्ट्र राज्य में 20 नवोदय विद्यालय खोले गये हैं जिनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) महाराष्ट्र में किराये पर लिए गए तथा दान दिए गए भवनों में कार्य कर रहे विद्यालयों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. औरंगाबाद
2. बीड़
3. थाने
4. धुले
5. जलगांव
6. नासिक
7. वरधा
8. भंडारा
9. यावतमल
10. परभानी
11. चन्द्रापुर

विवरण

उन जिलों की सूची जहां महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

1. अमरावती
2. नागपुर

3. बुलढाना
4. चंद्रपुर
5. गढ़चिरोली
6. नान्देड़
7. ओसमानाबाद
8. बीड़
9. थाने
10. धुले
11. जलगांव
12. नासिक
13. भंडारा
14. वरधा
15. यावतमल
16. अहमदनगर
17. जालना
18. परभानी
19. चन्द्रापुर
20. सांगली

महाराष्ट्र में शहरी प्राथमिक सेवा

6249. श्री अन्ना जोशी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में शहरी मूल-सेवा योजना के अन्तर्गत विकसित शहरों का ब्योरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र उक्त योजना को लागू करने के लिए चुने गए शहरों का ब्योरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. सत्यनारायणन) : (क) वर्ष 1986-90 के दौरान रत्नगिरी जिले के खेड़, चिपलन, राजापुर और रत्नगिरी के नगर परिषदों और सिन्धु दुर्ग जिले के मालवन, सावन्त वाडी और वेनगुरला के नगर परिषदों में शहरी मूलभूत सेवाओं की योजना कार्यान्वित की गई थी।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए 1.4.91 से आरम्भ की गई शहरी मूलभूत सेवाओं की संशोधित योजना के निम्नलिखित 15 नगरों का चयन किया है :—

1. परभनी 2. बीड 3. चन्द्रापुर 4. उस्मानाबाद 5. अकोला 6. धुले 7. मेले गांव 8. मनमाड 9. भान्द्रा 10. गोण्डिया 11. भुसावल 12. वासी गांव 13. जालना 14. लातुर 15. चोपडा ।

इस योजना के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान राज्य के लिए 18० लाख रु. का अन्तरित नियतन किया गया है ।

त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण को "हुडको" की सहायता

6250. श्री कोडडीकुनील :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण ने वित्तीय सहायता हेतु "हुडको" को कोई योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) "हुडको" द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1990 और 1991 के दौरान त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई निम्नलिखित योजनाएं हुडको द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ।

क्र. सं.	योजना का नाम	ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
1.	बुनियादी स्वच्छता योजना (1750 शुल्क शौचालयों का रुपान्तरण)	38.39
2.	केशवदास पुरम का वाणिज्यिक परिसर	200.00

ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अलावा त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण से प्राप्त निम्नलिखित तीन योजनाओं पर उनके मानकों और मार्गदर्शनों के अनुसार हुडको में विचार किया जा रहा है :—

क्र. सं.	योजना का नाम	एजेन्सी द्वारा मांगी गई ऋण धन की राशि (लाख रुपयों में)
1.	शहरी अवसंरचना योजना	225.00
2.	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज के निकट रैन बसेरो और विश्राम संकेय का निर्माण	29.76
3.	पलायम, त्रिवेन्द्रम में वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	200.00

इन योजनाओं की मंजूरी हुडको द्वारा तय किए गए ऋण देने के मानदण्डों के अनुसार ठीक पाए जाने पर और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए केरल को सहायता प्रदान करना

6251. श्री कोड्डीकुनील सुरेश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा केरल को प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डा. के तारादेवी सिद्धार्थ) (क) हाल ही में केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नर्सिंग विश्वविद्यालय

6252. श्री कोड्डीकुनील सुरेश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में नर्सिंग विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) क्या केरल सरकार ने भी केरल में नर्सिंग विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केरल में इसकी स्थापना कब तक की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1991-92 के दौरान खेलों का विकास

6253 श्री कोड्डीकुनील सुरेश :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान खेलों के विकास हेतु नई योजनाएं तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कोई खेल नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) अनेक चल रही योजनाएं 1991-92 में भी निरन्तर रूप से जारी है। "महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों में खेल संस्कृति के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान" की योजना को मार्च, 1991 में मंजूरी दी गई है तथा यह 1991-92 के दौरान कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खेल नीति पर एक संकल्प सरकार द्वारा पहले ही अंगीकृत किया जा चुका है, जिसे 21 अगस्त, 1984 को संसद के दोनों सभा पटलों पर रखा गया था।

'आंध्र प्रदेश में निम्न आयवर्ग आवासों के लिए वन भूमि'

6254. श्री के. वी. आर. चौधरी।

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में राजमुन्दरी के निकट की वन भूमि निम्न आय वर्ग के आवासों के निर्माण के लिए देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय विद्यालयों में बिगड़ता हुआ स्तर

[हिन्दी]

6255. श्री उपेंद्र नाथ वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा और अन्य विद्यालयों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्तर में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी, कार्य मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में कुल मिलाकर गिरावट के संकेत नहीं हैं, जैसा कि शैक्षिक निष्पादन से प्रतिबिम्बित होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"सी. ए. जी. क्लेम्स डीडीए फार स्लैकनेस" शीर्षक समाचार

[अनुवाद]

6256. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "डी. ए. जी. क्लेम्स डी. डी. ए. फार स्लैकनेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में काम में ढील करने सम्बंधी किन-किन प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला है और इस प्रकार की काहिली को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही गई है ;

(ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने डी. डी. ए. के कामकाज के बारे में इससे पूर्व भी कितनी बार प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ;

(घ) डी. डी ए. के कामकाज और क्रियाकलापों में व्यापक सुधार न करने के क्या कारण है ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी. डी. ए को लेखा परीक्षा सम्बन्धी कितने टिप्पण मिले और उन पर क्या कार्रवाई की गयी ? और

(च) लेखा परीक्षा सम्बन्धी कितने टिप्पणों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गयी है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य मुद्दे और उस पर की गई कार्रवाई की संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वसंत कुंज में फ्लैटों के आवंटन के लिए स्व-वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना पर नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य मुद्दे।

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ किये गये आवास क्रिया-कलाप की गति निर्धारित कार्यक्रम से पीछे थी।

(ii) विद्युत और निर्माण प्रभागों के बीच में अपर्याप्त समन्वय।

(iii) विन्यास नक्शे और संरचनात्मक नक्शे तैयार करने में विलम्ब।

(iv) निर्धारित सामग्री की अल्प-आपूर्ति।

(v) बिल्डियों की कमी।

(vi) दिल्ली नगर निगम की ओर से सेवा स्कीमों के अनुमोदन में विलम्ब।

(vii) पानी की कमी।

(viii) फ्लैटों को पूरा करने और उनके आवंटन में विलम्ब।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वसन्त कुंज में आवास योजनाओं को

शीघ्र पूरा करने और सुविधाएं मुहैया करने के लिए हर संभव कार्रवाई की गई थी। यह सूचित किया गया है कि जलापूर्ति मुहैया करने में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि दिल्ली नगर निगम निर्धारित स्थल पर एवं जलापूर्ति मुहैया कराने में असफल रहा था।

अत, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तक एक बड़ी लाइन बिछाई तथा एक बूस्टिंग स्टेशन स्थापित किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण को मौजूदा सप्लाई सिस्टम को जिला पार्क होज खास में दिल्ली नगर निगम के लिए गए पानी से जोड़ने के प्रयोजनार्थ पानी की एक बड़ी लाइन का एक अतिरिक्त टुकड़ा बिछाना अपेक्षित था। तथापि, फ्लैट पूरे होने से पूर्व सभी परिक्षेत्र लाइनें बिछाई गई थीं। फ्लैटों के छत स्तर तक बन जाते ही विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बजट प्राथमिकताओं के अनुसार समय-समय पर विधियां रिलीज की जाती हैं।

कतिपय अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, इस प्रकार के भारी सरकम निर्माण कार्य में यदा-कदा विलम्ब हो ही जाता है परन्तु, जब भी इस प्रकार के विलम्ब की अवधि 30 माह से अधिक हो जाती है, इस विलम्ब काल के दौरान आवंटितियों की जमा राशि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति करता है।

केरल में विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाली अनुदान धनराशि

6257. श्री टी. जे. अंजलोज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में विभिन्न विश्वविद्यालयों को दी गई अनुदान धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस अनुदान धनराशि में वृद्धि करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों को उनके सामान्य विकास और विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये अनुदान निम्नलिखित हैं :—

	(रु. लाखों में रुपये)
कालिकट विश्वविद्यालय	131.54
विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय	221 12
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	69.50
केरल विश्वविद्यालय	222.61

(ख) और (ग) आठवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के लिए विद्यालयों को दिये जाने

वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान की मात्रा, सम्भवतः सातवीं योजना अवधि के दौरान दिये गये अनुदान से कम नहीं होगी। तथापि, वास्तविक आवंटन कुल योजना आवंटन को ध्यान में रहते हुए किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में आवासों के लिए विश्व बैंक से सहायता

6258. श्री टी. जे. अंजलोस :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में आवास समस्या को दूर करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री. एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान

[हिन्दी]

6259. श्री राम टहल चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के किसने प्राचीन और दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों का रखरखाव किया जा रहा है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रतिवर्ष उनके रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

(घ) क्या पुरातत्व और पर्यटन विभाग ने इन स्थानों के बहुमुखी विकास हेतु कोई संयुक्त योजना बनायी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या क्रमशः 782 और 77 है, जो केन्द्रीय संरक्षण के अन्तर्गत हैं और जिनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रखरखाव किया जा रहा।

(ख) इनमें मंदिर, मस्जिदें, चर्च, इमामबारा, स्तूप, गुफाएं, मकबरे, कब्रिस्तान, किले, द्वार, महल, जलाशय, बावली, मूर्तियां, प्राचीन स्थल/पुरातत्वीय अवशेष इत्यादि शामिल हैं।

(ग) इन स्मारकों की संरचनात्मक मरम्मत और अनुरक्षण तथा कर्मचारियों के वेतन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धन राशि नीचे दी गई है :—

	संरचनात्मक अनुरक्षण और मरम्मत (राशि लाख रुपए में)		वेतन (राशि लाख रु. में)
	योजना	गैर योजना	
1988-89	72 58	43.66	143.60
1989-90	56 53	49.66	162.80
1990-91	62 45	63.96	170.38

(घ) और (ङ) केन्द्रीय संरक्षण के अधीन स्मारकों/स्थलों की मरम्मत और अनुरक्षण तथा इनके विकास का कार्य व्यवस्थित रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। तथापि अन्य अभिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों पर विचार किया जाता है। पुरातत्वीय सीमाओं से बाहर के क्षेत्र का विकास कार्य राज्य-सरकार से सम्बन्धित है।

नन्द नगरी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी

[अनुवाद]

4260. श्री पीयूष तीरकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री नन्द नगरी तथा शान्तीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नन्द नगरी, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने के लिये उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिये किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है ;

(ख) यदि कोई प्रयास किए गए हों, तो उनका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) नयी डिस्पेंसरी खोलने में असामान्य विलम्ब के कारण क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के कष्टों का निवारण करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिठार्थ) : (क) और (ख) नन्द नगरी में एक औषधालय खोलने के उपयुक्त स्थान के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में बारम्बार विज्ञापन देने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ फ्लेटों के आवंटन के लिए बारम्बार अनुरोध करने के बावजूद भी कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हो सका।

(ग) इस क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित प्राधिकृत चिकित्सकों से केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा

सकते हैं। इसी क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी साहदरा में स्थित निकटतम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सरोजिनी नगर में टाइप-तीन के सरकारी क्वार्टरों में सुविधाएं

6261. प्रो प्रेम चमल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में टाइप दो के क्वार्टरों को टाइप-तीन में बदल दिया है :

(ख) यदि हां, तो क्या टाइप-तीन क्वार्टरों में उपलब्ध सिंक, वाशबेसिन आदि जैसी सुविधाएं इन क्वार्टरों में भी उपलब्ध कराई गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का इन क्वार्टरों में भी उक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार है। और

(ङ) यदि हां, तो इन क्वार्टरों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कब तक कराई जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) चूंकि ये क्वार्टर मूल रूप में टाईप-II के रूप में निर्मित किए गए थे इसलिए सिंक, वास बेसिन आदि जैसी सुविधाएं इन क्वार्टरों में मुहैया नहीं की गई थी। विद्यमान निदेशों के अनुसार मनुमोदित मानदंड के आधार पर ऐसी सुविधाएं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर चरणबद्ध रूप से सभी क्वार्टरों में मुहैया की जानी है। तथापि, आवंटी प्राथमिकता पर अपने क्वार्टर में इन्हें मुहैया करवाना चाहता है तो उसे उसकी लागत का 10% वहन करना होगा जो अग्रिम में देय योग्य है। उसमे या उक्त भुगतान के बाद के आवंटी से आगे कोई प्रभारों की वसूली नहीं की जाएगी। ऐसे कार्य की लागत निर्धारित वार्षिक वित्तीय अधिकतम सीमा अर्थात् 1500/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ङ) उन क्वार्टरों के मामले में जिनमें आवंटितियों ने मई, 1991 से पूर्व अपेक्षित राशि जमा करा दी थी, मांगी गई सुविधायें मुहैया करा दी गई है तथा उन क्वार्टरो के सम्बन्ध में जिनमें आवटितियों ने 30.8.91 या उससे पूर्व भुगतान कर दिया है, उनमें ये सुविधाएं सितम्बर, 1991 के अन्त तक मुहैया करा दिये जाने की आशा है।

"गैर-वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि का उपयोग"

[हिन्दी]

6262. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान और जनवरी से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि में गैर वानिकी कार्यक्रमों के लिए कुल कितने वन क्षेत्र का उपयोग किया गया ;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र में से सिंचाई और वन बिजली परियोजनाओं के लिए कितने क्षेत्र का उपयोग किया गया ; और

(ग) क्या सिंचाई और पनबिजली परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र गैर वानिकी उपयोग तुलनात्मक रूप से कम है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान वनेत्तर कार्यक्रमों के लिए क्रमश: 18765.35 है. और 29365.05 हैक्टेयर (कुल 39, 130.40 है.) वन क्षेत्र को उपयोग में लाया गया। जनवरी और दिसम्बर, 1990 के बीच 1,38,5 1.33 है. वन भूमि को उपयोग में लाया गया।

(ख) सिंचाई और वन बिजली परियोजनाओं के लिए वर्ष 1988 और 89 के दौरान 26943 48 हैक्टेयर तथा 1990 के दौरान 789.12 हैक्टेयर क्षेत्र उपयोग में लाया गया।

(ग) आंकड़ों में भिन्नता इसलिए है कि राज्यों से हर वर्ष अलग-अलग श्रेणी की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

"साइलेंट वेली में वन-क्षेत्र"

[अनुवाद]

6263. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में साइलेंट वेली का कुल क्षेत्रफल कितना है और उसके कितने भाग में वन क्षेत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक भू-सर्वेक्षण, उपग्रह तथा विमान द्वारा किए गए फोटो चित्रों के आधार पर साइलेंट वेली के कितने क्षेत्र में वन थे;

(ग) क्या साइलेंट वेली में वन क्षेत्र कम होता जा रहा है; और

(घ) साइलेंट वेली में वन क्षेत्र की सघनता कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) शान्त घाटी का कुल क्षेत्रफल 89.52 वर्ग कि. मी. (8952 हे०) है, जिसमें से 81 वर्ग कि मी. में घने वन हैं।

(ख) शान्त घाटी में वन आवरण के सम्बन्ध में पिछले 3 सालों के दौरान कोई वास्तविक भूमि सर्वेक्षण अथवा हवाई जहाज के लिए गए चित्रों द्वारा विवेचन नहीं किया गया। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1985-87 के उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के आधार पर किये गये आकलन के अनुसार शान्त घाटी में 81 वर्ग किमी. क्षेत्र में घने वन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1985-87 के उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के आधार पर किये गये आकलन के अनुसार शान्त घाटी में वन आवरण का घनत्व इस प्रकार है :—

(1) घने वन (40 प्रतिशत से अधिक सघनता) 81 वर्ग किमी. है।

(2) खुले वन (10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक सघनता) कोई नहीं है।

(3) झाड़ियां (10 से 10 प्रतिशत तक सघनता) 3 वर्ग किमी. है।

नर्सिंग शिक्षा के लिए संस्थान

6264. श्री पी. सी. थामस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार देश में और अधिक नर्सिंग शिक्षा संस्थाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार का विचार गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से (ग) देश में नर्सिंग शिक्षा संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के आधिक्य वाले राज्यों में 10 नर्सिंग विद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार की सहायता देने के लिए 1991-92 के दौरान 65 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। तथापि, पूंजीगत व्यय संबंधित राज्य को वहन करना होगा।

बाल श्रम संबंधी गुरुपदस्वामी समिति

[हिन्दी]

6265. डा जयन्त रंगपी :

क्या श्रम मंत्री 27 दिसम्बर, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बाल श्रम संबंधी गुरुपदस्वामी समिति की पूर्ण आख्या संशोधित रूप में स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : बाल श्रम सम्बन्धी गुरुपदस्वामी समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुपालन में उठाये गये कदमों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

(1) श्रम मंत्रालय में एक बाल श्रम सेल की स्थापना की गई है।

(2) केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन बाल श्रम को उत्तरोत्तर रूप से समाप्त करने के लिये उठाये गये कदमों पर सरकार को सलाह देने के लिये किया गया है।

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 बनाया गया है जिसके द्वारा :—

(i) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कुछ विशिष्ट व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध किया गया है;

(ii) जिन नियोजनों में बाल श्रमिकों का काम करना निषिद्ध नहीं किया गया है उसमें बाल श्रमिकों की कार्यदशाओं कार्य पर्यावरण को विनियमित किया जाता है।

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बागान श्रम अधिनियम, 1951 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में बाल श्रमिकों की परिभाषा (ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 14 वर्ष से कम का हो) में एक रूपता लायी गई है;

(iV) सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय में अधिनियम के अंतर्गत किये गये किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति को शिकायत दायर करने का अधिकार दिया गया है;

(V) बाल श्रम से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिये कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये शास्तियां कारखाना अधिनियम, 1948 खान अधिनियम, 1952 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में नियोजन में प्रवेश के लिये निम्न उम्र सीमा के प्रावधानों के उल्लंघन पर लागू होती हैं।

(4) भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने बाल तथा महिला श्रमिकों से संबंधित कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्यों के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना प्रारम्भ की है।

(5) कामकाजी बालकों की आवश्यकताओं के बारे में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रम संघों तथा नियोजकों के संगठनों के साथ बातचीत शुरू की गई है।

(6) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए समय समय पर सलाह दिया जाता है।

(7) शिक्षा विभाग ने स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से अनेक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं।

(8) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1 87 तैयार करते समय समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है।

(9) स्वयंसेवी संगठनों को बाल श्रमिकों के लाभ के उद्देश्य से चलाई जा रही कार्योन्मुख परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(10) बाल श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सरकार को उस सूची में उन व्यवसायों तथा क्रियाओं को शामिल करने के लिए सलाह देने के उद्देश्य से एक "बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति" का गठन किया गया है।

सरकारी क्वार्टरों का रियायती दर पर आवंटन

6266. डा. अनंत रंगवी :

क्या शहरी विकास मंत्री 27 दिसम्बर, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मांगी गयी सूचना मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	दखलकार का नाम	मकान नं.	श्रेणी	अपशिष्ट शुल्क की दर	आवंटन की तारीख	31.7.89 तक बकाया देय
1	2	3	4	5	6	7
	श्री श्रीमती					
1.	मनमोहिनी महल	डी-11/69 पण्डारा रोड	प्रथम तल	45-ए	9.1.81	1,747.00 रु.
2.	शिवदत्त उपाध्याय	ए-117, पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	10.8.81	शून्य
3.	एच डी मालवीय	डी-11/44, काका नगर	—वही—	—वही—	21.5.81	253.00
4.	एस. एन. मिश्रा	ए-23/131, लोधी रोड	—वही—	—वही—	23.9.92	513.00
5.	जी. एन. सिंह	ए-23/159, लोधी रोड	—वही—	—वही—	12.4.83	शून्य
6.	कौशल्या देवी	222, लक्ष्मीबाई नगर		—वही—	21.1.84	शून्य
7.	हरी किशोर ठाकुर	बी-59, पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	31.1.84	258.00
8.	काशी राम	9-बी टेलीग्राफ लेन	—वही—	—वही—	5.12.83	1,399.00
9.	शकुन्तला देवी	756-लक्ष्मीबाई नगर	—वही—	—वही—	24.2.84	126.00
10.	मि. विजय नारायण सिंह	जी-187 (1747) नानकपुरा	—वही—	—वही—	25.2.84	484.00
11.	सैयद मीर कासिम	ए-21/87 लोधी रोड	—वही—	—वही—	6.3.85	शून्य
12.	बालमिकी चौधरी	ए-119 पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	13.6.84	शून्य
13.	अर्जुन सिंह भदोरिया	सी-221 नानकपुरा	—वही—	—वही—	21.3.85	345.00

14.	मधु निमवे	बी-11 पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	13.5.85	शून्य
15.	रामायण राव	40 सीमलबाग अपार्टमेंट	—वही—	—वही—	21.8 85	7,019.00
16.	बी. एस. दरबार	ए-23/21, मोझी रोड	—वही—	—वही—	24.8.85	शून्य
17.	एच. एन. बहुगुणा	ए-21/93—वही—	—वही—	—वही—	6.12.85	मृत्यु हो गई है और मंसूखी आदेश अभी अपेक्षित हैं।
18.	सुभद्रा जोशी	आई 11/27 काका नगर	—वही—	—वही—	6.8.86	292.00
19.	इन्द्रदीप सिंह	ए-265 पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	7.11.86	शून्य
20.	तुलमोहन राम	ई-139 नानकपुरा	प्रथम तल	45-ए	8.12.86	575.00
21.	बी. डी. जत्ती	एबी-2 डा. जाकिर हुसेन मार्ग	—वही—	—वही—	7.10.86	शून्य
22.	जैनेंद्र कुमार जैन	डी-1/35 भारती नगर	—वही—	—वही—	30.6.87	मृत्यु हो गई है और मंसूखी आदेश अभी अपेक्षित है।
23.	लक्ष्मी नारायण शुक्ला	337-लक्ष्मीबाई नगर	—वही—	—वही—	30.7.87	शून्य
24.	जोवेन्द्र झा	8-88 पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	7.8.87	शून्य
25.	सादिक अली	ए-23/139 मोती कालोनी	—वही—	—वही—	10.8 87	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
26.	राखी वर्मा	एस-4/343 आर. के. पुरम	—वही—	—वही—	6.4.88	शून्य
27.	ब्रह्म प्रकाश	से. 12/1145 आर. के. पुरम	—वही—	—वही—	23.4.88	शून्य
28.	यसपाल	से 12/37 आर. के. पुरम	—वही—	—वही—	2.5.88	115.00
29.	बरेआम सिंह ठाकुर	से. 9/478 —वही—	—वही—	—वही—	22 6.88	145.00
30.	पी. एन. टंडन	ए-4/4 (एम. एस.) पण्डारा रोड	—वही—	—वही—	4.8.88	343.00
31.	शकुन्तला डोगरा	ए-21/121 लोधी रोड	—वही—	—वही—	20.9.88	शून्य
32.	जगन्नाथ मिश्र	बी-50 नानकपुरा	—वही—	—वही—	28.6.88	शून्य
33.	बौरी शंकर राय	फ्लैट-4 काली बाड़ी अपार्टमेंट	—वही—	—वही—	1 12.88	1503.00
34.	कामता पी मेहता	351 लक्ष्मीबाई नगर	—वही—	—वही—	3.12.88	शून्य
35.	एल. एस. सिंह	बी-211 नानकपुरा	—वही—	—वही—	7.12.88	शून्य
36.	नागेश्वर द्विवेदी	से. 4/317 रा. के. पुरम	—वही—	—वही—	13.12.88	115.00
37.	जगदीश चन्द्र	से. 12/190 रा. कु. पुरम	—वही—	—वही—	8 11.88	230.00
38.	एम. एल. द्विवेदी	13 (एल) कालेज रोड	—वही—	—वही—	6.6.75	शून्य
39.	उमिलेश झा	508-ए, से.-3 रा. कु. पुरम	—वही—	—वही—	7.9.88	शून्य
40.	ज्ञानकौर विद्यार्थी	बी.-2/327 पण्डारा रोड	एस-डब्ल्यू	45 बी-बी-सी	25.7.88	शून्य

41.	शिवेन्द्र सिन्हा	ए-247 पंडारा रोड़	प्रथम तल	45-ए	10.7.47	2438 00
42.	ई. बुनर	बी-1/75 राजेंद्र नगर	—वही—	—वही—	14.6.73	शून्य
43.	राज ऊषा चोपड़ा	ए-ए टेलीग्राफ लेन	—वही—	45-बी डी सी	11.5.89	660.00
44.	सुशीला रावन	एफ-1/103 एशियाड गांव	—वही—	—वही—	21.5.88	शून्य
45.	पमिला बाला सुन्दरम	एफ-11/357 एशियाड गांव	—वही—	—वही—	15.12.88	1200.00
46.	भारती शिवाजी	एफ-1/104 —वही—	—वही—	—वही—	17.6.87	शून्य
47.	बुगल शर्मा	एफ-1/140 —वही —	ई. ए.	—वही—	29.7.84	3000.00
48.	गीतांजली लाल	एफ-1/366 "	—वही—	—वही—	4.8 87	600.00
49.	शीला चमन	एफ-1/139 "	—वही—	—वही—	4.8.87	शून्य
50.	गुरु हरिकिशन बहारे	एफ-1/127 "	—वही—	—वही—	11.8.87	शून्य
51.	जया रामाराव	एफ-11/99 ,,	ई. ए.	45 बी. डी. सी.	18.8.87	,,
52.	गुरु नरनारायण	एफ-11/136 ,,	—वही—	—वही—	1.9.87	,,
53.	पी. बी. बालाकृष्णन	एफ-1/122 ,,	—वही—	—वही—	28.9.87	,,
54	जया अरुणाचलम	एम-11/356 ,,	—वही—	—वही—	9.10.87	,,
55.	उस्ताद बहादुर खान	एफ-11/123 ,,	—वही—	—वही—	12.10 87	,,
56.	मायाधर रावत	एफ-1/360 ,,	—वही—	—वही—	3.11.87	,,
57.	प्रो. के. एस. कुलकर्णी	एफ-1/361 ,,	—वही—	—वही—	3.11.87	,,

1	2	3	4	5	6	7
58.	गुरु एन. बी. वेंकटरमन	एफ-1/378 एशियाड गांव	ई. ए.	45-बी. डी. सी.	3.11.87	शून्य
59.	पं. चरण गिरधर चन्द	एफ-11/124 ,,	—वही—	—वही—	11.11.87	,,
60.	हबीब तनवीर	एफ-11/142 ,,	—वही—	—वही—	5 1.88	10800.00
61.	जतिन दास	एफ-1/134 ,,	—वही—	—वही—	22 4.88	शून्य
62.	सुनयाना हजारी लाल	एफ-1/367 ,,	—वही—	—वही—	20 5.88	600.00
63.	विशालम वेंकटाचलम	एफ-1/372 ,,	—वही—	—वही—	4.7.88	600.00
64.	गुरु नानक केसर	एफ-1/373 ,,	—वही—	—वही—	30.7 87	शून्य
65.	सुबात हुसेन खान	एफ-1/141 ,,	—वही—	—वही—	19.9.88	,,
66.	तेज प्रकाश तुलसी	एफ 11/135 ,,	—वही—	—वही—	13.10.88	1200.00
67.	अनुराधा प्रसाद	एफ-11/100 ,,	—वही—	—वही—	10.1.89	1200.00
68.	सुमति मुतातकत	एफ-1/98 ,,	—वही—	—वही—	28.7 88	शून्य
69.	नैना देवी	डी-11/59 काकानगर	—वही—	—वही—	26.11.87	30.4.89 अपराह्न से लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
70	देवकी नन्दन पांडे	19 लक्ष्मीबाई नगर	—वही—	—वही—	2711.87	शून्य
71.	पी. जे. अब्राहम	एस-12/69 राकपुरम	—विविध—	— वही—	21.12.87	,,

72.	शाहजहां बेगम	2-एम. एल. नेहरु प्लेस	45 बी. डी. सी.	45 ए अथवा पेंशन का 10 प्रतिशत जो भी कम हो		शून्य
73.	सुरेन्द्र सभर्वा	3 एफ (एम. एस.) सिटी रोड	—वही—	45 बी.डी. सी.	8.7.78	,,
74.	श्रीमती कमला वर्मन	बी/11/19 काकानगर	विविध	—वही—	—	,,
75.	प्रो. मोहन महर्षि	एफ-61 पंडारा रोड	—वही—	—वही—	19.12.94	193.00
76.	श्रीमती अरुणा देवी	11-सी माल रोड	—वही—	—वही—	10.8.83	शून्य
77.	श्रीमती ललिता शास्त्री	1-एम एल नेहरु प्लेस	—वही—	45-ए अथवा पेंशन का 10 प्रतिशत जो भी कम हो		,,
88.	श्रीमती शीला भाटिया	बी-11/7 शाहजहां रोड	—वही—	45 बी डी सी	12.8.77	,,
89.	उस्ताद विलायत खान	डी-11/55 पंडारा रोड	ई. ए.	—वही—	7.10.79	,,
80.	बिरजू महाराज	डी-11/33 शाहजहां रोड	—वही—	—वही—	15.3.78	725.00
81.	भीष्म नारायण सिंह	सी1/1 पंडारा पार्क	विविध	11/2 45 ए	29.6.85	शून्य
82.	श्रीमती के. डी. मिश्र	ए-बी/15 तिलक मार्ग	—वही—	45 ए अथवा 10 प्रतिशत	29.7.86	100.00
83.	बी. एम. शाहा	डी-4/1023 वा. कु. पु	—वही—	45 बी. डी. सी	29.2.84	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
84.	कु. स्वप्नसुन्दरी	बी-43 पंडारा रोड	—विधिम—	45 बी. डी. सी	29-7-84	शून्य
85.	राजा रेड्डी	बी-53 पण्डारा रोपू	—वही—	—वही—	31.12.76	,,
86.	भारत सेवक समाज	गैरेज सं. 109,110 व 111 नार्थ ऐवेन्यू	आफिस	—वही—	—	306.00
87.	काका नगर रेजिडेंसीट्स एसो.	डी-11/9, काका नगर	एसोसिएशन	45-ए	17.7.59	784.00
88.	सोसायटी फॉर दी रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजीकल हैडीकैप्ड एंड मेंटली बेकवर्ड	105, 107,109 प्रेस रोड	,,	—वही—	27.6.81 15.7.81 3.9.81	शून्य
89.	सैक्रेटेरियट कॉन्टेरिटिव क्रेडिस एंड थ्रिफ्ट सोसायटी	10/11, विल्सन स्ववायर	,,	—वही—	29.11.88	,,
90.	सी. पी. डब्ल्यू. डी. आफिससंबाइफस एसोसिएशन	पी-1-2, से. 13 आर.के. पुरम्	,,	—वही—	2.9.88	,,
91.	इंडियन फेडरेशन ऑफ यू. एन. एसोसिएशन	जनपथ "ए" बेरेक्स	,,	1/2 बाजार दर	—	5789.54

92.	जी. बी. पंत मेमोरियल सोसायटी	कमरा सं. 20-एल ब्लाक	एसोसिएशन	45-बी. डी. सी.	—	5802.00
93.	वोमेन म्यूजुमन एड्स सोसायटी	75-साउथ एवेन्यू	,,	,,	—	1612.00
94.	सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट क्लब	7, 8, 9, 10 पार्क लेन	,,	45-ए	—	1680.00
95.	शाहजहां रोड क्लब	डी-11/21 शाहजहां रोड	,,	,,	10.9.73	196.00
96.	ज्ञानी जैल सिंह	4-सर्कुलर रोड	विविध	अभी तक तय नहीं हुआ	24.7.97	—
97.	श्रीमती शारदा रामादोरई	सं. 9/495-रा. कृ. पुरम	सामाजिक कार्यकर्ता	45-ए	14.1.81	शून्य
98.	श्रीमती लीला साल्पेकर	आई-161, सरोजिनी नगर	स्वतंत्रता सेनानी	—वही—	7.5.85	मृत्यु हो गई और 28/12/98 से अनुज्ञप्ति शुल्क रद्द कर दिया गया।
99.	श्रीमती दया भाटिया	सं. 9/381-आर. के. पुरम्	विविध	—वही—	—	993.20
100.	के. एल. कौल	3 (यू एफ) टोडरमल	,,	45 बी. डी. सी.	20.7.87	333.00

क्र. सं.	नाम	आवास	आवंटन की तारीख	प्रतिमाह किराया दर	बकाया
1	2	3	4	5	6
101.	सैंट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड	से. 7/285 आर.के.पुरम्	30.7.79	बाजार दर	शून्य
102.	सैंट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड	से. 7/526 ,,	7.5.76	,,	,,
103.	सैंट्रल गवर्नमैंट एम्प्लॉइज रेजि, वैलफेयर एसोसिएशन	15/16 विलसन स्क्वायर	11.1.88	,,	,,
104.	क्वापरेटिव स्टोर्स	आई-445 कस्तूरबा नगर	29.4.65	1/-प्रतिमाह	,,
105.	—वही—	आई-441 ,,	29.4.65	,,	,,
106.	—वही—	आई-437 ,,	,,	,,	,,
107.	—वही—	जे-439 ,,	,,	,,	,,
108.	इंस्टीटयूट आफ कांस्टीटूसनल एंड पार्लियामैंट्री स्टडी	फ्लैट नं 18, 19, 20, 21	25.11.65	,,	—
109.	श्री ओम मेहता	30-पृथ्वी राज रोड	1966	मू. नि. 45-ए	—
110.	श्री योगेन्द्र मकवाना	11-रेसकोर्स रोड	1980	,,	—
111.	इंटक	1-बी मोलाना आजाद रोड	1976	बाजार दर	शून्य
112.	काशी नागरी प्रचारिणी	1-ए सुनहरी बाग रोड	28.12.86	,,	,,

113.	गृह कल्याण केन्द्र	बी-260 नानकपुरा	15.6.73	1/-ड. प्रतिमाह	शून्य	
114.	—वही—	541 एल आर काम्प्लेक्स	16.12.86	मू. नि. 45-ए	5629.20	
115.	सी.जी. कंज्यूमर को. सोसायटी	बी-2 91 नानकपुरा	18.5.63	1/-ड. प्रतिमाह	18.80	
16	—वही—	11/217 देवनगर	30.3.89	—वही—	4.00	
117.	—वही—	ई-297 करोलबाग	24.5.63	—वही—	12.80	
118.	—वही—	से. 9/ए-21 आर.के.पुरम्	—	—वही—	12.45	
119.	—वही—	107/3 से. 1 एम बी रोड	26.5.91	—वही—	11.90	
120.	गृह कल्याण केन्द्र	293 से.-5 एम बी रोड	19.2.87	—वही—	128.05	
121.	—वही—	से. 9/431 आर.के. पुरम्	—	—वही—	33.20	
122.	गृह कल्याण केन्द्र	से. 7/654 रा. कु. पुरम्	—	1/- ड. प्रतिमाह		30.80
123.	—वही—	से. 12/610 ,,	—	—वही—		81.65
124.	केन्द्रीय भंडार	22-ए बसंत विहार	3.1.87	—		—
125.	—वही—	22-बी ,,	30.1.87	—		—
126.	सत्यनारायण	सी-806 कर्जन रोड	24.2.89	एफ आर 45-ए	शून्य	
127.	बेगम आबिदा अहमद	19 अकबर रोड	1977	—वही—	,,	
128.	बेगम पटौदी	1-डुप्लेक्स रोड	1968	बाबाद दर	,,	

1	2	3	4	5	6
129.	मीर कासिम	6 लोधी एस्टेट	1990	एफ आर 45-ए	शून्य
130.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थासघ	34-बी कोटला रोड	—	—वही—	,,
131.	समाचार भारती	2, 4, 6, 8 कनाट लेन	—	हर्जाना	300 103.00
132	कम्म्यूटी केनिंग मेंटर	डी-11/183 किदवई नगर	—	एफ आर 45-बीडीसी	4193.00
133.	सेंटर वक्फ कौंसिल	डी-11/136 काका नगर	—	बाजार दर	शून्य
134.	सीबीई कंज्यूमर को. सोसायटी	डी-11/321 पंडारा रोड	—	1/- रु. प्रतिमाह	254.00
135.	वर्ल्ड उर्दू कांफ्रेंस	164 राजज एवेन्यू	—	बाजार दर	शून्य
136.	श्रीमती अखिल बक्शी	डी-1/152 चाणक्यपुरी	—	बाजार दर	शून्य
137.	श्री पी. एन. चोपड़ा	डी-11/113 कांकानगर	—	—	20686 00
138.	गृह कल्याण केन्द्र	92-बी पंडारा रोड	1/- रु. प्र. माह	—	शून्य
139.	—वही—	38-बी देवनगर	—वही—	—	5.60
140.	—वही—	2-बी कोटला रोड	—वही—	—	4.05
141.	श्रीमती सी पी एन सिंह	डी-11/5 शाहजहां रोड	27.2.90	स्पेशल 1/एफ समिति का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ	4.00
142.	केन्द्रीय भंडार	बी-608 मंदिर मार्ग	3.3.89	—वही—	120.00

143.	गृह कल्याण केन्द्र	35-डी/एस-4/डी आई जेड	24.12.86	1/- रु. प्रति माह	120.00
144.	केन्द्रीय भंडार	बी-10/165 लोधी कालोनी	24.4.82	—वही—	—
145.	केन्द्रीय भंडार	41-/11 ए लांसर रोड (एम)	21.9.76	1/- रु. प्रतिमाह	9.00
146.	—वही—	से. 7/1015 आर के पुरम	17.3.86	—वही—	—
147.	—वही—	से. 5/299 ,,	23.6.86	—वही—	—
148.	—वही—	से. 7/1013 ,,	31.7.87	—	—
149.	—वही—	75-जेड (535) तिमारपुर	28.6.89	1/- रु. प्रतिमाह	शून्य
150.	सीजीईसी को. स्टोर	बी-85 मोती बाग	1963	—वही—	,,
151.	—वही—	बी-87 मोती बाग	1964	—वही—	,,
152.	—वही—	बी-1/313 काली बाड़ी मार्ग	16.10.79	—वही—	,,
153.	—वही—	बी-1/314 ,,	—वही—	—वही—	,,
154.	—वही—	बी-1/315 ,,	—वही—	एफ आर 45-ए	1550.00
155.	—वही—	जी-519 श्रीनिवासपुरी	11.6.86	—	—
156.	—वही—	बी-33 किदवई नगर	23.10.86	एफ आर 45-ए	7188.00
157.	—वही—	बी-27 नौरोजी नगर	,,	हर्जाना	5900.00
158.	डायरेक्टर आफ पर्सनल फार कन्जूमर को. स्टोर	एच-379 नानकपुरा	11.6.86	एफ आर 45-ए	1672.00

1	2	3	4	5	6
159.	संदुलाजंब कन्जुमर	139/1 से. 1 एम बी रोड	27.9.86	—	—
160.	डायरेक्टर ऑफ पर्सनल फॉर कन्जूमर को. स्टोर	से. 9/329 आर के पुरम्	16.8.86	एफ आर 45-ए	1407 00
161.	गृह कल्याण केन्द्र क्रेच के लिए	ए-181 मोती बाग	16 9.79	1/- रु. प्रतिमाह	शून्य
162.	डी/ओ पर्सनल फार को. ट्रेनिंग सेंटर आफ गृह कल्याण केन्द्र	से. 9/159 रा.क. पुरम्	9.3.72	—वही—	22.40
163.	मोबाइल क्रेच	5-बी टेलीग्राफ लेन	4.12.73	—वही—	शून्य
164.	श्रीमती ललित शर्मा	ए-24 पंडारा रोड	1.8.89	एफ आर 45-बीसीडी	,,
165.	श्री ए.बी. सिंह	ए-99 पंडारा रोड	9.8.89	एफ आर 45-ए	450.00
166.	केलाश पतिराम	डी-8 रंजीत प्लेस	28.9.89	—वही—	145.00
167.	श्री भगतसिंह	बी-66 पंडारा रोड	30.11.89	शून्य	—
168.	श्री हसन अहमद	बी-39 पंडारा रोड	2.11.89	एफ आर 45-बीसीडी	शून्य
169.	मिस आभा	176-ई करोल बाग विविध	23.12.87	—वही—	,,
170.	प्रमोद शर्मा	बीजी/2 (एसएस) पेशवा रोड विविध	15.2.86	—वही—	895.00
171.	जेड ए अहमद	बी-107 पंडारा रोड प्रथम तल	6.10.88	एफ आई 45-ए	120 00
172.	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद	एक्स-वाई 68 सरोजिनी नगर कार्यालय	25.8.65	—वही—	शून्य
173.	श्रीमती निर्मला देश पांडे	ए-223 पंडारा रोड (एस डब्ल्यू)	26.4.89	एफ आर 45-बीसीडी	235.00
174.	सारदूल सिंह	ए-155 पंडारा रोड प्रथम तल	15.6.89	एफ आर 45-ए	शून्य
175.	श्रीमती आवमिचल	एफ-1 एशियाड गांव ई.ए.	7.7.89	एफ आर-45 बीसीडी	,,

खाद्य अपमिश्रण के लिए व्यापारियों को सजा

6267. डा. जयन्त रंगपी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 27 दिसम्बर, 1989 के अतरांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर केसम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण के लिए वर्ष 1988 और 1989 में व्यापारियों को दी गई सजाओं, उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों और उनके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार दोषी व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने का है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण में लिप्त व्यापारियों का ब्योरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1988 और 1989 के दौरान खाद्य अपमिश्रण में संलिप्त व्यापारियों को न्यायालय द्वारा दी गई सजा और न्यायालय में उनके विरुद्ध लंबित पड़े मामलों का ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न किया गया है।

दिल्ली प्रशासन का फिलहाल दोषी व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन में 1988 और 1989 (19.12.1989 तक) के वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर पाए गए मिलावट करने वाले व्यापारियों का ब्यौरा

क्रम सं.	विक्रेता का नाम और पता	उठाए गए नमूनों की मद	परिणाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स रामलोक एण्ड सन्स दुकान नं. 12-13, मीरदर्द रोड़, गांधी मार्कीट, नई दिल्ली ।	आटा/23.3.88	मिलावटी	सम्बित
2.	मैसर्स राम चन्द त्रिलोक नाथ, 61, नया बांस, खारी बावली, दिल्ली ।	काली मिर्च साबुत/ 21.3.88	—तदेव—	मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केन्द्रायालय द्वारा 27.1.89 को रिहा कर दिया गया ।
3.	यक्ष प्रोविजन स्टोर, दुकान नं. 16, सनातन धर्म मंदिर, बलजीत नगर ।	लाल मिर्च कुटी हुई/ 16.2.88	—तदेव—	दोषी व्यक्ति को श्री बलबीर सिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्याया-लय द्वारा उनके दिनांक 30.7.90 के आदेश द्वारा दोषी पाया गया । दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रु. जुर्माना जिसके ना देने पर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा होगी ।

4.	मैसर्स सुरेश कुमार अनिल कुमार दूकान नं. 1320/, 18, तालाब रोड़, त्री नगर।	हार्ड बॉयल्ड शुगर कन्फैक्शनरी/7.3.88	गलत ब्रांड	4.5.88 को चेतावनी दी गई।
5.	मैसर्स अशोका प्रोविजन स्टोर, एम-5/ए-3, जनता फ्लैट्स, दिलशाद गार्डन, दिल्ली।	सरसों का तेल/ 20.4.88	मिलावटी	लम्बित
6.	मैसर्स न्यू महालक्ष्मी दाल मिल्स, लारेंस रोड, दिल्ली	दाल चना/2.5.88	—तदेव—	लम्बित
7.	मैसर्स नवीन जनरल स्टोर, डब्ल्यू जैड-14, वशिष्ट पार्क, डाबरपुर, दिल्ली।	धनिया पाउडर/ 19.8.88	—तदेव—	श्री बलबीर सिंह मैट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय से उनके दिनांक 11.2.91 के आदेश द्वारा रिहा किया गया। श्री बलबीर सिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के दिनांक 11.2.91 के रिहाई आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई।
8.	मैसर्स ओमप्रकाश राजकुमार, कटरा ईश्वर भवन, खारी बावली दिल्ली।	पिस्ता सावुत/ 22.6.88	मिलावटी	लम्बित
9.	मैसर्स झुम्पा डेरी, दुकान नं. डी-518, डैगौर गार्डन, एक्सटैन्शन, दिल्ली।	दूध/22.9.89	—तदेव—	लम्बित

1	2	3	4	5
10.	मि. श्याम मेहता, बैन न. डी. एच. एल. 7389, पटरीआउट साइड, निकास द्वार, अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	प्लेन बड़ा/2.6.88	मिलावटी	लम्बित
11.	मैसर्स विगो आइसक्रीम फैक्टरी, सी-84, राजन बाबू रोड़, आदर्श नगर, दिल्ली।	आइसक्रीम/10.8.88 दो नमूने	गलत ब्रान्ड के मिलावटी	चेतावनी दी गई। 8.3.89 को मुदमा चलाया गया। लम्बित।
12.	मैसर्स खन्डेलवाल स्टैन्डर्ड डेरी, बी-1443, जलाही चौक के नजदीक, शास्त्री नगर, दिल्ली।	दूध/2.9.88	मिलावटी	श्री बलबीर सिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 23.9.89 के आदेश द्वारा ओ. घोषित किया गया। अपराधी फरार हो गया है।
13.	मैसर्स कश्मीर कैमिस्ट्स, 16-नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, दिल्ली।	इन्सटैन्टस्प्रे ड्राइड मिल्ककेयर/19.8.88	—तदेव—	लम्बित
14.	अरविन्द कुमार योगेश कुमार, दुकान नं. के-293, गौतम विहार, मौजपुर, घोंडा, दिल्ली।	धनिया पाउडर/	—तदेव—	लम्बित
15.	मैसर्स सेठी स्टोर, छोटी सब्जी मंडी, जनकपुरी, दिल्ली -	हल्दी पाउडर/ 3.10.88	—तदेव —	लम्बित

16.	श्री कैस अहमद, दुकान नं. 33 के सामने पटरी, शास्त्री मार्केट, आजादपुर, दिल्ली ।	लाल मिर्च पाउडर/ 30.9.88	—तदेव—	श्री बलबीर सिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के न्यायालय से उनके दिनांक 3.7.90 के आदेश द्वारा रिहा किया गया । मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 3. के रिहाई आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए फाइल 10.8.90 को उच्चतम न्यायालय को भेजी गई :
17.	श्री शीशराम मसाला स्टाल मनीवाला बाग, शास्त्री मार्केट आजादपुर, दिल्ली ।	लाल मिर्च पाउडर/ 30.9.1988	मिलावटी	लम्बित
18.	मैसर्स मोहन भोजनालय, 219, गांव बसौला, आजादपुर दिल्ली ।	लाल मिर्च कुटी 26.8.1989	मिलावटी	मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट श्री बलबीर सिंह के न्यायालय से उनके दिनांक 21.1.1991 के आदेश के तहत छोड़ा गया : श्री बलबीर सिंह मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 21.1.91 के रिहाई आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई ।
19.	हेमन्त कुमार अग्रवाल, स्टाल अपोजिट, दुकान नं. ए-237,	स्किमड मिल्क पनीर/ 26.8.1988	—तदैव—	श्री बलबीर सिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा उनके

1	2	3	4	5
	शाहदरा, दिल्ली।			दिनांक 11.10.90 के आदेश द्वारा दोषी पाया गया। दोषी को 6 महीने का कठोर कारावास और 2000/- रुपये का जुर्माना और इसके न देने पर तीन महीने के कठोर कारावास की सजा होगी।
20.	मैसर्स बी. नाथ सिंह, करण सिंह, 227-228, जी.टी. रोड, बकौली, दिल्ली।	चावल/ 3.10.1988	—तदैव—	सम्मित
21.	गोपाल सिंह, नमक विक्रेता, बी.-1395, शास्त्री नगर, दिल्ली।	खाद्य आयोडिकृत नमक/ 4.10.1980	—तदैव—	सम्मित
22.	मैसर्स जैन प्रो. स्टोर्स, प्रोविजन स्टोर गली नं. 5/1755, कैलाशनगर, दिल्ली।	लाला मिर्च पाउडर/ 27.12.1988	—तदैव—	सम्मित
23.	मैसर्स डीलक्स स्वीट्स एण्ड नदीपी रेस्टोरेन्ट, 27 सरस्वती शॉपिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	पनी 7.12 1988	अपमिश्रित	सम्मित

24. मैसर्स गुरुनानक स्टोर, 1414, सेंगतारासन, बाजार, पहाड़गंज दिल्ली ।	हल्दी पाउडर/ 17.11.1988	— तदैव —		लम्बित
25. मैसर्स गुरुनानक स्टोर, 1414, सेंगतारासन, बाजार, पहाड़गंज दिल्ली	गरम मसाला/ 17.11.1988	अवैध मार्का प्रयोग किया गया (मिस ब्राण्डिड)		लम्बित
26: मैसर्स, अरविन्द कुमार, योगेश कुमार, के 293, गौतम बिहार मौजपुर, दिल्ली ।	मिर्च पाउडर 5.9.1988	अपमिश्रित		लम्बित
27. मैसर्स स्टैन्डर्ड, मिल्क डेरी, एफ.-8, नाम मन्दिर, रोड, शास्त्री नगर, दिल्ली ।	गाय का दूध/ 25.10.1988	अपमिश्रित	श्री बलवीरसिंह, मैट्रोपालिटीन मजिस्ट्रेट के दिनांक 15.12.90 के आदेश के अनुसार कोर्ट ने दोषी ठहराया । 6 महीने का कठोर कारावास और 5000/ (रुपये जुर्माना किया गया जिसके न दिए जाने पर 6 महीने की साधारण कैद या 50 (1) टी. आर. सी. और 100 रुपए जुर्माना जिसके न दिए जाने पर 7 दिन की साधारण कैद होगी ।	
28.. मैसर्स रमेश बेकरी, ए-9, रशीद मार्किट, परवाना रोड, दिल्ली-31	बिस्कुट/8.12.1988	मिलावटी	लम्बित	

1	2	3	4	5
29.	मैसर्स कृष्णलाल, दुकान नं. 237 के सामने, नई सब्जी मंडी आजादपुर, दिल्ली।	डरी मटर/7.10.88	मिलावटी	श्री बलवीरसिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 1.4.89 के आदेश के अनुसार कोर्ट से रिहा कर दिया गया।
30.	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
31.	मैसर्स नीलू दुकान नं. 237 के सामने, नई सब्जी मंडी, आजादपुर दिल्ली।	—तदैव—	—तदैव—	श्री बलबीरसिंह, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 16.12.89 के आदेश के अनुसार कोर्ट से रिहा कर दिया गया। (दो सी. एफ.एल. रिपोर्टों को देखते हुये नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं था)।
32.	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		1989		
1.	मैसर्स चौधरी डेरी, डब्ल्यू जैड-470, शिव नगर, गली नं. 25, नई दिल्ली-.8	दूध/ 30.3.99	मिलावटी	लम्बित
2.	मैसर्स साउथ इण्डियन स्टोर, दुकान नं. 2,नार्थ एवैन्यू, नई दिल्ली।	आयोडीकृत नमक/ 6.4.89	—तदैव—	लम्बित

3. मैसर्स संगम सुपारी कं., 17-डी, कमला नगर, दिल्ली।	मुखवास/27.4.89	मिलावटी	लम्बित
4. मैसर्स फन फूड प्रा. लिमि. डी-2/27, शोपिंग सैन्टर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली।	योगर्ट/5.7 89	गलत ब्रान्ड	13.9.89 को चेतावनी दी गई।
5. मैसर्स आनद स्वीट हाउस, दुकान नं. 5, डेसु कालोनी, जनकपुरी नई दिल्ली ।	लजीज नमकीन/5.7.89	—तदैव—	चेतावनी दी गई।
6. मैसर्स प्रभु दयाल लक्षी राम, कोल्ड ड्रिक्स 24/47-छज्जु पुरा, 100 फुटा रोड, शापदरा।	स्वीडेन्ट कार्बोरेटिड वाटर	मिलावटी	लम्बित
7. मैसर्स राठोर डेरी,।डी-11, शास्त्री नगर, दिल्ली।	गाय का दूध/9.8.89	—तदैव—	अभियुक्त फरार हो गया।
8. मैसर्स रामा स्टोर टीकरी बोर्डर, दिल्ली।	सोप साबुत/10-1.89	—तदैव—	लम्बित
9. मैसर्स साउथ इण्डिया डिसु एम. डी. मार्किट, पीतमपुरा।	दपी/16.8.89	—तदैव—	लम्बित

टिप्पणी:— लम्बित शब्द का अर्थ न्यायालय में लम्बित है।

भारत महोत्सव

6268. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जहां 1990-91 के दौरान भारत महोत्सव आयोजित किए गए थे और उन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां 1991-92 के दौरान भारत महोत्सव आयोजित करने का विचार है और उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार देश में व्याप्त आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल ऐसे महोत्सवों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत महोत्सव किसी भी देश में आयोजित नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान संघीय जर्मन गणराज्य में एक भरत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव पर 4 8 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है।

(ग) इस समय किसी अन्य देश में भारत महोत्सव आयोजित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवासों में बालकोनियां

[अनुवाद]

6269. डा ओ एल. कनोजिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी आवास के बहुत से आवंटियों ने सम्पदा कार्यालय द्वारा अपनी बालकोनियों को ढंकवा लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं और सम्पदा कार्यालय इस संबंध में कितना समय लेता है;

(ग) क्या बहुत से आवंटियों ने भी अपनी बालकोनियों को अपने खर्चे पर ढंकवाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी इच्छुक आवंटियों को अपने खर्चे पर अपनी

बालकोनियों को ढंकवाने तथा जहां भूमिगत के आवंटियों के लिए कोई गैरेज नहीं है अस्थायी गैरेज बनवाने के लिए स्वीकृति देने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) बहुत से आवंटियों ने अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी अधिकरण अर्थात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अपनी बाल-कोनियों को आच्छादित कराया है न कि सम्पदा कार्यालय से।

(ख) वर्ष 1988 से पूर्व ऐसे निर्माण के लिये आवंटियों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस वसूल की जाती थी। तथापि, 1988 से असंरचनात्मक स्वरूप के परिवर्धन/परिवर्तन, जो सुविधाओं के अनुमोदित पैमाने का भाग है, निवासियों की उपलब्धता की शर्त पर एक चरणबद्ध रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी क्वार्टरों में एकसमान रूप से किये जाने होते हैं। ऐसे परिवर्धनों/परिवर्तनों की लागत विभिन्न टाइप के वास के लिये निर्धारित वार्षिक आर्थिक सीमा से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि कोई आवंटी अपने मकान में प्राथमिकता आधार पर ऐसे परिवर्धन/परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे ऐसे कार्य की लागत का 10 प्रतिशत वहन करना होगा और उसका अग्रिम भुगतान करना होगा। तत्पश्चात, उस आवंटी से अथवा बाद वाले आवंटी से कोई राशि वसूल नहीं की जायेगी। चूंकि अधिकांश क्वार्टरों में बराडों में ग्लेजिंग करने/बालकोनियों को आच्छादित करने की लागत वार्षिक आर्थिक सीमा से अधिक है, अतः पुनः विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया गया था कि 30-5-91 से बराडों का ग्लेजिंग कार्य आवंटियों के अनुरोध पर तथा कार्य की 10 प्रतिशत लागत वसूल करने के बाद किया जाये। इस कार्य पर वार्षिक आर्थिक सीमा लागू नहीं होगी।

स्वीकृति जारी करने के पश्चात् कार्य पूरा करने में सामान्यतः तीन-चार सप्ताह लग जाते हैं बशर्ते की विधियां उपलब्ध हों।

(ग) जी, हां।

(घ) निजी तौर पर अपने खर्च बालकोनियों का आच्छादित कराना आवंटियों को अनुमेय नहीं है क्योंकि इससे भवनों की एकरूपता और औदात्य में अन्तर आने की सम्भावना है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (घ) में इंगित कारणों से आवंटियों को अपनी बालकोनियां आच्छादित कराने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है। आवंटियों को अपने खर्च पर अस्थायी गैराज का निर्माण कराने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह भवन उप-नियमों के विपरीत है।

औषध नियंत्रण विभाग द्वारा क्लोरोमफेनीकोल के नकली कैप्सूल पकड़े जाना

[हिन्दी]

6270. श्री शिवचरण वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण विभाग ने दिल्ली में दवा विक्रेताओं से क्लोरोमफेनीकोल के नकली कैप्सूल पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी के. तारा देवी सिद्धार्थ) (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके औषध नियंत्रण विभाग ने 20-6-1991 को नई दिल्ली में मदनगीर के एक थोक विक्रेता केमिस्ट नमत: मैसर्स ला फार्मेस के परिसर का निरीक्षण किया था। स्टॉक में क्लोरमफेनिकाल केपसूल्स आई.पी.बी. संख्या 2226 (14×1000) पाए गए थे जिन पर विनिर्माण की तारीख मार्च, 1991 तथा इस्तेमाल की अन्तिम तारीख फरवरी, 1995 लिखी हुई थी और जिन पर इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश का लेबल लगा हुआ था। उन्हें बिक्री और वितरण के लिए रखा हुआ था।

फर्म उक्त औषधों की खरीद से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ रही और इसलिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों के अधीन जांच और विश्लेषण करने हेतु एक नमूना लिया गया था। शेष स्टाक को जब्त कर लिया गया और उसे कब्जे में ले लिया गया।

इस नमूने का विश्लेषण करने के बाद सरकारी विश्लेषक ने इस औषध कम मानक किस्म का नहीं पाया गया घोषित किया क्योंकि इसमें अंकित क्लोरमफेनिकाल की 18.28 प्रतिशत मात्रा पाई गई। विनिर्माता नामत: इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश से जब सम्पर्क किया गया तो उन्होंने इस औषध का विनिर्माण करने से इनकार कर दिया। इसलिए इस औषध को नकली औषध के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

फर्म के मालिक नामत: मैसर्स ला फार्मेस, मदनगीर, नई दिल्ली और इस अपराध के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों के विरुद्ध एक एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

6271. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनवाई गई योजनाओं के नाम क्या है और उन्हें कब लागू किया जा रहा है;

(ख) इन योजनाओं द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या एक निश्चित समयान्तराल पर इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में, अल्प-

संख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । ये योजनाएं मुख्यत: भर्ती, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित है ।

भर्ती (क) सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को चयन समितियों में अल्पसंख्यक समुदायों के एक प्रतिनिधि को शामिल करना,

(ख) रोजगार केन्द्रों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करने के सम्बन्ध में महा निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण के निदेशों के कार्यान्वयन को मानीटर करने हेतु अल्पसंख्यक सैल स्थापित करना,

(ग) अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सचल रोजगार इकाईयां तथा उप-रोजगार इकाईयों की स्थापन सचल इकाईनों के माध्यम से 1 7 1990 से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया;

(घ) अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार अवसरों के बारे में अवगत कराने के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार अभियानों का संचालन,

शिक्षा:—

(क) अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिवेदित शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना,

(ख) सुधारात्मक कोचिंग योजनाएं,

(ग) अल्पसंख्यक संस्थानों के अध्यापकों को प्रशिक्षण/अल्पसंख्यक संस्थानों के 118 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

(घ) क्षेत्रीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति । 23 क्षेत्रीय भाषा अध्यापकों को नियुक्त किया गया,

(ङ) समूह प्रशिक्षण संस्थान । इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के 32 व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया,

(च) लड़कियों के लिए उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र । संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 26 समेकित बाल विकास योजना परियोजनाएं चल रही हैं ।

(छ) अल्पसंख्यक संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम । सीनियर सैकण्डरी स्तर के 5 अल्पसंख्यक संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम हैं ।

(ज) अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्रौढ शिक्षा केन्द्रों और शिशु शिक्षा परियोजनाएं स्थापित करना । 1428 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और 52 वाचनालय/पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं ।

(झ) अल्पसंख्यक क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करना ऐसे 18 संस्थान स्थापित किए गए हैं ।

(ञ) अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों को जोड़ने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु, अल्पसंख्यक समुदायों के व्यवसायिकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम । 118 अल्पसंख्यक व्यवसायों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया है ।

(ट) अल्पसंख्यक पालीटेकनीकों के विस्तार केन्द्र, 32 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए हैं।

(ठ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। 38 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 14 नए तथा विद्यमान व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है।

आर्थिक विकास :

(क) अल्पसंख्यक संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में ऋण, शिविर तथा कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

(ख) अल्पसंख्यकों को ऋण प्रवाह। 1990-91 के दौरान, 89 व्यक्तियों को, 3,78,13,750 रुपए का ऋण मंजूर किया गया।

(ग) विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में चेतना विकास हेतु अनुस्थापन पाठ्यक्रम।

(घ) स्वःरोजगार हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण।

2. योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन द्वारा तथा कभी-कभी उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा की जाती है और समुचित अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को बन्द करना

6272. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री दत्तात्रेय बंडारु।

श्री बलराज पासी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के मुख्य कार्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संगठन के फील्ड आउटपोस्ट के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रीय आवासीय विकास केन्द्रों की कार्य क्षमता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया है;

(ङ) क्या इस संगठन में प्रबंधन के मामलों का पता चला है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, और

(च) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन निदेशक के बिना कार्य कर रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को बन्द करने का अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके विभागीय

ढांचे और अन्य सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के लिए प्रदर्शन और परीक्षण की स्थिति से व्यापक प्रयोग और औद्योगिक प्रोत्साहन तक प्रौद्योगिकी के प्रभावी अन्तरण के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण क्षेत्र की गतिविधियों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है और अधिक व्यापक संस्थागत ढांचे की स्वीकार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को भावी भूमिका को पुनःपरिभाषित करना पड़ेगा।

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का प्रमुख उत्तरदायित्व विभिन्न निर्माण एजेन्सियों के साथ-साथ भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी अनुसंधान संस्थानों के साथ अन्तरापृष्ठ का विकास करना और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी और भवन निर्माण सामग्रियों का विस्तार करने में सहायता पहुंचाना था। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने अपनी प्रयोगात्मक आवास योजनाओं, भवन निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रसार की जानकारी और आवास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मदद पहुंचाने के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सहायता की है। तथापि, यह प्रयोगशाला से लेकर क्षेत्र स्तर तक की नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण क्षेत्र की गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने में सफल नहीं रहा।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा समर्पित क्षेत्रीय आवास विकास केन्द्रों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा आवास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विस्तार में हाल ही में हुए विकास के संदर्भ में इनके वर्तमान स्थिति अथवा अन्य रूप में बने रहने पर विवेचनपूर्ण विचार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस दल का नेतृत्व शहर विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वित्त) कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में कार्य कर रहा है। संगठन के पुनर्गठन का निर्णय लम्बित रहने के कारण निदेशक का पद भरा नहीं गया है।

उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा पर खर्च की गयी धनराशि

6273. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा के लिए कितनी धनराशि दी थी और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस राज्य में अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को संचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 तथा 1990-91

में अनौपचारिक शिक्षा के लिए उड़ीसा को क्रमशः 452.71 लाख तथा 389 59 लाख रु. की धन राशि प्रदान की गई। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, किया गया खर्च क्रमशः 389.54 लाख रु. तथा 513.39 लाख रु. था।

(ख) और (ग) तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम की प्रगति पर समीक्षा बैठकों तथा दौरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती हैं। कुल मिलाकर कार्यक्रम सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित हो रहा है।

तपेदिक की रोकथाम के लिए नई दवा

6274. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक के इलाज के लिए कुछ नई दवाइयों की खोज की गई गई है;

(ख) क्या ऐसी दवाओं से तपेदिक का इलाज जल्दी होता है; और

(ग) यदि हां, तो इन दवाओं का ब्यौरा क्या है और इन दवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) नई औषध आफ्लोक्सेसिन क्षय रोग के उपचार में प्रभावकारी बताई जाती है।

(ख) और (ग) इस औषध में जीवाणुनाशक गुण होता है। इससे उपचार की अवधि में कमी हो सकती है। तथापि, क्षय रोगियों पर इसका उपयुक्त अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। यह औषध मंहगी है जिसमें प्रति रोगी लगभग 12 0 रुपये की आवश्यकता होती है। इसके प्रयोग को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि अध्ययनों से यह पता चले कि इसका प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से क्षय रोग के उपचार के लिए मौजूदा औषध सम्मिश्रणों की प्रभावकारिता को बढ़ाता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्तों के रिक्त पद

6275. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 1 अप्रैल, 1991 को सहायक आयुक्तों के कुल कितने पद थे;

(ख) इस संगठन में कितने पद कितनी-कितनी अवधि से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इस पद के लिए भर्ती सम्बन्धी वर्तमान नियम क्या हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरा लिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) 14.1991 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त के 18 पद हैं। जिसमें सहायक आयुक्त (प्रशासन) का एक पद भी शामिल है।

(ख) सात पद रिक्त पड़े हैं जैसा कि निम्न ब्यौरे से स्पष्ट है।

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	रिक्त पड़े होने की तारीख
1.	जम्मू	अगस्त, 1990
2.	भुवनेश्वर	अप्रैल, 1989
3.	दिल्ली	जुलाई, 1989
4.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय	नवम्बर, 1979
5.	पटना	फरवरी, 1991
6.	भोपाल	अप्रैल, 1991
7.	गुवाहाटी	अप्रैल, 1991

(ग) सहायक आयुक्त और सहायक आयुक्त (प्रशासन) के पदों के लिए भर्ती नियमावली की एक-एक प्रति विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(घ) इन पदों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। वे यथासंभव भर ही दिए जायेंगे।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान	क्या पद प्रवरण है अथवा अप्रवरण	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति वालों के मामले में लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली क्या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह अवधि जिसके पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक आयुक्त (प्रशा.)	1	'क'	1500-1800 रु. संशोधित 3700-50-0/रु.	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति वालों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति/ स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले वरिष्ठप्रशासनिक अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों और वरिष्ठ विश्लेषक (वेतनमान, 1100-1600/-रु) से पदोन्नतिद्वारा/निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों (वेतन-

मान 1100-1600/-रु.) अथवा समकक्ष अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।

पदोन्नति वालों के लिए अर्हताएं और अनुभव

1. स्नातक
2. संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 3 वर्ष संगठन में ग्रुप 'क' पद होने चाहिए (वेतनमान 1100-1600/-रु.) ।

प्रतिनियुक्ति वालों के लिए अर्हताएं और अनुभव

1. स्नातक
2. पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव ग्रुप 'क' पद पर (वेतनमान 1100-1600/-रु.) होना चाहिए अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के समकक्ष अधिकारी ।

(संगठन के दिनांक 27.10.84 के पत्र सं. एफ. 6-5/84-के. वि. सं. (प्रशा.) द्वारा परिचालित ।

विवरण-2

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को संशोधित अनुसूची नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि नियमावली 1971

पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी-भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में लागू होंगी	भर्ती की प्रणाली, क्या सीधीभर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता पदोन्नति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति /स्थानान्तरण किया जाना है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
सहायक आयुक्त	ग्रुप (क) संशोधित 3700-5000/-रु.	1500 -1800	30-35 वर्ष सरकारी कर्मचारियों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन	(1) अनिवार्य 1. कम से कम द्वितीय श्रेणी में निष्णात उपाधि 2. शिक्षा में	नहीं	(क) प्रेस मे विज्ञापन। (ख) राज्य सरकारों, विश्व-विद्यालयों सरकारी अन्य शैक्षिक स्वायत्त निकायों और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में परिचालन के

के कर्मचारियों के मामले में छोड़ दी जा सकती है।	उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता 3. किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था/कार्यालय/ संगठन में शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण में लगभग दस वर्ष का अनुभव		माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 60%। यदि इस प्रक्रिया द्वारा योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो सक्षम प्राधिकारी, इस प्रकार के चयन के लिए गठित चयन समिति की सलाह प्राप्त करने के बाद किसी रिक्त स्थान को, भारत सरकार, राज्य सरकारों, संघ-शासित क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों में से भर सकता है बशर्ते कि उम्मीदवार कालम 5 में उल्लिखित सभी अर्हताओं को पूरा करते हों।
		(ii) वांछनीय 1. हिन्दी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान 2. शिक्षकों और प्रशासकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्देशित करने में अनुभव और/ अथवा शिक्षा में अनुसंधान	पदोन्नति पर नियुक्त शिक्षा अधिकारियों जिन्होंने संगठन में प्रिंसिपल/शिक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है, में से वरीयता एवं गुणवत्ता के आधार पर 40% पदोन्नति द्वारा।

अध्यापकों के अन्तर क्षेत्रीय स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्य नियम

6276. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अध्यापकों के अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण हेतु कतिपय सामान्य नियम और मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) शैक्षणिक वर्ष 1990-91 के दौरान कितने अन्तर-क्षेत्रीय स्थानांतरणों के आदेश दिए गए थे;

(ग) क्या इनमें से कुछ स्थानान्तरण और फलीभूत नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान अधिसूचित स्थानांतरणों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।

क्रम सं.	श्रेणी	अधिसूचित स्थानांतरणों की संख्या
1.	स्नातकोत्तर शिक्षक	192
2.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	224
3.	प्राइमरी शिक्षक	524
4.	विविध श्रेणी	50
5.	प्रधानाचार्य	85
6.	उप-प्रधानाचार्य	82

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि कुछ शिक्षकों ने स्थानांतरणों के संशोधन तथा रद्द करने का अनुरोध किया है।

आगरा में प्रदूषित जल की सप्लाई

[हिन्दी]

6277. श्री भगवान शंकर रावत।

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि।

(क) क्या आगरा जल संस्थान यमुना के प्रदूषित जल को शुद्ध करके आगरा में पेय जल की सप्लाई करता है;

(ख) क्या रासायनिक परीक्षणों में इस जल को हानिकारक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों एवं आगरा के निवासियों के स्वास्थ्य पर इस जल का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) यमुना के जल की गुणवत्ता मे सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी केन्द्रीय सरकार को आगरा जल संस्थान को उपलब्ध कराए जा रहे जल की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से यमुना के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कोई विनिर्दिश जारी किया है;

(च) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(छ) भविष्य में आगरा जल संस्थान को प्रदूषण-मुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन सी योजना तैयार की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) आगरा जल प्राधिकरण यमुना से जल प्राप्त करता है और इसका शोधन करने के बाद उसकी शहर में आपूर्ति करता है। यह पाया गया है कि सप्लाई किया गया जल कई बार निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता हैं और इससे जन-स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) से (छ) केन्द्र सरकार को उच्चतम न्यायालय से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए कार्य योजना तैयार करनी शुरु कर दी है।

बिहार को विशेष सहायता

6278. श्री ललित उरांव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में जल प्रदूषण को रोकने हेतु बिहार को विशेष सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कब तक दी जाएगी और यह कितनी होगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार बिहार सहित सभी राज्यों में जल प्रदूषण को रोकने में मदद करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है;

1. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

2. लघु उद्योगों के समूहों को सामूहिक शोधन संयंत्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरु की गई है।

3. गंगा कार्य योजना, बिहार में गंगा में जल प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी स्कीमें कार्यान्वित

कर रही है। बिहार में अब तक लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से 45 स्कीमें मंजूर की गई हैं, उनमें से कुछ पर अभी काम चल रहा है।

उत्तरी कश्मीर में तेजाब प्रदूषण

[अनुवाद]

6279- श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान और खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत में तेल के कुओं के जलने के कारण उत्तरी कश्मीर में तेजाब प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए हाल ही में पर्यावरण और सुदूर संवेदी महा निदेशक, डा. एम. ए. केवास की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई थी। लेकिन जम्मू व कश्मीर के पर्यावरण और सुदूर संवेदी विभाग के निदेशक डा. एम. ए. केवास तथा कुछ अन्य लोगों ने उत्तरी कश्मीर में काली बर्फ गिरने के सम्बन्ध में अप्रैल, 1991 में एक प्रारम्भिक अध्ययन किया था।

(ख) इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष ये हैं कि कुवैत में तेल के जल रहे कुओं से अम्ल प्रदूषण कण उड़कर कश्मीर घाटी में आ गए तथा कश्मीर की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों में गुंड क्षेत्र में काली बर्फ के रूप में गिरे। पर्यावरण की दृष्टि से इस घटना के घातक परिणाम हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वनों का विनाश, मृदा और जल में विषाक्तता, सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन हो सकता सकता है तथा बीमारियों और महामारियां फैल सकती हैं। प्रमुख सिफारिशें ये हैं कि इस संकट पर निगरानी रखने और आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए एक आपदा प्रबन्ध दल बनाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार को प्रदूषण के प्रस्तावों को कम करने पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा तैयार करना चाहिए।

(ग) डा. केवास की रिपोर्ट की जांच की गई है। कुछ प्रभावित क्षेत्रों से इकट्ठे किए गए नमूनों के विश्लेषण से इस घटना के किसी विशिष्ट कारण का पता नहीं चल सका है। चूंकि यह घटना पहली बार हुई है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु और पारिस्थितिकी पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खेलों को प्रोत्साहन देने पर खर्च की गई धनराशि

[हिन्दी]

6281. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खुल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 1986-87 से 1989-90 वर्ष के दौरान खेलों के प्रोत्साहित करने हेतु 285.06 करोड़ रुपए (योजनागत और योजनेत्तर) खर्च किए गए थे । 1990-91 के दौरान संशोधित आंकलन में 58.77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ।

(ख) और (ग) गैर-उपयोग्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना तथा खेल मैदानों का विकास और ग्रामीण खेल टूर्नामेन्टों की योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है । भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना का लाभ वृद्दमनीय ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए है । विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की अन्य सभी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी है ।

दिल्ली सघ राज्य क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के लोग

[अनुवाद]

6282. श्री भाग्य गोवर्धन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार उडीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आगे अनुसूचित जातियों के कई लाख लोग गत कई वर्षों से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1991 में की गई जनगणना में इन्हें सामान्य श्रेणी में गिना गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य यदि किसी अन्य क्षेत्र/राज्य में जाकर बस जाता तो वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के ऐसे लोगों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अलग से विनिर्दिष्ट किया जाता है । वे अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लाभ प्राप्त करने के पात्र है न कि उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से जहां वे प्रव्रजन कर आ गये हैं,

जहां तक केन्द्रीय सरकार के लाभों का संबंध है, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को उस राज्य/संघ क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना जिससे वे संबंध रखते हैं, एक समान माना जाता है।

1991 की जनगणना में, जनगणना प्रश्नावली की व्यक्ति स्लिप का प्रश्न संख्या-9 इस बारे में है कि क्या गणना किया गया व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है ? यदि प्रश्न संख्या-9 का उत्तर "हां" है तो उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नाम जिससे वह व्यक्ति सम्बन्ध रखता है, प्रश्न संख्या-10 में लिखना होता है।

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और प्रश्न संख्या-10 का उत्तर देते समय अपनी जाति का नाम लिखता है, तो गणक को यह हिदायत दी गई है कि वह यह जांच करे कि उस जाति का नाम गणना किए जा रहे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मामले में अनुसूचित जनजाति की कोई सूची नहीं है। अतः कोई भी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपने आपको अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं लिखा सकता था।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से सहायता

6283. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने हेतु औद्योगिक एककों को वित्त प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि मांगी गई है; और

(ग) औद्योगिक एककों द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि मिलने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) भारत सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए लगभग 155 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। इसमें शोधन प्रणालियों की स्थापना करने और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए आठ चुने हुए क्षेत्रों में बड़ी और मझोली औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के प्रावधान के लिए एक घटक भी शामिल है। इस परियोजना में औद्योगिक इकाइयों के समूहों के लिए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए ऋण का प्रावधान भी है।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम

[हिन्दी]

6284 श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की कभी समीक्षा की और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से 1975 से कार्यान्वित की जा रही है। 33 परियोजनाओं से शुरू करके फिलहाल देश में 2,341 केन्द्रीय प्रायोजित आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। यह एक ब्लॉक-आधारित कार्यक्रम है और प्रत्येक परियोजना में औसतन 100 आंगनबाड़ियां हैं। आई सी डी एस कार्यक्रम के सभी घटकों का भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटीकृत प्रबोधन आसूचना पद्धति के आधार पर मासिक और त्रैमासिक अवधियों में किया जाता है। 30 जून, 1991 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के 114.43 लाख बच्चे और 24.13 लाख गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं पूरक पोषाहार प्राप्त कर रही थी। इनमें से 60.52 लाख बच्चे स्कूल-पूर्व शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा इस कार्यक्रम का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, योजना आयोग और न्यूट्रीशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण और मूल्यांकन किया गया है।

इन मूल्यांकन और पुनरीक्षण अध्ययनों से पता चलता है कि :

(I) आई सी डी एस परियोजना क्षेत्रों में गम्भीर कुपोषण की घटनाएं काफी कम हो गई है।

(II) अत्यधिक संवेदनशील वर्ग अर्थात 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों की सहभागिता किसी भी पूर्ववर्ती बाल कल्याण कार्यक्रम से अधिक है। पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों में लगभग 45% बच्चे 3 वर्ष से कम आयु के हैं।

(III) आई सी डी एस परियोजना क्षेत्रों में रोग निरोधन की सुविधा पाने वाले बच्चों की संख्या, गैर आई सी डी एस परियोजना क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक है बल्कि कहीं-कहीं तो यह संख्या तीन-चार गुणा है।

(IV) आई सी डी एस परियोजनाओं में शिशु मृत्युदर और जन्म दर में कमी आई है तथा परिवार नियोजन के तरीके अधिकाधिक लोगों में अपनाए जाने का पता चला है।

(V) अधिक स्वस्थ बच्चों का जन्म, रोग-निरोधन द्वारा विकलांगताओं की अधिकाधिक रोकथाम, विटामिन "ए" की कमी और रक्तक्षीणता पर नियंत्रण जैसी अन्य अनुकूल प्रवृत्तियां भी देखने में आई हैं।

भारतीय छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरी शिक्षा हेतु सोवियत संघ भेजना

[अनुवाद]

6285. श्री पीयूष तीरकी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मेडिकल और इंजीनियरी शिक्षा हेतु भारतीय छात्र सोवियत संघ भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) और भारतीय चिकित्सा परिषद के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए सोवियत संघ सरकार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्र नहीं भेजे जा रहे हैं। अब तक सोवियत संघ के संबंधित प्राधिकारियों से 1991-92 के लिए स्वीकार्य वार्षिक पेशकश की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

6286. श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम)। (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अहमदनगर किले को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाना

6287. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार अहमदनगर जिले को "राष्ट्रीय स्मारक" के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किले की उन बैरकों को जहां राष्ट्रीय नेताओं को जेल में रखा गया था बड़े-बड़े हालों में परिवर्तन कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सम्भव नहीं पाया गया कि किले के अन्दर स्थित रक्षा संस्थानों की बड़ी संख्या को स्थानान्तरण किया जा सके और इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में अनुरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया जाए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मजदूरी में वृद्धि

[हिन्दी]

6288: श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़ा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकारें हैं, जो संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित/संशोधन करते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे जुलाई, 1990 में आयोजित श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन के 31वें अधिवेशन की इस सिफारिश का अनुपालन करें कि न्यूनतम मजदूरी को, यदि आवश्यक हो तो कम से कम दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइन्ट की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जाए और उसमें संशोधन किया जाए।

ठाणे में शिव मंदिर का पुनरुद्धार

[अनुवाद]

6289. प्रो. राम कापसे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के अम्बरनाथ में 1000 वर्ष से भी पुराने शिव मंदिर के पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) मन्दिर को इसके मूल आकार में पूर्णत: पुनरुद्धार सहित इसकी मरम्मत का कार्य किए जाने की अनुमति के लिए अम्बरनाथ मन्दिर नवीकरण समिति से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रमाणिक दस्तावेजों, रेखाचित्रों, मंदिर के पूर्ण मूल ढांचों के चित्रों के उपलब्ध न होने के कारण इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सका। निश्चित प्रमाणों के बिना स्मारक के गायब हुए किसी हिस्से को पुन: स्थापित करना, पुरातत्वीय संरक्षण के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसके अलावा, यह एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाना है। मंदिर को पहले ही चालू वर्ष के कार्यक्रम मे शामिल किया गया है और कुछ संरक्षण उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

अनुसूचित जातियों के बेरोजगार व्यक्ति

[हिन्दी]

6290. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों में बेरोजगार लोगों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है, और

(ख) पंजाब तथा उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) 31.12.1990 की स्थिति के अनुसार इन दो राज्यों में रोजगार केन्द्रो में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

उड़ीसा	14 लाख
पंजाब	1.75 लाख

नमक के उत्पादन में संलग्न श्रमिकों की मजदूरी

[अनुवाद]

6291: सुधीर गिरि :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नमक उद्योग में संलग्न श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नमक श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, संशोधन और कार्यान्वयन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नमक उद्योग में कार्यरत मजदूरों के लिए निम्नतम मजदूरी का निर्धारण और संशोधन करती हैं।

(ग) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नमक कर्मकारों के कल्याण के लिए किए गए विभिन्न उपायों में शैक्षिक, स्वास्थ्य आवास, मनोरंजन और शिशु ग्रह का प्रावधान, मजदूर आराम शेडो का निर्माण वाटर कूलर्स आदि जैसी सुविधाओं का प्रावधान करना शामिल है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

6292. श्री रामधन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा अगले वर्ष 1992 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को शिक्षित किया गया; और

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर 131.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 120.00 करोड़ रु. है।

(ख) वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1114.05 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी। अभी तक 9 4.05 लाख रु. के व्यय किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार दाखिल किए गए 19.97 लाख नौसिखियों में से 16.02 लाख को साक्षर बनाया गया।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 1995 तक 8 करोड़ प्रौढ़ नौसिखियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

6293. श्री राम टहल चौधरी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के खिलाफ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण-1 तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित चार संगठनों के विरुद्ध ज्ञापन प्राप्त हुए थे :

(1) हरिजन सेवक संघ, किंग्जवे, दिल्ली ।

(2) ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद (उ. प्र.)

(3) समाज सेवा संघ, ब्रह्मपुरी, दिल्ली ।

(4) राष्ट्रीय शोषित परिषद, पालिका बाजार, नई दिल्ली ।

विवरण-I

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त संगठनों के राज्यवार नाम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संगठनों के नाम
आंध्र प्रदेश	1. कावरू चेरिटेबल ट्रस्ट, गुडीवाडा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश ।
	2. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोशल एक्शंस हैदराबाद ।
	3. मास एजुकेशनल डेवेलपमेंट सोसायटी एम. पी. पी. आफिस के सामने, एम. जी. टी. रोड. पंगारूरू जिला चित्तूर ।
	4. वाइल्ड फाउंडेशन आफ इंडिया विशाखापतनम, मुरली नगर ।
बिहार	5. रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची ।
दिल्ली	6. हरिजन सेवक संघ, किंजवे, दिल्ली ।
	7. इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, 1, रेड क्रास रोड नई दिल्ली ।

1	2
	8. हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज 198-एच., कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली।
	9. समाज सेवा संघ (रजि.) एन-69, गली नं. 16 ब्रह्मपुरी, दिल्ली ।
	10. राष्ट्रीय शोषित परिषद (रजि.) 167, पालिका बाजार, नई दिल्ली।
	11. शोषण उन्मूलन परिषद, 48-बी, चन्द्रलोक कालोनी, शाहदरा, दिल्ली।
	12. आल इंडिया शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन, 39, पटौदी हाउस, कैनिंग लेन, नई दिल्ली।
	13. श्री मुख्त्यारसिंह स्मृति शिक्षा समिति (रजि.) पूंठकला, दिल्ली ।
	14. बंगाली एस. सी./एस. टी. वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) एच-1493, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली।
	15. नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन, बी-36, एन. डी. एस. ई., पार्ट-II, नई दिल्ली।
	16. बाबा साहेब अम्बेडकर सेकेण्डरी स्कूल सोसायटी अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली।
	17. सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलेपमेंट सोसायटी, 23-बी/4, न्यू रोहतक रोड करोलबाग, नई दिल्ली।
	18. भारतीय दलित साहित्य एकेडमी, 233, टैगोर पार्क, माडल टाउन, नई दिल्ली।
	19. अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ (रजि.) सी-4/433, सुलतानपुरी, दिल्ली।
	20. मुक्ति संग्राम संघ, कुन्दन नगर, दिल्ली।
	21. श्री विनायक एजुकेशनल सोसायटी, एफ-44, मंगोलपुरी, नई दिल्ली ।
हरियाणा	22. श्री प्रेम भिक्षुक शिक्षा समिति, कुरुक्षेत्र।
जम्मू और कश्मीर	23. आल इंडिया सेंनर फार अर्बन एण्ड रूरल डेवलेपमेंट जम्मू यूनिट, 199, रेहड़ी कालोनी, जम्मू।

1	2
कर्नाटक	24 कर्नाटक दलित प्रोग्रेसिव सेंटर जयनगर, बंगलौर।
	25. जन कल्याण ट्रस्ट, बंगलौर।
मध्य प्रदेश	26. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसिस, इन्दौर, महाओ।
	27. गायत्री शक्ति शिक्षा समिति, जबलपुर।
महाराष्ट्र	28. पद्मश्री अन्नासाहिब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल, भिवण्डी, जिला थाणे।
	29. सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी, पूना।
उड़ीसा	30. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी।
	31. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोशल वर्क एण्ड सोशल सर्विसिस, सूर्या नगर, भुवनेश्वर।
राजस्थान	32. क्षेत्री विकास समिति, गांव राजकोट, पो. आ. क्षेत्री जिला झुंझनू।
	33. सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, तिलोनिया, अजमेर।
उत्तर प्रदेश	34. ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद।
	35. ह्यूमन सर्विस चेरिटेबल ट्रस्ट आफ इण्डिया, सी-34, निराला नगर, लखनऊ।
पश्चिम बंगाल	36. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पो. आ. नरेन्द्रनगर, 24 परगना।
	37. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पो. आ. विवेकानन्द नगर, जिला पुरलिया।
	38. वेस्ट बंगाल शैडयूल्ड कास्टस एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स एण्ड माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, रविन्द्र नगर, पो. आ. एवं जिला मिदनापुर।
	39. बंगाल शैडयूल्ड कास्टस एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स डेवलेपमैंट सोसायटी, पो. आ. माथाधाम, जिला 24 परगना (एस)।
	40. सिद्धू कानु एजुकेशन सोसायटी, तसारारा, मिदनापुर।
	41. चन्द्रनाथ बासु सेवा संघ, 268, आशुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता।

1	2
	42. डा. बी. आर. अम्बेडकर मेमोरियल एजुकेशन सेन्टर, जलपाईगुडी।
	43. डा. बी. आर. अम्बेडकर शिक्षा समिति, जबलपुर।
	44. आनन्द निकेतन हावड़ा।

विवरण-2

देश में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के नामों की राज्यवार सूची दर्शाने वाला विवरण।

1. आंध्र प्रदेश :

(क) आर. के. मिशन, विवेकानन्द नगर, राजामुन्दरी।

2. अरूणाचल प्रदेश

(क) : आर. के. मिशन अस्पताल, पो. ओ. आर. के. मिशन, इटानगर।

(ख) : आर. के. मिशन स्कूल, एलांग, सिंग जिला।

(ग) : आर. के. मिशन, पी. ओ.—नरोत्तम नगर, जिला तिराप

3. असम :

(क) : आर. के. मिशन सेवाश्रम, सिलचर-4, कछार।

(ख) : आर. के. मिशन आश्रम, आर. के. रोड, उलूबारी, गोहाटी।

(ग) : धरमोरा मॉडल सातरा हिल्स एण्ड प्लेन कल्चरल इन्स्टीट्यूट, नार्थ लखीमपुर-

(घ) : प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, नार्थ लखीमपुर।

4. बिहार :

(क) : आर. के. मिशन, ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, रांची :

(ख) : आर. के. मिशन विवेकानन्द सोसायटी, एल रोड, बिस्टूपुर, जमशेदपुर।

(ग) : भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर।

(घ) : सोसायटी फार रूरल इण्डस्ट्रलाइजेशन, बारिटू, रांची।

5. गुजरात :

(क) : भारत सेवाश्रम संघ, आश्रम रोड, अहमदाबाद।

6. केरल :

(क) : श्री आर. के. अद्वैत आश्रम, एरनाकुलम, जिला-कालाड़ी।

(ख) : हरिजन सेवक संघ, केरल शाखा, शान्ति निकेतन, दात्ताकाडा, पी. ओ, त्रिवेन्द्रम।

(ग) : विनोबा निकेतन आश्रम, जिला-त्रिवेन्द्रम ।

7. महाराष्ट्र :

(क) : नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ वर्मेन, चाइल्ड एण्ड यूथ डेवलपमेंट, ओल्ड पोस्ट आफिस बिल्डिंग, मेन रोड, खामल, नागपुर।

(ख) : सर्वेण्ट आफ इण्डिया सोसायटी, 845, शिवाजी नगर, पुणे।

(ग) : भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, सेनापति बापात मार्ग, पुणे।

(घ) : दूरावल बारगीया सुधार संस्थान, टांडापथ, 214, बी/28, न्यू एम. आई. टी. कालोनी, राही दुर्गावती, नगर, बिनाकी लाय आउट, नागपुर।

8. मणीपुर :

(क) : ट्राइबल सेवक समिति, अपर लंका पो. ओ., यूरा चांदपुर, वार्ड नं. 18 आफ चूरा चांदपुर टाउन, 795128

(ख) : मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट सोसायटी, गुलाब देवखालैण्ड, इम्फाल।

9. मेघालय :

(क) : आर. के. मिशन, आर. के. मिशन रोड, शिलांग।

(ख) : आर. के. मिशन आश्रम, चेरापूंजी, पो. ओ. चेरा बाजार।

10. मध्य प्रदेश :

(क) : आर. के. मिशन विवेकानन्द आश्रम, नारायणपुर, जिला-बस्तर।

11. नागालैंड :

(क) : नागालैंड गांधी आश्रम, चूं-चूं यिमलांग, जिला-मोकोक चुंग।

12. नई दिल्ली :

(क) : अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, 15, केनिंग लेन।

(ख) : अखिल भारतीय दयानंद सेवा संघ, महर्षि दयानन्द भवन, 3/5, आसफ अली रोड

(ग) : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा अम्बेडकर रोड।

(घ) : डी. ए. वी. कालेज आफ ट्रस्ट एण्ड मैनेजिंग सोसायटी, चित्रगुप्त रोड।

(ङ) : डायरेक्ट्र जनरल आफ सेक्यूरिटी, एस. एस. बी. डायरेटरेट, केबिनेट सेक्रेटेरिएट, ब्लाक-5 (पूर्वी) आर. के. पुरम।

(च) : दीन दयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 7 ई, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झांसी रोड।

13. उड़ीसा :

(क) : आर. के. मिशन, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर ।

(ख) : बांकी आंचलिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, ए. टी./बांकी पो. ओ. डिस्ट्रिक्ट-कटक ।

(ग) : जन कल्याण समिति, हेड आफिस, एम-72, भीमातंगी हाउसिंग बोर्ड कालोनी भुवनेश्वर ।

14. राजस्थान :

(क) : वनस्थली विद्यापीठ. पो. ओ. वनस्थली ।

15. तमिलनाडु :

(क) : नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, फेयर ग्लेन अनेक्सी, कोटा हाल रोड, कोटागिरी, दि नीलगिरी ।

16. उत्तर प्रदेश :

(क) : अश्क आश्रम, पो. ओ. अश्क आश्रम, देहरादून ।

17. पश्चिम बंगाल :

(क) : आर. के. मिशन ब्वायज होम, पो. ओ. राहारा, जिला-24 परगना ।

(ख) : हरिजन सेवक संघ, बंगाल, 97/3, नासकापारा, घुसुरी ।

(ग) : निखिल भारत वनवासी पंचायत, पो. ओ. झारग्राम, मिदनापुर ।

(घ) : टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, 24, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता ।

(ङ) : यूयेन इन सोशल एक्शन, रघुनाथपुर, झारगांव ।

(च) : इन्स्टीट्यूट आफ सोशल रिसर्च एण्ड एप्लाइड अन्ड्रोपोलॉजी, 727, लेक टाउन कलकत्ता ।

दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के जल-टैंकरों द्वारा पानी की बिक्री

[अनुवाद]

6294. श्री बीरेन्द्र सिंह :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी समूहों में जल की पूर्ति करने के लिए आशायित जल को दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बहुत से जल टैंकर बर्फ के कारखानों आदि को अवैध रूप से बेच रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) और दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान दोनों ने सूचित किया है कि आईस फैक्टरियों तथा अन्यों को पानी की अनधिकृत बिक्री का कोई उदाहरण उनके नोटिस में नहीं आया है । तथापि, यह सूचित किया गया है कि इस सम्बन्ध में सतर्कता-पूर्वक निगरानी जारी रखी जाएगी ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

असम में उन प्राइमरी स्कूलों की संख्या जहां कर्बी भाषा पढ़ाई जाती है

6295. डा. जयन्त रंगपी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्वायत्त जिलों के बाहर ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है, जिनमें जनजातीय भाषा कर्बी शिक्षा के माध्यम अथवा एक विषय के रूप में पढ़ानी शुरू कर दी गई है ; और

(ख) यदि यह भाषा अब तक शुरू नहीं की गयी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) सूचना असम राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय अनाथालय

6296. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में महरपुर स्थित केन्द्रीय अनाथालय में रहने वाले अनाथ लोगों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या इन लोगों को राशन और नकद दान नियमित रूप से मिलता है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय अनाथालय मेहरपुर, असम में 278 संवासी रह रहे हैं ।

(ख) संवासियों को राशन नियमित रूप से मिल रहा है । 6 रुपये प्रति संवासी प्रतिमाह की दर से नकद दान का दिसम्बर, 1990 तक का भुगतान कर दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में हरिजन

6297. श्री गुरुदास कामत :

श्री के. प्रधानी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हाल ही में हरिजनों की हत्या की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) जाति सम्बन्धी इस झगड़े में कितने व्यक्ति मारे गए ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जुलाई, 1991 से अनुसूचित जातियों और उच्च जातियों के बीच एक घटना श्रृंखला घटित हो चुकी थी जिसकी पराकाष्ठा पर 6 अगस्त, 1991 को अनुसूचित जातियों की हत्यायें हुई ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार आठ व्यक्ति मारे गए ।

मंत्रालय के अधिकारियों का किसी राजनैतिक दल के लिए कथित समर्थन

[हिन्दी]

6298. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन मूर्ति भवन स्थित मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने हाल में हुए लोक सभा चुनावों में कुछ राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों का समर्थन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध किस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसायटी के सेवा उपनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मुम्बई शहर को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

6299. श्री गुरुदास कामत :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मुंबई हेतु वर्ष 1991-92 के लिए कोई धन-राशि निर्धारित की गयी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) योजना के अन्तर्गत धन का वितरण किन शर्तों पर किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार का विचार धन के वितरण सम्बन्धी मानदंडों को बदलने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां। बम्बई के लिए वर्ष 1991-92 हेतु नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 40 लाख रुपये का अंतरिम नियतन किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1 91-92 के लिए निधियों का केन्द्रीय शेयर 1989-90 के दौरान संवितरित नेहरू रोजगार योजना निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, 1989-90 और 1990-91 के लिए राज्य शेयर के प्रावधान और 1990-91 में दी गयी निधियों की पहली किस्त के उपयोग को दर्शाने वाले विवरण को प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय विकलांग कल्याण संघ, ठाणे (महाराष्ट्र) की मांग

6300. **श्री राम कापसे :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विकलांग कल्याण संघ, ठाणे (महाराष्ट्र) ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र का प्रावधान करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के साथ उठाया गया था और उन्होंने कहा है कि चिकित्सा प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना उनका काम नहीं है। अभ्यावेदन की एक प्रति कल्याण मन्त्रालय को भेज दी गई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डाक्टरों की पदोन्नति और वरिष्ठ

[हिन्दी]

6301. **श्री जनार्दन मिश्र :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत डाक्टरों की पदोन्नति और वरिष्ठता सम्बन्धी मूल्यांकन पदोन्नति योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के संकायों के लिए मूल्यांकन पदोन्नति योजना पर सरकार द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है। चूंकि सरकार के अधीन संस्थाओं/संगठनों में इस योजना की भारी प्रतिक्रिया हो सकती है, सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचार और अन्तर-मन्त्रालयीन परामर्श के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना है। अतः वह सुनिश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है जब तक इस विषय में निर्णय लिया जाएगा।

असम की कोच राजवंशी और करबी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना

(अनुवाद)

6302. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम की कोच राजवंशी और करबी जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन जातियों को उक्त सूची में कब तक शामिल कर लिए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संविधान के अनुच्छेद 342 (2) में यथा निर्धारित संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में कोई समय अनुसूची नहीं बताई जा सकती।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

6303. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री अवध कुमार पटेल :

श्री गुरुदास कामत :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली की और जनसंख्या के प्रवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकसित करने की संकल्पना वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) क्या पिछले एक दशक के दौरान दिल्ली में जनसंख्या-वृद्धि की दर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में उपनगरों की तुलना में बहुत अधिक रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त प्रत्येक राज्य से प्रत्येक वर्ष अनुमानत: कितने लोगों का आगमन हुआ तथा इन राज्यों में दिल्ली के सैटेलाईट नगरों के विकास पर खर्च की गई धन-राशि का ब्योरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विकसित करने हेतु कौन-से नए उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत की अनन्तिम जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुसार 1981-91 के दौरान दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के नगरों और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्राथमिकता वाले नगरों के लिए जनसंख्या की तुलनात्मक वृद्धि दर इस प्रकार है :—

दिल्ली शहरी क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	राजस्थान
46.19 प्रतिशत	67 68 प्रतिशत	53.36 प्रतिशत	46.75 प्रतिशत

(ग) पिछले वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से दिल्ली में प्रवजन का वार्षिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले नगरों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001 में जनसंख्या पर्यावास पद्धति, गतिविधियों और अधमंरचा और रोजगार क्रियाकलापों के विकास तथा दिल्ली से आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में नीति विषयक उपायों का प्रस्ताव किया गया है जिन्हें चरण बद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है।

विवरण

1988-89 से 1990-91 की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजनाओं पर हुए व्यय का विवरण।

	हरियाणा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	योग
				(रुपये लाखों में)
1988-89	1223.69	139.50	1676.58	3039.77
1989-90	638.00	225.48	1141.00	2904.48
1990-91	40.74	494.28	785.18	1320.20

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डाक्टरों द्वारा हड़ताल

6304. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति ।

श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री महेश्वर साबे :

श्री बी. श्री दास प्रसाद :

श्री तेज नरायण सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेजिडेंट डाक्टरों द्वारा हड़ताल करने के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प पड़ गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए :

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं 22.8.81 से 29.8.91 तक रजीडेंट डाक्टरों की हड़ताल के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुई थीं। रेजीडेंट डाक्टरों ने हृदय-वक्ष वाहिका शल्य चिकित्सा विभाग के संकाय के कथित दुर्व्यवहार एवं शल्यीय क्रियाएं करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुमति न दिए जाने के कारण हड़ताल की थी। तथापि, अब यह हड़ताल रेजीडेंट डाक्टर एसोसिएशन तथा निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, के बीच 29.8.9 को एक समझौता हो जाने के कारण, समाप्त हो गई है तथा संस्थान में सामान्य सेवाएं फिर से आरम्भ हो गई है ।

केन्द्रीय विद्यालय, गुंटूर के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

6305. श्री लालजान बास एस. एम.

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन, गुंटूर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विद्यमान केन्द्रीय विद्यालय, के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के रिकार्ड के अनुसार गुंटूर में विद्यमान केंद्रीय विद्यालय को अतिरिक्त सुविधाएं देने के सम्बन्ध में केंद्रीय विद्यालय अध्यापक संघ, गुंटूर द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि केन्द्रीय विद्यालय, गुंटूर से इस संबंध में पुष्टि की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक निर्माण

हिन्दी]

6306. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्रीअर्जुन सिंह यादव :

श्री राम लखन सिंह यादव :

डा सी. सिलवेरा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यि निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आवासीय जगह को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बदलने पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक निर्माण को रोकने हेतु सरकार जो कदम उठा रही है उसका ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा केन्द्र और संस्थाओं को सहायता

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न केन्द्रों और संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों द्वारा किए गये कार्य का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में इन केन्द्रों का कार्यनिष्पादन सन्तोषजनक रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ने अपनी सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसार 25 संस्थानों व छः क्षेत्रीय केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है :

(i) अनुसन्धान संस्थान

रु. लाखों में

	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1	2	3	4
1987-89	85.10	167.10	252..0

1	2	3	4
1989-90	121.23	194.55	315.78
1990-91	81.62	242.70	324.32
	287.95	604.35	892.30

(ii) क्षेत्रीय केन्द्र

	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1988-89	2.90	24.10	27.00
1989-90	3.50	27.82	31.32
1990-91	3.00	29.00	32.00
	9.40	84.32	90.32

(ख) 1988-89 व 1989-90 के दौरान 31 अनुसन्धान परियोजनाएं पूरी की गई थी, 100 पुस्तकें, 217 मोनोग्राफ व 1279 वर्किंग/ओकेजनल पेपर प्रकाशित किए गए थे। 427 सेमिनार, कार्यशालाएं व अनुसन्धान प्रणालीविज्ञान पाठयक्रम भी आयोजित किये गये थे। इसी अवधि के दौरान 44 अध्येताओं को पी.एच.डी. डिग्री प्रदान की गई व 49 अध्येताओं ने अपना पी. एच. डी. शोधग्रंथ प्रस्तुत किया। 1989-90 के अन्त में 236 अध्येता अनुसन्धान संस्थानों में अनुसन्धान संस्थानों में अनुसन्धान के अस्थायी मामलों पर कार्य कर रहे थे। 1990-91 के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

पिछले 2 वर्षों के दौरान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान के क्षेत्रीय केन्द्रों ने विश्वविद्यालयों के दौरान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुएन्धान के क्षेत्रीय केन्द्रों ने विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के मूल विषयों पर 10 कार्यशालाएं/सेमिनार और 10 अनुसन्धान प्रणालीविज्ञान पाठयक्रम आयोजित किए। केन्द्र वित्तीय सहायता देकर क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों/पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा दे रहे हैं।

(ग) परिषद् बिहार के केवल एक अनुसन्धान संस्थान अर्थात् ए.एन. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना को सहायता देती है, जिसका भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के अनुसार कार्य सन्तोषजनक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

[अनुवाद]

6308. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 में किए गए प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसका कब तक गठन किए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संविधान (65 वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग बहुत जल्दी स्थापित किया जा रहा है।

विदेशों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों का शोषण

6309. डा जी एल. कनोजिया।

श्री बीरेन्द्र सिंह :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री बी.एल शर्मा "प्रेम" :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्प्रवासी महासंरक्षक के पास पंजीकृत विदेशी भर्ती एजेंटों द्वारा किए जा रहे कदाचार के बारे में कितनी शिकायतें दर्ज की गई;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इन भर्ती एजेन्सियों द्वारा विदेशों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के शोषण को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 (जुलाई तक) के दौरान पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 48, 57 और 24 थी .

(ख) सूचना संकलित की जा रही है।

(ग) जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तब शिकायत की प्रकृति के आधार पर इनकी जांच पुलिस और विदेशों में सम्बन्धित भारतीय मिशन की सहायता से जाती है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उद्देश्य उत्प्रवासी कर्मकारों को शोषण से बचाना है। भारतीय मिशन भी शिकायतों को दूर करने के लिए उस समय उचित कार्रवाई करते हैं, जब उनके ध्यान में ऐसी कोई शिकायत लायी जाती है।

दिल्ली राज्य वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

6310. श्री कालका दास :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य वित्त निगम किन श्रेणियों के लोगों को ऋण देता है और किस उद्देश्य के लिए देता है;

(ख) उपक्रमवार दिए जाने वाले ऋण की अधिक और कम से कम सीमा कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें अनुदान देने के लिए कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिए गए ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है और यह ऋण कितनी अवधि के लिए दिया जाता है; और

(च) इस निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने लोगों को ऋण दिया गया है और इसकी राशि कितनी है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को बैंक-ग्रहण सृजन योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए ऋण की अधिकतम सीमा समान रूप से 3500 रुपये हैं और न्यूनतम 1500 रुपये।

(ग) और (घ) इमदाद के लिए भी प्रावधान है, जो 5000/-रुपए की धनराशि की सीमा के अध्यधीन कुल परियोजना लागत के 50% की दर से प्रदान की जाती है।

(ङ) यह निगम, लाभग्राहियों को प्रदान किए गये सीमान्त धन ऋणों पर 40 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है। अवायगी 36 महीनों के अन्दर की जानी होती है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा जिन लाभग्राहियों को ऋण दिये गए उनका ब्यौरा तथा ऋण की राशि निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	ऋण की राशि
1988-89	3823	39.65
1989-90	4333	63.87
1990-91	3066	61.39

"अण्डमान के कर्मशील महिला आवास में चांचली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6311. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1991 के हिन्दी समाचार पत्र "जिलट्ज" में "अण्डमान के कर्मशील महिला आवास में खांचली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है:

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां अन्य बातों के साथ-साथ ये आरोप लगाए गए हैं कि हॉस्टल प्राधिकारी संविदियों से बहुत अधिक किराया/लाइसेंस शुल्क वसूल कर रहे हैं, भवन की मरम्मत और रखरखाव पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, वार्डन को अपर्याप्त वेतन दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त नहीं है और लेखे भी उचित ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) केन्द्र शासित प्रशासन को इन पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया है। "विधवा देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता" योजना के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक अनुदानग्राही संस्था द्वारा गठित हॉस्टल प्रबंध समिति में नामित अपने प्रतिनिधियों के जरिए राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन, हॉस्टलों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण पर नियन्त्रण रखते हैं।

वसंत कुंज में डी. डी. ए. मार्केट

[अनुवाद]

6312. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसन्त कुंज, नई दिल्ली स्थित डी. डी. ए. मार्किट में अभी तक दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्केट का निर्माण कब हुआ था और दुकानें आवंटित/न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना घाटा हुआ;

(घ) दुकानों को किराए पर देने अथवा बेचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऐसी मार्केटों की संख्या कितनी है जहां दुकाने अभी तक आवंटित नहीं की गई है/बेची नहीं गई हैं;

(च) क्या इन दुकानों को स्नातक बेरोजगार को उचित मूल्य पर किराये पर देने अथवा बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वसन्त कुंज, नई दिल्ली स्थित डी. डी. ए. मार्किट में अभी भी कुछ दुकानें आवंटित नहीं की गई हैं।

(ख) वर्ष 1986 से 1991 के दौरान, वसन्त कुंज क्षेत्र में विभिन्न मार्किटों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 21 स्कीमें प्रारम्भ की गई थीं। दुकानों को बिक्री न किए जाने के कारण सूचनानुसार इस प्रकार हैं।

(1) एक ही मार्किट में सभी दुकाने एक ही समय आवंटित नहीं की जाती है।

(2) बाजार में सामान्य मंदी है।

(ग) दुकानों का बिक्री मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई हानि नहीं है।

(घ) दुकानें किराये पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। 13 स्कीमों के अन्तर्गत दुकानों की नीलामी/आवंटन के लिए तारीख निर्धारित कर दी गई है।

(ङ) 17 मार्किटों में, केवल एक दुकान को आवंटित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, ऐसी 79 मार्किट है जिनमें एक से अधिक दुकानें आवंटित की जानी शेष है।

(च) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मोतिया खान, दिल्ली से झुग्गियों को स्थानान्तरित करना

[हिन्दी]

6313. श्री अरविन्द नेताम।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार का विचार मोतिया खान, दिल्ली से झुग्गियों को हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का है, और

(ख) यदि हां, तो इन झुग्गियों को हटाकर किस स्थान पर ले जाने का विचार है तथा इन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) पात्र अनधिवासियों को 199 के अंत तक स्थानान्तरित कर दिये जाने की आशा है। वह स्थान जहां झुग्गी निवासियों को स्थानान्तरित किया जाएगा, वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय विद्यालयों, लखनऊ के सहायक आयुक्त के घेराव का निर्णय

[अनुवाद]

6314. डा. सुधीर राय।

श्री रामविलास पासवान :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री जगद्रजोत यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 9 सितम्बर, 1991 से केन्द्रीय विद्यालयों के सहायक आयुक्त, लखनऊ का 'घेराव' करने के अपने निर्णय की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मांग के प्रति केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्या दृष्टिकोण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां ।

मांगों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

1. 30.4.1988 तक नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों/कर्मचारियों की पुष्टि ।
2. सीनियर वेतनमान और दक्षतारोध स्वीकृत करना ।
3. कर्मचारियों को पीड़ित करने के लिए प्रिंसिपलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई ।
4. अधिकृत चिकित्सा परिचारकों की नियुक्ति ।
5. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए सामान्य हित के परिपत्रों की प्रतियों की आपूर्ति ।
6. अन्तर क्षेत्रीय स्थानान्तरणों के अनुरोधों पर कार्यवाही करना ।
7. 6 महीनों से अधिक के विलम्बित मामलों का निपटान और बकाया राशियों का भुगतान ।
8. वर्ष 1989-90 की वार्षिक चरित्र पंजियों के सम्बन्ध में दिए गए अभ्यावेदनों का निपटान ।
9. केन्द्रीय विद्यालय, मेमौर, लखनऊ, केन्द्रीय विद्यालय, इफको बरेली और ऐसे ही अन्य विद्यालयों के कार्यों की देख-भाल ।
10. सेवा-निवृत्ति दिन कर्मचारियों को टर्मिनल लाभों का निपटान ।
11. सहायक आयुक्त, के. वि. स., लखनऊ के साथ मासिक द्विपक्षी बैठकें आयोजित करना ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों की आंदोलन की धमकी" शीर्षक समाचार

6315. डा. सुधीर राय :

श्री रामप्रकाश चौधरी ।

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों की आंदोलन की धमकी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी, चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को न लागू करना तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए स्थानान्तरण आदेशों के पुनरीक्षण की मांगें भी शामिल हैं। इनमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व न दिए जाने का मुद्दा भी शामिल है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि मांगे पूरी न की गईं तो संवैधानिक आंदोलन का सहारा भी लिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है तो भी सरकार कर्मचारियों की किन्हीं भी उचित शिकायतों पर विचार करने के लिए सदैव तत्पर है ताकि कोई उचित समाधान ढूंढा जा सके।

सम्पदा निदेशालय की बकाया रकम

6316. श्री बलराज पासी :

श्री दत्तात्रेय बंडारु :

श्री बी. ए. शर्मा "प्रेम" :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सम्पदा निदेशालय द्वारा व्यक्तियों और पार्टियों को आवंटित मकानों के किराये के रूप जिन व्यक्तियों और पार्टियों पर एक लाख रुपयों से अधिक बकाया रकम है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने मकान खाली कर दिए हैं;

(घ) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध मकान खाली न करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और

(ङ) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामान्य पूल के मकान

6317. श्री बलराज पासी :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य पूल में मकानों की विभिन्न श्रेणियों की मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितने मकान आवंटित किए गए और इनका प्रतिशत कितना है;

(ग) इस अवधि के दौरान श्रेणीवार कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के लिए आवंटित बजट तथा उसमें से व्यय की गई धन राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए मकान बनाने के कार्यक्रम का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री. एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित लघु और मझले शहर विकास योजना के अन्तर्गत सहायता

6318. श्री बलराज पासी :

श्री अनादि चरण दास :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान समेकित लघु और मझले शहर विकास योजना के अन्तर्गत (राज्य-वार) प्रत्येक शहर के लिए, वर्ष-वार, दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/कस्बा	छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के 1988-89 1989-90 1990-91 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता		
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	रामचन्द्रमपुरम	—	1.000	—

1	2	3	4	5
2.	तेनाली	2.000	1.000	—
3.	अनकमलाई	—	—	—
4.	विजयनगरम	—	—	—
5.	भीमवरम	—	1.500	—
6.	करीम नगर	—	—	—
7.	तिरुपति	—	1.360	—
8.	श्रीकाकुलम	5.000	1.500	—
9.	मेडक	1.000	1.000	—
10.	गुंटाकल	2.500	1.000	—
11.	चितुर	—	—	—
12.	गादवल	1.000	1.000	—
13.	नादयाल	—	—	—
14.	प्रोदातुर	—	—	—
15.	महबूब नगर	—	—	—
16.	भीमूनीपतनम	—	—	—
17.	जहिराबाद	10.000	—	—
18.	सिदीपेट	—	—	—
19.	ओंगोल	15.000	10.980	—
20.	गुडीवडा	—	10.000	—
21.	अदिलाबाद	—	25.000	—
22.	नालगोंडा	—	—	—
23.	कावली	—	—	—
24.	यमीगानर	—	—	—
25.	पेडापुरम	—	—	—
26.	खम्माम	25.000	—	—
27.	मछलीपटनम	—	29.750	—
28.	थडीपल्लीगुडम	—	—	27.500
29.	ताडपूटरी	—	—	20.000
30.	कामरड्डी	—	—	10.000
31.	नरसारावपेट	—	—	27.000
योग :		61.500	85.090	85.000

1	2	3	4	5
असम				
1.	तीनसुखिया	—	—	—
2.	सिलचर	—	—	—
3.	तेजपुर	—	—	—
4.	जोरहाट	—	—	—
5.	डिब्रूगढ़	2.500	—	—
6.	डिपू	10.000	—	—
7.	करीमगंज	23.000	—	—
8.	नागांव	24.000	—	—
9.	अपलौंग	—	29.550	—
10.	बोइंग-गांव	—	29.750	—
11.	सिबसागर	—	—	25.000
12.	धुबरी	—	—	25.000
13.	गोलाघाट	—	—	15.000
योग :		59.500	59.500	65.000
बिहार				
1.	हाजीपुर	—	—	—
2.	गोपालगंज	—	19.000	—
3.	शहरशा	—	18.140	—
4.	डाल्टन गंज	—	—	—
5.	छपरा	10.000	—	—
6.	दुमका	—	—	—
7.	झाईबासा	—	—	—
8.	बेगुसराय	—	—	—
9.	देवघर	—	—	—
10.	मधेपुरा	1.000	—	—
11.	हजारीबाग	—	—	—
12.	बेतिया	—	—	—

1	2	3	4	5
13.	गिरीडिह	—	3.000	—
14.	धनबाद	2.950	—	—
15.	कटिहार	—	—	—
16.	सिवान	12.000	—	—
17.	किशनगंज	—	—	—
18.	सीतामढ़ी	—	—	—
19.	बकसर	—	—	—
20.	पुरणिया	—	—	—
21.	नवदाहा	30.000	—	—
22.	बोधगया	20.000	—	—
23.	मधुबनी	—	29.545	—
24.	बिहारशरीफ	—	29.750	—
25.	दरभंगा	—	29.750	—
26.	जहानाबाद	—	—	27.500
27.	साहिबगंज	—	—	20.000
योग :		75.950	129.085	47.500
गोवा				
1.	पणजी	—	—	—
2.	मरमागांव	—	—	—
3.	पोंडा	—	—	10.000
योग :		0.000	0.000	10.000
गुजरात				
1.	आनन्द	—	—	—
2.	पटन मोर्थ	3.000	—	4.520
3.	पोरबन्दर	—	—	—
4.	वलसाद	—	—	—
5.	वरावलपट्टन	—	—	—

1	2	3	4	4
6.	पालनपुर	—	—	8.060
7.	अंकलेश्वर	—	—	—
8.	दाहोद	3.000	—	—
9.	मेहमदाबाद	12.000	—	—
10.	गोधरा	—	—	—
11.	भुज	6.000	—	—
12.	अमरेली	3.000	—	—
13.	मेहसाणा	3.000	—	—
14.	जामजोधपुर	20.000	—	—
15.	कलोलसिंह	—	—	—
16.	सानंद	—	—	—
17.	देहगम	4 500	—	—
18.	विसा	—	—	—
19.	महुवा	23.500	—	—
20.	बिल्लीमोरा	13.000	—	—
21.	विशनगर	23.000	—	—
22.	उपलेटा	33.000	—	—
23.	उंझा	21.000	—	—
24.	गोंडल	—	—	—
25.	नवसारी	23.000	—	—
26.	हिम्मतनगर	—	29.750	—
27.	जुनागढ़	—	29.750	—
28.	सुरेन्द्र नगर	—	—	27.500
29.	बोटाड	—	—	15.000
30.	मोरबी	—	—	25.000
योग :		191.600	59.500	80.080
हरियाणा				
1.	अम्बाला	17.000	2.000	—

1	2	3	4	5
2.	सिरसा	12.000	2.000	—
3.	सोहना	10.000	—	—
4.	करनाल	—	—	—
5.	कुरुक्षेत्र	—	—	—
6.	हिसार	2.000	—	—
7,	भिवानी	20.000	—	—
8.	साहबाद	15.000	23.000	—
9.	जिन्द	—	29.750	—
10.	सोनीपत	—	29.750	—
योग :		76.000	86.500	0.000
हिमाचल प्रदेश				
1.	कसुमप्ति (शिमला)	—	—	—
2.	मण्डी	—	—	—
योग :		0.000	0.000	0.000
जम्मू और कश्मीर				
1.	अनंतनाग	8.000	1.820	—
2.	कथूआ	—	—	—
3.	लेह	—	—	15.000
4.	डोडा	—	—	27.500
योग :		8.000	1.820	42.500
कर्नाटक				
1.	हासन	—	—	—

1	2	3	4	5
2.	चित्रदुर्ग	5.600	—	—
3.	तुमकुर	—	3.160	—
4.	रायचूर	—	3.280	—
5.	होसपेट	8 000	—	—
6.	छन्नापाटना	—	5.840	—
7.	कनकपुरा	—	—	—
8.	मनदी	1.000	—	—
9.	हसनाबाद	—	—	—
10.	होलनर्सीपुर	—	—	—
11.	सागर	2.590	—	—
12.	साहपुर	2.500	—	—
13.	जमखंडी	—	27.180	—
14.	खुशाल नगर	1.360	—	—
15.	रानीबेन्नूर	—	12.000	—
16.	करकला	20.0 0	—	—
17.	चिक्कबल्लापुर	—	—	—
18.	रामानगरम	24.000	—	—
19.	सिरसी	—	—	—
20.	हरिहर	32.000	—	—
21.	सिद्धापुर	25.000	—	—
22.	कोल्लेगल	20.000	—	—
23.	गोकाक	15.000	—	—
24.	बासवकल्याण	—	—	15.000
25.	कोलार	—	—	19.000
26.	ऊटमी	—	—	17.500
27.	शिकारीपुर	—	—	18.000
योग :		157.050	50.760	68.500

1	2	3	4	5
केरल				
1.	गुरुवायूर	—	1.000	—
2.	कोट्टायम	1.000	1.000	—
3.	त्रिचूर	—	—	—
4.	कायमूलम	—	—	—
5.	तेलीचेरी	1.000	1.000	—
6.	तिरूर	—	—	—
7.	छेंगन्नाचेरी	—	—	—
8.	बादागरा	1.000	1.000	—
9.	मल्लापुरम	—	—	—
10.	चोट्टूपुझा	2.000	1.000	—
11.	मंजेरी	—	—	—
12.	पालघाट	30.000	—	—
13.	कन्नोर	24.000	—	—
14.	कासरगुड्डू	—	—	25.000
15.	मूवातूपूझा	—	—	15.000
16.	पूनालूर	—	—	6.500
17.	कलपट्टा	—	—	7.000
18.	नेय्याट्टिनकरा	—	—	1.500
योग :		59.000	5.000	55 000
मध्य प्रदेश				
1.	बिलासपुर	1.000	—	—
2.	खजुराहो	—	16.730	—
3.	देवास	—	—	—
4.	इटारसी	1.000	—	—
5.	रेवा	1.000	—	—
6.	कटनी	15.000	—	—

1	2	3	4	5
7.	बुरहानपुर	1.000	—	—
8.	मुरैना	16.000	—	—
9.	डोंगरगढ़	5.000	—	—
10.	राजनन्द गांव	7.000	—	—
11.	बालघाट	2.000	—	—
12.	खिदवाड़ा	3.500	—	—
13.	हरदा	2.000	—	—
14.	बैतूल	2.000	—	—
15.	गुना	25.000	—	—
16.	सिवनी	8.000	—	—
17.	होसंगाबाद	—	24.000	—
18.	गदरवाड़ा	—	23.000	—
19.	पचमेढ़ी	—	—	—
20.	अमरकंटक	15.000	—	—
21.	कोटा	—	—	—
22.	सहडोल	—	25.000	—
23.	मंडेर	—	—	—
24.	मऊ	—	—	—
25.	जबलपुर	24.000	—	—
26.	रतलाम	—	10.000	—
27.	भिलाईदुर्ग	—	29.750	—
28.	सतना	—	29.750	—
29.	सतपुड़ा	—	24.000	—
30.	बेतल	—	—	15.000
31.	आवेदुल्लागंज	—	—	25.000
32.	निमच	—	—	27.500
33.	भिंड	—	—	27.500
34.	दमोह	—	—	27.500

1	2	3	4	5
35.	लहोर	—	—	25.000
36.	विदिशा	—	—	10.000
37.	पन्ना	—	—	27.500
योग :		128.500	182.230	185.000
महाराष्ट्र				
1.	मनमाड़	2.250	2.250	—
2.	बारसी	0.505	—	—
3.	बारसीवैंकनाथ	2.000	—	0.500
4.	यवतमाल	—	—	—
5.	सतारा	—	—	—
6.	रतनागिरी	—	—	—
7.	कटोल	2.720	—	—
8.	अमलनेर	—	—	—
9.	परभानी	—	—	—
10.	कैम्पटी	—	—	6.310
11.	निवास	—	—	13.000
12.	उसमानाबाद	—	—	—
13.	मोरसी	—	—	—
14.	हिंगाघाट	2.800	—	—
15.	जालन	—	—	—
16.	अम्बेगोमई	—	—	—
17.	सेल्लू	—	—	—
18.	डिगरास	8.560	—	—
19.	भंडारा	—	—	—
20.	वसीम	—	—	—
21.	इसलामपुर	10.850	0.150	—

1	2	3	4	5
22.	बारामती	—	—	—
23.	पंढारपुर	4.000	—	5.000
24.	रामटेक	—	22.000	—
25.	निलांगेर	22.000	4.000	—
26.	चिपलुन	—	—	—
27.	अकोट	—	13.000	—
28.	तुलजापुर	—	13.000	—
29.	वर्धा	—	13.040	—
30.	इंगतपुरी	—	—	—
31.	पुसाद	—	25.375	—
32.	कराड	25.000	—	1.000
33.	बिड	20.000	—	—
34.	चन्द्रपुर	—	29.750	—
35.	गढ़चिरोली	—	—	27.500
36.	गोंडिया	—	—	22 000
37.	चोपड़ा	—	—	15.000
38.	जामगांव	—	—	27.500
39.	नरखेड	—	—	27.500
40.	मलकापुर	—	—	27.500
41.	नंदुरबार	—	—	27.500
42.	पेठान	—	—	18.000
योग :		100.685	122.565	218.310
मणिपुर				
1.	खिरोबम्ब	—	—	2.920
2.	कांकछिग	—	—	2.000
3.	लामलाई	—	—	11.000

1	2	3	4	5
4.	बिशनुपुर	—	—	11.000
5.	इम्फाल	—	—	27.500
योग :		0.000	0.000	54.420
मेघालय				
1.	शिलांग	12.000	4.000	—
2.	तुरा	20.000	—	4.600
3.	जोवाई	14.000	—	—
4.	नोंगस्टाईन	—	29.750	—
5.	विलियम नगर	—	29.750	—
6.	सोरा	—	—	20.000
योग :		46.000	63.500	24.600
मिजोरम				
1.	अजवाल	—	3.500	—
2.	लुंलेई	—	—	—
योग :		0.000	3.500	0.000
नागालैंड				
1.	कोहिमा	4.000	—	1.200
2.	तयूनसांग	20.000	—	—
3.	मोकोकचुंग	—	24.000	—
4.	जुनहेबतो	—	—	25.000
योग :		24.000	24.000	26.200
उड़ीसा				
1.	पुरी	—	—	—
2.	सम्बलपुर	—	—	—
3.	बलसोर	—	—	—
4.	राउरिकला	—	—	—

1	2	3	4	5
5.	जेपोर	—	—	—
6.	ढेनकनाल	—	—	—
7.	केआझार	—	8.000	8.000
8.	बारीपाडा	7.450	—	—
9.	बोंगोर	25.000	—	1.000
10.	पारादीप	18.000	—	18.000
11.	कोरापुट	20.000	—	20.000
12.	फुलबनी	—	29.750	—
13.	भवानी पटना	—	29.750	11.250
14.	केन्द्रपाडा	—	—	10.000
15.	अगुल	—	—	25.000
16.	जाजपुर रोड	—	—	25.000
17.	बारगढ़	—	—	25.000
18.	रायगडा	—	—	15.000
19.	गोहालपुर	—	—	20 000
योग :		70.450	67.500	178.250
पंजाब				
1.	पठानकोट	—	—	—
2.	होशियारपुर	—	—	—
3.	संगरूर	—	—	—
4.	मोगा	—	—]	—
5.	फगवाडा	—	—	—
6.	लुधियाना	—	—	—
7.	भटिंडा	—	—	—
8.	बटाला	—	—	—
9.	बरनाला	6.000	0.240	—
10.	कपूरथला	20.000	1.660	—
11.	गुरदासपुर	—	13 300	—

1	2	3	4	5
12.	नाभा	15.000	3.500	—
13.	रोपड़	—	20.000	—
14.	पटियाला	—	13.000	—
15.	गोबिन्दगढ़	—	29.750	—
योग :		41.000	81.450	0.000
राजस्थान				
1.	पाली	—	—	—
2.	बारान	—	—	—
3.	भिलवाड़ा	—	—	—
4.	सिकर	—	—	—
5.	चुरु	—	—	—
6.	सुमेरपुर	—	—	—
7.	नाथदवारा	—	—	—
8.	बारमेड	—	—	—
9.	गगानगर	—	—	—
10.	जैसलमेर	—	—	—
11.	चितोडगढ़	—	—	—
12.	जालौर	6.000	—	—
13.	सिरोही	—	6.000	—
14.	माऊंट आबू	—	26.000	—
15.	बासिवाड़ा	—	6.000	—
16.	भीनमाल	6.000	—	—
17.	डुंगरपुर	24.000	22.000	—
18.	भरतपुर	—	29.750	—
19.	नागौर	—	—	27.500
20.	पुष्कर	—	—	27.500
21.	किशनगढ	—	—	27.500
योग :		36.000	89.750	82.500

1	2	3	4	5
सिक्किम				
1.	जोरथेंग	20.000	—	—
2.	नामची बाजार	—	—	—
3.	रंगटोक	—	29.750	—
योग :		20 000	20 750	0.000
तमिलनाडु				
1.	ऊटकमंड	—	—	—
2.	करूर	—	—	—
3.	धर्मपुरी	—	—	—
4.	उडुकोटई	—	—	—
5.	तिरुछानगुडी	—	—	—
6.	पलानी	7.000	1.5700	—
7.	गोब्बीछेतीपलयाम	—	—	—
8.	मन्नारगुडी	2.000	2.250	—
9.	धर्मपुरम	—	—	—
10.	मेतुपलियाम	5.000	2.000	—
11.	छिंगलपट्टू	—	—	—
12.	कोनूर	—	—	—
13.	अत्तूर	—	—	—
14.	त्रिचनामलाई	—	—	—
15.	उदमलपेट	—	—	—
16.	नम्मक्काल	—	—	—
17.	कोविलपट्टी	—	—	—
18.	होसूर	1.290	—	—
19.	पुलाछी	—	—	—
20.	वेनियालीनगरम	—	—	—
21.	नागापट्टिनम	—	—	—
22.	रानीपेट-आरकाट-वल्लाज	—	—	—

1	2	3	4	5
23.	पनरुती	—	—	—
24.	कराईकुड्डी	—	4.500	—
25.	कल्लाकुरुची	—	—	—
26.	आरनी	—	—	—
27.	अर्राकोनम	—	—	—
28.	शिवगंगा	—	10.000	—
29.	मधुरमतकम	—	16.000	—
30.	आंदीपट्टी	—	20.000	—
31.	पट्टुकोटई	—	—	—
32.	अरुपकुटई	—	20.000	—
33.	अरनतांगी	—	—	—
34.	रामनाथ पुरम	—	16.000	5.000
35.	रामेश्वरम	—	—	20.000
36.	आर्यालुर	—	—	20.000
37.	सत्यामंगलम	—	18.000	—
38.	कुट्टीकोरिन	24.000	—	20.000
39.	सलेम	—	29.750	—
40.	कुडेईकनाल	—	29·750	—
41.	तिरुनेलवेली	—	29.750	—
42.	त्रिपुर	—	29.750	—
43.	थिरुवेदी पुरम	—	—	18.000
44.	परमकुडी	—	—	27.500
45.	पंजाई-पलीयमपट्टी	—	—	27.500
46.	थिरुपथुर	—	—	27 500
47.	राशिपुरम	—	—	27.500
48.	मामल्लापुरम	—	—	25.000
49.	टिंडीवायम	—	—	27.500
50.	विरुधाचलम	—	—	27.500
योग :		39.290	229.320	273.000

1	2	3	4	5
	त्रिपुरा			
1.	उदयपुर	7.000	—	—
2.	कैलाशाहार	20.000	—	—
3.	धर्मनगर	—	—	—
4.	अगरतला	—	20.000	—
5.	अमरपुर	—	—	20.000
	योग :	27.000	20.000	20.000
	उत्तर प्रदेश			
1.	जौनपुर	2.000	—	—
2.	फतेहपुर	5-126	—	—
3.	आजमगढ़	—	—	—
4.	हाथरस	22.000	—	—
5.	बान्दा	3.500	—	—
6.	बाराबंकी	6.006	—	1.000
7.	राय बरेली	—	2.000	—
8.	अलमोड़ा	17.000	—	—
9.	एटा	2.000	—	—
10.	बलिया	2.500	—	—
11.	महोबा	3 800	—	—
12.	कासगंज	—	—	—
13.	गाजीपुर	6.000	—	—
14.	सीतापुर	—	—	—
15.	मैनपुरी	—	—	—
16.	हरदोई	5.000	—	—
17.	बिजनौर	16.000	—	—
18.	उरई	2.000	—	—
19.	देवरिया	2.500	—	—
20.	बदायूं	17.000	—	—

1 2	3	4	5
21. अमेठी	11.000	2.000	—
22. काशीपुर	14.000	3.000	—
23. पदरौना	—	4.000	—
24. सुलतानपुर	20.000	15.000	—
25. बिसवान	24.000	—	—
26. सामली	—	—	—
27. बडोही	—	—	—
28. मोनाबभन्जन	—	—	—
29. सादिल्ला	—	—	—
30. पीलीभीत	—	—	—
31. बहराइच	—	—	—
32. ललितपुर	—	—	—
33. मिर्जापुर	—	—	—
34. इटावा	—	—	24.000
35. सम्भल	—	—	—
36. हल्द्वानी	—	17.000	—
37. लखीमपुर	—	—	27.500
38. सिकन्द्रा राव	—	—	10,000
39. कौंच	—	—	27.500
40. कैराना	—	—	27.500
41. मोदी नगर	—	—	25.000
42. जालेसर	—	—	15.000
43. औरइया	—	—	4.00
44. उरई	—	—	18.000
45. गौंडा	—	—	19-000
योग :	181-426	44.000	198 500
पश्चिम बंगाल			
1. खडगपुर	—	—	—

1 2	3	4	5
2. मिदनापुर	—	14.990	—
3. बांकुरा	—	—	—
4. कलिमपौंग	1.000	—	—
5. कूचबिहार	—	—	—
6. पुरलिया	12.000	—	—
7. इंग्लिश बाजार	1.000	—	—
8. कृष्णा नगर	5.000	—	—
9. सुरी	—	2.000	—
10. तारकेश्वर	—	2.000	—
11. जलपाईगुड़ी	1.500	—	—
12. सिलिगुड़ी	2.720	3 630	—
13. दार्जिलिंग	6.000	—	—
14. बेरहमपुर	2.500	—	—
15. बेल्लूरघाट	—	0.700	—
16. विशणुपुर	—	—	—
17. बसीरहाट	2.500	1.180	—
18. रायगंज	6.000	1.000	—
19. राणाघाट	7.060	—	—
20. कटवा	—	2 000	—
21. बोलपुर	26.000	—	—
22. आरामबाग	—	27.000	—
23. कौटई	—	—	—
24. हावड़ा	—	21.000	—
25. रानीगंज	—	—	—
26. हलदिया (एन. सी. यू)	24.000	—	—
27. झारग्राम	—	—	25.000
28. कलना	—	—	26.500
29. जांगीपुर	—	—	27.500

1 2	3	4	5
30. अमीपुरदुर	—	—	15.000
31. रघुनाथपुर	—	—	27.500
योग :	97.220	75.500	121.500
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह			
1. पोर्ट ब्लेयर	—	—	—
कुल योग	0.000	0.000	0.000
दादर और नागर हवेली			
1. सिलवासा	23,235	23.750	—
कुल योग	23.235	23,750	—
लक्यद्वीप			
1. करावती	—	—	25.000
कुल योग	—	—	25.000
पांडिचेरी			
1. कराईकल	25.000	15.750	—
माहे	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	28.000
कुल योग	25.000	15750	28000

नोट। आई. डी. एस. एम. टी. के अन्तर्गत जारी की गई में एल. सी. एस. उपकरण शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय युवा नीति

6319. श्री मुरलीधर नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करते समय आदिवासी युवकों के लिए एक नई योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 1990 91 से पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक विशेष योजना शुरु की है। यह विशेष योजना जनजाति युवाओं में जागृति पैदा करने के कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, दक्षता का उन्नयन करने, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रमों और जनजातीय लोक कला और संस्कृति का संवर्धन करने पर विशेष ध्यान देती है। योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम विविध युवा संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकारों के माध्यम से किए जाते हैं। वर्ष 1990 9. में 75 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी और वर्ष 1991-92 का बजट प्रावधान 60 लाख रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी की स्मृति में शुरू किए गए कार्यक्रम

6320. श्री प्रतापराव जी. भोंसले।

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 अगस्त, 1991 को राजीव गांधी की वर्षगांठ के अवसर पर उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम शुरु किए हैं,

(ख) क्या इन कार्यक्रमों में गरीब लोगों के उत्थान के कोई कार्यक्रम भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मन्त्रालय द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

(क) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय संग्रहालय से कलाकृतियों और पाण्डुलिपियों का गायब होना

6321. श्री गिरधारीलाल भार्गव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय संग्रहालय से कलाकृतियों और पाण्डुलिपियों के गायब होने और संग्रहालय में कलाकृतियों की खरीद में घोटाला किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या संग्रहालय विदेशों में प्रदर्शनियां आयोजित करता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ये प्रदर्शनियां किन-किन देशों में और कब-कब आयोजित की गईं;

(घ) क्या विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन के लिए अधिकारियों को भी वहां भेजा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो वे संग्रहालय के अधिकारी होते हैं अथवा मंत्रालयों के,

(च) क्या विदेशों में जाने वाले सभी अधिकारी पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी, कार्य मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां, यद्यपि कलाकृतियों के गायब होने के सम्बन्ध में कभी कभी कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं, किन्तु कलाकृतियों की खरीद में घोटाला होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भारत महोत्सव और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के तत्वाधान में निम्नलिखित प्रदर्शनियां भेजी गई हैं।

वर्ष	प्रदर्शनी का नाम तथा अवधि	उस देश का नाम जहां भेजी गई
1988-89	(I) सिल्क रोड एक्सपोजिशन 24.4.88 से 4.9.88 तक	जापान
	(II) इंडियन मिनीएचर पेंटिंग्स जून 88 से सितम्बर 88 तक	बुल्गारिया
1989-90	कोई नहीं।	
1990-91	कोई नहीं।	

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रदर्शनी के कार्य के संबद्ध अधिकारियों को विदेशों में भेजा जाता है।

(च) जी, हां।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश बेगा विकास प्राधिकरण

[हिन्दी]

6322. श्री मोहनलाल झिकराम :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश बेगा विकास प्राधिकरण पर विकास हेतु प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है;

(ख) प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद से दी गई धनराशि और व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) बेगा में हुई वित्तीय और शैक्षिक प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या बेगा प्राधिकरण का कार्यालय बेगा चक में स्थित है अथवा इससे बाहर सौ किलोमीटर दूर इन्दोरी में स्थित है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) 1978 में बेगा विकास प्राधिकरण के गठन के बाद राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को निर्मुक्त आबंटन तथा इसके द्वारा किया गया व्यय नीचे दिया गया है। ये आबंटन भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

(रु. लाखों में)

वर्ष	आबंटित की गई राशि	व्यय
1978-79	5.50	1.50
1979-80	12.00	2.96
1980-81	3.88	2.10
1981-82	9.60	5.00
1982-83	—	3.16
1983-84	—	2.47
1984-85	8.69	7.24
1985-86	26.66	25.10
1986-87	28.00	22.33
1987-88	5.00	20.49
1988-89	68.00	45.76
1989-90(—)	98.36	38.52
	(सिविल जमा के अन्तर्गत जमा करवाया गया)	
1990-91	244.36	98.91
कुल योग	411.69	275.54

उक्त राशियों के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पेयजल के लिए किए गए वर्षवार आबंटन तथा बेगा विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(रु. लाखों में)

वर्ष	आबंटित राशि	व्यय
1	2	3
1987-88	105.55	20.00

1	2	3
1988-89	58.50	6.30
1989-90	54.985	40.00
1990-91	169.985	84.30
कुल	389.02	150.60

(ग) वित्तीय स्थिति पहले ही इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) में दी जा चुकी है। शैक्षिक प्रगति नीचे दर्शाई गई है:—

(1) बेगा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 50 आश्रम स्कूल तथा 170 मैट्रिक पूर्व होस्टल चलाए जा रहे हैं जिनमे बेगा बच्चे भी लाभान्वित होते हैं।

(2) 8 आश्रम स्कूल अनन्य रूप से बेगा बच्चों के लिए खोले गए हैं।

(3) क्योंकि 10 आदिवासी विकास खण्ड क्षेत्रों में बेगाओं में साक्षरता की प्रतिशत दर 5 प्रतिशत से भी कम, उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले बेगा बच्चों को राज्य छात्रवृत्ति ऊंची दरों पर दी जाती रही है। छात्रवृत्तियों की बढ़ी हुई दरें निम्न प्रकार हैं:—

कक्षा	पुरुष	महिला
6 से 8	40.00	40.00 प्रति मास
9 से 10	50.00	50.00 प्रति मास

(4) : बेगाओं में महिला शिक्षकों प्रोत्साहन देने हेतु, प्रत्येक बेगा छात्रा को जो पांचवीं की बोर्ड परीक्षा पास करती है, 250/-रु. का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

(5) क्योंकि बेगा विकास प्राधिकरण का प्रावधान क्षेत्र मांडला, बालाघाट, राजनन्द गांव, शाहडोल तथा बिलासपुर जिलों के 1216 गांवों में फैला हुआ है, बेगा विकास प्राधिकरण का कार्यालय मांडला जिले में डिन्डोरी में खोला गया है। संपूर्ण बेगा बाहुल्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बेगा चक से लगभग 100 कि. मी. दूर मांडला जिले के बेगा चक में केवल 52 गांव हैं।

भूमि का आवंटन

6423. श्री रामशरण यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को पट्टे पर केन्द्रीय सरकार की भूमि के आवंटन की सामान्य प्रणाली क्या है;

(ख) क्या इसमें कोई विसंगति है; और

(ग) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में भूमि पर तथाकथित कब्जा

[अनुवाद]

6324. **श्री मदनलाल खुराना।**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रमेश नगर पश्चिम दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्व खुले आम भूमि पर कब्जा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में अन्यत्र जगहों पर हथियाई गई भूमि का ब्योरा क्या है और यह किसके द्वारा हथियाई गई तथा उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण दिल्ली में भू-खन्ड

6325. **श्री कड़िया मुन्डा :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान अनेक लोगों को दक्षिण दिल्ली में बड़े सस्ते दामों पर भू-खन्डों का आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा संगठनों का ब्योरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान भू-खन्डों का आबंटन किया गया तथा उन भू-खन्डों के क्या दाम निर्धारित किए गए ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का आवंटन

6326. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान भूमि आबंटित किए जाने में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य म
एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख

भारत छोड़ो आन्दोलन के स

[हिन्दी]

6327. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या **मानव ससाधन विकास** मंत्री य

(क) क्या सरकार का भारत छोड़ो
है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्र
राज्य मन्त्री (श्री रगराजन कुमार मंगलम)

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा

गोवा में

6328. **श्री हरीश नरायण प्रभु झांत्ये**

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग

(ख) यदि हां, तो उनके बन्द होने

(ग) इनके बन्द होने के कारण एक
पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन
सूचना के आधार पर 1988-89 की अवधि
उससे प्रभावित होने वाले कर्मकारों की
विवरण संलग्न है।

बैंकों तथा सबद्ध वित्तीय संस्थाओं द्वा
इन्डिया द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के
पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाते हैं। बैंक तथ
इकाइयों के प्रबंधतंत्र द्वारा किए जाने वाले पु
जहां कहीं आवश्यक होता है उनमें सुधार कर

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशिष्ट उ
इयों के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुन
उपाय निर्धारित करने तथा उनको कार्यान्वित
प्राप्त है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा समापटल पर रख दी जाएगी।

भारत छोड़ो आन्दोलन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष का मनाया जाना

[हिन्दी]

6327. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या **मानव ससाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का भारत छोड़ो आन्दोवन को स्वर्ण जयन्ती वर्ष को मनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

गोवा में बन्द एकक

6328. **श्री हरीश नरायण प्रभु झांत्ये :**

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गोआ में कुछ औद्योगिक एकक पूरी तरह बन्द पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो उनके बन्द होने के कारणों सहित इन शब्दों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इनके बन्द होने के कारण एक वार कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और उनके पुर्नवास के लिए क्या कदम उठाए गए थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) उपलब्ध उद्यतन सूचना के आधार पर 1988-89 की अवधि के दौरान बन्द घोषित की गई इकाइयों के नाम, इससे प्रभावित होने वाले कर्मकारों की संख्या तथा बन्दी के कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

बैंकों तथा संबद्ध वित्तीय संस्थाओ द्वारा मामला दर मामला आधार पर रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सम्भावित समा औद्योगिक इकाइयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाते हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं समय समय पर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधतंत्र द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वियन की समीक्षा करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उनमें सुधार करने के लिए कार्यवाही करती हैं।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्ण इकाइयों के बारे में उपचारी उपाय निर्धारित करने तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है।

विवरण

1988-90 के दौरान गोवा में बंद की गई इकाइयों का ब्यौरा

वर्ष	नाम	उद्योग समूह	प्रभावित कर्मकार	बंदी का कारण
1988	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1988 (अनंतिम)	1- मै. सरमाकर उद्योग मुइरियन बरवेज, गोवा	मूल धातु एवं मिश्र धातु उद्योग	18	वित्तीय अभाव
	2- मै. नेशनल बांदेकर स्पेशियलिटी वेल्यू कारपोरेशन, चुआरी नगर, गोवा।	मशीन, मशीन के औजार तथा पुर्जों का निर्माण	52	—वही—
	3- मै. गोवा आक्सीजन प्रा. लि., मारगांव।	गैस एंड स्टोम	33	कच्चे माल की कमी
1990 (अनंतिम)	4- टायर्स इंडिया बिचोलाइन गोवा।	रसायन तथा रसायन उत्पादों का निर्माण	38	वित्तीय अभाव

अ-अनंतिम

स्रोत : श्रम ब्यूरो शिमला।

अवैध कैसटें और वीडियो फिल्में

[अनुवाद]

6329 श्री राजवीर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान वीडियो फिल्मों की कितनी अवैध कैसटें और रोलें पकड़ी गई और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) वीडियो फिल्मों के अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगल) : (क) तथा (ख) कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामलों का पंजीकरण, जाँच पड़ताल तथा उनका पता लगाना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्राधिकारियों का दायित्व है। अवैध कैसटों को पकड़ने इत्यादि के संबंध में किसी एजेन्सी द्वारा विस्तृत सूचना संकलित नहीं की गई है। तथापि 15 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में वर्ष 1990 तथा 1991 के लिए सभी कापीराइट अपराधों की सूचना, जैसी कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मानव संसाधन विकास मन्त्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उनसे अपने-अपने राज्य/संघ शासित प्रदेश में कापीराइट प्रवर्तन में सुधार करने का अनुरोध किया है तथा उनके विचारार्थ निम्नलिखित विशेष सुझाव दिए हैं :

(i) कापीराइट अपराधों की जांच पड़ताल के लिए बड़े शहरों में विशेष एककों का सृजन।

(ii) वीडियो पार्लर वीडियो दुकानों को लाइसेंसिंग शासन प्रणाली के अन्तर्गत लाना सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिख चुका है।

(iii) जहां पुलिस पर आवश्यक कार्य का बोझ है वहां आवश्यक संवर्ती, संकलियां मनोरंजन कर वसूली एजेंसियों अथवा ऐसे ही अन्य एजेन्सियों को दी जा सकती हैं।

(iv) एक प्रमुख पाइन्ट निर्धारित किया जाए जिसके साथ व्यावसायिक अथवा औद्योगिक संघ सम्पर्क कर सकें।

(v) अपराध आंकड़ों के संग्रह में विशेष रूप से कापीराइट अपराधों पर प्रकाश डाल सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने राज्य पुलिस संगठनों को इस सम्बन्ध में अलग से पहले ही लिख दिया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1990		1991	
	पंजीकृत मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	पंजीकृत मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—		उपलब्ध नहीं है

1	2	3	4	5
2. गोआ	10	उपलब्ध नहीं हैं		उपलब्ध नहीं है
3. जम्मू तथा कश्मीर	3	6	—	शून्य
4. कर्नाटक (मंगलौर)	उपलब्ध नहीं है		1	1
5. केरल	5	उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है
6. महाराष्ट्र	453	उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है
7. मिजोरम	—	शून्य		उपलब्ध नहीं हैं
8. नागालैंड	—	शून्य		उपलब्ध नहीं है
9. पंजाब	—	उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है
10. पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	31	उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है
11. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	शून्य		उपलब्ध नहीं है
12. चंडीगढ़	2	2		उपलब्ध नहीं है
13. दमन तथा द्वीप	—	शून्य		उपलब्ध नहीं है
14. लक्षद्वीप	—	शून्य		उपलब्ध नहीं है
15. पांडिचेरी	2	उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है

नालन्दा सेरेमिक्स फैक्टरी

[हिन्दी]

6330. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रांची जिले में गेटलसूद में नालन्दा सेरेमिक्स फैक्टरी गत 15 वर्षों से बन्द पड़ी है;

(ख) क्या इस फैक्टरी में लगभग सात सौ श्रमिक कार्य किया करते थे और इसमें से ७0 प्रतिशत आदिवासी और महिलाएं हुआ करती थीं;

(ग) क्या इस फैक्टरी के श्रमिकों के आश्रितों को इसके बन्द होने के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो नालंदा सेरेमिक्स फैक्टरी, गेटलसूद (रांची) को पुनः कब चालू किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) बिहार सरकार,

जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित सरकार है, ने सूचित किया है कि नालंदा सेरेमिक्स एवं इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में सितम्बर, 1987 से तालाबन्दी है। इस संयंत्र में 402 कर्मकार नियोजित थे और उनमें से अधिकांश आदिवासी थे। राज्य सरकार को कर्मकारों के आश्रितों की अत्यधिक विपत्ति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इकाई को फिर से चालू करने के लिए उक्त औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन कार्यवाही शुरू की गई है।

शुद्धि-विवरण

15 जुलाई, 1991 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 67 के भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार ने एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए 147.4 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है।

2. 15 जुलाई, 1991 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 67 के भाग (क) का सही उत्तर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"केन्द्रीय सरकार ने एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए लगभग 155 मिलियन डालर की सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है"।

3. जैसे ही यह त्रुटि हमारे ध्यान में आई है, इसे संशोधित किया जा रहा है। सदन को हुई असुविधा के लिए खेद है।

(कमलनाथ)
पर्यावरण और वन राज्य मंत्री

नई दिल्ली

दिनांक : 9 सितम्बर, 1991

कुमारी फिडा लोबनो, संसद सदस्य द्वारा उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले की जनसंख्या के बारे में 19 अगस्त 1991 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3252 के दिए गए उत्तर में संशोधन करने के लिए विवरण।

इस अतारांकित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाए :

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासी लोगों की संख्या की वृद्धि दर गैर जनजातीय लोगों की संख्या की वृद्धि दर से काफी कम है ; और	(क) जी, हां। 1971 और 1981 में की गई जनगणना के अनुसार उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर (24.59 प्रतिशत) 1971-81 दशक के दौरान गैर-आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर (35.75 प्रतिशत) से काफी कम है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ख) आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर गैर आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर से कम होने का संभावित कारण आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में उच्चतर मृत्यु दर का होना है जिसका कारण कुपोषण, अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियों आदि का होना हो सकता।

2. इस गलती का पता लगते ही इसमें सुधार कर दिया गया है।

12.00 बजे

(अनुवाद)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके भाषण दें। सबसे पहले खुराना जी अपना भाषण देंगे।

हरियाणा में बहादुरगढ़ में भराई गांव के लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, भराई कांड हमारे तथाकथित कहे जाने वाले समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग है। अध्यक्ष जी, अखबारों में बहादुरगढ़ तहसील के भराई गांव के काण्ड की कहानी पढ़ी और पिछले सप्ताह इस सदन में सुना। उससे यह लगा था कि यह घटना बड़ी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। परन्तु, कल जब मैं स्वयं और राज्य सभा की सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रत्यक्ष रूप से उस गांव में जाकर जिस तरह से उन महिलाओं की जुबानी सब कुछ सुना जिनके आंसू अभी सूख नहीं पाए। उस दस दिन के बच्चे को देखा जिस तरह उसकी मां को छीनकर और बालों से घसीटकर थाने में ले जाया गया। डेढ़ वर्ष की उस किरण को देखा जिसे थाने में ले जाया गया। सात-साल के उस अबोध बालक अजय को देखा जिसकी थाने में पिटाई की गई। 42 वर्ष के कलिराम से रो-रोकर वह कहानी सुनी कि किस तरह उसकी बहनों और बहुओं बाला एवं मूर्ति के सामने उसे निर्वस्त्र किया गया और नंगा कर उसे रबड़ के जूतों से पीटा गया। अपने बुजुर्ग को नंगा देखकर जब उन बहुओं ने मुंह पर हाथ रखा तो उनकी भी पिटाई की गई। उस अबला बुजुर्ग के थाने के अन्दर चक्कर लगवाए गए तो वह गिर पड़ा। 84 वर्षीय गांव का वह बुजुर्ग अपनी दिल दहलाने वाली कहानी सुना रहा था तो वहां उपस्थित जन-समूह के साथ-साथ गीता दीदी, मालिनी भट्टाचार्य और सुषमा स्वराज के साथ हम सभी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। इससे पूर्व पुलिस के अनेक क्रूर कांड देखे और सुने। भागलपुर के अंधों पर अत्याचारों को भयानक माना जाता है परन्तु भराई का यह काड

सबसे क्रूरतम है और इसने अपनी हैवानियत और राक्षसीपन के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस कांड पर शैतानियत रो पड़ी होगी। इससे पहले कांड होते थे कि दोषियों पर पुलिस एक्सेस करती थी। परन्तु, इस कांड में बेकसूर गांव वालों को जलती जलील करके मारा गया। इस कांड का सबसे भयानक पहलू यही है कि यह अत्याचार उस वर्ग द्वारा किया गया है। इस वर्ग के ऊपर स्वयं अत्याचारों के खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सरकार ने डाली है। पुलिस वर्ग के पास, पुलिस कर्मियों के पास लोग इन्साफ की अपेक्षा लेकर जाते हैं, न्याय की गुहार करने जाते हैं और उन्हें अपना रक्षक समझते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ तरहसील के भराई नामक गांव में स्वयं पुलिस-कर्मियों द्वारा यह कहर बरपाया गया। थाने में पुलिस ने जो कहर बरपाया और दानवता का ताण्डव किया उसे कोई सभ्य व्यक्ति बयान नहीं कर सकता। लज्जा और संकोच को त्यागकर इतनी बातें कह पाया हूं। कल जब हम उन माताओं और बहनों से इस कांड के बारे में उनकी आप-बीति सुन रहे थे तो शर्म से सिर नहीं उठ रहा था। सारा गांव अभी वितृष्त है। बच्चों से लेकर बूढ़ों और महिलाओं के बूतों के निशान अभी भी आसानी से देखे जा सकते हैं। मैं, विस्तार से इस घटना की चर्चा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि समय कम है। अन्य सदस्य इस घटना की विस्तृत व्याख्या करेंगे। मेरी मांग है कि संसद की सर्वदलीय कमेटी का आप गठन करें जो वहां प्रत्यक्ष रूप में जाकर इस कांड की जांच करें। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। निर्दोष ग्रामवासियों के खिलाफ झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं। जो सामान पुलिस ने गांव वालों से लूटा है, उसे वापिस किया जाए और उसका मुआवजा दिया जाए।

(अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और मैं वहां तीन घन्टे तक रहे। हम एक-एक घर में गए और पुरुषों और महिलाओं दोनों से बातचीत की। हम दोनों ने एक-एक रिपोर्ट तैयार की जो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट तैयार हो गई है।

मैं यह ध्यान दिलाना चाहती हूं—श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा भी कुछ बातें बताई जाएंगी—कि इस मामले में हमें यह विश्वास दिलाया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी ऐसी घटना कभी घटित नहीं हुई थी। अब मैं इसके विस्तृत ब्यौरे के बारे में नहीं बताना चाहती परन्तु आपको यह बताना चाहती हूं कि सभी कानूनों का उल्लंघन किया गया है। महिलाओं को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इनमें से कुछ महिलाओं को दो रातों तक पुलिस स्टेशन में रखा गया। मैं आपको यह भी अवश्य बताना चाहती हूं कि पुरुष और महिलाओं दोनों को पुलिस स्टेशन के बाहर तथा भीतर निर्दयता से पीटा गया। और कुछ पुरुषों को नंगा किया गया। गांव में हो गायों को भी नहीं छोड़ा गया। गांव के लोग बाहर जाने में डरते हैं। उनकी अपनी मांगें हैं।

पिछले शनिवार को न्यायिक जांच की घोषणा की गई थी। परन्तु उस क्षेत्र में सामान्य हड़ताल होगी। वे लोग इस महीने की 12 तारीख को राजमार्ग को रोकने की योजना बना रहे हैं। इसलिए इससे पहले कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र के

लोग अपनी पार्टी से सम्बद्ध होते हुए भी वास्तव में बहुत अधिक घबराए हुए हैं।

मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड रहा है कि जब पुलिस स्टेशन में यह घटना हुई थी तो उस क्षेत्र का कांग्रेसी विधायक भी उपस्थित था। श्री भजनलाल द्वारा एस. एम पी, के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए था। एस. एस. पी. को अवश्य ही शीघ्र निलम्बित किया जाना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था '

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय इस प्रश्न को शून्य काल के दौरान हम इस कारण उठाना चाहते हैं। इस माह की 6 तारीख को बहादुरगढ़ के संसद सदस्य द्वारा सभा में वक्तव्य दिया गया था। भराई गांव के दौरे के दौरान हमने पाया कि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दी गई रिपोर्ट संसद सदस्य द्वारा सभा में दी गई रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थी। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। हमने यह पाया कि पुलिस द्वारा कार्यवाही किया जाना तो दूर, ग्रामीण लोगों द्वारा दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी अभी पुलिस ने स्वीकार नहीं किया था। दोषी पार्टी को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

इतना ही नहीं, लूटी गई सम्पत्ति को भी अभी तक वापस नहीं किया गया इन परिस्थितियों में न्यायिक जांच केवल एक धोखा है। यदि अपराधी भाग जाते हैं, यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि लोगों को आतंकित नहीं किया जायेगा ? हमने संसद सदस्य द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य की आलोचना करनी है। यह अत्यन्त गम्भीर बात है कि एक संसद सदस्य, को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, सभा में इस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्य का कौन सा भाग सही नहीं था ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : वह पुलिस की तरफदारी कर रहे थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य । उन्होंने परिवारों के उपभोग के लिए जो गेहूं या उसमें मिट्टी का तेल मिला दिया। यदि स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो आप जानते हैं कि यह और भी गम्भीर हो सकती है। जैसा कि आपने सुना है कि वे 'रास्ता रोको' आन्दोलन की योजना बना रहे हैं और वह लोग अत्यधिक क्रोधित है। अब तक हमने इन्हें अत्यधिक अनुशासन में तथा आत्म संयमी पाया है हमें इन ग्रामीण वासियों का आदर करना चाहिए कि उन्होंने पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई है। सभा द्वारा उनकी वीरतापूर्ण प्रतिरोधक शक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तारा सिंह (कुरुक्षेत्र) : स्पीकर साहब, वह पीछे भी बात आयी थी तो उस हलके

के मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने दो शब्दों में यह कहा कि हमने उसी दिन एक्शन ले लिया। आज मैं रसूख से कह रहा हूं कि उस वक्त, जिस समय मुख्यमंत्री को पता लगा, सारा का सारा थाना उन्होंने बदल दिया। डी. एस. पी. को ट्रांसफर कर दिया, एस. एच. ओ. को सस्पेंड कर दिया। इसलिए·····(व्यवधान) सारा का सारा थाना ट्रांसफर कर दिया गया। यह देखने के लिए कि क्या कारगुजारी हो रही है, ये बातें कह रहे हैं कि सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, यह पालिटिकल चाल है सरकार को बदनाम करने की और उसे डी-स्टेबलाईज करने की बात है, एक राज्य के मुख्यमंत्री पर ज्यादती है। जो इन सब लोगों को लेकर गये हैं, इससे ज्यादा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सारे थाने के खिलाफ एक्शन हो जाये, इससे ज्यादा और क्या काम हो सकता है? (व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं और न मैं राजनीति की बात करना चाहता हूं मैं तो आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज परा रोहतक जिला पुलिस छावनी बना हुआ है। सारे इलाके के 360 गांव के लोगों ने पंचायत की है कि हमें इन्साफ चाहिये। उस पंचायत ने एक ही मांग की है कि जिस पुलिस अधिकारी ने लोगों के ऊपर ज्यादती की है, महिलाओं को बेइज्जत किया है, पुरुषों को नंगा करके महिलाओं को देखने के लिए मजबूर किया है, उनका सामान लूटा गया है, सामान को तोड़ा गया है, उसके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर सदन ने इस वक्त को गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत बड़ा घटना-चक्र इतनी तेजी से आ जायेगा कि ला एण्ड आर्डर संभालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वस्त्र करने की ऐसी कोई बात नहीं थी तो ये सारी बातें तथ्यों को छुपाने के लिए हो रही हैं। असलियत यह है कि लोगों के उपर घोर अमानवीय अत्याचार हुआ है। अगर कोई आदमी जाकर देखे, हमारे माननीय सदस्यों ने वहां जाकर देखा है, उनकी आंखों में आंसू आये हैं। इतना घोर अत्याचार, इतनी बड़ी ज्यादती आज हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से चाहूंगा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई की जाये, उन्हें गिरफ्तार किया जाये, उनके ऊपर मुकद्दमा चलायें, इससे कम कोई बात उस इलाके के लोग मंजूर नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़)। अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शान्ति प्रिय नागरिक पर किसी प्रकार के अत्याचार की निन्दा करेगा चाहे वह पुलिस द्वारा किया गया हो अथवा किसी और व्यक्ति द्वारा। वह घटना अत्यन्त निन्दाजनक है। सम्पूर्ण सभा ने एकमत से इस घटना की निन्दा की है। किन्तु महोदय, इस तथ्य के बारे मेरा पृथक विचार है कि इसे राजनैतिक मुद्रा बनाया जा रहा है··· (व्यवधान)··· जब एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला मानीय सदस्य सभा में वक्तव्य देता है, मुझे खेद है कि अन्य माननीय सदस्य को यह कहने के लिए खड़ा होना चाहिए कि पहले माननीय सदस्य द्वारा

दिया गया वक्तव्य गलत है। यदि दूसरे दल के माननीय सदस्य को उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कोई आपत्ति हो, तो वक्तव्य के उस भाग का सभा में उल्लेख किया जाना चाहिए। महोदय, हम नहीं चाहते कि कुछ लोग इस घटना से राजनैतिक लाभ उठाए। यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है, तो उसकी निन्दा की जाए तथा उस पर कार्यवाही की जाए। परन्तु संसद के मंच का सहारा किसी ऐसी घटना से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए जो बाहर घटित होती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, श्री बंसल जी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं कि इस सवाल को कोई राजनैतिक नहीं बना रहा है। सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कष्ट है और जिस तरह का यह अमानवीय बहशियाना काम हुआ है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मतभेद महज इस बात पर यह है कि यह कहना कि मुख्य मंत्री का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि नंगा नहीं किया गया अखबारों में जो ...

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो जाता है कि कहा कि नहीं कहा.....

श्री चन्द्रजीत यादव : अखबारों में फोटो तक छपे-महिलाओं ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं कि उनके सामने उनके पतियों को, उनके गांव के पुरुषों को नंगा किया गया। श्रीमन, यह हम इसलिए यहां उठाते हैं क्योंकि यह दिल्ली के पड़ोस की घटना है। यह घटना एक हफ्ता पहले, पांच-छह दिन पहले इस सदन में उठाई जा चुकी है। अगर इस पर तात्कालिक कार्यवाही नहीं होगी तो इसके परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। उस तमाम क्षेत्र में वहां की जनता, पूरी की पूरी जनता आतंकित होकर के पंचायत करके इस बात की मांग कर रही है। मांग क्या है कि जिन्होंने इस प्रकार का बहशियाना, अमानवीय, शर्मनाक काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तबादला कोई कार्रवाई नहीं है। आपने कहा कि तबादला कर दिया गया, कार्रवाई हो गई। श्रीमन, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप गृह मंत्री को इस बात का निर्देश दीजिए कि गृह मंत्री स्वयं इन घटनाओं की जांच कराएं। अगर यहां के हमारे माननीय सदस्य वहां गए हैं, उन्होंने आकर बयान दिया है तो उस पर उन पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने यह काम किया है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर केस चलाया जाए, यह मिनिमम डिमांड इस सदन की है, इसके ऊपर आप आदेश दीजिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, मैं बंसल जी की बात से सहमत हूं कि इस सभा के मंच का प्रयोग पुलिस के अत्याचार की किसी घटना के लिए नहीं, किया जाना चाहिए। परन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह कोई घटना नहीं है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

यह कोई साधारण घटना नहीं हुई है। शायद पुलिस बर्बरता के इतिहास में भी इस प्रकार की बर्बरता पहले नहीं दिखाई दी।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने जो कुछ कहा है उसे आप समझ नहीं पाए। आप मेरी बात को गलत रूप से कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात का उद्धरण नहीं दे रहा। यह आपकी बात का सार है। हम इस सभा के मंच का प्रयोग नहीं कर रहे है।

[हिन्दी]

मुझे याद है कि मेहम की दुर्घटना जो हुई थी, उस मेहम की दुर्घटना ने ऐसा क्रम जारी कर दिया कि जिसके कारण वहां पर राजनैतिक उथल-पुथल हो गई और ऐसा न हो कि इस घटना के परिणामस्वरूप एक दिन ऐसा आए कि जब सदन के अधिकांश लोग कहने लगें कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करो, वहां की सरकार को डिसमिस करो। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आए और पहले से ही अगर सदन उसका नोटिस लेकर इस घटना के बारे में अपना गंभीर रोष प्रकट करके इसके बारे में उचित कार्रवाई की मांग करता है तो मैं समझता हूँ उचित है, और इस मामले में अध्यक्ष जी, साधारण अगर कोई घटना होती तो आप भी शायद अनुमति नहीं देते किसी सदस्य को यहां पर उठाने की, लेकिन जितने सदस्य वहां पर जाकर देख कर आए हैं और अपनी आंखों से जो उन्होंने वर्णन दिया है, मैं समझता हूं उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि क्या आज हम 1991 के भारतवर्ष में रह रहे हैं ? और 1991 के भारतवर्ष में पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करती रहेगी वह भियानक, पशुतापूर्ण, और इसलिए उचित होगा कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार तुरंत हस्तक्षेप करके हरियाणा की सरकार को मजबूर करे उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। केवल मात्र ट्रांसफर करना कोई कार्रवाई नहीं है। इस मामले में तो बिल्कुल नहीं है और इसलिए उनको सस्पेंड करके उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट करती है तो फिर सद की इच्छा का आदर होगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह पहली दफा हम देख रहे हैं कि आज तक जहां कहीं भी महिलाओं के ऊपर, गरीबों के ऊपर पुलिस की ज्यादती हुई है, अलग-अलग राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं और करीब-करीब सभी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसकी निन्दा करते हैं। यह कांग्रेस का एक पुराना कल्चर रहा है कि पता नहीं कि ये मेम्बर पार्लियामेंट जहां ज्यादती भी होती है, उसको डिफेन्ड करने का काम करते हैं।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : हमने इस घटना का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में, हम इसकी निन्दा करते है। परन्तु हमने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की निन्दा की है क्योंकि वह इस

मामले को राजनैतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके विचार से, आपने यह कहा भी है कि आप महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं। जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो उस समय इस विषय पर भी चर्चा की जा सकती है। हम अब समा का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ? इस मामले पर बाद में चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी महिलाओं पर अत्यधिक अत्याचार हो रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब मामला न्यायालय के विचाराधीन है ! इस पर चर्चा कैसे की जा सकती है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि बंसल साहब ने···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि हम किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं बंसल साहब से यह कहना चाहूंगा कि इसमें वापस लेने की कोई बात ही नहीं है। यह तो ऐक्सिडेंट है, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, यह उसका प्रत्यक्ष गवाह है। बंसल साहब हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं आपके माध्यम से, उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जैसा बंसल साहब ने कहा कि पोलिटिकल पार्टी, आखिर हम लोग क्या कोई साधुओं की जमात हैं। हम भी तो पोलिटिकल पार्टी ही है और पोलिटिकल पार्टी का यह काम होता है कि जहां कहीं भी जुल्म और अत्याचार हो, जहां कहीं पुलिस के जुल्म और ज्यादती की घटनाएं सामने आयें, यह पार्लियामेंट देश का आईना है, देश के आईने में, जहां कहीं ऐसी घटनाएं हों, उसका प्रतिबिम्ब आना चाहिये। इसलिए यदि कोई आदमी कांग्रेस के गलत काम का या किसी राज्य सरकार के गलत काम का पोलिटिकल फायदा उठाना चाहता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है परन्तु कोई गलत काम न करने पाये, यही हिदायतें यहां से मिलनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से दो ही मांग करना चाहता हूं : पहली यह कि ऑल पोलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि वहां पहुँचे हैं उन सब की एक राय है। इसलिए आपको यदि जरा भी शंका हो, सरकार को विश्वास न हो, शंका हो तो आप तमाम पोलिटिकल पार्टीज के सदस्यों को मिलाकर, एक पार्लियामेंटरी टीम वहां भेजिए। वह स्थल दूर नहीं है, बिल्कुल बगल में घटना घटी है। इसलिये एक तो आप पार्लियामेंटरी टीम को वहां तुरन्त भेजिये और दूसरे जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करिये, यही उसका रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

(**अनुवाद**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो पिछले

शुक्रवार को ही इस मामले को उठाया गया था तथा इस सभा के सभी दलों ने इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा जान पड़ता है कि देश के विभिन्न भागों में पुलिस यह समझती है कि वह कानून से ऊपर है। पुलिस जो कानून और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है। कानून को अपने हाथ में ले लेती है तथा इस देश के लोगों के प्रति होने वाले घृणित अपराधों, विशेष रूप से महिलाओं और दलित वर्ग के लोगों, आदिवासी, हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा अ. ज. जा. के लोगों के प्रति होने वाले अत्याचारों में शामिल हो जाती है। इसी कारण हमने कहा है कि हमें सम्पूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

मैं जानता हूं कि राज्य पुलिस इसमें शामिल है तथा कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है। हमारी महिलाओं पर अत्याचार हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर अत्याचार है। इसलिए हमें इस रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

यह अत्यन्त चिन्ताजनक मामला है कि जब न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है, तो राज्य के मुख्य मन्त्री ने यह कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इससे जांच पर प्रभाव पड़ता है। यदि मुख्य मन्त्री जांच आयोग द्वारा की जाने वाली जांच के मुख्य मामले के बारे में ऐसी टिप्पणियां देते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी ? ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या उन्होंने ऐसा कहा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : ऐसा बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा है कि मान लो उन्होंने ऐसा कहा है। उन्हें इसका खण्डन करने दें।

महोदय, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने यह देखा कि कल के अखबार में एक रिपोर्ट आई थी। "30 साल की एक आदि वासी महिला मुन्नी बाई के साथ पुलिस स्टेशन में ही चार पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार" प्रति दिन हमें किस प्रकार की सूचना मिलती है ?

अध्यक्ष महोदय : हम अखबार की घटना पढ़ कर उद्धरण नहीं देते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे नहीं पढ़ रहा, मैं इसका सारांश दे रहा हूं। इस आदिवासी महिला के साथ चार पुलिस कर्मियों द्वारा अमरावती जिले के पुलिस स्टेशन में सामूहिक बलात्कार किया गया।

पिछले शुक्रवार को एक माननीय महिला संसद सदस्या ने मिदनापुर में हुई एक निन्दनीय घटना का उल्लेख किया था। हमने उस पर आपत्ति नहीं की थी इसे अवश्य उठाया जाना चाहिए। परन्तु इसमें यह अन्तर है कि पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई तथा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर रहा कि गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति श्री दिग्विजय सिंह के ग्रुप से सम्बन्धित

था । अतः यह ऐसा मामला है जिसे राष्ट्रीय मसला समझना चाहिये तथा मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर उचित प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करें । कल्याण मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हुये हैं तथा इस बात से सहमति व्यक्त करते हुये अपने सिर हिला रहे हैं, हमें देखना है कि सरकार इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करती है तथा प्रत्युत्तर में क्या कार्य करती है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायणसिंह चौधरी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने किसी पर ज्यादती की है, महिलाएं और माता तथा बहनें तो हमारी बहुत ही आदर के योग्य हैं, पूजनीय हैं, उनकी बात तो छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म की ज्यादती किसी के साथ भी करता है, तो कानून के हिसाब से उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का राज्य हरियाणा में आने के बाद तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इससे पहले, पिछले तीन चार साल में पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग वहां की सरकार द्वारा किया गया, उससे पुलिस की आदत खराब हो गई है और वह आदत इतनी जल्दी और आसानी से छूटने वाली नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को रिवासा कांड स्मरण होगा जो नेता इस घटना को उछाल रहे हैं उन्होंने उस समय ऐसे जघन्य अपराध पर मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की थी तथा महम कांड भी याद होगी जबकि तत्कालीन सरकार ने जुडिशियल इन्क्वायरी कराकट नहीं होने दी । अध्यक्ष महोदय, यह पहली ही घटना है और इस पर तुरन्त कार्यवाही की गई है और तुरन्त आदेश दिया गया है तथा संबंधित पुलिस के अधिकारियों को बदल दिया गया है । जुडीशयल इन्क्वायरी के बाद यदि दोषी पाए जायेंगे और कोई कानूनी कार्यवाही होनी होगी, केस रजिस्टर्ड करना होगा, तो वह भी होगा, लेकिन अभी यह कहना कि जुडीशयल इन्क्वायरी अफैक्ट होगी, यह गलत है और यह बात भी बिलकुल गलत है कि मुख्य मन्त्री ने कोई ऐसी बात कही है कि जिससे इन्क्वायरी अफैक्टेड होगी, यह भी बिलकुल गलत है ।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादती की घटना केवल हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में, कहीं भी न हो पाए, यह प्रयास ही हमें करना चाहिए । इस घटना के होने के बाद ही तुरन्त जुडीशियल इन्क्वायरी का आदेश इसी लिए दिया गया जिससे ऐसी घटनाएं राज्य में भविष्य में न हों । जो भी सम्बन्धित पुलिस अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है या तबादला कर दिया गया है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस घटना का राजनीतिकरण होता हुआ देखते हुए वहां संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपने अध्यक्ष पद से विरोध स्वरूप इसीलिए इस्तीफा दे दिया है जिससे इसका असर इन्क्वायरी पर न पड़े और इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको राजनीतिक रंग न दिया जाए, इस घटना में राजनीति को बीच में न घसीटा जाए और जो सही बात हो, जो कानून के हिसाब से होना चाहिए, वह होने दीजिए । इस सदन के अन्दर इस किस्म की बातों को तूल देना और उनका राजनीतिकरण करना यह कोई अच्छी बात नहीं है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल को वहां जाना चाहिए, वहां के स्त्री तथा पुरुषों से मिलना चाहिए तथा तब वापस आकर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, झाही में जो घटना हुई, हम सब उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। शासक दल का कोई भी सदस्य पुलिस के प्रति कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं रखता है। यदि पुलिस ज्यादती करती है तो सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कौन कहता है कि ज्यादतियां नहीं की गई, अब तक इसका खण्डन नहीं किया गया है। (व्यवधान) कृपया हमारी आवाज को शान्त करने की कोशिश न करें। जब आप बोल रहे थे तब हम चुप थे। हमें बोलने का अधिकार है। आप केवल इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हम इस समय शासक दल में हैं। कृपया हमारी बात सुनें। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : जो कुछ भी हुआ है, सारी सभा इस मामले पर सर्वसम्मत राय रखती है परन्तु तथ्य यह है कि जैसे ही यह मामला राज्य सरकार की जानकारी आया तो मुख्यमंत्री महोदय ने तुरन्त कार्यवाही की। (व्यवधान) उन्होंने समस्त कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया तथा उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया। उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अब न्यायिक जांच के बाद यदि ये अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो न्यायिक जांच का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। (व्यवधान) हम पुलिस के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते हैं।

हरियाणा में, जनता शासन के दौरान पुलिस द्वारा जो ज्यादतियां तथा दुर्व्यवहार हुए थे, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हम उनको नहीं बचायेंगे। अब इस न्यायिक जांच के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिन्हें दोषी पाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : जो भी हुआ है वह बर्बरता है। प्रश्न यह है कि दूसरा पक्ष इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। फर्क क्या है ? फर्क यह है कि की गई कार्यवाही, किए गए अपराध की तुलना में पर्याप्त नहीं है। अतः यह महसूस हो रहा है कि इसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि की गई कार्यवाही किए गए अपराध के मुकाबले पर्याप्त नहीं है, की गई कार्यवाही किए गए अपराध के मुकाबले बहुत हल्की है। यदि वे यह महसूस करते हैं कि यह राष्ट्रीय मसला है तथा इससे हमारे देश की महिलाओं का सम्मान प्रतिबिम्बित होता है तो इस प्रकार के मामलों में उन्हें एकमत होना चाहिए तथा ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे इस तरह की स्थिति दोबारा न आए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ बोल दिया है अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : यह फर्क है। ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए कि इससे इस तरह की कार्यवाही करने वालों को यह सबक मिले कि जो भी ऐसा करेगा उसको दण्डित किया जाएगा। यहां हमारे कुछ माननीय मित्र ऐसे है जो इसका विरोध करके गलत धारणा पैदा कर रहे हैं। यह हमारी आपत्ति है। अब सारी सभा ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है हमारा दृष्टिकोण यह है कि यह ऐसी बात है जो अनुभूति परे है। अतः ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे देश को यह संदेश मिले कि महिलाओं तथा गरीब वर्ग के लोगों के प्रति की गई और ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी...

(व्यवधान))

श्री दिग्विजयसिंह (राजगढ़) : हम इस घटना की घोर भर्त्सना करते है इसमे कोई संशय नहीं है। मुझे नहीं पता है। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने क्या कहा है। मैं समझता हूं कि वह श्री दिग्विजय सिंह के ग्रुप के बारे में कह रहे थे। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है श्री दिग्विजय सिंह जैसा मेरा कोई ग्रुप नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं। मेरा मतलब पार्टी से है।

श्री दिग्विजय सिंह : उनका कहना है कि इस घटना की सबको भर्त्सना करनी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। इसी कारण माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया है। तथा आपने अत्यधिक कृपा करके महिलाओं पर हो रही ज्यादती पर चर्चा के के लिए हमें कुछ समय देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के सिलिया गांव में ज्यादतियां हुई हैं जहां एक हरिजन महिलाओं को शंकर मंदिर मे पूजा करने की अनुमति नही दी गई। जब उन्होंने आपत्ति की तो उनकी पिटाई की गई और उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार के अनेक मामले हैं। अनेक स्थान हैं जहां इस तरह की घटनायें हो रही हैं। हरियाणा में भी हमने महिलाओं पर अत्याचार होते हुए देखा है। रेवाड़सा में एक सगे भाई और उसकी बहन को एक ही रजाई में नंगे सोने को विवश किया गया था। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस ज्यादतियां हर जगह हो रही हैं। यह उपयुक्त समय है जबकिहमें हरियाणा में पुलिस की मनोवृत्ति को ठीक करना चाहिए।

इसीलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सभा में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा की जानी चाहिए, और यदि आप इसे जितना जल्दी ले लें उतना ही अच्छा रहेगा।

असम में उल्फा आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहनसिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, असम की हालत खराब होती चली जा रही है। पिछले दो महीने से अधिक हो गए है और अनेक अधिकारियों को बन्धक बनाकर उल्फा उग्र-

वादियों ने रखा हुआ है। उसमें से एक ओ. एन. जी. सी. के इन्जीनियर श्री टी. एस. राजू की आज हत्या कर दी और वह कहते हैं कि 48 घंटे के भीतर बाकी लोगों की भी हम हत्या कर देंगे। आज ओ. एन. जी. सी. के इन्जीनियर्स की हड़ताल है। श्री मोहन्ती की पत्नी श्रीमती सुमिता मोहन्ती ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से एस. ओ. एस. किया है लेकिन भारत सरकार इस पर मौन है। मैं इस सवाल को इस सदन में दो महीने के भीतर तीन बार उठा चुका हूं। 21 वर्ष की सीनियारिटी का एक आई. ए. एस. अधिकारी श्री एस. के. तिवारी जो कि असम सरकार का वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारी है, उसको भी उल्फा उग्रवादियों ने बन्धक बनाकर रखा है और 48 घंटे के भीतर उन सबकी हत्या करने का नोटिस उग्रवादियों ने दे रखा है, लेकिन प्रदेश की सरकार उनको छुड़ाने में अक्षम है। भारत सरकार इस पर मौन साधे हुए है। भारत सरकार के गृह मंत्री बैठे हुए हैं। एक अलार्मिंग सिचवेशन है, हालत खराब है। अतः भारत सरकार के गृह मंत्री को आज ही इसी समय इस सदन में इस पर बयान देना चाहिए कि उन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या कोशिश की, क्या इनकी कार्यवाही है और वे कब तक छोड़े जायेंगे? इसके अतिरिक्त उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप अभी निर्देश दें कि गृह मन्त्री इस पर बयान दें :

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं असम में अत्यधिक गड़बड़ी व्याप्त होने की स्थिति के बारे में बताने के लिये आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। यह आवश्यक नहीं है कि मैं वह सब दोहराऊं जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है या राज्य की सारी घटनाओं का ब्योरा दूं अथवा राज्य में निरंतर और अनियंत्रित रूप से होने वाले अपराधों की लम्बी सूची प्रस्तुत करूं। मैं उनका वर्णन अन्य किसी प्रकार से नहीं कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, तथापि, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि पिछले सप्ताह माननीय श्री आडवाणी जी, अटल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय तथा मैंने असम में विद्यमान स्थिति बताने के लिए माननीय गृह मंत्री महोदय का समय लिया था। तथा इसके बावजूद हमने देश के अन्य भागों चाहें वह उड़ीसा बिहार अथवा राजस्थान हों से लोगों का अपहरण होने के बारे में विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया था। और अब वहां पर इस प्रकार की घटनायें रोजमर्रा घटना हो गयी है।

महोदय, वास्तव में जैसा कि कल बताया गया था। हत्यायें हुई हैं। इससे पहले चुनाव होने के तत्काल के बाद, असम में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी थी, करीब 13 से 16 अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया था। और उस अपहरण के बाद कांग्रेस सरकार का प्रत्योत्तर यह था कि उल्फा को आम माफी दे दी जाये। जब आम माफी दी गयी थी तब हमने सरकार से प्रश्न किया था और वस्तुतः मुझे याद है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री से पूछा था क्या भारत सरकार के अधिकारियों के सामूहिक अपहरण के प्रति केन्द्रीय सरकार अथवा कांग्रेस पार्टी का यही उत्तर है। उस समय असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री अपने विवेकानुसार कार्य कर रहे

हैं। वस्तुत: मुख्य मंत्री की यह धारणा न केवल पूर्णत: असफल रही है अपितु इससे स्थिति और भी अधिक खराब हुई है। वास्तव मे ऐसी स्थिति हो गयी है जिसमें केवल न अव्यवस्था ही फैली है, बल्कि अपहरण, लूटपाट तथा हत्या की घटनायें असम में एक बार पुन: आरम्भ हो गयी हैं।

मुझे यह भी बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री, मेरे मित्र, श्री राजेश पायलट हस्तक्षेप करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा भेज जाने वाले एक मिशन के साथ असम जाना चाहते थे परन्तु असम के मुख्यमत्री ने कहा कि "उन्हें नहीं मत भेजिये।" महोदय यह बहुत ही विक्षोभ-पूर्ण स्थिति है।

[अनुवाद]

हम असम में हो रही वास्तविक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। असम राज्य के प्रति सरकार की क्या नीति है, क्योंकि मैं यह कहना चाहूंगा कि भेड़चाल कोई नीति नहीं होती है। असम राज्य को गड़बड़ी वाली स्थिति में पहुंचने देना तो कोई नीति नहीं है। यह तो निश्चित है कि हम ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नही करेंगे, न ही हम इसे स्वीकार करेंगे। इस भेड़चाल वाली नीति में बड़े गम्भीर खतरे हैं। केन्द्रीय गृह मत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहिये कि असम में क्या हो रहा है। इस सभा में उपस्थित लोगों को यह जानने का हक है कि उस राज्य में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री।

(व्यवधान)

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का ही नहीं सारे देश का मामला है। इस पर मंत्री महोदय से आप स्टेटमेंट दिलवाइए। लोगों का अपहरण किया जा रहा है और फिरौतियां वसूल की जा रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, एक-एक कर के समय दे रहा हूँ, इस तरह से आप सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा। यह बात भी ध्यान में रखिए, मैं किसी एक पार्टी के सदस्यों को नहीं कह रहा हूं, सभी माननीय सदस्य हैं, कभी-कभी यह भी पूछ लेते हैं कि स्टेट का मामला यहां पर उठाया जाएगा या नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। इनको भी बोलने दीजिए, ये भी सदन के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, यह बात अच्छी नहीं है। मैंने शास्त्री जी को परमीशन दी है, आप विदाउट परमीशन बोल रहे हैं। आप इनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। मैं 542 सदस्यों को बोलने की परमीशन नहीं दे सकता, आप बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर)। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सप्ताह भी आपसे निवेदन किया था और इस सप्ताह भी मैं आपका ध्यान इस गम्भीर स्थिति की ओर ले जा रहा हूं। मान्यवर, 3 दिन से बनारस, जौनपुर और आजमगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। पटना से भी खबर मिली है कि वहां भी भयंकर रूप से गंगा नदी बढ़ रही है। श्रीमन् हम जौनपुर का आधा क्षेत्र के राकत तहसील और आजमगढ़ के तमाम स्थान, बनारस के तमाम स्थान, गाजीपुर की सैदपुर तहसील और गंगा किनारे के करीब 100 गांव भयंकर रूप से प्रभावित हुए हैं। पशुओं के खाने के लिए चारा नहीं है, आदमी को खाने की चीजें उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर कुछ समान नही मिल रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, इन तीनों जिलों के क्लेक्टर और परगना अधिकारी भी गांवों में नहीं जा रहे हैं। वहां के निवासी बहुत परेशान हैं। आज यह भी सूचना मिली है कि जौनपुर में 12 आदमियों की मृत्यु हो गई है। इसी तरह से सैदपुर, गाजीपुर से भी सूचना मिली है कि 3 आदमियों की मृत्यु हो गई है। मान्यवर, यह इतनी गम्भीर समस्या है कि यदि तत्काल इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों का रहना वहां पर मुश्किल हो जाएगा। मिर्जापुर की हालत खराब है, वहां के 10-15 गांव डूब गए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संबंधित मंत्री राज्य सरकार को आदेश दें, ताकि इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके। यहां तक कि वहां पर माचिस भी उपलब्ध नहीं है। बिजली तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक लाईन फेल हो गई है, खम्बे डूब गए हैं, लेकिन वहां पर हजारों घरों में आज मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है। पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है। पेयजल की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार यह न कहकर कि राज्य सरकार का विषय है, इसको टाले, इसको इग्नोर करे।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस हाउस के अन्दर कई बार बाढ़ के बारे में चर्चा हुई है। राजस्थान में जब बाढ़ आयी थी उसके बारे में यहां चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की बाढ़ के बारे में चर्चा हुई। बिहार बाढ़ में पूरा घिर गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका घिर गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मन्जूर किया जाए और इस पर चर्चा करायी जाए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं इस सभा में, एक बार फिर असम की हालत पर चर्चा करना चाहता हूं अब हम इस मुद्दे को सिर्फ इसे रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए नहीं उठाते हैं। हम उन अपहृत लोगों के प्रति, जिनमें केन्द्रीय सरकार या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी थे तथा मध्यस्थता करने वाले लोग थे, की हत्या किये जाने जैसी घटनाओं पर औपचारिक दुख और वेदना भी नहीं व्यक्त करना चाहते हैं। हम असम की वर्तमान परिस्थिति के बारे में सरकार की राय जानना चाहते हैं। सरकार की नीति क्या है ? हमने केन्द्रीय सरकार की सलाह से राज्य सरकार द्वारा उल्फा आतंकवादियों को माफी देने के निर्णय की आलोचना की थी। यह

कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। असम में बहुत पहले से ही एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। और अब विद्रोह जैसी स्थिति बन रही है। इसने कई मौकों पर साम्प्रदायिक मोड़ लिया है तथा इसने अपने जातीय-मूल से इतर तथा अन्य भाषा-भाषी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की है। अब हमारे देश वासियों की एकता तथा देश की अखंडता दाँव पर लगी है तथा सरकार चुप है। क्या हम इस चुप्पी को जारी रहने की अनुमति दे सकते हैं। वह सभा को तथा विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं ? हमारे लोग तथा कई अन्य दलों के लोग वहाँ संघर्षरत हैं। वे वहाँ अपनी जान दे रहे हैं, इसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है। (व्यवधान) यह एक बहुत गम्भीर सवाल है। बहुत सारे लोग असम से बाहर चले गये हैं और वे दिल्ली की गलियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। (व्यवधान) आखिर इसका हल क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसका क्या हल है ? वहाँ सरकार भी है, गृहमंत्री भी है, (व्यवधान) फिर भी निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते क्या हैं ? आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और क्या आप बिना सूचना के जवाब चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस तरह से नहीं झगड़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप बिना सूचना के जवाब चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सूचना कहाँ है ? आपको नियमों का पालन करना चाहिए। आप सूचना दें और फिर उस पर चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य, आप बैठिए। देखिए, हाउस आपका है, टाईम आपका है। मैं कितनी बार यहाँ बोल चुका हूं। नियम भी आपके हैं, नियम आप ढूंढ कर निकालेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नियम भी टूट जाता है।

अध्यक्ष महोदय : एक दफा आप बोलेंगे इस पर इमीडिएट रिप्लाई देना चाहिए, बाद में बोलेंगे कि गलती हो गयी उसके अन्दर, उसके बाद बोलेंगे स्टेट का सब्जेक्ट नहीं आएगा। ऐसा कैसे होगा। नियम से चलिए।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, असम की परिस्थिति के बारे में जो सदन में चिंता व्यक्त की जा रही है, यह स्वाभाविक है। सारा सदन जानता है कि देश में एक विश्वास की भावना पैदा हुई थी नयी सरकार के आने के बाद कि शायद हम आसाम में शांति स्थापित कर पायेंगे। प्रयास हुए। मगर ऐसा लगता है कि वह प्रयास अब विफल हो रहा है। और जो इस वक्त वातावरण आसाम में हो रहा है, वह पहले से भी भयंकर बनता जा रहा है। मैं यह भी नहीं कहने जा हूं कि इससे पहले जो ए. जी. पी. की सरकार थी तो उन्होंने उल्फा के साथ मिलकर जो आसाम का सत्यानाश किया, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और पूरे सदन की ओर से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान) मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आसाम में क्या हो रहा है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आसाम सरकार के साथ आसाम समस्याओं को केवल आसाम की समस्या न मानकर एक राष्ट्र की समस्या मानकर भारत सरकार को उनके साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जो हिन्दी भाषी या गैर-असमिया लोग वहां पर बैठे हुए हैं, देश के बहुत से हिस्सों में से गए हैं और राजस्थान के लोग वहां बैठे हुए हैं जिनका सारा बिजनैस वहां चल रहा है उनकी जान-माल का खतरा है तो उनके लिए भारत सरकार की ओर से बंदोबस्त किया जाए कि उनकी जान-माल की हिफाजत की जाए, यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनियांग (शिलांग) : महोदय, असम बारे में मैं यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कल ही प्रधान मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि माफी के सवाल पर आसाम के मुख्यमंत्री ने स्थानीय राजनैतिक दलों से परामर्श किया था तथा उनके सहमत होने पर ही उल्फा कार्यकर्ताओं को आम माफी दी गयी थी। मुख्यमंत्री उल्फा को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए मानवीय तरीके से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि इस समस्या को वर्तमान सरकार ने नहीं पैदा किया है, इसे तो विगत असम गण परिषद की सरकार ने पैदा किया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विगत से भी विगत सरकार ने।

श्री पीटर. जी. मरबनियांग : अतः मैं अनुरोध करूंगा कि हमें असम के मुख्य मंत्री को मानवीय तरीके से इस समस्या को सुलझाने दिया जाये तथा मुझे विश्वास है कि उल्फा भी आगे बढ़कर तथा सरकार के साथ विचार-विमर्श करेगी।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : (फतेहपुर) माननीय अध्यक्ष जी, यह समस्या केवल राज्य की नहीं है। हमारे देश की समस्या का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो भावना प्रकट की है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह चिंता पूरे राष्ट्र की है। श्री बूटा सिंह जी ने यह बात कही है और सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। अब असम में नयी सरकार आई तो एक सोची-समझी नीति के तहत मानते हैं कि अच्छी मंशा से एक अमेनेस्टी की नीति की घोषणा की है।

उसके बाद जो स्थिति है उसके पीछे शायद सोची-समझी और कुछ चीजें हों। आपस में बैठकर तय करके किया गया। अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता हो तो लोग फैसला करें और करना भी चाहिए, उसमें ऐतराज नहीं है। जो घटनाएं बाद में हुई और जो आज हुई, उससे यह साबित होता है कि शायद एक जुए के तौर पर खेला गया और उसके पूर्व तैयारियां बातचीत करके नहीं हुई है। शायद उसके पीछे यह चीज मन में पड़ती है। इतने लोग जिनका अपहरण हुआ और हत्या हुई और पहले भी अपहृत हैं उनके जीवन को खतरा है और जो मोडिएटर है वह भी मार दिया गया। अभी मैं बहुत आदर से निवेदन करूंगा और गृह मंत्री जी से इस बारे में नीति का जब सवाल पूछा जाता है तो ऐसे विषय पर जो राष्ट्र के लिए इतने महत्व का विषय है तो उस पर नोटिस की जरूरत नहीं होती है। हम समझते हैं कि गृह मन्त्रीजी दिन-रात उसके बारे में सोचते रहते हैं और क्या नीति है उसके लिए पता लगाकर बताएं तो हम खबर करेंगे कि हमारी क्या नीति है और हम यह बतायेंगे कि यह बहुत ही शोचनीय दशा है। हमारा ख्याल है कि इस समय मौजूदा शोचनीय दशा है। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उससे क्या अनुभव हुआ और आगे की स्थिति को कैसे संभालेंगे। यह तुरन्त बता सकते हैं। उसके लिए हमने चर्चा की मांग की है। यह चिंता की बात है। गृह मन्त्री जी की और सरकार की क्या नीति है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदन के सामने एक पहलू नहीं आया है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कुछ साथी अभी कह रहे थे, कि अभी एक इंजीनियर को उल्फा लोगों ने मार डाला। यहां पर हिन्दी भाषी लोगों की सुरक्षा की भी बात की गई। इसमें हिन्दी भाषी लोगों का सवाल ही नहीं है। मेरे खयाल से वी. एस. राजू जिनकी अभी हत्या की है वे दक्षिण के रहने वाले थे और विपुल महत असमी थे। सवाल यह है कि जब प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश को तोड़ना चाहती हैं तो वे उनको मार डालती हैं जो उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, उनका यही उद्देश्य होता है। चव्हाण साहब यहां बैठे हैं, इसमें एक पहलू यह भी है कि दुरैस्वामी जी की रिहाई के बाद लोग कह रहे हैं कि दुरैस्वामी जी की रिहाई के बाद लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जिन लोगों का असर है उनकी तो रिहाई हो जाती है।

सुकती महंत जो चितरंजन महंत ओ. एनजी. सी. में इंजीनियर हैं, उनकी पत्नी का पहली बार बयान आया है, लेकिन 15 दिन से वहां के लोकल अखबार में उनका बयान आ रहा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी दिल्ली में जान-पहचान नहीं है इसलिए मेरे पति को नहीं छुड़ाया जा रहा है। राजू जिनको मारा गया उनका नाम भी पहली बार सुना है। चव्हाण साहब बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा न हो दिल्ली की सरकार के ऊपर या बड़े लोगों पर जिनका असर है जो हॉस्टेजेस बराये जाते हैं वे तो रिहा हो जायें, लेकिन जिनका यहां असर न हो, असरदार लोग न हों उनके बारे में कुछ न हो। जिसका परिणाम हमने वी. एस. राजू की हत्या के द्वारा देखा। यह पहलू आपके सामने नहीं आया है। मैं चव्हाण साहब से निवेदन करूंगा कि यह बहुत संवेदनशील सवाल है इसके बारे में गृह मन्त्री को जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं होती है, हम तो साधारण सदस्य हैं। रूल जो है इसके आप ठीक कहते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब हम यहां कुछ निवेदन करते हैं और अहम् सवाल हो तो मन्त्री जी खुद रिस्पांड करते हैं।

इसलिए मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी खुद विस्फोट करेंगे।

[अनुवाद]

वे देश की अखंडता के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं आपसे कहूंगा चव्हाण साहब कि सदन और देशवासियों में व्याकुलता है इसलिए आप इसके बारे में बयान दें।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मैं गृह मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी जो पालिसी है इस विषय पर विचार करें और जब हमें इससे अवगत कराते हैं तो हमें यह भी बतायें कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जो जिन्होंने 16 महीने शासन चलाया, उनकी क्या नीति थी···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 16 महीने में से 5 महीने आपने चलाया। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : असम आज कैसे इस स्थिति में पहुंचा है। असम गण परिषद जो राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा था और इन दोनों ने मिलकर जो हरकतें वहां की हैं जिसके कारण आज असम में उल्फा के द्वारा लोग पकड़े जा रहे हैं, यह भी इनके घटक का ही हिस्सा था और राष्ट्रीय मोर्चा से जुड़ा हुआ था और इसके द्वारा वी. पी. सिंह जी से भी जुड़ा हुआ था···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या दूसरों को अपशब्द कहना ही सरकार की नीति है?

(व्यवधान)

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सत्यव्रत मोहन देव) : महोदय, मैं सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे रहा हूं, यह गृह मन्त्री का विशेषाधिकार है किन्तु मैं इस माननीय सभा के सामने यह कहना चाहता हूं कि हिस्सों तथा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कुछ प्रेस वर्ग में एक सुनियोजित प्रचार किया जा रहा है।

1.00 म.प.

पिछले छह या सात सालों के इस आन्दोलन के दौरान 182 कांग्रेसी मारे गए हैं जिनमें श्री टंकेश्वर सैकिया जैसे भूतपूर्व मन्त्री तथा श्री मानवेन्द्र शर्मा जैसे ट्रेड यूनियन के नेता और असम के मुख्यमन्त्री के भाई रोकेश्वर सैकिया आदि शामिल है। कुछ क्षेत्रों में जहां हिन्दू बंगाली पीढ़ियों से रहते आए हैं, उन्हें तथा उनके लड़कों को मारा गया है तथा कल ही श्री महन्ती को मारा गया

है। (व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दें। मैं किसी की बात का खण्डन नहीं कर रहा हूं। हमें इसे गैर असमियों पर हमले के रूप में नहीं देखना चाहिए। वास्तव में यह देश के उस हिस्से में रहने वाले शांतिप्रिय नागरिकों पर आक्रमण है, तथा मैं यह बात दर्ज करवाना चाहूंगा कि यह गैर असमियों पर आक्रमण नहीं है। इसके अलावा असम को अनेक वास्तव में अतिभ्रम की स्थिति में है। सभा में सभी पार्टियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण तथा असम में सभी पार्टियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में अन्तर है। श्री सैकिया ने जो कुछ भी किया है वह गलत या सही, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। किन्तु उन्होंने वहां के सभी बुद्धिजीवियों तथा राजनैतिक पार्टियों को समान रूप से इसमें साथ ले लिया था। कल उन्होंने उनसे बात की थी हो सकता है जैसा कि किसी ने कहा हो। सकता है नीति में भी परिवर्तन हुआ हो। उनकी नीति असफल हुई हो। किन्तु मैं अभी उस मुद्दा को उठा नहीं रहा हूं। परन्तु, चुनाव के बाद वहां की निर्वाचन सरकार ने राज्य के सभी दलों को विश्वास में लिया है। सभी दलों की राज्य इकाइयों की नीति असम सरकार द्वारा अब तक क्रियान्वित की जा रही नीति का अभिन्न अंग हैं। किन्तु सभी दलों की राज्य इकाइयों और राष्ट्रीय इकाइयों के बीच एक प्रकार का मतभेद नजर आता है। हम जानते हैं कि हमारी परेशानी क्या है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि हमें इस स्थिति को इस प्रकार से हल करना चाहिए कि जो बालक गुमराह किए जा रहे हैं, वे भी उनकी भांति न हो जाएं जैसा पंजाब और और कश्मीर में हैं। हमारी नीति संभवतः निष्फल हो गई है। हम इस पर विवाद नहीं करते। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारी तथा अन्य व्यक्तियों की हत्याओं से वहां की सरकार को और केन्द्र सरकार के नए सिरे से सोचने का संदेश मिलना चाहिए। मेरी निजी राय है, सरकार कार की नहीं। किन्तु भूतपूर्व प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा इसे असम सरकार की असफलता बताना सही नहीं है। एक समय स्वयं उन्होंने ही कानपुर में किसी को, जिसने बाद में मुझे बताया था कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) ने इतने करोड़ रुपए मांगे हैं, उतना उन्हें दे दो और इसे निपटाओ। यह उनका रुख था। किन्तु मैं अब उस मामले को नहीं उठाना चाहता···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु राबले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले एक माह से लिखित में दे रहा हूँ, हमको चांस नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु राबले : हम पीछे की बैंचों पर बैठे रहते हैं, इसलिए हमें चांस नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं एक एक करके सबको चांस देता हूं। आपको भी चांस दे रहा हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मेरा इस सम्मानित सभा से केवल यही अनुरोध है कि इसे निर्वाचित सरकार को लताड़ने के मुद्दे की तौर पर न लिया जाये। हमने अपने घोषणापत्र में नियुक्तियों का वादा किया था और हमें मत दिए गए। दल के एक सदस्य के रूप में मैं यह कह रहा हूं कि हम पुनर्विचार करने और इस पर नए सिरे से नजर डालने को तैयार हैं। सम्मानित सभा या भारत सरकार को जो भी आदेश देगी वह असम सरकार को स्वीकार्य होगा। हम इसे असमी-गैर असमी मुद्दे के रूप में न लें। इससे असमी जनता को अच्छी प्रेरणा नहीं मिलेगी और मेरी भी विनती है। उस आदमी को फिर से मत पीटो।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मराठी दैनिक पत्र 'सामना" में छपे बोफोर्स से भी ज्यादा गम्भीर मामले को आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल रेलवे के इगलपुरी रेलवे स्टेशन यार्ड में पिछले बहुत समय से रात्रि में रेलवे के पेट्रोल टैंकरों से रेलवे के अधिकारियों, जैसे रेलवे शस्त्रधारी गार्ड आदि की देख-रेख में पैट्रोल चोरी होता रहा है और इस काम में 100 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। वहां विद्युत चालित पम्पों से पेट्रोल निकाला जाता है। जब इण्डियन आयल कारपोरेशन को अन्य स्थानों पर पैट्रोल भेजने में घाटे का पता चला तो जांच से पता चला कि 60 करोड़ रुपए का पैट्रोल चोरी हो चुका है। बोफोर्स में 55 करोड़ रुपए की दलाली को लेकर यहां बरसों तक बहस होती रही और अभी यह मामला इतना गम्भीर और जिन्दा है और यह 60 करोड़ का मामला है। इंडियन आयल कारपोरेशन ने रेलवे के ऊपर 60 करोड़ रुपये का दावा भी किया है। जब दावा किया गया तो रेलवे में खलबली मच गई। सहायक विभागीय महा व्यवस्थापक ने खुद रेलवे के टैंकरों से पेट्रोल रात्रि में दो-तीन बजे चोरी किए जाते देखा···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु रावले : तो उनको डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत दी गई और कहा गया कि या तो पैसे ले लो और चुप रहो, वरना तुम्हें खत्म कर देंगे। इस प्रकार उन्होंने यह रकम ले ली, लेकिन वह पैसा मुम्बई में विजिलेंस के पास जमा करा दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन लोगों को, जिन्होंने यह मामला उजागर किया उनको पूरा-पूरा संरक्षण दिया जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष

महोदय, यह बात मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं। मैं अभी मुम्बई गया था। मुझे दो बार गुमनाम टेलीफोन आया कि यदि मैंने यह मामला संसद में उठाया तो मेरी भी जान को खतरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। हमें संरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं अपनी परवाह न करते हुए भी यह मामला उठा रहा हूं। अध्यक्ष जी उनको आप संरक्षण दीजिए और पेट्रोलियम मिनिस्टर को जवाब देने के लिए कहिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं अन्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। हमारी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मन्त्री शारदा रावत जी जिन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ा था, उनकी कल हत्या कर दी गई और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूं, और इतने बड़े नेता जिन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी और कल उनकी बी. पी. रावत गांव में गोली मार कर हत्या कर दी गई। कल परसों हमारी राष्ट्रीय समिति की यहां बैठक हुई थी और उसमें काफी साथी बाहर से आए हुए थे और अन्य कारणों के अलावा उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे राजनैतिक द्वेष भी है। इसलिए हमारी बगल में भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मतभेद भी हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनैतिक मतभेद का मतलब हत्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन यदि इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से सरकार को इसको गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और हम जरूर जानना चाहेंगे कि हत्या के पीछे क्या कारण है और जो हमारे सम्मानित नेता, जिनकी हत्या की गई है, और भी देश के स्थानों से हमारे पास सूचनायें आ रही हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और भविष्य में भी होने की सम्भावना है। मैं समझता हूं कि यह गम्भीर मामला है और इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार को और सदन को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, शारदा प्रसाद रावत को मैं न केवल जानता था बल्कि उनके काम के बारे में और उस इलाके में उनका जो राजनैतिक प्रभाव था, उससे भी हम काफी परिचित रहे हैं। कल रात को लगभग 9-10 बजे के दरम्यान हमें गोरखपुर से यह समाचार आया, और वह समाचार आने के बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें यह बताया गया कि उनकी हत्या हो गई और ऐसे वक्त हत्या हो गई जब वह अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे और हत्या करने वाले लोग वहां बगल में बैठे थे और जो अन्धेरा था उस वक्त सूर्यास्त के बाद का समय था, तो उनके ऊपर बम का वार किया गया और उनके अस्पताल में पहुंचते ही उनका देहान्त हो गया। हमने अपने सभी साथियों से वहां सम्पर्क किया और जितने लोगों से सम्पर्क किया, उन तमाम लोगों से जो सूचना मिली है वह भंयकर है। उनके साथ राजनीति में काम करने वाले लोगों के अलावा उनका विरोध करने वाले भी जो लोग रहे, उनसे भी मैंने पूछताछ की और मुझे बताया गया कि उनकी हत्या के पीछे केवल राजनीतिक मकसद था। इसलिए हमारे साथी राम विलास पासवान जी ने जिस बात को छेड़ा है और अपील की है कि

उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी मिले, तो हम भी अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह जानना चाहेंगे क्या वहां हकीकत है, क्या तथ्य है और जल्द से जल्द वे तथ्य हमको मिलें क्योंकि जब यह सिलसिला एक बार शुरु हो जाता है, शारदा प्रसाद रावत इस संसद में आ जाते, केवल थोड़े से वोटों से ही हारे, किसी का तो हारना ही था, इसलिए वे हारे, लेकिन वे विधान सभा में कई बार चुनकर गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में वे मन्त्री रहे हैं। उस इलाके में केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में मजबूती के साथ काम करने वाले व्यक्ति वे थे। यदि उनका अन्त इस तरह से होना है तो इससे भंयकर और इससे दर्दनाक बात दूसरी कोई नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में सारा खुलासा सामने आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, आप इसकी जांच सी. बी. आई. से करवा दीजिए, और कुछ हम नहीं चाहते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)। अध्यक्ष जी, हम लोग भी इस घटना की निन्दा करते हैं और मैं समझता हूं कि पूरा हाउस इस घटना की निन्दा करेगा। जिस तरह से भंयकर घटना वहां घटी है, इस तरह का राजनैतिक हत्याकांड···

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : घटना भंयकर है, परन्तु आवाज में तेजी नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : जिस तरह का हत्याकांड गोरखपुर में हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए और जिस पार्टी के द्वारा ऐसा हुआ है, हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि इसकी ठीक से जांच हो, सी. बी. आई. के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी घटना आगे न घटने पाए···

श्री सीताराम केसरी। घटना तो गम्भीर है, परन्तु आवाज में तेजी नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सबको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह की राजनैतिक घटना दोबारा न होने पाए। इसकी ठीक तरह से जांच होनी चाहिए, यही हम भी मांग करना चाहते है।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि आप आडवाणी जी को बुलायें, पहले हमारी बातों को भी सुन लें। हमने इस मामले पर नोटिस भी दिया है (व्यवधान)

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मेरी बात जरूर सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : आधा घटा हो गया है और यही चल रहा है।

श्री हरि केवल प्रसाद : लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आपकी आज्ञा से मैं

* कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नही किया गया।

सदन को और आपको यह बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले, पिछले सप्ताह, मैं स्वयं वहां गया हुआ था। रावत जी ने मुझसे कहा कि हरि केवल, ऐसा लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। हमने पूछा, रावत जी, आप तो बराबर संघर्ष करने वाले व्यक्ति रहे हैं, गांव के गरीब, दलित, पिछड़े लोगों के सवाल को लेकर आप हमेशा लड़ते रहे हैं, आप क्यों ऐसा कहते हैं कि मैं बचूंगा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रदेश सरकार ने, मेरे जितने रक्षक थे, उन सबको वापस ले लिया। यहां के कुछ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, वे सब मिलकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बचने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष जी, जब मैं अपने दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से रात में अपने निवास स्थान पर आया तो मुझे मालूम हुआ कि शारदा प्रसाद रावत को गोली मार कर खत्म कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह स्पष्ट एवं राजनैतिक हत्या है, जान-बूझ-कर उनकी हत्या कराई गई है। इसलिए इसकी जांच सी. बी. आई. से कराकर, यह सरकार लोगों के जीवन की रक्षा करने का काम करे, प्रबंध करे, यही मेरी आपसे मांग है।

श्री रामसागर : अध्यक्ष जी, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर इस सदन में चर्चा होती रही है कि वहां जितने भूतपूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सब लोगों ने यद्यपि वहां की बी. जे. पी. सरकार से यह आग्रह किया था कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है, उन्हें रक्षक मिलने चाहिए, हटाने नहीं चाहिए परन्तु उन सबके रक्षक वहां की बी. जे. पी. सरकार ने वापस कर लिए हैं। गोरखपुर में जो यह घटना घटी है, वह राजनैतिक बदले की भावना से घटी है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह सरकार कदम उठाए और भारत सरकार को इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए : निश्चित रूप से यह एक राजनैतिक हत्या है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

आलकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता यदि राज-नीति हिंसा का शिकार होता है तो यह सर्वथा निन्दनीय है। उसके लिए जितने कठोर शब्दों में भर्त्सना की जाए, वह कम है। मैं यद्यपि रावत जी को जानता नहीं था लेकिन जो कुछ आप बता रहे है, उसके आधार पर, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इस घटना की निन्दा करता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय में यथोचित कार्यवाही कर रही होगी। और जो भी हत्यारे होंगे, उनको पकड़ करके उनको दण्ड देने का कार्य करेगी, लेकिन यहां पर सदन में बात उठी है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उत्तर प्रदेश सर-कार को इस बारे में यथोचित उपाय करने के लिए लिखूं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि हत्या राजनीतिक है और ये संकेत भी हैं कि प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति उसमें इन्वाल्वड हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय हम विरोधी पक्ष के नेता की बात से सहमत है, उसकी जांच होनी चाहिए, परन्तु चूंकि उसमें राजनी-तिक वातावरण बना हुआ है इसलिए उचित होगा कि राज्य सरकार सी. बी. आई. की इन्क्वायरी के लिए सिफारिश कर दें और सी. बी आई. को इन्क्वायरी हो जाए। (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन व्यवधानों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

11.16 अप.

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली रखने में और रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन व इनके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण

संसदीय कार्य संत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंत्रालय) (श्री अर्जुन सिंह की ओर से) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 5`9/91]

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 580/91]

दिल्ली विकास प्राधिकरण वर्ष 1989 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों, आदि को रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 581/91]

भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का जुलाई, 1987 से जून 1988 तक की अवधि का अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन आदि

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के जुलाई, 1987 से जून 1988 तक की अवधि के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 582/91]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) (श्री कमलनाथ की ओर से)। महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का. आ. 114 (अ), जो 20 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा तटीय आयामों को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है तथा जिसका एक शुद्धि-पत्र जो 19 मार्च, 1991 की अधिसूचना संख्या का. आ. 190 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 583/91]

(दो) का. आ. 479 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार में निहित शक्तियां कतिपय शर्तों के अध्यधीन त्रिपुरा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 584/91]

(2) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) नियम, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 504 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 585/91]

(3) (एक) गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी. 586/91]

सम्पदा निदेशालय के बादकरण कक्ष से सम्बन्धित अ.प्र. सं. 4462 के दिनांक 26.8.91 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण से बताने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, (एक) सम्पदा निदेशालय का बादकरण कक्ष के बारे में श्री उत्तमराव पाटिल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4462 के 26 अगस्त, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 587/91]

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के वर्ष 1989- से वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के ता·देवी सिद्धार्थ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 588/91]

(3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी-589/91]

(5) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 590/91]

(7) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखपरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 590/91]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिस, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिस बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-592/91]

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधि-नियम, 1948 के अधीन अधिसूचनायें आदि :

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोबार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्मकार प्रतिकर (धन का अन्तरण) संशोधन नियम, 1991, जो 6 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 400 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 401, जो 6 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कर्मकार प्रतिकर (धन का अन्तरण, बर्मा) नियम, 1938 का निरसन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-59-/91]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (पहला संशोधन) विनियम, 1991 जो 8 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन. 12/3/2/89-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991, जो 15 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/90-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-594/91]

(3) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1991, जो 7 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 05 (स) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 595/91]

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5क की उपधारा (9) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 596/91]

01.17 1/2 म.प.

संसदीय समितियां कार्य सारांश

महासचिव : मैं 22 दिसम्बर 1989 से 13 मार्च 1991 तक की अवधि से सम्बन्धित "संसदीय समितियां (वित्तीय समितियों को छोड़कर)—कार्य सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.18 म. प.

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

(एक) गन्दी बस्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठन के बारे में दिनांक 5.8. 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 294 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय उपर्युक्त विषय पर प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1 में क्रम सं. 17 के सामने निर्दिष्ट—

"17. तमन्ना 1, 14, 676 रुपये" के स्थान पर

निम्नलिखित पढ़ा जाय :—

"17 तमन्ना 14,676 रुपये

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने सूचित किया है कि यह गलती टाइप की गलती से हुई है। सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

01.19 म. प.

स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक*

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक निक्षेप करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे निक्षेपों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिये तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक निक्षेप करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे निक्षेपों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-करों से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा उनसे ससक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।" श्री फर्नान्डीज

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, इसके पहले भी इस प्रकार के जो विधेयक आए थे, तब मैंने संविधान का ही सहारा लेकर उनको यहां पेश करने का विरोध किया था । मैं जानता हूं कि मेरा वह अनुरोध आपने और सदन ने स्वीकार नहीं किया और यह कह कर कि जो भी ऐसे विधेयक आते हैं, तो वे कितने कानून के अन्दर बैठते हैं या नहीं, संविधान के अन्दर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, यह अदालत तय करेगी । हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले ? लेकिन अध्यक्ष जी, यदि मैं विरोध नहीं करूं, तो भी मेरा समाधान नहीं होगा और मैं मानूंगा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष जी, आज सुबह यहां पर कई मुद्दों की चर्चा चली, तो उनसे प्रतीत हुआ कि देश में हिंसा फैली हुई है और अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि देश में तेल की किस प्रकार चोरी हो रही है । ऐसी अनेक बातों को यहां पर रखा गया । हरियाणा के अन्दर एक-एक परिवार से पुलिस ने कितना-कितना रुपया लूटने का प्रयास किया, इसका जिक्र भी एक दस्तावेज के जरिये इस सदन में आज सुबह कई सदस्यों के हाथों में पहुँचाने का काम किया गया ।

देश में जो सारी गिरावट हम देख रहे हैं और जो कानून पालित कर रहे हैं इन दोनों का रिश्ता, संविधान की इज्जत हम कहां तक करेंगे कहां तक नहीं करेंगे वह तो अपनी जगह पर है और यह स्पष्ट हो चुका है कि हम संविधान की इज्जत नहीं करने वाले हैं और हम ऐसे कानून को करेंगे जो ईमानदार आदमी को पीछे धकेलेगा और बेईमान को मान-सम्मान के साथ इस देश में रहने का इन्तजाम करेगा । यह कानून उन्हीं में से एक है । जो चोरी से रुपया लेता है, डकैती डाल-कर रुपया लेता है, घूस से रुपया लेता है, इन तमाम लोगों को आज सभ्य बनाने का कानून हम ला रहे हैं और इस कानून में तो वित्त मन्त्री जी यहां तक कह गए हैं कि इसके पहले ही पेज पर जहां इस कानून का प्रीएंबल है, उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वह भी हमें कुछ कहने को बचाकर नहीं रखता है ।

[अनुवाद]

जहां तक प्रभावी आर्थिक तथा सामाजिक आयोजना के लिये;

दिनांक 9.9.91 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो खण्ड 2 में प्रकाशित

[हिन्दी]

आप इन चीजों में केवल रूचि नहीं रखते हैं बल्कि परेशान रहते हैं, मैं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं परेशान नहीं रहता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर्ज फर्नांडीज : जहां तक प्रभावी आर्थिक तथा सामाजिक आयोजना का सम्बन्ध है कुछ सामाजिक उद्देश्यों के लिये काले धन को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। ऐसे काले को उपयोग में लाना आवश्यक है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा बन गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अब संस्थागत हो गया है।

[हिन्दी]

यह कानून का प्रीऐंबल आजाद हिन्दुस्तान में हो गया है। इसके स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्स जो वित्त मन्त्री के हस्ताक्षर पर हैं उसका भी पहला वाक्य यही कहता है :

[अनुवाद]

कुछ सामाजिक उद्देश्यों के लिए काले धन का उपयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा बन गया है।

[हिन्दी]

अब दो बातें उठती हैं। एक तो जो कालाधन है वह इतना बढ़ गया है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को डुबो रहा है, यह सरकार इस कानून को पेश करते हुए कबूल करती है। दूसरा यह काम करने जा रही है जो इस देश के संविधान का विरोध है और वह काम यह है कि हम ऐसे पैसे को सभ्य बनाने का रास्ता खोज रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस संविधान की शपथ हमने यहां पर खड़े होकर ली है, जिस संविधान की शपथ चुनाव के पहले नामांकन दाखिल करते समय ली है, जिस संविधान की शपथ वित्त मंत्री ने, हम सब लोगों ने ली है, क्या यह संविधान अब असभ्य काम को सभ्य बनाने में, चोरी के पैसे को सफेद करने में, चोरी करने वाले को मान-सम्मान के साथ देश में बने रहने में ही होना है। इसका एक ईमानदार व्यक्ति पर क्या असर होगा।

मैं आपके सामने अनेक उदाहरण रख सकता हूं। हम राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, राजनैतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, इस सदन के कर्मचारी हैं और सुबह से शाम तक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।

ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता जीवन में कि ऐसे पैसे को जुटाए जिसके लिए यह कानून बन रहा है। आज इस सदन के कर्मचारियों को हम क्या आदर्श सिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम तो बेवकूफ हो जो पैसा नहीं बना रहे हो। तुमको इस देश में कोई मान-सम्मान कभी नहीं मिलेगा, तुम लाचारी में पड़े रहोगे। जिसको मौका मिलता है हम उन्हें काले धन को सफेद करने

का मौका देकर, समाज में मान-सम्मान देकर हो सकता है कि पदमश्री, पदम, भूषण के लिए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं बहुत दर्द के साथ यह बात कह रहा हूं। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इस पर बोलने के लिए शर्म आ रही है। दो बार आपने मुझे टोका है यह कहकर कि भारत के संविधान के अंतर्गत (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं लोगल बात बता रहा था आपकी भावना को नहीं ठोक रहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज। मैंने इसलिए कहा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं।

मगर मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत परेशानी से खड़ा हूं, मैं बहुत परेशानी से खड़ा हूं कि आप मेरे विरोध को यह कह कर जब काट सकते हैं, सदन काट सकता हैलेकिन हम लोग देश को कहां ले जा रहे हैं ? हम देश में बेईमानी को, चोरी को, डकैती को बढ़ावा दे रहे हैं। बम्बई जैसे महानगर में जहां देश की 30 प्रतिशत दौलत है, वह शहर गुंडों के हाथों में है। आज उस शहर की राजनीति, "राजनीति" शब्द का इस्तेमाल अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं करूंगा लेकिन आज उस शहर के अनेक आर्थिक क्षेत्र, डुबई में बैठकर, अपनी बन्दूक के बल पर, आज इसको लागू करने का काम कर हैं। बम्बई को जानने वाले और बम्बई से चुनकर आये सदस्य इसको इन्कार नहीं कर सकते हैं। आज हम उनको कह रहे हैं इस कानून के जरिये तुम लूटो, तुम बन्दूक से लूटो, तुम लोगों के मकान में घुसकर लूटो, तुम पैसे बनाओ, हम तुम्हें कानून बना कर दे रहे हैं, घर बनाने के वास्ते लूटो, हम उस पर बोड्स बनायेंगे, उसमें डालो, 60 प्रतिशत तुम को मिलेगा और 40 परसेंट मकान बनाने के काम में लगाया जायेगा, किसी दिन बम्बई में नगर तुम्हारे नाम से खड़े किये जायेंगे क्योंकि तुम ने सबसे ज्यादा काला धन सफेद करने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, देश कहां जायेगा। इस सदन ने इसके पहले भी कानून बनाये। आज जब यहां पर एक महिला सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने यह कहा कि जब वह बहादुरगढ़ गई जहां पर कांड हुआ तो वहां के लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी यह नहीं हुआ था, तब उसी क्षण मेरे मन में यह बात आई चूंकि कानून को पढ़ने के बाद मैं परेशान था और मेरे मन में यह बात आ गई कि अंग्रेजों के दिनों में भी इस तरह से इस देश को गिराने का और मिटाने का काम नहीं हो रहा था। आज हम कहां इसको ले जा रहे हैं ?

मैं तर्क देने नहीं जाऊंगा, मगर मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आपको कोई मुद्दा न मिलता हो इस देश को बनाने का तो कम से कम आप उसे बिगाड़िये तो नहीं। इस देश की नैतिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। उसको मिटाने का आज यह जो तरीका दिखायी दे रहा है, कम से कम यहां देश को न ले जायें। यह सदन उस जिम्मेदारी को तो पूरा करे। मैं इस कानून को पेश करने का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोम नाथ चटर्जी : महोदय, यदि आप विधेयक को देखें तो उसमें यह कहा गया है।

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी—

(क) किसी भी व्यक्ति से, जिसने स्कीम के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक में निक्षेप किया है, ऐसे निक्षेप की प्रकृति और स्रोत् को किसी भी प्रयोजन के लिये, प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;

(ख) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी विधि के अधीन इस आधार पर कोई जाँच या अन्वेषण प्रारम्भ नहीं किया जायेगा कि उसने निक्षेप किया है।"

स्पष्ट रूप से लोगों का एक वर्ग बना दिया गया है और इसमें कोई शक नहीं है तथा देश के साधारण कानून उन पर लागू नहीं होंगे। जहां तक धारा का सवाल है इसमें कोई फर्क बात नहीं केवल इसके कि राष्ट्रीय आवास बैंक में धनराशि जमा करायी गयी है।

परन्तु अब तक, अनेक सरकारी योजनायें—वित्तीय योजनायें, बचत योजनायें—हैं, जिसमें धन जमा किया जाता है और उनमें ऐसी कोई छूट नहीं है। इस प्रकार की पूर्ण छूट कहीं नहीं है जैसाकि विधेयक में प्रावधान इस तथ्य के बावजूद, मैंने इस पर गौर नहीं किया है तथा मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं कि यह शर्म की बात है कि स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था में ऐसा कानून पुरस्थापित किया जा रहा है जिसमें "काला धन" शब्द हैं तथा इसमें खुलेआम यह घोषणा की जा रही है कि यह कानून काले धन को जायज बनाने के लिए होगा। जिनके पास काला धन है वे निश्चित रूप से इस देश के किसी न किसी कानून का उल्लंघन रहे हैं। अतः जिन्होंने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। उनको विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। मुझे पता है कि पहले भी धारक बांड थे जिन पर हमने सिद्धांत रूप में आपत्ति की थी। अनेक आश्वासन दिये गये थे। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी, यदि मुझे ठीक से याद है, उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से अपना लक्ष्य नहीं बना रहा हूँ। तत्कालीन वित्त मंत्री, जो इस समय देश में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, ने भी महसूस किया था कि यह उन लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक करने, उनमें सुधार करने तथा उनके गलत ढंग से अर्जित धन को देश के लाभ के लिये खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। वह योजना विफल हो गयी। यहाँ तक इन्दिरा विकास पत्र जो काले धन को जायज बनाने की एक योजना थी, तथा जिनमें कोई नाम नहीं देना होता है, उस हद तक सफल नहीं हो पायी जिस हद तक अपेक्षा की गयी थी।

अतः क्या हम ऐसे लोगों के नये वर्गों को सृजित करते रहें तथा उनको ऐसे विशेषाधिकार देते रहें जिसे देश के जनसाधारण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इससे निश्चित रूप से एक नये वर्ग के लोग सृजित होंगे। मैं कहता हूं कि इसमें बोधगम्य विशिष्टता है। श्री कुमारमंगलम कहते हैं, कि इसमें बोधगम्य विशिष्टता है।

अर्थात उन लोगों के बीच भिन्नता है जिन्होंने ईमानदारी से धन अर्जित किया है तथा जिन्होंने बेईमानी से धन अर्जित किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार यह समझती है कि एक ऐसी बोधगम्य विशिष्टता है जिस पर सरकार को किसी न किसी समय जोर देना चाहिये जिससे उन्हें साफ तौर पर माफी दी जा सके। वे यह कहें कि वे असफल हो गए है, उनकी कोई नीति नहीं है वे इसे बाहर नहीं ला पायेंगे, यहां तक कि वे ऐसे धन को भी नहीं ला सकते हैं जो

निर्यात आय के रूप में विदेशों में जमा है, वे उसे देश में नहीं ला पाये, वे ऐसे धन का भी पता नहीं लगा पाये जो देश तथा विदेशों में विभिन्न स्थानों पर जमा किया गया है अतः सरकार की प्रशासनिक तथा राजनीतिक विफलता के आधार पर एक नये वर्ग को तैयार करना जो कानून से ऊपर हो, न्यायोचित नहीं है।

अतः मैं श्री फर्नान्डीज का समर्थन करता हूं कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। मैं जानता हूं कि आप इसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं तथा यह नहीं कह सकते हैं कि इस आधार पर इसे पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार इस स्थान को, जिसे लोकतंत्र का मन्दिर कहा जाता है, अनिश्चित कालीन के लिये दूषित न करने के लिये, गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक निक्षेप करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे निक्षेपों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों का उपबंध करने के लिये तथा उससे संसक्त या उनके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

01.34 म. प.

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक*

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*दिनांक 9.9.91 भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो में प्रकाशित

श्री कल्पनाथ राय : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

01.34 ½ म. प.

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं लोक ऋण अधिनियम, 1944 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि लोक ऋण अधिनियम 1944, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[हिन्दी]

(दो) मध्य प्रदेश के खारगोन जिले के पश्चिमी सीमा 3 में अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों से संबंधित घटना

1.35 म. प.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : इस सदन के माननीय सदस्य, श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के खारगोन जिले के सोमाखेरी गांव में 9 अगस्त, 1991 को अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हुए अत्याचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमार (खारगोन) जिले में 9 अगस्त, 1991 को हुई घटना के बारे में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं।

2. 14 जुलाई, 1991 को गांव के भील (अनुसूचित जनजाति) और पट्टीदारों के बीच झगड़ा हुआ। इस घटना के बारे में मण्डलेश्वर पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे तथा इस घटना में अन्तर्ग्रस्त दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दिनांक 14.7.1991 को गांव में 1-4 कार्मिकों की सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात कर दी गई। 14 जुलाई, 1991 की घटना के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। मण्डलेश्वर के उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट ने भी गांव का दो बार दौरा किया तथा दोनों दलों को स्थिति के बारे में समझाने का प्रयास किया।

3. दिनांक 14.7.1991 को हुई घटना के परिणामस्वरूप भील मजदूरों ने पट्टीदारों के खेतों में काम करने से इन्कार कर दिया, पट्टीदारों ने भी भीलों को काम पर रखने से इन्कार कर दिया। पट्टीदारों ने पड़ोसी गांवों से मजदूर रखने की कोशिश की। उस क्षेत्र के भीलों ने बाहरी लोगों को काम नहीं करने दिया और उन्हें 9.8.1991 को दूर भगा दिया। इससे पट्टीदार स्थानीय भीलों से बहुत नाराज हो गए।

4. 9.8.1991 को 6 बजे अपराह्न कुछ भील लड़कों ने, पट्टीदार परिवारों की चार महिलाओं को, जो अपने खेतों से लौट रही थी, कुछ अपमानजनक शब्द कहे। इससे क्रोधित होकर पट्टीदारों ने भीलों की बस्ती में पहुंच कर गोली चला दी। उन्होंने भीलों के मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिकार में भीलों ने पथराव किया। गोली चलने की आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस गार्ड तुरन्त बस्ती में पहुँचे। और उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की। इस घटना में दो भील आदिवासियों की मृत्यु हो गई और अन्य 15 भील जख्मी हुए।

5. इस घटना की रिपोर्ट, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, मण्डलेश्वर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, खारगोन को 8.00 बजे अपराह्न टेलीफोन पर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक खारगोन तुरन्त घटना स्थल पर पहुँचे। उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, मण्डलेश्वर इससे पहले ही गांव में पहुंचे गए थे। वहां पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को नियन्त्रण में लिया और रात्रि के दौरान इस घटना में सम्बन्धित 1 अपराधियों को गिरफ्तार किया तथा मामला सं. 219/91 दर्ज किया गया। जख्मी व्यक्तियों को उपचार के लिए मण्डलेश्वर अस्पताल ले जाया गया। एस. डी. ओ. (पुलिस), बरहवाह, जिनके पास मण्डलेश्वर उप-खंड का भी अतिरिक्त प्रभार है, पुलिस उप-अधीक्षक, हरिजन कल्याण एकक, खारगोन और पुलिस उप-अधीक्षक, मुख्यालय खारगोन के साथ पुलिस कुमुक गांव भेजी गई।

6. घटना के एक दिन बाद जिला मजिस्ट्रेट, खारगोन, डी. आई. जी., इन्दौर क्षेत्र, पुलिस अधीक्षक, खारगोन और उप-खंड अधिकारी ने घटना के स्थान का दौरा किया। उन्होंने ग्रामवासियों के साथ पंचायत भवन में एक बैठक की और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की।

7. घटना में मारे गए दो भीलों में से प्रत्येक के परिवार को 10,000/-रु. की राशि की दी गई। इसी प्रकार, घटना में घायल हुए 15 व्यक्तियों को 500/-रु. दिए गए। जिन भीलों की झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, झोपड़ियों के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है।

1.38 म. प.

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के कोरापुट जिले में महामारियों को फैलने से रोकने और वहां काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिपूरक भत्ता बहाल करने की आवश्यकता

श्री श्री के. प्रधानमंत्री (नवरंगपुर) : महोदय, कोरापुर जिले में मानसून के बाद आंत्र-

लोग जन्य दस्त तथा हैजे की बीमारी फैल गयी जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग मर गये। लोग अभी भी उसी तरह से मर रहे हैं क्योंकि जिले में चिकित्सा पदाधिकारी तथा चिकित्सा विशेषज्ञों के संवर्ग में बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं। अतः इस महामारी को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है। चिकित्सा अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी गण जिले से बाहर चले गये थे। क्योंकि उन्हें दिया जाने वाला प्रतिपूरक भत्ते को दो वर्षों से समाप्त कर दिया गया है। यह भत्ता जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रोत्साहन-स्वरूप वेतन के अतिरिक्त दिया जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज के चिकित्सा दल ने उस क्षेत्र का दौरा किया था तथा परीक्षा के लिए नमूना लाया था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

1.39 म. प.

मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास शीघ्र भेज दें ताकि वे बीमारी को रोकथाम कर सके।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि चिकित्सा अधिकारियों को उन क्षेत्रों में जाकर काम करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दीर्घावधि नीति के रूप में प्रतिपूरक भत्ते को फिर से शुरू कर दिया जाना चाहिए।

(बो) गुजरात और मुंबई हाई के तेल के कुओं से तेल के उत्पादन में आई गिरावट को रोकने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक अत्यावश्यक मामले को रखना चाहता हूं।

कार्य दल के एक अध्ययन के अनुसार गुजरात तथा बम्बई हाई समुद्री किनारे में 700 से भी ज्यादा तेल कुंए रुग्ण स्थिति में हैं। भंडारों की कमी त्रुटिपूर्ण प्रचालनात्मक प्रक्रिया तथा अपर्याप्त जल-भूतल सुविधाओं की वजह से कुछ अन्य कुओं का उत्पादन भी काफी कम हो गया है।

इन समुद्रतटीय कुंओं में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने काफी पूंजी-निवेश किया है। यदि इन कमियों को दूर नहीं किया गया तथा वर्तमान प्रबंध व्यवस्था को नई शक्ल नहीं दी गई तो 30 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अन्यथा, कई अन्य कुंए भी रुग्ण हो जायेंगे। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आठवीं योजना के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेगा। यह देश अभी भी तेल की भारी कमी का सामना कर रहा है सरकारी क्षेत्र के किसी भी तेल कम्पनी के उत्पादन में और ज्यादा कमी को नहीं झेल सकता है।

बम्बई हाई तथा गुजरात तेल क्षेत्रों की सारी समस्याओं का पता लगाया जाना चाहिए तथा इन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। योजना-प्रक्रिया को ज्यादा वैज्ञानिक बनाना चाहिए तथा जो भी गलतियां हों उसके प्रति जवाब देही का आंतरिक प्रावधान होना चाहिए। हर परियोजना तथा क्षेत्र के लिए निम्नतम स्तर तक के कामगारों की भागीदारी के साथ

योजना तथा निगरानी सेल बनाये जाने चाहिए। उत्पादन योजना जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से 2 वर्ष पहले बनायी जाती भांडारण कार्य निष्पादन तथा निवेश उपलब्धता के आधार पर पुनरीक्षण तथा आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

इन सभी हालातों को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तेल के गिरते उत्पादन के कारणों का विश्लेषण करे तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक टैलीफोन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र जनपद में दूर संचार व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के अधिकारियों को बार-बार कहने पर भी कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। आम लोगों की शिकायतों पर तो कई-कई महीनों तक कोई भी कार्यवाई नहीं होती है। यहां पर टैलीफोन तो नाम मात्र के लिए ही लगे हुए हैं।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस क्षेत्र की दूर संचार व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए यहां नये इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज तत्काल लगाए जाए।

[अनुवाद]

(चार) सीतापुर उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए जरूरी उपाय करने की आवश्यकता

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ के संबंध में प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1960 में प्रभावित कुल भूमि 76.3 प्रभावित कृषि भूमि 26.5 लाख हेक्टेयर 1970 में प्रभावित कुल भूमि 84.5 कृषि भूमि 48.5 लाख हेक्टेयर और 1980 में 114.2 और कृषि योग्य भूमि 55.5 लाख हेक्टेयर रही है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बाढ़ नियन्त्रण उपायों पर बहुत खर्च करने के बाद भी हानि निरन्तर बढ़ी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज (1985) ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बाढ़ नियन्त्रण उपायों पर खर्च बढ़ा है और साथ ही सुरक्षित किए जाने वाला क्षेत्रफल भी बढ़ा है। दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि बाढ़ राहत पर बाढ़ नियन्त्रण से भी अधिक खर्च करना पड़ रहा है। चिन्ता इस बात की नहीं है कि बाढ़ अधिक आ रही है बल्कि चिन्ता इस बात की है कि बाढ़ का स्वभाव इस तरह बदल रहा है जिससे अधिक नुकसान हो रहा है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में स्थित सीतापुर जनपद की है जहां पर चौका नामक नदी प्रतिवर्ष अपना रास्ता बदल लेती है और वहां एक भीषण बाढ़ का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त सीतापुर जनपद में किवानी, गोवरहिया: घाघरा और सरयू नदियां बहती है जिससे सीतापुर में स्थित बिसवां, बेहटास और लहरपुर विधान सभा का अधिकांश भाग प्रति वर्ष भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है। अत: मैं जल संसाधन

मन्त्री से मांग करता हूं कि सीतापुर जनपद के बाढ़ क्षेत्र का सर्वे करा कर अविलम्ब उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके।

(पांच) बिहार की सासाराम बक्सर रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (बिक्रमगंज) : बिहार राज्य में सासाराम बक्सर सड़क अत्यन्त पुरानी सड़क है। यह सड़क सासाराम और बक्सर दो ऐतिहासिक शहरों को जोड़ती है। साथ ही दो प्रदेशों बिहार और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ती है। बक्सर, बिहार राज्य का एक प्रमुख व्यावसायिक और औद्योगिक शहर है : यह पुरुषोत्तम राम की कर्मभूमि है। यह एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल भी है। सासाराम ऐतिहासिक पुरुष शेरशाह सूरी की जन्म भूमि एवं कर्मभूमि है। यहां शेर शाह का संसार प्रसिद्ध मकबरा भी है। यह एक प्रसिद्ध औद्योगिक, व्यावसायिक एवं पर्यटन स्थल भी है। इस सड़क के किनारे छोटे बड़े कई शहर हैं। अब तक यह सड़क एक वाहन यातायात है। फलस्वरूप बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हुआ करती हैं।

अतः इस सड़क के राष्ट्रीय महत्व और दुर्घटनाओं को देखते हुए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को अविलम्ब राष्ट्रीय उच्च पथ में परिवर्तित करने की योजना को स्वीकृत किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) उड़ीसा में भुवनेश्वर को ब-2 श्रेणी का नगर घोषित करने की आवश्यकता

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भुवनेश्वर शहर जो उड़ीसा की राजधानी है, की वर्तमान जनसंख्या 4,11,542 है। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसने ब-2 श्रेणी शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने का मानदण्ड पूरा कर लिया है।

इससे पहले भी तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह ब-2 शहर घोषित होने के योग्य था पर सरकार ने उस समय कोई कार्यवाही नहीं की और केन्द्रीय सरकार के भुवनेश्वर में काम कर रहे केन्द्रीय कर्मचारी मकान किराया तथा शहर प्रतिपूरक भत्ता इत्यादि के रूप में मिलने वाले उचित लाभों से वंचित रह गये। यह शहर खर्चीला है और इसकी 4,11,342 की जनसंख्या के अलावा तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों एवं प्रशासनिक महत्व के कारण भी इसमें एक बड़ी आबादी का लगातार आना जाना लगा रहता है। मकान किराए की दरें काफी ज्यादा है तथा यह आम आदमियों तथा वेतनभोगी कर्मचारियों की पहुंच के बाहर है। इस कारण शहर के भीतर एवं चारों ओर गन्दी बस्तियां बन गई हैं तथा इसके बाद एक अधिकांश लोगों को इनमें रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शहर का दर्जा बढ़ाना अत्यावश्यक है केन्द्रीय समूह के क्वाटरों का निर्माण करने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मकान किराया देने तथा

गृह निर्माण और शहर के विकास सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए और ज्यादा केन्द्रीय सहायता देने की जरूरत है।

(सात) तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कपास का निर्यात रोकने की आवश्यकता

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : तमिलनाडु में गरीब तथा कमजोर तबके के कई लोग लघु और छोटे हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं। हथकरघा उद्योग का अस्तित्व मुख्यत: कपास तथा धागा कार्य जैसे कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

डिन्डिगुल के अथूर तथा इसके आस पास के तालुकों में लाखों बुनकर हथकरघा की वस्तुओं के उत्पादन में लगे है। पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर कच्चे कपास के निर्यात की नीति शुरू की थी और यह नीति अभी भी जारी है। अब पूरे तमिलनाडु और शायद पूरे देश के कमजोर तबकों के कई लाख लोग कपास जैसे मुख्य माल की अनुपलब्धता के चलते करोड़ो रुपयों के हथकरघा वस्तुओं को बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे है। ये हथकरघा वस्तुएं भी विदेशों को निर्यात की जाती हैं, जिनसे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हथकरघा क्षेत्र में और ज्यादा बेरोजगारी से बचने के लिए तथा सम्भावित आन्दोलनों तथा भूख हड़तालों से देश को बचाने के लिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की तुरन्त छानबीन करे तथा विदेशों में कच्चा कपास के निर्यात की बाध्यकारी स्थितियों को पैदा करने वाले आदेश को वापस लेने के लिए अविलम्ब कदम उठायें।

(आठ) तमिलनाडु के गुडालोर में कलवारोपन पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों की दशा सुधारने की आवश्यकता

श्री पी. पी. कालिंगापेरुमल (कुड्डालोर) : कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कलवारोपन पहाड़ियों में चन्दन तथा चेबुलीक माइरोबालान वृक्षों के बड़े जंगली क्षेत्र हैं। इन पहाड़ियों में निरक्षर तथा निर्धन आदिवासी रहते हैं। ये आदिवासी पोषण, सफाई, आवास तथा अस्पताल सुविधाओं के बिना भारी निकृष्ट जिन्दगी बसर करते है: वे आर्थिक रूप से दरिद्र तथा शैक्षणिक रूप से निरक्षर है। ऐसा लगता है जैसे कि उनका जीने का अधिकार ही नहीं रह गया है। कलवापन पहाड़ियों के आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए सरकार को उपचारात्मक रणनीति तैयार करनी होगी।

इन पहाड़ियों में बहुतायत से पाए जाने वाले चन्दन वृक्षों की गैर कानूनी कटाई और तस्करी भी समाज विरोधी तत्वों द्वारा जोरशोर से जारी है। इन चन्दन वृक्षों की गैर कानूनी कटाई तथा तस्करी को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। आदिवासी लोगों की निकृष्ट जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार को या तो पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर निकट के क्षेत्रों में स्थानीय तौर से उपलब्ध चन्दन वृक्षों तथा चेबुलीक माईरोबालान वृक्षों से सबंधित उद्योग लगाने चाहिए।

———

1.53 अ. प.

(अनुवाद)

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक

श्री रामनाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय अभी जिस विधेयक पर विचार होना है उसके बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मैंने एक सूचना दी थी। मैंने एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने की सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयकों के प्रस्तुत होने के पहले ही।

श्री राम नाईक : महोदय, विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक पर विचार किए जाने का विरोध करता हूं तथा मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि यह विधेयक अपूर्ण है।

हरेक विधेयक में उसके उद्देश्यों तथा कारणों का कथन होना चाहिए तथा प्रस्तावित परिवर्तनों को भी बताया जाना चाहिए। ये चीजें तो इसमें है पर कुछ अन्य चीजें भी हैं जो इसमें होनी चाहिये और वह यह है कि जब किसी विशेष धारा में संशोधन किया जाना हो तो अनुबंध में उस विशेष धारा को या उस विशेष अधिनियम को छापा जाना चाहिए। यदि आप इस विधेयक को देखें तो इसमें उस धारा का कोई जिक्र ही नहीं है जिसमें संशोधन किया जाना है। जन प्रतिनिधि, 1951 की धारा 8 को संशोधित किया जाना है। इस विधेयक में इस खास धारा को नहीं शामिल किया गया है। उस धारा को इसमें शामिल किए बिना हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

मैं आपसे कोल और शकधर की पुस्तक पृष्ठ 486 का उल्लेख करने का अनुरोध करता हूं। यह अनुबन्ध के बारे में है और मैं संगत अनुच्छेद को पढता हूं।

"जहां मुख्य अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन करने का होता प्रस्ताव है तो सभी संशोधन करने वाले विधेयकों के साथ सामान्यत: उसका पाठ अनुबंध के रूप में लगाया जाता है। यदि धाराओं की संख्या अधिक है तो विधेयक के प्रभारी मंत्री के अनुरोध पर धाराओं को अनुबंध के रूप में नहीं लगाया जाता है परन्तु संबंधित मन्त्रालय द्वारा सदस्यों को परिचालित करने के लिए मूल अधिनियम की प्रतियां भेजी जाती हैं।" यह यहां पर लागू नहीं होता है क्योंकि केवल एक ही धारा में संशोधन किया जा रहा है।

"परन्तु जहां मूल अधिनियम बहुत बड़े हैं तो अधिनियक की प्रतियां सदस्यों को परिचालित नहीं की जाती है परन्तु संबंधित मन्त्रालय से प्राप्त अधिनियम की कुछ प्रतियां संसद ग्रन्थालय में रख दी जाती हैं जो सदस्यों के सन्दर्भ के लिए होती हैं। इस सम्बन्ध मे समाचार भाग दो एक पैरा जारी किया जाता है' यह भी लागू नही होता है।

"1950 से पहले" यह महत्वपूर्ण है। संशोधन करने वाले विधेयक द्वारा किसी अधिनियम

की धाराओं जिनमें संशोधन करना होता था उनका पाठ विधेयक के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता था।" यह 1950 से पहले की स्थिति थी।

"14 अगस्त 1950 को जब आवश्यक वितरण अधिनियम में और संशोधन करने वाला विधेयक सभा में विचारार्थ आया तो एक बात उठाई गई कि संशोधन करने वाले विधेयकों के साथ मूल अधिनियम की संगत धाराओं जिनमें संशोधन नहीं किया जाना है को भी प्रकाशित किया जाये ताकि संसद को उस पर कार्य करने में आसानी रहे।" यह बात थी जो उठाई गई थी इस पर अध्यक्ष ने निर्देश दिया था मैं अब निर्देश पढ़ रहा हूं— कि जब भी अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयकों को प्रस्तुत किया जाए तो मूल अधिनियमों में से संगत धाराओं की सूची को विधेयकों के साथ दिया जाना चाहिए, तथापि किसी गोपनीय विधेयक के साथ ऐसा अनुबंध नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

अतः महोदय यदि इस विशेष अधिनियम अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना है तो वह विशेष धारा यहां नहीं दी गई। यदि यह विशेष धारा और विशेष व्यवस्था के साथ नहीं दी जाती है तब तक इस विधेयक कहा था पर विचार नहीं किया जा सकता है। सरकार ने विधेयक को पुनःस्थापित करते हुए पहले कि उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया था। वे विधेयक को बहुत संक्षेप में, तथा बहुत स्पष्टता के साथ लाना चाहते थे तथा इसी कारण उन्होंने शुद्ध समय लिया था आपको याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था। यहां तक कि सभा की अनुमति सात दिन की सूचना देने की सामान्य परम्परा तथा नियम 19(ख) के अन्तर्गत सभी सदस्यों को नौ दिन की सूचना देना भी छोड़ दिया गया। इस सभा में काफी मतभेद था तथा हमने अपने अधिकारों को छोड़ दिया था तथा अध्यक्ष ने भी व्यवस्था दी थी कि नियम 19 (ख) के अन्तर्गत उन्होंने अनुमति दे दी है। अतः चर्चा जारी रहेगी।

जब इतना अधिक विचार हो चुका है तो केवल यही आवश्यकता है कि यहां पर अनुबंध नहीं दिया गया है। अतः महोदय, जब तक अनुबंध नहीं दिया जाता है तब तक यहां विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता है। मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है जिसके लिए मैंने कौल तथा शकधर की अधिकारिक व्यवस्थाओं को उद्धरित किया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी आपत्ति पर विचार करेंगे तथा देखेंगे कि विधेयक पर आज चर्चा नहीं होनी चाहिए।

उनको अनुबंध देने दीजिए, उसके बाद विधेयक पर आगे चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को अधिनियम की उन व्यवस्थाओं में संशोधन करने की आवश्यकता के बारे में कोई नियम नहीं है जिनमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि सामान्यतः यह अध्यक्षपीठ की टिप्पणी के अनुपालन में किया जाता है जब आवश्यक वितरण विधेयक 14.8.1950 को विचारार्थ आया। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

श्री राम नाईक : महोदय, भविष्य में वैसा ही होना चाहिए जैसा कि निर्देश है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुबन्ध की प्रतियां गृह मंत्रालय से प्राप्त की जा रही हैं तथा इन्हें

सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस बीच विधेयक पर आगे चर्चा की जानी चाहिये।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि किसी उपासना स्थल का संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए और 15 अगस्त 1947 को यथा विद्यमान उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाये रखने तथा उससे संसक्त या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपासना स्थलों के संपरिवर्तन से समय-समय पर उठने वाले विवादों को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण साम्प्रदायिक वातावरण दूषित हो जाता है, यह उपाय करना आवश्यक समझा गया है। यह विधेयक संसद में 11 जुलाई 1991 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए लाया गया है।

इस विधेयक के खण्ड 3 में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तन नहीं करेगा।

02 00 म. प.

खण्ड 4 में व्यवस्था है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। तथापि, इस खण्ड के उपखण्ड (3) में कुछ छूटें दी गयी हैं।

खण्ड-5 में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद को इस विधेयक की कार्यवाही से मुक्त रखा गया है।

विधेयक के खण्ड 6 में खण्ड 3 द्वारा लगी रोक का उल्लंघन करने पर सजा दिये जाने की व्यवस्था है।

खण्ड 8 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करने की व्यवस्था है कि जो लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किए जाते हैं उन्हें संसद सदस्य अथवा राज्य विधानमंडलों का सदस्य चुने जाने से वंचित किया गया है।

अतः यह देखा जा सकता है कि इस विधेयक को स्वीकार करने से किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन के संबंध में कोई नया विवाद उत्पन्न होने से प्रभावी रूप से रोका जा सकता है जबकि खण्ड 4 के उपखण्ड 3 में दी गई छूट से यह सुनिश्चित होगा कि जिन मामलों को संयोचप्रद ढंग से तय कर लिया गया हो तथा जिन्हें समय-सीमा से प्रतिबन्धित किसी न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से तय कर दिया गया हो आदि को अनावश्यक रूप से इसमें नहीं उठाया जायेगा।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के अधिनियम से साम्प्रदायिक सद्भाव तथा सौहार्द बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। अतः मैं इस विधेयक को माननीय सदस्यों के समक्ष रखता हूं तथा इसे पारित करने में उनका सहयोग चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि किसी उपासना स्थल का संपरिवर्तन प्रतिसिद्ध करने के लिए और 15 अगस्त 1947 को यथा विद्यमान उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जायेंगे। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे 25 नवम्बर 1991 तक परिचालित किया जाये।" (5)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगवान शंकर रावत—अनुपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—अनुपस्थित।

श्री मदन लाल खुराना

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे 29 नवम्बर 1991 तक परिचालित किया जाये।" (6)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी अनुपस्थित कुमारी उमा भारती।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उस पक्ष में दोबारा विचार किया जा रहा है। वे अपने संशोधन प्रस्तुत करने तक के लिए उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती।

श्री एस. बी. चव्हाण : संशोधन हैं। सरकार की ओर से मैं उन संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम नाईक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इन संशोधनों को कैसे प्रस्तावित कर सकते ? आप केवल दूसरे चरण में ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इन्हें अब कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से पेश किये जाने वाले इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। यद्यपि यह एक सुखद बात, इस

बिल को पढ़ने के बाद, समझ में आई है और इसका प्रावधान बिल के खण्ड 4 के उपखण्ड (2) में किया गया है, जिसमें लिखा है कि :—

> "यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान, किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्त प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो वह समाप्त हो जायेगी और ऐसे किसी मामले के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी।"

इससे एक बात समझ में आयी कि लगातार हर सभी लोग अपने भाषणों में जो बात कहते आये हैं कि राम जन्मभूमि का मामला अदालत का विषय नहीं है। यह अदालत में तय नहीं हो पायेगा क्योंकि यह आस्था का विषय है। हमारे इस मत का समर्थन इस देश के, भूमण्डल के करोड़ों रामभक्त लोग कर रहे थे और इसकी साक्षी थी, वह उपस्थिति जो हम लोगों की सभाओं में होती थी। इसका मतलब है कि सब लोग इस बारे में एकमत थे कि यह मामला अदालत में तय नहीं हो सकता। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर कांग्रेस की सरकार हमसे सहमत न हो, लेकिन लगता ऐसा है कि इस मामले में वह हमसे पूरी तरह सहमत है और इस सम्बन्ध में जो हमने कहा, उन्होंने उसे पूरी तरह से मान लिया कि आस्थाओं के मामले अदालत में तय नहीं होते और मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूं कि इस मामले में अयोध्या को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि अयोध्या के मामले में केन्द्र की सरकार टकराव नहीं चाहती और हम भी कोई टकराव नहीं चाहते, यद्यपि टकराव से हम डरते भी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह मामला आपसी वार्ता से सुलझे, तो बहुत अच्छा है। शांतिपूर्वक सुलझे, तो बहुत अच्छा है। उलेमा और सन्त, ये आपस में बैठ जाएं और सुलझा लें, तो बहुत अच्छा है। मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं, यद्यपि यहां पर इसका उल्लेख अप्रासंगिक भी लग सकता है—लगातार यह बात कही गयी है कि हम लोगों ने, राम जन्म भूमि के मामले को बार-बार स्टेज पर इसका जिक्र कर के, हमने धर्म को राजनीति में ला दिया है, मैं आज इस बात को साबित करना चाहती हूं कि धर्म ने राजनीति में दखल नहीं दिया है उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि राजनीति ने धर्म में दखल दिया है और राजनीतिक का दखल, इसको धर्म में माना जाना चाहिए, यह धर्म का दखल राजनीति में नहीं माना जाना चाहिए और इसके लिए मैं जो प्रमाण दूंगी, मुझे लगता है कि वे प्रमाण पर्याप्त होंगे, यह साबित करने के लिए कि यह जो मामला है यह राजनीति का धर्म में दखल है धर्म के द्वारा राजनीति में दखल देने का मामला यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक फरवरी 1986 को श्री राम जन्म-भूमि के ऊपर लगा हुआ ताला खुला और उस ताले को खोलने का आदेश देते समय अदालत ने स्वयं यह निर्णय देते हुए कहा कि किसी प्रशासकीय या अन्य किसी न्यायालय या अधिकरण अथवा किसी आदेश से यह ताला नहीं लगा था, यह ताला किसके आदेश द्वारा लगा है, यह समझ में नहीं आ पाया। इसी कारण एक फरवरी को ताला खोला गया। एक फरवरी को ताला खुलने के बाद सारे भारत वर्ष में राम भक्तों ने खुशियां मनाईं, दीपक जलाए, घरों में घंटे-घड़ियाल बजाए, शंख फूंके, लोग प्रसन्नता में नाचे कूदे, लेकिन कहीं भी एक फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक देश में साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

एक फरवरी से 14 फरवरी, 1986 तक पूरे देश में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। 14 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्यों ने यह आह्वान किया कि यह ताला खोले जाने का विरोध करो। तत्काल 14 फरवरी 1986 को दंगों का जो सिलसिला चला और जो रक्तपात हुआ, उसको रोकना उस समय भी मुश्किल हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहती हूँ कि ताला खुलना, इसने इस देश में साम्प्रदायिक तनाव को जन्म नहीं दिया, बल्कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जो 14 फरवरी को अपने गठन के बाद एक प्रकार से आह्वान कर दिया कि इसका विरोध करो, उससे जो कुछ हुआ, उसके बाद इस देश में साम्प्रदायिक तनाव को और दंगो को करने की कोशिश की गई। यद्यपि इसके पूर्व भी जब शाहबानो का प्रकरण आया, उस समय कुछ नेताओं ने जिनकी जमानतें जब्त हो जाती थीं, उपाध्यक्ष महोदय, उनको किसी न किसी तरह से अपना राजनीतिक अभ्युदय चाहिए था, उनको किसी न किसी तरीके से अपने आपको राजनीति में जमाना था, तो उनको यह लगा कि शाहबानो के प्रकरण का विरोध करके हम मुसलमानों के अन्दर कट्टरवाद की भावना को जन्म देकर के, उनके अगुआ बन जाएंगे और उनके नेता बन जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा कर के वे देश को किस तरफ धकेल रहे हैं और इस तरह से वोटों के लालच में, देश को लाशों के ढेर से पाट सकते हैं और खून की नदियां बहा सकते हैं, वे नेता खून की नदी में नाव चलाकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचने का काम करना चाहते थे। इसलिए 14 फरवरी, 1986 को जब बाबरी मजिस्जद एक्शन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद जब ताला खुलने का विरोध हुआ, तो उस भावना के कारण और दूसरे शाहबानो के प्रकरण के विरोध के कारण इस देश के मुसलमान बंधुओं के अन्दर भी कट्टरता को उत्पन्न करने की कोशिश की गई और कट्टरता के नाम पर उनको एक करने की कोशिश की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और घोषणा की गई-12 अगस्त, 1987 को वह घोषणा थी कि अयोध्या की तरफ मार्च करो और मार्च की घोषणा करने वाले महाशयों ने कहा कि हम जाएंगे और राम जन्म भूमि पर जो खण्डहर बना हुआ है, वह मस्जिद है और हम वहां पर जाकर नमाज पढ़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं—मेरे बुजुर्ग, जिनको मैं पिता समान मानती हूँ, सुलेमान सेट यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कि जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या उसको मार्च कहते हैं। क्या जब हिन्दुस्तान के मुसलमान भाई मक्का-मदीना की तरफ जाते हैं, तो क्या वे यह घोषणा कर के जाते हैं कि हम मक्का-मदीना की तरफ मार्च कर रहे हैं और जब 12 अगस्त को घोषणा की, तो उसमें बाबरी मस्जिद कमेटी के मेम्बरान भी थे, उन्होंने घोषणा की और फिर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और अयोध्या की तरफ हम मार्च करेंगे "मार्च"। शब्द का प्रयोग किस में होता है? जब आरमी शत्रु को पछाड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसको "मार्च" करना कहते हैं।

जब उन्होंने घोषणा की कि हम वहां जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे तो क्या नमाज पढ़ने के लिए कभी मार्च शब्द का प्रयोग होता है। मैंने कभी नहीं सुना कि मक्का मदीना में हज करने जाने वाले मुसलमानों ने घोषणा की हो कि हम मक्का मदीना की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। इसका मतलब

यह निकला कि शब्द प्रयोग से यह साबित हो रहा था कि इस देश के मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाया जा रहा था कि राम जन्म भूमि का मामला तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा है और तुम हमले की मुद्रा में आ जाओ और यहां पर प्रस्तुत हो जाओ। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूं।

मैंने बचपन में एक बात सुनी थी कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो वह जानता है कि बिल्ली उसको खा जाएगी। बिल्ली को कबूतर बहुत स्वादिष्ट लगता है। कबूतर इतना भोला और नादान होता है कि वह सोचता है कि आंखें बन्द कर लूंगा तो बिल्ली दिखेगी नहीं। वह आंखें बन्द कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली दिखेगी नहीं तो वह होगी ही नहीं। इस तरह से बिल्ली उसको खा जाती है। 1947 की स्थिति में धार्मिक स्थलों को बनाए रखना यानि कबूतर की तरह बिल्ली से आंखें मूंदना, जो तनाव बिल्ली की तरह पदचाप बढ़ाते हुए इस देश में आ रहा है उसकी तरफ कबूतर की भावना लेकर अपनी आंखें मूंदना और यह सोचकर कि 1947 की स्थिति में सब कुछ रखा जाए यानि तनाव को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए।

मैं एक उदाहरण दे रही हूं। मैं बीस दिन पहले बनारस गई थी। मैं जिस दिन वहां गई उस दिन मूसलाधार बारिश बनारस में हो रही थी। मैंने ज्ञान वापी का स्थान कभी देखा नहीं था। मैं उसी स्थान को देखने के लिए वहां गई थी। उस जबरदस्त बारिश में भीगते हुए मैं उस जगह पर पहुंची जिसमें विश्वनाथ भगवान का मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी। मैं बरसते हुए पानी में उस दृश्य के सामने पहुंची। मेरे साथ जो दिखाने वाले लोग थे उन्होंने मुझे वह जगह दिखाई कि मंदिर का भगना विशेष कुछ बाकी है और उसके ऊपर ही औरंगजेब ने वह मस्जिद खड़ी करवाई। मैं निवेदन करूं कि मैं बहुत पढ़ी-लिखी नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है सदन की मर्यादाओं का, पता नहीं मुझे यह बात कहनी चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे यह बात कहने में न तो संकोच है न डर है और न ही यह बात कहने के लिए मैं कभी पछताऊंगी। इतनी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए भी जब मैंने मंदिर के भग्नावशेष के ऊपर मस्जिद को खड़े देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में ज्वाला फट रही हो। मुझे अपने पूर्वजों का इतना अपमान लगा जैसे मेरे पूर्वजों की आत्मा मेरे पौरुष को धिक्कार रही है और मुझसे सवाल कर रही है कि बताओ अगर औरंगजेब का इरादा सिर्फ यहां पर मस्जिद बनाने का था तो मंदिर का अवशेष नीचे क्यों छोड़ा गया। क्या उस मंदिर के अवशेष को छोड़ने के पीछे औरंगजेब की बदनीयत नहीं थी कि आगे आने वाली हिन्दुओं की पीढ़ियों को याद रहे कि उनकी औकात क्या है और मुसलमानों की पीढ़ियों को याद रहे कि उनकी ताकत क्या है ? यह तो औरंगजेब की बदनीयत थी और फिर अंग्रेजों की बदनीयत थी। मैं कांग्रेस की सरकार से और यह बिल लाने वालों से पूछना चाहती हूं कि औरंगजेब की बदनीयत की विरासत को आप क्यों कायम करना चाहते हैं, अंग्रेजों की बदनीयत की विरासत को आप क्यों कायम करना चाहते हैं क्यों चाहते हैं कि यह तनाव बना रहे ? जैसी आग मेरे जैसे व्यक्ति कोलगी(व्यवधान)मैं कल्पना कर सकती हूं कि आगे वाली पीढ़ियां बनारस जाती रहेंगी। जब तक बनारस के घाट बने रहेंगे तब तक लोग वहां जाते रहेंगे और जब तक लोग जाते रहेंगे उस स्थान को देखते रहेंगे। इसमें मुझे लगता है कि या तो यह बदनीयत है जो विरासत में औरंगजेब से और अंग्रेजों से मिली है कि आने वाली पीढ़ियां उसे देखती रहें और उनके हृदय में आग जलती

रहे, उनके मन में तरह-तरह के ख्याल आते रहें। फिर ज्वाला को दबाने के लिए प्रयास कि 1947 की कंडीशन में हो रहने दो, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करो। यदि यह बदनीयत नहीं है तो फिर विवाद को हल करने का यह सही तरीका नहीं है। विवाद को हल करने का सही तरीका यह है कि इस देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल को, प्रत्येक पूजा स्थल को उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल कर दिया जाए चाहे वह मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। उसको उसकी वास्तविक स्थिति में ही बहाल करना चाहिए और इसके लिए तारीख तय होनी चाहिए अर्जुन-कासिम के जमाने से।

2.15 म. प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्या पीठासीन हुईं)

इसके लिये तारीख तय होनी चाहिये। बाबर के जमाने से जब वहां पर आक्रमण हुआ तो धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मन्दिरों का भंजन किया गया, मूर्तियों का भंजन किया गया। अगर नीयत साफ है तो फिर वास्तविक स्थिति में बहाल रखा जाये हर धार्मिक स्थल को, यह बिल पेश होना चाहिये और अगर औरंगजेब और अंग्रेजों वाली नीयत है तो फिर निश्चित रूप से बिल को पास करने की कुचेष्टा होगी।

माननीय सभापति महोदया, इसका परिणाम मुझे लगता है कि अच्छा नहीं निकलेगा। इससे साबित हो रहा है कि हम नहीं चाहते हैं शांति। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है और सदैव के लिये विवाद समाप्त करने का कि इस देश के जो भी धार्मिक स्थल हैं यदि किसी मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाई गई और यदि किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया तो उसके लिये पूरी तैयारी करके, पूरी सूची बनाकर उनको वास्तविक स्थिति में बहाल करना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस संसद में इस बिल को लाकर इतिहास के साथ बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तारीख के द्वारा क्या तवारिख को बदल सकते हैं, क्या किसी तिथि के द्वारा किसी इतिहास को बदल सकते हैं? इतिहास कहता है कि राम वहां जन्मे और इतिहास इसलिये कहता है कि वहां पर अयोध्या है·····(व्यवधान)···

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : यह आपकी आपीनियन है या आपकी पार्टी की आपीनियन है?

कुमारी उमा भारती : यह हम सभी की ओपिनियन है। हम अलग नहीं होते हैं। क्या किसी तिथि के द्वारा हम किसी तिथि के द्वारा हम किसी इतिहास को बदल सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है। हम इसके द्वारा इतिहास के साथ बईमानी करने की कोशिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसके द्वारा इतिहास से आंखें चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसको लेकर आये हैं, कल को हम आजादी की तारीख में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, कल को हम महात्मा गांधी जी के अस्तित्व के बारे में भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ईमानदारी

के साथ निवेदन करना चाहती हूं और मुझे विश्वास है कि इस सदन में सभी बैठे हुए माननीय सदस्य इस बात की चिन्ता कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के रिश्ते आपस में इसके सम्बन्ध में क्या होंगे क्योंकि इस देश में हिन्दुओं को भी रहना है और मुसलमानों को भी रहना है और दोनों को बराबर के हक से रहना है। न हिन्दुओं के हक इस देश में कम होंगे, न मुसलमानों के हक इस देश में कम होंगे। अगर दोनों को इस देश में रहना है तो उनकी आने वाली पीढ़ियों के आपस में रिश्ते क्या हों, यह सभी देखना होगा। अगर हम यह चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के रिश्ते मधुरता से भरे हुए हों, उसमें कटुता न हो तो सबसे बढ़िया तरीका होगा कि इस बिल का रूप यह होना चाहिये कि इस देश के प्रत्येक पूजा स्थल को उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल किया जाये। यही एक सबसे बढ़िया समाधान होना चाहिये नहीं तो कबूतर की तरह से आंखें मूंदना हो गया कि बिल्ली है ही नहीं। अभी जो मामले अदालत में पैंडिंग पड़े हैं, आपने उनको निरस्त करने की बात की लेकिन क्या वह भावनाओं से निरस्त हो जायेंगे। बड़ोदा के पास एक स्थान है, पावागढ़ जी वहां पर देवी का मंदिर है। मंडे के दिन वहां 50-5 हजार लोग दर्शन के लिये जाते हैं। उस मंदिर के ऊपर गुम्बद पर एक मजार बनाया गया है। आप बताइये, उस मंदिर में क्या जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी ? मंदिर में लोग जायेंगे और जब वे वहां जायेंगे तो मन्दिर के गुम्बद की तरफ नजर पड़ेगी ऐसे में आपको लिखना होगा कि यह 1947 के पहले अगर बना है तो ऐसे ही बना रहेगा चाहे तुम्हारा जी जले, चाहे कुछ भी हो इसलिये आप इसको मत देखो, इसके नीचे देखो। ऐसा सम्भव नहीं है। लोग दर्शन करने के लिये जायेंगे वह गुम्बद के बिना मजार को देखेंगे तो उनको तकलीफ होगी। आपका यह विधेयक उनकी तकलीफ को दबाने की कोशिश करेगा, किस तरह चल पायेगा ? अगर हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ते रहें और हिन्दू और मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियां आपस में लड़ती रहें, अगर यही भावना मन में हैं तो बने रहने दीजिये। इन गुलामी के चिन्हों के लिये अगर जरा सी भी ईमानदारी है और इस देश की आने वाली पीढ़ियां शांति के साथ इस देश की धरती पर जीयें अगर यही आप चाहते हैं तो इसका एक ही समाधान है कि इस विधेयक को इस रूप में नहीं, अगर हिम्मत है तो इस रूप में प्रस्तुत करके देखिये कि इस देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल को उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल करके रखा जाये। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा विवाद हो जायेगा, उनका निपटारा कैसे होगा। विवाद तो वैसे भी होंगे, आप इसको लाकर देखिये। लोगों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, समाज की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है और आगे आने वाली पीढ़ियों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, आप इसको देखिये। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से इसको एक तुष्टिकरण का मामला बनाने की कोशिश करना चाहते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इनको 1947 की स्थिति में रख कर। गांव में बैलगाड़ी वाले बैल को जोतते रहते हैं और बैल के पुट्ठे में घाव कर देते हैं। जब उनको उसे तेज दौड़ाना होता है तो घाव में थोड़ी चोट कर देते हैं। तो बैल तेज दौड़ने लगता है। ये सारे घाव हैं, कोढ़ हैं, गुलामी के चिन्ह हैं, भारत माता के सुन्दर शरीर पर बदनुमा धब्बे हैं। जब तक बनारस का ज्ञान पापी का स्थान रहेगा, जब तक बड़ोदा के पावागढ़ में देवी के मंदिर पर गुम्बद के ऊपर मजार बना रहेगा, तब तक उसको देखकर औरंगजेब की याद आएगी और याद आएगा औरंगजेब का अत्याचार। औरंगजेब द्वारा हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करके उनके इस्लामीकरण करने की कुचेष्टा याद आएगी और उससे तकलीफ बहुत जबरदस्त होगी।

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन

करना चाहती हूं मुझे मालूम है मैं सभी उपस्थित माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं, सबके मन में यह बात है कि यह बिल ठीक नहीं है, इससे समस्या का सही समाधान नहीं होगा, स्थायी समाधान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जैसे महाभारत के समय द्रौपदी का श्रीरहरण हुआ, भीष्म-पितामह को मालूम था, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और यहां तक कि पांडव पक्ष के बहुत से लोगों को मालूम था कि यह गलत है, लेकिन अनेक कारणों से उनकी जुबान बन्द रही। मुझे लगता है कि धार्मिक स्थलों की 947 की स्थिति बहाल करना, उनको उस स्थिति में बनाए रखना, इससे साबित हो रहा है कि यह भारतमाता का अपमान करने की एक प्रकार की कोशिश है। उसके ऊपर आक्रमण का चिन्ह बना रहे, इसकी कोशिश है। आज यह चुप्पी साबित कर रही है, आज इस बिल का मौन और मुखर समर्थन करने वाले लोग यह साबित कर रहे हैं कि उनकी भी आज वही स्थिति हो रही है जो दुर्योधन की सभा में भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र की और पाण्डवों की हुई थी। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, मैं चाहती हूं कि वे लोग खुल कर सामने आएं और बिल का विरोध करें :

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आज देश जिस कगार पर पहुँच गया है, आर्थिक तौर से, कानून-व्यवस्था के तौर से, धार्मिक तौर से, सब तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से राजनीति में धार्मिक क्षेत्रों पर हमले हुए है, उससे स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में रामजन्म भूमि का समर्थन करने के लिए आई, उससे बहुत पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले अयोध्या मार्च की घोषणा कर चुके थे, मिल्ली वाले मार्च की घोषणा कर चुके थे, उसमें कई राजनीतिक लोग जुड़े हुए थे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी उपस्थित माननीय सदस्यों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि भगवान के लिए आने वाली पीढ़ी को सुख से जीने दें, शांति से जीने दें, इन बातों को बनाने से आग भड़कती है। अभी तक जितना रक्तपात हो चुका है, उसके लिए भगवान से माफी मांग लो, लेकिन आगे रक्तपात न होने पाए, इसकी तैयारी करो। इसके लिए कुछ भी करना पड़े करो। इसलिए मैं अपनी पार्टी के अलावा उपस्थित माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि अगर वे ईमानदारी से अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों का भविष्य उनको प्यारा है तो हमारे साथ मिल कर इस बिल का विरोध करिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह विधेयक पिछले-चुनावों के घोषणा-पत्र में की गई हमारी वचन बद्धता की पुष्टि है। मेरी बहन उमा भारती जी ने जो भी कहा उसे मैं बड़े गौर से सुन रहा था। महोदया, मैं कह नहीं सकता कि पिछले चुनावों में जारी किए गए कैसेटों को आपने सुना था या नहीं। इन्हीं के कैसेटों को प्रतिबंधित किया गया था और वे अब उपलब्ध नहीं है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिए .

सभापति महोदय, माननीय सदस्य इन्होंने पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ते हैं, टी. वी. देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, लेकिन उनको इतना पता नहीं कि मैंने हर अखबार द्वारा उस बात का खण्डन किया है। वह कैसेट मेरा नहीं है।

श्री पी. एम. सईद : आपका कैसेट मैंने सुना है, मेरे पास है। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में चुनौती देती हूं कि अगर यह साबित हो जाए कि वह कैसेट मेरा था तो मैं इस सदन से अपना अधिकार खो बैठूंगी।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद : महोदया, मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं उनकी बात के आगे नतमस्तक नहीं हूं। पर वह मुझे बैठ जाने को तो नहीं ही कह सकती हैं।(व्यवधान)...

महोदया, देश के लोगों के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है कि देश में धर्म निरपेक्षता स्थापित रहेगी चाहे वह देश में इसके खिलाफ साम्प्रदायिक दंगे ही क्यों न करें।

महोदया, मैं इस बारे में अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंश को पढ़ना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद : इस समस्या के प्रति कांग्रेस बात-चीत द्वारा ऐसा हल निकालने को प्रतिबद्ध है जिससे की दोनों समुदायों की भावनाओं का आदर होता हो। यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हो पाता है तो सभी पक्षों को न्यायालीय आदेश तथा निर्णय को मानना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि मंदिर बने वह इसके विरुद्ध नहीं है—पर कांग्रेस चाहती है कि मंदिर बने पर बिना मस्जिद को तोड़े।

अन्य पूजा स्थल : कांग्रेस का यह दृढ़, विश्वास है कि सभी पूजा स्थलों में 15 अगस्त 1947 के समय जैसी स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रखना चाहिए तथा किसी भी पूजा स्थल से सम्बन्धित विवाद जैसे सोमनाथ मंदिर आदि के विवाद को पुरोबधित कर दिया जाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित उपाय किए जाने चाहिए।"

महोदया, यह पिछले चुनाव में कांग्रेस दल का चुनाव घोषणा पत्र था। इससे हमारे विचारों की पुष्टि होती है और चुनाव घोषणा पत्र से सम्बन्धित आशाएं पूरी होती हैं। अब हमारा यहां क्या कार्य है ? हमें स्पष्ट रूप से अपनी बातें कहनी चाहिए। ऐसा विधेयक लाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी है ? देश का हरेक स्वस्थ-चित्त व्यक्ति यह कहेगा कि पिछले दो वर्षों में राजनीति को धर्म के साथ मिला दिया गया था।

एक माननीय सदस्य . किसके द्वारा ?

श्री पी एम. सईद : आपके द्वारा क्या रथ यात्रा एक धार्मिक यात्रा थी ? क्या इसमें कोई धार्मिक झंडा था ? इसमें बहुत सारे संकेतों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा था। धर्म को राजनीति से आखिर किसने मिलाया है ? क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया था या आपने ? भारतीय जनता पार्टी ने ही धर्म और राजनीति का घालमेल किया था। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : क्या आप मुझे एक मिनट का समय दे सकती हैं ? (व्यवधान)···इस सभा में धर्म को राजनीति के साथ कांग्रेस ने उस समय मिलाया था जब उन्होंने शाह बानों के मामलों को सभा में लाकर विकृत किया। उसमें क्या निणय हुआ था ? आपने दूसरा अधिनियम लाकर उस निणय को अप्रभ वी कर दिया और वहीं से आपने धर्म और राजनीति का घालमेल शुरू कर दिया। (व्यवधान)

श्री पी. एम सईद : महोदया, यह उनके और उनकी पार्टी की व्याख्या की बात है। कांग्रेस तो धर्म निरपेक्षता की हामी है। किसी भी पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) में अतिक्रमण करना धर्म नि·पेक्षता का अतिक्रमण करना है। यही कानून है। हमने पारसी पर्सनल लॉ, हिन्दू पर्सनल लॉ का आदर किया है तथा हम मुस्लिम व्यक्तिगत कानून एवं इसाई व्यक्तिगत कानून का आदर कर रहे हैं; अत: यदि वे चाहते हैं एक सामान्य संहिता (कामनकोड) बने तो इसका मतलब है कि वे इन व्यक्तिगत कानूनों को आदर नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान) जी हां वे एक सामान्य संहिता ही चाहते हैं इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि इस देश में हिंदू धर्म सहित कोई अन्य धर्म भी नहीं हो। यदि उनका यही विचार है तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यदि रथ-यात्रा धार्मिक यात्रा थी तो फिर वातानुकूलित जीप में उनकी कमल वाली भाजपा का झंडा था या त्रिशूल अंकित केसरिया झंडा लगा था ?

मेरी बहस आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति को मिला रही है। परन्तु, हम धर्म और राजनीति को नहीं मिलना चाहते हैं। यह एक धर्म निरपेक्ष देश है तथा यदि इसे एक रहना है तो हमें अपनी मिली जुली संस्कृति का आदर करना होगा और हर धर्म निरपेक्ष पार्टी को इसकी विविधता के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी। यह विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। अत: यह आवश्यक है कि यदि देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के विनियमनों को सभी धर्म निरपेक्ष दलों द्वारा स्वीकृति मिले। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। वे शासन में आ सकते हैं। पर उन्हें पहले जनादेश तो मिले। इससे सभी को असलीयत जानने का मौका मिलेगा। पर सत्ता के लिए धर्म और राजनीति का घालमेल करना तो देश को खंड खंड करने की कोशिश करने जैसा है।

महोदया, मेरे कई दोस्त उस पार्टी मे है। वे ऐसा क्यों करते है ? क्या वे देश को विखंडित करना चाहते हैं। इसमे बहुत सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और कई भाषायें है। क्या हमें इस देश की मिली-जुली संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे ? मैं देश के ऐसे हिस्से से आता हूं जहां की शत-प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां देश की धर्म निरपेक्ष

संस्कृति कायम है। श्री वाजपेयी तथा श्री राम नाईक जैसे मेरे मित्र वहां जाकर यह देख सकते हैं। साधारण तौर पर मुस्लिम औरतें पति के मरने के बाद ही अपने कर्णफूल और सोने के अन्य गहनों को हटाती हैं। पर जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने सारे गहनों को उतार कर राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिया था। जो उन्होंने प्रदर्शित की है वह राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र भक्ति है ? यदि आप राष्ट्र के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा, वफादारी और सचाई पर पर संदेह करते हैं तो इस देश का क्या होगा ? मैं इस उदाहरण को उनकी देशभक्ति की व्याख्या के रूप में उद्धृत कर रहा हूं। जब मैंने कैसेट का हवाला दिया तब वह बहुत क्रोधित हुई थी। वे कैसेट मेरे पास है श्री राम नाईक उन्हें सुन सकते हैं। मेरे लिए उनको प्राप्त करना बहुत कठिन था लेकिन मेरे पास दो या तीन कैसेट हैं।

श्री राम नाईक : उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ऐसी कोई कैसेट नहीं है। यदि आपका आरोप गलत साबित हो जाता है, तो क्या आप त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हैं ? (व्यवधान))

श्री पी. एम. सईद : महोदया, इस विधेयक में तीर्थ-मंदिरों और आर्थिक स्थानों के संरक्षण के पर्याप्त प्रावधान हैं। लेकिन मुझे गृह मन्त्री को कुछ सुझाव देने हैं।

मुझे बताया गया कि बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मुद्दे को विधेयक से अलग रखा गया है क्योंकि यह न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन सारा मुद्दा ही रामजन्म भूमि—बाबरी मस्जिद के कारण है। चाहे जो भी हो, मैं माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वाद-विवाद का उत्तर देने के साथ यह भी बताएं कि उसे विधेयक से बाहर क्यों रखा गया है ?

विश्व हिन्दू परिषद् ने कुछ पत्र जारी किए हैं जिनमें केवल बाबरी मस्जिद—रामजन्म भूमि का ही नहीं बल्कि वाराणसी, मथुरा और ताज महल का भी जिक्र किया गया है ? वे इन सबको नष्ट करना चाहते हैं। वे निर्माण नहीं करना चाहते। हम, सब इस देश का निर्माण करना चाहते हैं और वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। यह "विरोध" है।

अतः मैं समझता हूं कि यह विधेयक समय पर लाया गया है। (व्यवधान)

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यदि कोई ऐसे अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसे संसदीय चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करार कर दिया जाएगा। यह बहुत अच्छा उपबंध है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह केवल तीन वर्ष के लिए ही नहीं है बल्कि यह हमेशा के लिए होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता की कीमत पर यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में संलिप्त होता है तो उसे किसी भी विधान मण्डल के चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि ऐसा करने के लिए एक संशोधन लाया जाए।

ये किसके लिए है ? मैं एक स्वतन्त्र प्रजातंत्र की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर राजनैतिक दलों के अच्छे विकास की बात कर रहा हूं। दो संसद सदस्यों की एक पार्टी से यह 126 सदस्यों वाली पार्टी बन गई है। उनका मानना है कि यदि इसी दर से वे कार्य करते रहे तो वे सत्ता में

आने की स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन वे भ्रम में है। (व्यवधान) हमने राजस्थान में आपका कार्य निष्पादन देखा है। हमने मध्य प्रदेश में आपका कार्य निष्पादन देखा है। उत्तर प्रदेश में हम आपका कार्य निष्पादन देखने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन देखा है।

श्री राम नाईक : हमने हरियाणा में आपका कार्य निष्पादन देखा है। (व्यवधान)

श्री पी एम सईद : मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि कोई भी अच्छी आर्थिक नीति या सामाजिक नीति या राजनीतिक नीति होती है जो मान ली जाती है वह लम्बे समय तक चलती रहेगी। किसी भी पार्टी में कहीं पर भी कुछ कमजोरियां या कमियां हो सकती है। तब उसका नतीजा अगले चुनावों में प्रतिबिम्बित होगा। यहां कुछ हुआ है। अपने स्वयं क्षुब्ध न होवे। यह भी उत्तर प्रदेश में अगले चुनावों में देखा जाएगा। (व्यवधान) मैं आप सबको शुभ कामनाएं देता हूं। चाहे जो भी हो, आपकी साम्प्रदायिक राजनीति आपको किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगी और न ही यह अधिक देर तक रहेगी। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बैठ जाने के लिए कह रही हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने चुपचाप और बहुत, शान्ति पूर्वक सुना है। आप दूसरों के लिये क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री पी. एम. सईद : विधेयक प्रस्तुत किए जाने के समय हमने देखा है कि जिन दलों ने विधेयक का विरोध किया वे उठकर चले गए। अब उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए है। वस्तुतः या वे बाहर जा सकते हैं या वे इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं।

लेकिन मैं सभा से यह अपील करना चाहता हूं कि यह सरकार द्वारा प्रदान की गई सही दिशा है और जिन दलों का प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता मे विश्वास और आस्था है वे सभी इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस विधेयक का निर्विरोध स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करें तथा धर्म-निरपेक्ष ताकतों को मजबूत बनाऐं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि देर से आए लेकिन दुरस्त आए। सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को लाने का काम किया और यदि शुरु मे इस विधेयक को लाने का काम किया होता, तो मैं समझता हूं कि यह विवाद उत्पन्न ही न हुआ होता। इसलिए आज राम-जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद मुद्दे को नहीं लाया जाता। चूंकि इस विधेयक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और कभी कभी मैं भी कहता रहा हूं और आपको बुरा भी लगता रहा है लेकिन इसमें दो मत नहीं है।

सभापति महोदया, आपने देखा होगा कि सन् 1969 में उत्तर प्रदेश में संविद सरकार थी और सन् 1977 में केन्द्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में सर्वश्री अटलबिहारी बाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी मंत्री थे लेकिन यह मामला उस समय क्यों नहीं उठा ? आज क्यों पिछले दो साल से उठ रहा है। इसका कारण यह था कि आपने कहीं न कहीं इसमें छेद किया है। इसलिए उस समय कभी भी किसी भी स्तर पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सवाल उत्पन्न नहीं हुआ था। जब आपने शिलान्यास करवाने का काम किया तो फिर उन तत्वों को मौका मिला और इसकी दुर्गति देश को भुगतनी पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि यह कोई मामूली चीज नहीं है और हमेशा कहा कि आपकी नीयत साफ नहीं रही है। नेता, नीति और नीयत। हमारे यहां नेता और नीति की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत नहीं है। मैं आपसे शुरु से कहता रहा हूं कि आपने सही नीयत से यह बिल लाने का काम किया होता तो हमारी नेशनल फ्रन्ट, लेफ्ट फ्रन्ट आपके हर प्रोग्रेसिव काम में, सैकूलरिज्म की रक्षा के लिए, सोशल जस्टिस के लिए आपके साथ है। इन विषयों पर आप कभी भी कोई विधेयक लायेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। सरकार का केवल समर्थन ही नहीं करेंगे, बल्कि दबाव डालने का भी काम करेंगे और आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर आपकी सरकार गिराने का काम भी करेंगे।

सभापति महोदया, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, पॉवर टू पूअर देश की रीढ़ है-बैकबोन है-राष्ट्रीय मोर्चा ने 1989 के अपने घोषणापत्र में भी यही कहा था। उसके पहले जनता पार्टी में जब थे तो उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि 15 अगस्त, 1947 को आप एक रेखा खींचे जिसके मुताबिक मन्दिर मस्जिद के जो भी विवाद हैं, उनको सदा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। और आज यह विधेयक लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इस देश में विभिन्न तरह के धर्म के लोग हैं। हमारा देश एक फुलवारी की तरह है। इस फुलवारी में किसी एक फूल को खिलने का मौका नहीं मिलेगा, यहां सब तरह के फूलों को खिलने का अवसर दिया जाएगा हर धर्म के लोग हैं, हर सम्प्रदाय के लोग है। इस देश में बाबर आया तो हिन्दुस्तान पर कौन सा हिन्दू राज था ? बाबर आया तो इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। बाबर के पहले कौन लोग आए ? आर्य थे। उस समय कहां हिन्दू मुसलमान का झगड़ा चला था ? धर्म में जो लोग विश्वास करते हैं—देवता दानव का युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। कौन थे देवता, कौन थे दानव ? विष्णु और शंकर में क्या युद्ध हुआ था ? यदि इस सारे के सारे इतिहास में हम जाने का काम करेंगे तो इस देश की एकता-अखंडता कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए कहीं न कहीं इस चैप्टर को क्लोज न करना पड़ेगा। हमारे सामने अन्य समस्यायें हैं मुखमरी की समस्या है, हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या है, हमारे सामने शिक्षा की समस्या है, गांवों में पानी कैसे पहुंचाया जाए ? यह देश इसी के लिए नहीं लड़ता रहेगा कि यहां मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी, मंदिर को तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो, यह नहीं चल सकता है। इसलिए सभापति महोदया, मैं आपसे कह रहा हूं कि (व्यवधान) मैं किसी धर्म के संबंध में भी नहीं कहना चाहता हूं। हमारे पास लोग आए थे इसी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में, और आपको मालूम है कि डा. अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर ने कहा कि वह मन्दिर नहीं, मस्जिद नहीं, वह बौद्ध स्थल है। अब हम वहां जायेंगे कि वह बौद्ध स्थल है या किसी ने कहा कि फलां स्थल है।

महाभारत में एक जगह गीता में कहा गया है जब कर्ण ने कहा कि हमारी चिता उस स्थान

पर जले जहां किसी की चिता नहीं जली हो, तो उस समय कृष्ण बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उनको हाथ पर जलाने की नौबत आ गई। यह बात है कि जहां किसी की चिता नहीं जली हो, उसी प्रकार कोई आज नहीं कह सकता है कि यह जगह क्या थी- मस्जिद थी या मन्दिर था या बौद्ध स्थल था। हिन्दुस्तान को आजादी मिली 15 अगस्त, 1947 को और 56 करोड़ देवता उस समय थे।

कुमारी उमा भारती : 56 कोटि देवता थे।

श्री रामविलास पासवान : आप ही बता दीजिए कि एक कोटि में कितना होता है। 56 करोड़ देवता उस समय थे जब हिन्दुस्तान की आबादी 10 करोड़ नहीं थी। एक आदमी पर 5 देवता फिर भी 5,76,000 गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई और जहां एक भगवान है सब अमीर हैं, कहां से कहां जा रहे हैं! इसलिए यह धर्म का मामला है। मैंने उस दिन कहा था कि हमको तो विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास है तो किसी भी पूजा स्थल का मानें। हिन्दुस्तान को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हिन्दुस्तान किसके हाथ में गुलाम रहा, हम इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहते हैं और 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन है, हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दिवस है कि आज हम लोगों में से·····(व्यवधान)

मैंने अपने भाषण के दरम्यान में किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी नेता का नाम नहीं लिया है और न नाम लेने का काम करूंगा। धर्म का मतलब होता है ज्योति देना, रोशनी देना। दीये से घर में रोशनी भी दे सकते हो और आग भी लगा सकते हो। आज हम रोशनी देने के बजाए आग लगाने का काम कर रहे हैं। इस पर हमको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा।

इसलिए सभापति जी, मैं कह रहा था कि यह वह देश है जिसमें हर तरह के फूल हैं और हर फूल को खिलने का मौका मिलना चाहिए, हर कली को खिलने का मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मैं समझता हूं कि यह विधेयक, उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है।

आज यहां एक नए युद्ध को छेड़ा जाता है, शुरु किया जाता है कि देशी कौन है और विदेशी कौन है और इस पर तर्क दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह विषय तर्क से ऊपर है। गर्व से कहो हम हिन्दू हैं" "गर्व से बोलो हम मुसलमान हैं" "गर्व से बोलो हम सिक्ख हैं", लेकिन 'गर्व से बोलो हम भारतीय हैं" यह नारा आज कहां चला गया। हम सबसे पहले इण्डियन हैं, भारतीय हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आज क्या कोई आदमी ऐसा कह सकता है और हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में सरदार भगतसिंह का बलिदान क्या किसी से कम था, 1965 में जब हमारा युद्ध हुआ था, उसमें जहां बहुत से जवानों को वीर चक्र मिला वहीं अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला, उसका त्याग और बलिदान क्या किसी से कम था। क्या उसका

महत्व इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वह एक मुसलमान था। हिन्दुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। उसके बाद कुछ लोग इधर रह गए और जो जाने वाले थे, वे उधर चले गए लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश को आज पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा उनसे है जो लोग हिन्दुस्तान में रहकर विदेशों के लिए दलाली करते है, जासूसी करते हैं, वे हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब जो लोग, मुसलमान हिन्दुस्तान मे रह गए, राम विलास पासवान या उमा भारती की उम्र के लोग, यदि हम उन पर उंगली उठाने का काम करेंगे चूंकि वे मुसलमान हैं इसलिए वे पाकिस्तानी एजेन्ट हैं, चूंकि कोई क्रिश्चियन है, इसलिए वह अंग्रेजों का दलाल है, यदि इस बिना पर किसी के ऊपर उंगली उठाई जाए तो वह ठीक नहीं कहा जा सकता। आप अमेरिका में चले जाइए और मालूम कीजिए कि कौन वहां अमरीकी है तो सब लोग कहेंगे कि हम अमेरिकन हैं। यह बात अलग है कि कौन कहां से आया या नहीं आया, लेकिन सब लोग वहां राष्ट्र भक्ति से जुड़े आपको मिलेंगे। हमें भी इसकी पहचान करनी पड़ेगी। राष्ट्रभक्तों और राष्ट्र के दुश्मनों के बीच में एक रेखा खींचनी पड़ेगी। वह रेखा धर्म के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर हिन्दू या मुसलमान के नाम पर नहीं हो सकती। राम के नाम पर भी नहीं हो सकती। राम का मामला आपका है। देश का मामला है या जो राम को मानने वाले लोग हैं, उनका है। डा. अम्बेडकर ने भी राम के विषय में अनेक बातें कहीं हैं। मैं उस मामले में यहां जाना नहीं चाहता कि राम के राज्य में शम्बूक का वध किया गया था ···(व्यवधान)

श्री बृशिण पटेल (सीवान) : ये लोग तो राम को बाहर छोड़ कर, रावण को यहां लेकर आए हैं।···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राम मन्दिर कोई बनाए, मस्जिद कोई बनाए, गुरुद्वारा कोई बनाए, चर्च कोई बनाए. इसमें किसी तरह की रोक नहीं है लेकिन किसी जगह, जहां पहले ही कुछ बना हुआ है, उसको आप तोड़कर मन्दिर बनाने का काम करेंगे तो आप इस देश को कहां ले जाना चाहते है। क्या हम हैवानियत की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : पासवान जी, क्या आपने वहां जाकर देखा है या ऐसे ही कह रहे हैं।···(व्यवधान)

सभापति महोदय : जोशी जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम बहुत आवश्यक विषय पर अच्छी चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। हम यहां बहुत ही आवश्यक विषय पर बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

और इस सदन का सम्मान आपके ही हाथ में है, इसे भी जरा समझ लीजिए।

(व्यवधान)

समापति महोदय : आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : समापति जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब तक हाउस में उमा भारती जी बोलती रहीं, हमारी तरफ से एक मेम्बर ने भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया लेकिन जब हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे है तो ये लोग टोक कर क्यों रुकावट खड़ी कर रहे है। (व्यवधान)

समापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो साथी बहुत हिन्दू-हिन्दू की बात करते हैं, वे शायद भूल जाते हैं कि हिन्दू सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं हैं, हिन्दू आज संसार के सभी मुल्कों में हैं और जिस दिन 30 अक्तूबर को जब यह मालूम हुआ, कहीं से एक न्यूज फ्लैश गई कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, आप अखबार में जाकर पढ़िए, तो बगल देश में लोग मंदिर को तोड़ने पहुँच गए लेकिन जब मालूम हुआ कि मस्जिद बच गई है, तो वहां गोली चल गई, वहां की सरकार ने गोली चला दी, लेकिन वहां मंदिर को नहीं तोड़ने दिया गया, 20 लोग उस घटना में मर गए। जिस हिन्दुस्तान में मस्जिद तोड़ी जाएगी, जिस हिन्दुस्तान में गिरजाघर को तोड़ा जाएगा, जिस दिन हिन्दुस्तान में चर्च को तोड़ा जाएगा, जो हिन्दूवाद का नारा लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी सोचा है कि विदेशों में हिन्दुओं का क्या होने वाला है ? इसलिए राजनीति को धर्म से इतना मत घुसेड़ो और ऐसा नारा मत लगाओ जिससे अपने ही भाई पर कहर ढाने का काम हो, ऐसा मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदया, इसलिए बहुत लोगों को नाज है, बहुत लोगों को घमण्ड है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में हम लोगों को भी 4-5 टर्म हुए हैं और मुझे वे दिन याद आ रहे है, जब हम कॉलेज में गए थे और जब फस्ट इयर के हम स्टूडेंट थे, तो हम लोग समझते थे कि कालेज हमारी जेब में है और हम कालेज के हीरो हैं, लेकिन फोर्थ इयर में पहुंचते-पहुंचते हमें पता चल गया कि हम हीरो नहीं जीरो हैं। यह पार्लियामेंट है। देश की सर्वोच्च सत्ता है। यहां कोई मंदिर नहीं है। कोई घंटे घड़ियाल नहीं हैं और न उनको बजाने की यह जगह है। इसलिए यह सर्वोच्च सत्ता है क्योंकि यहां पर संविधान के आधार पर सारे निर्णय होते हैं और किसी भी सरकार को, चाहे वह राज्य सरकार हो या चाहे वह केन्द्र सरकार हो, उसको संविधान का अनुपालन करना पड़ेगा। संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। केन्द्र सरकार को या राज्य सरकार को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का वह काम करे और संविधान को तोड़ने का काम करे। इसलिए सभापति महोदया, मैं आज आपके माध्यम से यहां यह कहना चाहता हूं कि आज मामला हिन्दू-मुसलमान का नहीं है, आज मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं है, आज मामला गुरुद्वारे और चर्च का नहीं है, आज मामला भारत के संविधान का है।

उस हिन्दुस्तान को बचाने का मामला है जिस हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई सब भाईयों ने कंधे से कन्धा मिलाकर देश के हरेक नागरिक का काम किया था और आज संविधान की रक्षा का, देश के हरेक नागरिक का कर्तव्य है। आज यह हिन्दू मुसलमान का मामला नहीं है, बल्कि हर नागरिक का मामला है। बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मामला, हिन्दू-मुसलमान का मामला, मैं नहीं मानता हूं। इसे मैं संविधान का मामला मानता हूं और जो भी सरकार आएगी, उसे संविधान की कद्र करनी पड़ेगी। संविधान को ताक पर रखकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है और मैं राष्ट्रीय मोर्चा और लैफ्ट फ्रन्ट की ओर से, भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कहीं भी संविधान को टूटने का मौका दिया, कहीं भी संविधान को तोड़ने का मौका दिया, कहीं भी आपने उन तत्वों के सामने घुटने टेकने का काम किया और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, तो याद रखिए इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। राष्ट्रीय मोर्चा और लैफ्ट फ्रंट, मस्जिद को जब लोग तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम उसके बाहर घेरा डालकर उसको बचाएंगे। आपको हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं आज देश के सामने यह अपील करवा चाहता हूं कि जितने भी संविधान के रक्षक हैं, जिनको धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है आज आप आगे आएं। आज संविधान को बचाने का मामला है। इसमें जो खामियां हैं, उनको यूनुस साहब हैं, शाहबुद्दीन साहब हैं और दूसरे साथी हैं, वे बतलाएंगे, लेकिन मोटे रूप से जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे की जो मांग रही है उसकी दिशा में आपने कदम बढ़ाने का काम किया है इसलिए जहां हम इसका समर्थन करते हैं, वहीं हम जानते हैं कि इसमें समस्या का 100 प्रतिशत निदान नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में जो कम्यूनल

3.00 म प

फीलिंग फैलाई जा रही है, बात-बात में तीन से लेकर तीन हजार की गिनती की जाती है, दंगे भड़काने का काम किया जाता है निश्चित रूप से उसमें रोक लगाने का काम करेगा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा जो मैंने शुरू में ही कहा कि अभी तक आपकी न तो नीति सही थी न नीयत सही थी। उसका परिणाम दूर तक हुआ है। आज कम से कम लोगों को साफ करके नीति बनाने का काम करें फिर देखिए इस देश में कैसी ताकत जो धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम करती है, जो कल तक मिंडरा वाले को गोली देने का काम करते थे आज उसी गोल्डन टैंपल से राजनीति शुरू हुई थी वह बुरी थी, मंदिर से राजनीति शुरू हो जाएगी तो अच्छी होगी। इसलिए कानून को ऐसा कीजिए जिसमें कोई छेद न रहे। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सिर्फ मुसलमान, सिख, ईसाई, का नहीं, हिन्दुस्तान में आज भी हिन्दू हैं, बहुसंख्यक हैं, भारी संख्या में हिन्दू हैं। हिन्दू में सैकूलर लोग हैं, जो इस बात को समझ चुके हैं कि क्या राजनीति है, क्या राम है और राम को कहां राजनीति से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप धर्मनिरपेक्षता के लिए आगे बढ़ने का काम करें, राष्ट्रीय मोर्चा का तो पहले से कमिटमेंट था। आपने उसके अनुसार इस विधेयक को लाने का काम किया है मैं धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

समापति महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो को सरकार द्वारा तीन बाल्टिक राज्यों की मान्यता दिये जाने के बारे में वक्तव्य देना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या मैं अधिकार के संबंध में एक मुद्दा उठा सकता हूं ? हमें

इस मान्यता के बारे में दो दिन पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया से पता चला है। यह बताया गया कि जब प्रधानमंत्री जर्मनी में थे तब उन्होंने मान्यता दी थी। क्या यह इस संसद की अवमानना नहीं है ? इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमें बाल्टिक गणराज्यों को मान्यता देने का अधिकार है। सोवियत संघ ने उन्हें स्वतंत्रता दे दी है हमें ऐसा करना है। लेकिन प्रश्न है कि क्या यह मर्यादा, प्रथा, परंपरा और अधिकार के अनुरूप है। हम इस प्रकार के कठोर व्यवहार का कड़ा विरोध करते हैं।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि प्रधानमत्री द्वारा इन बाल्टिक गणराज्यों को दी गई मान्यता क्या प्रथा, परम्परा और कानून के अनुरूप है।

श्री संफुद्दीन चौधरी : जिस बात पर विरोधाभास है वह यह है कि यहां संसद का सत्र चल रहा था और इसकी घोषणा दूसरे देश में की गई।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं सादर पूर्वक कहूंगा कि यह पूर्णतः कानून के अनुरूप है। स्थिति इस प्रकार है।, सरकार की स्थिति और प्रथा है और होनी चाहिए—और यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी है—कि जैसे ही मान्यता के लिए सभी संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मान्यता दे दी जानी चाहिए।

मैं इस सभा के विचार के लिए यह भी सादर प्रस्तुत करूंगा कि यदि मान्यता टाल दी जाती, शायद तब यह सभा और माननीय सदस्य—कुछ माननीय सदस्य, शायद ये सदस्य नहीं—इस बात की आलोचना करते कि मान्यता शीघ्र प्रदान क्यों नहीं की गई। अतः इसमें वास्तव में कोई वास्तविकता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या आप संसद की अवमानना कर सकते हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : संसद के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, भारत सरकार ने घोषणा की···

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : जब जापानी सरकार ने टोकियो में मान्यता की घोषणा, जब चीन की सरकार ने पेकिंग में मान्यता की घोषणा की, तब हमारी सरकार ने इसकी घोषणा दूसरे देश क्यों की विशेषकर तब जबकि यहां संसद का सत्र चल रहा था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मान लीजिए कि यदि प्रधान मंत्री जर्मनी न गए होते तो क्या यह घोषणा यहां न की गई होती ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : तब इसकी घोषणा वहां पर की जाती। (व्यवधान)

उत्तेजित मत होइये। अब स्थिति इस प्रकार है। मान्यता प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अथवा प्रधान मंत्री महोदय की स्वीकृति से दी जानी है। पहली बात तो यह है (व्यवधान)। सांविधानिक

उपबन्धों को पूरा कर लेने के बाद शीघ्र ही मान्यता दे दी जानी चाहिये (व्यवधान)। मान्यता शनिवार को दी गई थी, जब संसद का सत्र नहीं था। (व्यवधान) यह कहीं भी किया जा सकता है। यह बात नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : से नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : शनिवार को संसद का सत्र नहीं था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उचित मत ठहराओ। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्री एडुआर्डो फैलीरो निंदा करने की कोशिश मत करिये। बेहतर हो कि आप गरिमापूर्वक यह स्वीकार करें कि जो कुछ किया गया है, वह उचित नहीं है। हम सांविधानिक बातों के बारे में ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहते (व्यवधान) कोई उसे चुनौती नहीं दे रहा। कोई मान्यता के तथ्य को चुनौती नहीं दे रहा है, किन्तु संसद का सत्र चल रहा है। आप कहते हैं कि यदि इसमें विलम्ब कर दिया गया होता, तो आपकी आलोचना होती। इसमें देरी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संसद का सत्र चल रहा है। इसकी घोषणा यहां की जानी चाहिए थी। इसकी घोषणा बाद में क्यों की गई ? मैं यह जानना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार किसी देश विशेष में प्रधान मंत्री की मौजूदगी से इस बात का निर्णय होगा कि इस प्रकार घोषणा किस स्थान से की जायेगी ? क्या यह इस पर निर्भर है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर दूं। पहली बात यह है कि मान्यता संविधानिक अपेक्षायें पूरी करने के तत्काल बाद दे दी गई थी। दूसरी बात है कि घोषणा संसद से शीघ्रातिशीघ्र कर दी गई थी, क्योंकि शनिवार को संसद का सत्र नहीं था। रविवार को भी सत्र नहीं था, आज संसद का पहला कार्य दिवस है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्या (बांकुरा) : हमारे देश में, हमारी जमीन पर क्यों नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दो बातें हैं। एक यह है कि आप भारत की भूमि से इसकी घोषणा करें। दूसरी यह है कि पहले घोषणा संसद में करिए। मैं समझता हूं कि 7 और 8 को अवकाश था। किन्तु यह घोषणा भारत में क्यों नहीं की जा सकती थी ? यही बात है। यदि हमारा कोई सम्मान है, तो हमें ऐसा करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्या : वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : औचित्य और अवमानना की कोई बात नहीं है। आप विनम्र नहीं है। (व्यवधान) आप बहुत अधिक सोचते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय (किशनगंज) : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) मैंने श्री सैयद शाहबुद्दीन का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय सर्वैधानिक और अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रक्रिया की भ्रांत अवधारणा के तहत कार्य कर रहे हैं। कुछ अनुभव और पृष्ठाधार की जानकारी होने के कारण मैं आपको यह बता दूं कि मान्यता का कोई अधिकार नहीं है और यथाशीघ्र इसके लिए कोई तदनुरूप कर्तव्य नहीं है, मान्यता प्राप्ति का अधिकार भी नहीं है, राज्य अपने ही औचित्य, शिष्टाचार संबंधों और संविधान के नियमों की तहत यह निर्णय कर सकता है कि मान्यता कब दी जाये। हममें से कोई भी बाल्टिक देशों को मान्यता देने के विरुद्ध नहीं है, किन्तु हम जो कह रहे हैं, वह यह है कि संसदीय औचित्य के अनुरूप सर्वप्रथम सभा को सूचित करने के लिए यदि इसमें दो दिन की देरी हो भी जाती तो कोई पहाड़ नहीं आ गिरता। माननीय मंत्री महोदय गलती से जो यह कह रहे हैं कि जैसे ही संविधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाये, मान्यता अवश्य दे दी जानी चाहिये, उसके आधार पर बाल्टिक देश कोई दावा नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संवैधानिक कानून में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने जो कहा है, उसे माननीय सदस्य समझे नहीं हैं। मैंने यह नहीं कहा कि मान्यता के लिए दावा करने वाले देश का यह अधिकार है अथवा नहीं है। मैंने यह कहा है कि जैसे ही संवैधानिक अपेक्षायें पूरी हो जाती है, मान्यता देना उचित होगा। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री महोदय ने यहां घोषणा क्यों नहीं की कुछ तो आत्म-सम्मान होना चाहिए। (व्यवधान) आप को यह मानना ही चाहिये (व्यवधान) कि एक ही बात दोहरा रहे हैं (व्यवधान) आप इसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री फैलीरो, आप प्रधान मंत्री की सहमति से इसकी घोषणा यहां कर सकते थे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : नहीं, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों नहीं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या सभा की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है कि वह यहां प्रधानमंत्री महोदय की घोषणा सुन सकें। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, सामान्यतया मान्यता देने के बाद राजनीतिक सम्बन्ध बनाने होते में। यदि मंत्री महोदय और सरकार को इतनी आंधक जल्दी थी, तो वे इन तीन राजधानियों में राजनयिक मिशन कब तक स्थापित करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें माफी मांगने दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री वसुदेव आचार्य : वे उत्तर नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। यदि आप समझना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : 7 को जर्मनी में घोषणा किये जाने के बावजूद इसकी भारत में घोषणा नहीं की गई। क्यों ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय 8 को सुबह वापस आ गये थे। व 8 की सुबह ही इस काम को कर सकते थे। क्या हो जाता ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री की ओर से माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : वह बिल्कुल गलत समझे गये हैं। यदि उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र मान्यता न दी होती, तो सभा के कई माननीय सदस्यों ने सरकार की आलोचना की होती।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधानमंत्री की स्वीकृति से कोई अन्य मंत्री उसी समय यहां यह काम कर सकते थे। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो। मेरा सादर निवेदन है कि ये आपत्तियां पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण हैं। मान्यता की बात कहीं भी की जा सकती है। और यदि आप बात समझना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सभा की अवमानना है। वह सम्मानपूर्वक अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। यह बहुत गलत बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी। सरकार संसद से बचना चाहती है। आप में इतनी विनम्रता क्यों नहीं है कि आप यह कहें कि मुझे खेद है ? क्या सरकार की ऐसी भावना नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप इस के लिये माफी क्यों नहीं मांग सकते ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सभापति महोदय, सरकार की अथवा प्रधान मंत्री का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस सभा की अवमानना की जाये। मैं और हम सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सम्मान करते हैं और यदि वे ऐसा महसूस करते हैं तो मुझे माफी मांगनी ही चाहिए और अब मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह वक्तव्य दें।

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

3.13 म. प.

(तीन) सरकार द्वारा तीन बाल्टिक राज्यों एस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया को मान्यता दिया जाना

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की जिस नई संघ संधि पर 10 अगस्त, 1991 को हस्ताक्षर होने वाले थे उनमें यह तय था कि सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के घटक गणराज्य सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य होंगे लेकिन 19 अगस्त, 1991 को वहां सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश के कारण इस नई संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे।

6 सितम्बर, 1991 को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राज्य परिषद ने, जो सोवियत संघ की सर्वोच्च अन्तरिम कार्यकारी प्राधिकरण है, एक प्रस्ताव पास करके एस्तोनिया, लात्विया और लिथुआनिया- इन तीन बाल्टिक राज्यों की स्वतन्त्रता को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी।

इन तीन बाल्टिक राज्यों को बहुत से देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है जिसमें यूरोपीय समुदाय के सभी देश "एफटा" के सभी देश, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान चीन, पूर्वी यूरोप के सभी देश, यूगोस्लाविया, और अल्बानिया को छोड़कर, तथा अर्जेन्तीना, वेनेजुएला ब्राजील मिश्र, अफगानिस्तान, बंगलादेश और सिंगापुर जैसे बहुत से गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देश भी शामिल हैं।

राज्यों को मान्यता प्रदान करने के बारे में भारत सरकार की नीति सुस्थापित है। इस नीति के अनुसार सम्प्रभुता की घोषणा के लिए अपेक्षित संवैधानिक प्रक्रिया उचित और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए तथा संबद्ध सरकारों का उस प्रदेश पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। तीन बाल्टिक राज्यों के बारे में ये शर्तें पर्याप्त रूप से पूरी होती हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुये कि एस्तोनिया, लात्विया और लिथुआनिया का स्वतंत्र और सम्प्रभुता सम्पन्न राज्यों के रूप में उदय सभी सम्बद्ध पक्षों के बीच शान्तिपूर्ण वार्ता और पारस्परिक सहमति का परिणाम है तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ राज्य परिषद ने इसे मान्यता दे दी है, भारत सरकार ने 7 सितम्बर, 1991 को यह घोषणा की कि वह स्वतन्त्र राज्यों के समुदाय में एस्तोनिया, लात्विया और लिथुआनिया के प्रवेश का स्वागत करती है तथा स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्हें स्वीकार करती है। प्रधान मंत्री ने भी इन तीनों राज्यों के राष्ट्रपतियों को संदेश भेजकर अपने निर्णय से उन्हें अवगत कराया था और बधाई दी थी।

———

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक

3.15 म. प.

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर (मइलादुतुराई) : सभापति महोदया, कुमारी उमा भारती जी जब इस सदन में बोलती हैं तो हमसे कहती हैं कि वे पढ़ी लिखी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वे बात करती हैं तो उसे पता लग जाता है कि वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु से चुना हुआ सदस्य हूं और मैं इस सदन में अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि जो सदस्य यहां विभिन्न दलों के हैं, उनको अंग्रेजी की काफी जानकारी है और वे मेरी बात से सहमत हैं, इसलिए मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिनका बहुमत अंग्रेजी से ज्यादा वाकफियत नहीं रखता, वे मेरी बात समझ सकें। (व्यवधान)

मैं खास तौर से उमा भारती जी का जिक्र कर रहा हूं जो समेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें रखती हैं। (व्यवधान)

डा लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, यह माननीय सदस्यों का अपमान है। इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है। इनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रतिलाल वर्मा (खण्डवा) : भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य आपसे बहुत उत्कृष्ट हैं। वे अधिक सक्षम है। मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं। वैसे उनकी योजनायें क्या हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति महोदय, मैं इस स्पष्टीकरण के लिए बहुत आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विदेशी संस्कृति को अपना लिया है और वे अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अंग्रेजी भाषा जानते हैं, मगर मैं यह नहीं जानता कि वे भारत की संस्कृति को कितना जानते हैं, भारत के इतिहास को कितना जानते हैं, हिन्दू धर्म को कितना जानते हैं।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : सारा ठेका आपने ले रखा है, आप ही सब कुछ जानते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह केवल विधेयक पर बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति महोदय, कुमारी उमा भारती जी ने हमें बताया कि जब भी वे वाराणसी गई और एक मस्जिद और एक मंदिर को इकटठा देखा तो उनमें मन में एक ही जजबात उभरा कि मंदिर को उजाड़ा गया है, हिन्दू धर्म का अपमान हुआ है और एक मुसलमान राजा ने वहां एक मस्जिद बना दी है। उनमें और मुझमें एक ही अन्तर है। वे जिस चीज को गुलामी का चिन्ह समझती हैं। मैं उसी चीज को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक समझता हूं। (व्यवधान)

उमा जी, यह लोक सभा है, कोई बाजार नहीं है। जब तक आप बोल रही थी, तब तक बीच में मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक मैं आपको आदर न दूं, आपको खड़े नहीं होना चाहिए। आप अपनी संकीर्णता और तंगनजरी को कम करने के लिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, उनको सुन लीजिए।

जब एक मन्दिर और मस्जिद को मैं साथ-साथ देखता हूं तब मेरे मन में एक ही भावना आती है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सुन लीजिए। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

3.21 म, प.

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर : आप सुन तो लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मुझे बोलने से रोका जा रहा है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। कृपया इन महोदय को बैठने के लिए कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

भारतीय जनता पार्टी और मुझमें यह फर्क है कि जहां कि वह गुजिश्ते हजार साल को

गुलामी के हजार साल समझते हैं। मैं यह समझता हूं कि इन 1000 वर्षों में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नया धर्म, नयी भावनाएं नए विचार हमारे देश में आए। उनसे हम प्रभावित हुए और आकर्षित हुए। जो यहां आए थे वे भी इससे प्रभावित हुए और आकृष्ट हुए। मैं यह कहता हूं कि यदि भारत दुनिया के एक प्रथम हिन्दू देश है और मैं मानता हूं कि भारत प्रथम हिन्दू देश है। मैं यह भी मानता हूं कि भारत विश्व का दूसरा मुसलमान देश भी है। इण्डोनेशिया के बाद जितने मुसलमान हमारे देश में आबाद हैं, जो हमारे नागरिक हैं उतने मुसलमान किसी और देश में नहीं हैं। आप संख्या के लिहाज से देखिए। ईरान से लेकर मरोक्को तक, सारे गल्फ के जो देश हैं, ईराक, साउदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, जिसको मिश्र कहते हैं, लिबिया, अल्जीरिया, मरोक्को, सबको गिन लीजिए, मुसलमानों की संख्या ईरान से लेकर मोरक्को तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों की संख्या से कम है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय): पाकिस्तान में भी ज्यादा है।

श्री मणि शंकर अय्यर : वह तो पहले ही कह दिया था। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम इस्लाम के बजाए भारत के बारे में संकल्प नहीं कर सकते हैं। वैसे ही भारत के बजाए इस्लाम के बारे में संकल्प नहीं कर सकते हैं। इस्लाम और हिन्दुस्तान ऐसे ही जुड़े हैं जैसे कि मानवता के दृष्टिकोण में उमा भारती जी और मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय क्योंकि मैं तमिलनाडु का सदस्य हूं, कि हिन्दू धर्म जो है, जिसको सनातन धर्म कहते थे, मुझे पता नहीं, 5 हजार, 6 हजार या 7 हजार साल पहले जो आर्य लोग हमारे देश में आए जबकि हिन्दुकुश पहाड़ों को पार करके हमारे देश में आए, यहां आकर उन्होंने द्रविड़ लोगों, द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ धर्म और खास तौर पर शिव भगवान की जो पूजा थी, उन्होंने यहां आकर उसको देखा और अपनाया, शिव की पूजा को उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ा। यही है हिन्दुस्तानी इतिहास में, हिन्दुस्तानी सभ्यता और हिन्दुस्तानी संस्कृति में सबसे पहला सिंथेसिस। माफ कीजिए, मैं अंग्रेजी शब्द (सिंथेसिस) का इस्तेमाल कर रहा हूं। आज तक मुझे सिंथेसिस के लिए एक सही हिन्दी शब्द नहीं मिला है मगर उम्मीद है, उमा भारती जी मुझसे परिचित हो चुकी हैं, बाहर हम मिलते हैं, वे मुझे हिन्दी का सही शब्द बतायेंगी (व्यवधान) मेरी समझ में सही शब्द नहीं है। जो सिंथेसिस हुआ द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ भाषा, द्रविड़ धर्म और सनातन धर्म का इसका नतीजा यह है कि हमारे हिन्दुस्तान में 5 हजार या 6-7 हजार साल पश्चात यह धर्म आज तक जीवित है। ईरान, इराक, तुर्की, रूस, बल्गारिया, रुमानिया, हंगरी और आस्ट्रिया में कोई हिन्दू नहीं है। जर्मनी में हिटलर कहते थे कि हम आर्य हैं, वहां भी कोई हिन्दू नहीं है।...(व्यवधान) किसी भी देश में यह जो हिंदू धर्म है वह उसी संकीर्णता से और उसी तंग नजरों से देखा हुआ था जिसको आज भारतीय जनता पार्टी हिन्दू धर्म में लगाना चाहती है। हम यहां जीवित हैं क्योंकि हमने हमेशा कहा कि हमारा मन खुला रहेगा। हमारी जितनी खिड़कियां हैं वह खुली रहेंगी और हमारा दरवाजा खुला रहेगा। हममें आत्म विश्वास है। बाहर से कोई भी अच्छा इफलुएंस आए तो हम उसको अपना लेंगे और जिसमें बुराई होगी उसको अपना नहीं सकते।

भगवान बुद्ध और महावीर जैन, इस देश में पैदा हुए थे। वे हिन्दू धर्म से इतना तंग आ गए कि हम नया धर्म निकालेंगे। हिन्दुओं ने क्या किया ? भगवान बुद्ध और महावीर जैन की जो भावना थी, उसको हमने अपनाया।

ईसा मसीह जब शहीद हुए थे तो उनके 12 भक्त थे जिनको 12 एपोसल कहते हैं। सैंट पीटर रोम की तरफ गए और सैंट थामस हिन्दुस्तान आए। सैंट पीटर के रोम पहुंचने से पहले सैंट थामस हिन्दुस्तान पहुँच गये थे। दुनिया का सबसे पुराना गिरजा हिन्दुस्तान में बताया। यह जो हिन्दुस्तान का गिरजा है वह रोम के कैथोलिक चर्च से भी प्राचीन है।

हिन्दू धर्म का असली रूप आधुनिक रूप आदि शंकर ने दिया है। आदि शंकराचार्य 1200 साल पहले पैदा हुए थे और उनके ही अद्वैत दर्शन हमें 1200 साल पहले मिला था। आदि शंकराचार्य जीसस क्राइस्ट से 800 साल पहले पैदा हुए थे और हजरत मोहम्मद साहब से 200 साल बाद पैदा हुए थे। उनके पश्चात ही यह हिन्दू धर्म का आखिरी रूप है। यह ऐसा अनोखा धर्म है जिसको शुरु से लेकर अन्त तक पूरा होने में पांच हजार साल लगे। ऋग्वेद से लेकर अद्वैत दर्शन तक पांच हजार साल लगे। हमारा मन हमेशा खुला रहा है। हम कहते हैं कि जो भी विचार जहां से आया हो उसमें कुछ न कुछ अच्छी चीज होगी और उसको अपना लें। इसीलिए जब इस्लाम हमारे देश में आया तो हम चिंतित नहीं हुए। हमने उनसे सीखा और उन्होंने भी हमसे सीखा। मैं दो मिसाल देना चाहूंगा।

क्या वजह है कि इस्लाम आने के पश्चात ही हिन्दुस्तान में भक्ति आन्दोलन शुरु हुआ था? जो हमारा हिन्दू समाज था उसमें समानता की भावना कम थी। ब्राह्मण पुजारी मन्दिरों में ब्राह्मणों के लिए ही एक अनोखी भाषा संस्कृत में पूजा पाठ कर रहे थे। आचार्य रामानुज मंदिर से सबसे पहले निकले और बाहर आए और जो पूजा पाठ संस्कृत में बोला जाता था उसको पहले उन्होंने आम भाषा में आम लोगों को बताया। हमने उनसे सीखा था कि यदि आप मस्जिद में जाइये तो देखेंगे कि जो सबसे गरीब हैं और जो सुल्तान बादशाह हैं वे दोनों एक ही जगह पर उसी पानी में मुंह धोते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं। हमारे समाज में मुसलमानों से हमने सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करना है, यह हमने उनसे सीखा और हमसे भी उन्होंने सीखा। आप दरगाह में जायेंगे तो देखेंगे कव्वाली चल रही है। मुझको इन्डोनेशिया से लेकर अल्जीरिया तक जाने का मौका मिला है। मरोक्को के सिवा कोई ऐसा मुसलमान देश नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। मैंने देखा कि हमारे हिन्दुस्तान में बेईमगीर के इसके अलावा और कोई देश में किसी दरगाह में कव्वाली नहीं होती, क्योंकि हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने देखा कि हमारे मन्दिरों में भजन गाए जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि गाने के माध्यम से भी हम भगवान तक पहुंच सकते है तो वहां कव्वाली शुरु हुई। हिन्दुस्तान को क्रिकेट में पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए हमें अब्दुलहक्कान को खोज निकालना पड़ता है। तमिलनाडु में एक साज है नादेस्वम् जो कि हर मन्दिर से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी हिन्दू मन्दिर में चले जाइए आपका नादेस्वरम् से इस्तेकबाल होगा। जो मेरा राज्य है वहां पर सबसे मशहूर उस को बजाने वाले जो हैं तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है शेखचिन्ना मौलाना। अभी जो परसों जर्मनी में भारत महोत्सव शुरु हुआ था हमने वहां नादेस्वरम् बजाने के लिए उन जर्मनी के आर्यों को हिन्दुस्तान से परिचित करने के लिए एक मुसलमान शेख चिन्ना मौलाना को भेजा है।

सरस्वती का हर चित्र में आप देखें (व्यवधान) मैं प्रार्थना करता हूं आप सुन लें। सरस्वती का चित्र आप देखें, हमेशा उनके हाथ में एक रुद्रवीणा होता है। आज की तारीख में 1991 सारे

हिन्दुस्तान मे सरस्वती बजाने के लिए एक ही उस्ताद हैं वे दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में हैड हैं उनका नाम उस्ताद असद् अली खां, पंडित रविशंकर जो सितार बजाते हैं वह किसने बनाया ? यह बना एक दरगाह में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में । हजरत अमीर खुशरो ने इसे निकाला था । जो हिन्दी भाषा मैं बोल रहा हूं इसका जन्म भी वहीं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में हुआ । जबकि अमीर खुशरो ने हिन्दू धर्म की ब्रज भाषा भगवान कृष्ण की ब्रज भाषा को लेकर कुछ शब्द अरबी से लिए, कुछ तुर्की से लिए और कुछ फारसी से लिए । हिन्दी भाषा के सबसे महान कवि कौन थे, एक मुसलमान हजरत अमीर खुशरो थे ।

हमारी जो सभ्यता है वह एक हिन्दू सभ्यता ही केवल नहीं है, मैं यह नहीं कहता हूं कि हिन्दुस्तान सभ्यता का आधार हिन्दू धर्म नहीं है । मैं यह नहीं कहता हूं कि हिन्दू धर्म के द्वारा भारतवर्ष को कुछ नहीं मिला है बहुत कुछ मिला है । मगर साथ-साथ जो जुड़ता गया, जुड़ता गया । जो कुछ हमें मिला उसको हमने लिया ।

महात्मा गांधी ने जब बाइबल में सर्मन आन माउंट को पढ़ा । उसके बाद ही उनको समझ में आया कि भगवद् गीता में क्या लिखा है, उसके सही मायने क्या हैं गांधी जी ने कहा कि एक अच्छा हिन्दू बनने के लिये मुझे पहले एक अच्छा ईसाई बनने की जरूरत थी । यह उन्होंने कहा और क्यों कहा ? क्योंकि वे एक महान हिन्दू थे । मेरे जो पहनुमा हैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू, वह तकरीबन नास्तिक थे । वह जिनको मैं मानता हूं, हिन्दुस्तान में सबसे महान पुरुष थे वे गांधी जी थे । उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हिन्दू बनने के लिये तंगनजरी की जरूरत है, संकीर्णता की जरूरत है । उन्होंने कभी नहीं कहा हमारे देश मे···

कुमारी उमा भारती : आप मेरे सवाल का जवाब दें । (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर । मैडम आप बैठ जाइए । मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था इसलिये आप तशरीफ रखें ।

[अनुवाद]

मैं नहीं मान रहा हूं । कृपया इन्हें बैठने के लिये कहें ।

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : इस समय यह मान नहीं रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है । परन्तु बार-बार व्यवधान वास्तव में ठीक नहीं है । आपको भी खण्डन करने का मौका मिलेगा । अतः मेरा अनुरोध है कि हम इस सभा में धैर्य बनाए रखें ।

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि जब हम मुसलमानों की तरफ देखें, इस देश के नागरिक की तरफ

देखें तो यह न भूलें कि 85 प्रतिशत तक हिन्दू धर्म को मानने वालों का बहुमत है, केवल 15 प्रतिशत दूसरे मजहबों से जुड़े हुये हैं। रहमत नहीं करना है, सहानुभूति की बात है। जो पीड़ित वर्ग हैं, उनकी तरफ देख कर उनको आश्वासित करना है कि हिन्दुस्तानी बनने के लिये आपको मुसलमान मजहब के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके क्षेत्र में देखा है···(व्यवधान)····· उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में नार्थ अर्काट को छोड़कर सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या मेरे क्षेत्र में है और उसमें भी 6 में से एक वोटर है जो मुस्लिम मजहब को मानने वाले हैं। हमारे गुजश्ता चुनाव में मेरे क्षेत्र से बी. जे. पी. के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुये थे, उनकी जमानत जब्त हो गई और साथ-साथ इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग (समद ग्रुप) के नेता श्री अब्दुल समद में जो खड़े हुये थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई कैसे ? क्योंकि जब मैं अपने चुनाव प्रचार के लिये अपने क्षेत्र में घूमता था, तब मैं देखता था कि तकरीबन हर गांव में ·····

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, विषय क्या है, प्रवचन किस पर हो रहा है ?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं कह रहा था कि तकरीबन हर गांव में एक सुन्दर मस्जिद के बिलकुल निकट एक मन्दिर है और हमारे हिन्दू और मुसलमान भाई सहमति से, प्यार से भाई-चारे से रह रहे हैं। उसकी एक ही वजह है कि आज तक जो विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल का प्रभाव है, वह बी. जे. पी को मदद से वहां तक नहीं पहुंचा है इसलिए हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई की तरह रहते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम इस विष को इस जहर को रोकने का कि हम समझ लें कि साम्प्रदायिकता का ज्वालामुखी जो सन् 1984 में उभरकर अचानक रूप में हमारे सामने आया था, दूसरी बार तब हुआ जबकि माननीय श्री वी. पी. सिंह ने अपनी सरकार बनाने के लिए बी. जे. पी. का समर्थन लिया। हम आज यह केसरिया लहर देख रहे हैं 117 सांसदों के रूप में वह हमारे सामने एक ही वजह से है कि राष्ट्रीय मोर्चा के गलत नीयत से हुआ है। हमने देखा कि जिन्होंने उनका समर्थन लिया, यदि वह समर्थन न लिया होता तो हम इस परिस्थिति में नहीं होते। मैं श्री वी.पी. सिंह का आदर करता हूं। जो आशीर्वाद विश्व नाथ जी ने मुझ दिया जब तक वह वित्त मन्त्री थे, वह आशीर्वाद मैं और किसी को शायद मिला होगा। आज मौका है कि इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं सब एक होकर, जुड़कर इन साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करें, इनको नष्ट करें, इस विष को निकाल कर राजनीति से बाहर फेंक दें।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि आज संसद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने में संलग्न है जो इस देश में अत्यन्त अविलम्बनीय हो गया है। यह भी अत्यन्त चिन्ताजनक मामला है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के चार दशक बाद भी हमें देश को एक बनाए रखने के लिए और देश में साम्प्रदायिक विध्वंश को रोकने के लिए विधान बनाने के लिए विचार करना है।

जब मैं भारतीय जनता पार्टी के खजुराहो के विख्यात सदस्य का भाषण सुन रहा था तो मुझे यह महसूस हुआ कि यह विधेयक न केवल न्यायसंगत है अपितु यह बहुत पहले ही लाया जाना चाहिए था। मैं आसानी से यह समझ सकता हूं कि पिछले चुनाव अभियान के दौरान तथा उससे पूर्व किस प्रकार साम्प्रदायिकता का जहर और धार्मिक कट्टरता फैली थी तथा केवल राजनैतिक पार्टी के लाभ के लिए लोगों को किस प्रकार धार्मिक और साम्प्रदायिक आधार पर विभक्त किया गया था।

यदि हम कुछ समय पहले का इतिहास देखें, तो हमें यह पता चल जायेगा कि एक ऐसी राजनैतिक पार्टी द्वारा साम्प्रदायिक कट्टरता को भड़काया गया था जिसका संवैधानिक अपरिहार्यता में विश्वास था और जिसका देश के प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण था तथा किस प्रकार उन्होंने शाहबानो के मामले में धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता किया था तथा किस प्रकार देश के उच्चतम न्यायालय के सुविचारित निर्णय को रद्द करने के उद्देश्य से कानून बनाया गया था तथा कट्टरवादी लोगों की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से किस प्रकार मुसलमान महिलाओं के अधिकार जानबूझ कर छीन लिए गए थे। यह उसके परिणाम निकले। हमने देख चुके हैं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के सम्बन्ध में किस प्रकार विवाद पैदा हुआ जो अभी भी चल रहा है, इसे वास्तव में शिलान्यास समारोह द्वारा भड़काया गया है जो तत्कालीन प्रधान मन्त्री के आशीर्वाद से तत्कालीन गृह मन्त्री द्वारा आयोजित किया गया था। इसका वास्तविक उद्देश्य मन्दिर का निर्माण करना अथवा मस्जिद की देख भाल करना नहीं था, अपितु केवल चुनावों के उद्देश्य से इस देश में बहु-संख्यक समुदाय की साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना था। श्री मणि शंकर अय्यर ने बहुत सुस्पष्ट रूप से भाषण दिया है। परन्तु इन बातों को भूलना नहीं चाहिए केवल आज ही हम भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे, हम उसकी आलोचना करते ही हैं। हम समझते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में यह कैंसर के समान है। परन्तु आपने कहा है···(व्यवधान) वह उनके प्रति किस प्रकार सहृदयता दिखा रहे हैं ? हमने दसवीं लोक सभा में भी यह देखा है कि कई बार वे किस प्रकार लड़ना शुरू कर देते हैं और हमने देखा है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी, जो मैं भी हूं, दोनों वर्गों के बीच किस प्रकार सौहार्दपूर्ण ढंग से यह लड़ाई और कलह समाप्त होती है और किस प्रकार वे दोनों एक हो जाते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह हमारे सामने है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध करता हूं कि वह अपने मन को टटोले। यदि आप अब भी समझ जाते हैं, यदि आप अब भी उन नीतियों के खतरे को महसूस कर लेते हैं, जो आपने पिछले कई वर्षों से अपनाई है तो यह देश के लिए बेहतर होगा।

उसमें संशय नहीं कि यह विधेयक उस संकल्प के परिणाम स्वरूप लाया गया है जो इस सभा में कामरेड जायनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चर्चा के दौरान कामरेड अबेदिन ने मन्दिर और उपासना के अन्य स्थलों के नाम पर धार्मिक और सामुदायिक उन्माद से देश में उत्पन्न साम्प्रदायिक भेदभाव के गम्भीर खतरे की ओर ध्यान दिलाया था। उस चर्चा के दौरान दिए गए भाषणों में भी वर्तमान प्रकार के कानून को शीघ्र बनाने के महत्व और तत्कालिक पर बल दिया गया था और हमने इसके लिए दबाव डाला था। इस विधेयक को पुरः स्थापित करने के आश्वासन दिए जाने के बाद ही प्रस्ताव को वापस लिया गया और मुझे प्रसन्नता है सरकार ने विधेयक को शीघ्र पुरःस्थापित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए इसे इसी सत्र में ले आई है।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : यह उसके चुनाव घोषणा पत्र में भी है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अच्छा है कि कांग्रेस ने दूसरे घोषणा पत्रों की नकल की है। प्रश्न यह है कि इस देश में हम धर्म के नाम पर क्यों लड़े ? हमारे विचार में धर्म व्यक्ति के आधार पर उसके व्यक्तिगत विश्वास, श्रद्धा और सम्बद्धता का विषय है ? फिर इसके लिए जन प्रदर्शन क्यों हों, या फिर यह आपसी आरोप-प्रत्यारोप या झगड़ों का मामला क्यों हो ? धर्म को राजनीतिक सूत्रीकरण और शोषण का मुद्दा क्यों हो ?

इस देश में जन-जीवन के विनाश का कारण राजनीति के साथ धर्म का सोद्देश्य मिश्रण है। देश की समस्याओं को धार्मिक नीति वचनों और आदेशों से कभी हल नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने सर्वाधिक अनुकूल धार्मिक आस्था और सिद्धान्त का, अनुसरण करके मन की शान्ति प्राप्त कर सकता है, परन्तु देश और जनता में शान्ति केवल कुछ धार्मिक सिद्धान्तों और आदेशों से नहीं लाई जा सकती। लोगों को धर्म के आधार पर बांटने से राष्ट्र की शक्ति नष्ट हो जाती है और जैसा कि आपने देखा है इस देश में लोगों ने भय से कैसे अपने आपको नरपशुओं में बदल दिया है, धर्म के नाम पर कैसे निर्दोष लोग मारे गए धर्म के नाम पर उन्हें किस प्रकार अपाहिज बना दिया गया कैसे धर्म के नाम पर लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो गई ? इसने हमारे देश के लोगों में मतभेदों को और अधिक गहरा बना दिया है ? कुछ लोगों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धर्म का शोषण किए जाने के कारण हम पहले ही अत्यधिक कष्ट भोग चुके हैं।

हमारे इस महान देश का केवल धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया है। पराधीन राष्ट्र के रूप में इस विदेशी शासकों के षडयन्त्र का शिकार हुए हैं और हमने जान-बूझकर या अनजाने में बुराई के साथ समझौता कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप देश का धर्म के नाम पर बटवारा हुआ। परन्तु एक स्वतंत्र देश के रूप में क्या हम अपनी ऊर्जा को आपसी दुःखों, घृणा और वैर को चिरस्थायी बनाने में लगा देंगे ?

मेरा विचार है कि आज भारत की व्यथित आत्मा, एक नए मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा के लिए नहीं चिल्लाती। वह तो यही चाहती है कि उसकी जनता भले ही किसी भी जाति, मत या धर्म की हो, वह सभ्य और सम्मानित जीवन जिये। वह इसी बात की दुहाई देते हैं कि हमारे सभी लोगों को दिन में दो वक्त का भोजन मिले, उनके सर पर छत हो, उनमें पढ़ने लिखने की योग्यता हो और वे शोषण, भूख, बेरोजगारी, रोगों और गंदगी से मुक्त हों। कौन सा धर्म उन्हें इन न्यूनतम अधिकारों का आश्वासन देगा ?

हमारे देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। हम निकटतम आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो निःसंदेह उस पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं जो लगभग पिछले साढ़े तीन दशकों से इस देश पर शासन कर रही है। हम देश के विभिन्न भागों में ऐसी गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे देश की एकता और अखण्डता दाव पर लगी हुई है। जहां तक आर्थिक ऋणता का संबंध है हमने तकरीबन अपनी सारी आर्थिक स्वतंत्रता खो दी है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और

विश्व बैंक जैसे संगठनों के आदेशों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, जो कि बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के कहने पर चल रहे हैं।

बामपंथी दलों ने निरन्तर धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का अनुसरण किया है और कभी भी कट्टरपंथी विचारों और कट्टरपंथी नीतियों के साथ समझौता नहीं किया। धार्मिक कट्टरवादिता कभी भी हमारी किसी भी सांसारिक समस्याओं का हल नहीं कर सकती न ही यह हमारे लोगों को नई पहचान दे सकती है, जैसा कि कहा जा रहा है यह केवल बंटवारे को स्थायी बनाएगी, लोगों में डर और घृणा पैदा करेगी।

जहां तक इस विधेयक के ब्यौरे का सम्बन्ध है, हमें खुशी होगी यदि अयोध्या मामले को इसमें शामिल किया जाता। लेकिन हमने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि इस मामले को, जो कि इस देश में बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन गया है, उसे आपसी विचार-विमर्श, एक-दूसरे के प्रति स्नेह और आदर, एकसाथ बैठकर हल किया जाना चाहिये, लड़कर नहीं वैमनस्य से नहीं और यदि यह सम्भव नहीं है, तो सभी दलों को न्यायिक सत्ता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए जहां इस मामले पर कार्यवाही लम्बित है। यह हमारा विचार है। और उस आधार पर हम सरकार से मांग करते हैं—और जब हमने अपने प्रस्ताव को वापस लिया था तब हमें सभा में यहां, आश्वासन दिया गया था—कि जहां तक अयोध्या का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा और वह यह देखेगी कि इसका हल आपसी विचार-विमर्श या न्यायीक निर्णय द्वारा किया जाए। जहां तक अन्य उपासना स्थलों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है, यह लम्बे समय से बकाया पड़े हैं। हमें इस विधेयक के सम्बन्ध में अशोक सिंघल द्वारा संसद सदस्यों में परिचालित, विश्व हिन्दू परिषद का एक पत्र प्राप्त हुआ है? जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है :—

> "हमारे धर्माचार्यों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच स्नेहपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए और भविष्य में इस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करने की दृष्टि से केवल तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों—अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और वाराणसी में श्री विश्वनाथ मंदिर के पुनरोद्धार तक ही सीमित एक विनीत मांग की है।"

अतः विश्व हिन्दू परिषद ने इन स्थानों को बदलने के तथा कथित कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। पत्र में यह भी कहा गया है कि वे कैसे भावनात्मक मुद्दों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उद्धत करता हूं :—

> "क्या कोई सोच सकता है कि भगवान कृष्ण ईदगाह में पैदा हुए थे। स्पष्टतः नहीं।"

वह इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं। वह कहते हैं कि स्पष्टतया नहीं। क्या वे जानते हैं भगवान कृष्ण कहां पैदा हुए थे? साम्प्रदायिक भावनाओं और धार्मिक उन्माद को भड़काने के लिए इन विचारों और धारणाओं को लोगों के बीच किस प्रकार प्रचारित करना चाहा है? वे कहां पैदा हुए

थे ? क्या वे एक मंदिर में पैदा हुए थे ? वह मंदिर कौनसा था ? उस मंदिर का निर्माण किसने किया था ? इसी प्रकार का प्रचार किया जा रहा है । उन्होंने उसी पत्र में आगे कहा है :—

"यह सामान्य मन्दिर नहीं है अपितु यह हमारे भगवान और देवताओं के आविर्भाव स्थल हैं, स्वयं यह स्थल ही पूजा के योग्य है ।"

मैं समझता हूं जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं—वे यह मानते हैं कि भगवान हर स्थान पर है । वह सर्व व्याप्त है । तो उसे उसी मन्दिर में ही क्यों रहना चाहिए ? अथवा केवल उसी स्थान पर क्यों रहना चाहिए ? पत्र में कहा गया है कि भगवान का आविर्भाव केवल उसी स्थल पर समझा गया है ।

संकीर्ण विचार धारा के रूढ़िवादी विचारों युक्त ये उपदेश, हिन्दुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से नहीं —क्यों इस देश में हिन्दुओं को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है—अपितु केवल धर्म से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य दिये जा रहे हैं ।

जैसा कि ठीक ही कहा गया है, सिंघलयह समस्या कहां थी ? इस बारे में कोई विवाद नहीं था । श्री राम विलास पासवान ने सही कहा है । राम जन्मभूमि और बाबरी मसजिद के बीच यह विवाद ही कहां था ? जैसा कि मैंने बताया है इसे भड़काया गया है, इसे उत्पन्न किया गया है ।

यह समझा गया था कि जहां तक चुनावी समीकरण का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश राज्य हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते तत्क लीन सत्तारूढ़ दल के चंगुल में आ जाएगा । अब उनका यह उद्देश्य उलटा उन्हीं के लिये घातक हो गया है । भारतीय राजनीति में पांव जमाने के लिए अब इसे जारी रखा जा रहा है । दुर्भाग्यवश हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते इन शक्तियों को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है । यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार बनाने का आह्वान करते हुये चुनाव लड़े थे, उन्हें किंतु उसे सम्पूर्ण देश में 2 % से अधिक वोट प्राप्त नहीं हुए और उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव लड़ने का उनका मुख्य उद्देश्य अयोध्या में मन्दिर का निर्माण करना था, उन्हें केवल 32.9 % वोट प्राप्त हुए । इसलिए इस देश के लोगों को यह दिखाने और उनकी ऐसी धारणा उत्पन्न करने का प्रयास करना ठीक नहीं है कि अधिकांश लोगो अथवा अधिकांश हिन्दुओं ने उनके मन्दिर निर्माण के आह्वान का समर्थन किया है, जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह डाले गए 50 प्रतिशत वोटों में से 32/प्रतिशत है ।

श्री सोम नाथ चटर्जी : जी हां, आपने सही कहा है उत्तर प्रदेश में बहुत कम वोट डाले गये थे । वहां 50 प्रतिशत वोट पड़े थे । अतः 50 प्रतिशत मतदाताओं में से 32/प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े । इस आधार पर यह राय बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनके मन्दिर निर्माण के आह्वान का समर्थन किया

है। उसके बाद वहां नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने क्या देखा ?

4.00 प. प.

सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल मन्दिर के निर्माण की शपथ लेने के उद्देश्य से अयोध्या गया और उन्होंने 18 नवम्बर 1991 की तारीख निर्धारित की। मैं नहीं जानता कि इस देश का क्या होगा। और हमें यह बताया गया कि वह उस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए वे एक अध्यादेश पारित करने जा रहे हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो इस देश की क्या स्थिति होगी ? महोदय, क्या देश की प्रगति इस पर निर्भर करेगी ? क्या हम उस आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होंगे ? इससे क्या उपलब्धि होगी ? महोदय, जैसा कि कहा गया है कोई भी व्यक्ति मन्दिर के निर्माण का बुरा नहीं मानेगा। जो व्यक्ति मन्दिर जाना चाहते हैं, जो पूजा करना चाहते हैं, उन्हें जितने मंदिर वे चाहें, उतने अपने पास रख लो। परन्तु किस कीमत पर ? किसके मूल्य पर ? क्या आप देश इस देश के अल्पसंख्यकों की भावनाओं को यह कह कर प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं कि हम इस देश में बहुसंख्यक रूढ़िवादियों, इस देश में बहु संख्यकों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से धार्मिक ढांचे को गिरा देंगे ? महोदय, वह बहुत बुरा दिन होगा।

हमें इस खतरे से सावधान रहना चाहिए। राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इस देश में उन्माद को भड़काने के निरन्तर किये जा रहे प्रयास के विरुद्ध अन्य सभी शक्तियों को संघर्ष करना होगा और महोदय इस सम्बन्ध में हम सब को मिलकर संघर्ष करना चाहिए और जो कोई भी उस संघर्ष के लिए हमें समर्थन देगा, जिसमें वामपन्थी दल इस देश में धर्म-निरपेक्षता लाने के लिए, साम्प्रदायिक तत्वों, रूढ़िवादों के विरुद्ध लगातार जुटा हुआ रहा है, वह यह नहीं कह सकता कि हमने कभी भी इस बुराई के साथ समझौता किया है। फिर सभी लोगों, सभी सही दिशा में सोचने वाले लोगों को एकजुट होकर इस बुराई के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए जो इस देश के टुकड़े कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। हमारे देश में यहां लोगों के अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग आचार हैं, अलग-अलग संस्कृतियां हैं, सभी एक साथ रहते हैं और महोदय हमारा मूल उद्देश्य विविधता में एकता लाना है। हम इस देश की एकता को छोड़ नहीं सकते। यदि हम आज धर्म अथवा भाषा अथवा जाति के आधार पर आपस में लड़ते रहे तो हमारे देश का भविष्य अन्धकारमय होगा।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे देश में समस्याओं की कमी नहीं है। आज सुबह इस सभा में हम असम की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, हम बार-बार पंजाब, जम्मू और काश्मीर की स्थिति पर चर्चा करते हैं और इन परिस्थितियों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए क्या हमें इन समस्याओं का समाधान करने पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारा सम्बन्ध है आर्थिक हमारी समस्याएं हैं। गरीबी, जो अभी भी इस देश में विद्यमान है, इस देश के सामान्य लोगों के लिए अभिशाप है; देश पर अभी भी निरक्षरता, का कलंक लगा हुआ है। लोग फुटपाथ पर रहते हैं, वे फुटपाथ पर जन्म लेते हैं और फुटपाथ पर ही मर जाते हैं। इस

देश के लोग बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के मर जाते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और बेरोजगार हैं। इन गम्भीर समस्याओं को निपटाने के स्थान पर, यदि देश आज अपने बच्चों को खत्म करने के उद्देश्य से लड़े जा रहे युद्ध में ही उलझ गया, तो हमारे लिए यह बहुत बुरा होगा। इसलिए हम महसूस करते हैं कि कम से कम जहां तक इस झगड़े की जड़ का सम्बन्ध है कि क्या पूजा का वह विशिष्ट स्थल मन्दिर होना चाहिए, इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिए और अब इस विधेयक के साथ-साथ जहां तक अयोध्या का सम्बन्ध है, इस मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए अथवा न्यायिक निर्णय के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, जैसा कि हमने कहा है। और महोदय, उस आधार पर हम विधेयक का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मणिशंकर जी, राम विलास पासवान जी और सोमनाथ चटर्जी जी को बधाई भी देता हूं और उन्होंने यहां जो इस सदन में इस बिल के बारे में कहा, उनके साथ अपने आपको जोड़ते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं।

मेरे ख्याल में बहुत अर्से के बाद एक ऐतिहासिक बिल इस सदन में लाया गया है। ऐतिहासिक इसलिए कि एक दफा फिर कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा, लैफ्टिस्ट पार्टीज के द्वारा और हमारे जो दूसरे साथी सैक्युलर में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हिन्दुस्तान को जोड़ने के लिए दोबारा से प्रयास किया जाए। आज इस अवसर पर मैं राजीव गांधी जी को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। जब इलैक्शन मैनिफैस्टो बन रहा था, तो कई घण्टे और कई दिन उन्होंने इलैक्शन मैनिफैस्टो को बनाने में लगाए और विशेष रूप से जब इस प्वाइंट पर चर्चा आई, तो किस तरीके से इसको कांग्रेस मैनिफैस्टो में रखा जाए और बाद में इम्पलीमेंट किया जाए, उन्होंने इस पर बहुत जोर लगाया। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके उस सपने को पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती है। हमें गर्व है, अगर एक तरफ से हमें नुकसान हुआ है देश के बहुत बड़े-बड़े महान नेताओं का, चाहे महात्मा गांधी जी हों, इन्दिरा जी हों या राजीव गांधी जी हों, मैं उनको नाम खासी इसलिए ले रहा हूं कि उनको मारा गया है, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। हिन्दुस्तान की एकता, अखण्डता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। इसी तरह से आखिर में इस लिस्ट में राजीव गांधी जी का नाम आता है कि उन पर कितने दबाव पड़े, जब वे प्रधान मंत्री थे और जब प्रधान मन्त्री नहीं भी थे, तब भी उन पर दबाव पड़े। कभी उनको बताया जाता था कि एक वर्ग उनको वोट नहीं देगा, और कभी उनको कहा जाता था कि दूसरा वर्ग आपसे नाराज होगा और वोट नहीं देगा, लेकिन उन्होंने इन सब की परवाह न करते हुए, इसको अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में रखा और आज हमें गर्व है कि हम इस इलैक्शन मैनिफैस्टो को पूरा करने के लिए यहां खड़े हुए है।

माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इसका मकसद क्या है ? हम समझते थे कि इस 1947 के बाद यह झगड़ा खत्म होगा। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना, तो कुछ लोग उस तरफ चले

गए और कुछ इस तरफ रहे। मैं समझता था कि उसके बाद यहां मजहब के द्वारा आम जनता का शोषण बन्द हो जाएगा और एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी, जहां मजहब के द्वारा लोगों से वोट हासिल नहीं किए जायेंगे। जहां हिन्दुस्तानी के नाते सभी वर्गों को इकट्ठा किया जाएगा और सब को एक बनाने की कोशिश की जाएगी, हिन्दुस्तान को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हिन्दुस्तान को तोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। मुझे अफसोस होता है कि 947 के बाद आज फिर कुछ लोग, चाहे वे काश्मीर में भी हों, मैं काश्मीर वालों का समर्थन नहीं करता हूँ (व्यवधान) वह भी आपकी मर्जी से हुआ है। यदि आप इस तरह के नारे नहीं देते तो वे भी इस तरह से न उछलते। (व्यवधान)

आप अगर अलग होने के नारे नहीं देते तो वे भी अलग होने के नारे नहीं लगाते।

[अनुवाद]

उसका श्रेय भी आपको जाता है। आप भी उसके लिये जिम्मेदार हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मुझे सुनिये। इस सभा में प्रत्येक सदस्य को इस सभा के नियमों और विनियमों की परिसीमा के भीतर रहकर अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हो सकता है कि वे जो कुछ कह रहे हैं, उससे आप सहमत न हों।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

हममें दूसरों की बात सुनने का धैर्य होना चाहिए।

वे अन्तिम वक्ता नहीं है। अन्य लोगों के लिए भी अवसर है। उस समय में विनम्रतापूर्वक, उचित रूप से तार्किक आधार पर इसका खंडन कर सकते हैं यह एक ऐसा मंच है जहां हमें संसदीय प्रक्रियाओं और परम्पराओं का उचित सम्मान करते हुए सभा की कार्यवाहियों को संचालित करना होगा। कृपया इस बात को ध्यान में रखिए। मैं दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

श्री गुलाम नबी आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैंने कहीं भी भा.ज.पा. का नाम नहीं लिया है। मैंने उन लोगों के बारे में कहा था जो देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे महसूस करते हैं कि वे विखण्डित कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं कैसे कह सकता हूं, मैंने आपका नाम नहीं लिया। अब अगर "चोर की दाढ़ी में तिनका" है, तो मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : मैं यह कह रहा था कि एक पार्टी को दोषी माना जा रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को छोड़ा जा रहा है। आज भी वहां पर धर्म के आधार पर मरने वालों को मुआवजा दिया जा रहा है। यह देखा जाता है कि मरने वाला हिन्दू है या मुसलमान, इसके बाद उसको मुआवजा दिया जाता है इस तरह की राजनीति चल रही।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस रफ्तार से हम विषय के प्रति न्याय नहीं कर सकते। आखिर यह सभा सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। नजरें हमें देख रही हैं। सम्पूर्ण देश की जनता संसद में आती है। इसलिए हम इस मामले में अपने व्यवहार पर किसी प्रकार का संयम बरतने की आशा करते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, विपक्ष के मेरे मित्रों को इसे गलत नहीं समझना चाहिए।

हमारे देश में हिन्दू कट्टरवाद है। हमारे यहां मुस्लिम कट्टरवाद है, हमारे यहां सिख कट्टरवाद है।

मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिसके आधार पर किसी दल विशेष को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मैंने किसी धर्म का जिक्र नहीं किया है, मैंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया है। मैं सामान्य रूप में बात कर रहा हूं। वे किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं; वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे किसी राजनीति दल विशेष को उस बारे में कोई आपत्ति होनी चाहिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत ऋषियों, मुनियों, सूफी-संतो का देश हमेशा रहा है और मेरे ख्याल में जितने सूफी संत भारत में पैदा हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपने जीवन काल में एकता और एक दूसरे से प्रेम-प्यार का प्रचार भारत में किया है। उन्होंने कभी भी दिलों को तोड़ने की बात नहीं की है, दिलों को जोड़ने की बात की है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 1947 के बाद हमें उम्मीद थी कि हिन्दुस्तान जो अलग चाहते थे पाकिस्तान का, वे पाकिस्तान चले गए और जो मुसलमान हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते थे, वे हिन्दुस्तान में रहे। मैं नहीं समझता कि उनको कितनी दफा कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे यह कहने के लिए कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तानी हैं। मुझे गर्व है और मैं समझता हूं कि एक मुसलमान होते हुए मैं अपने आपको एक हिन्दुस्तानी समझता हूं। इस पर किसी को शक है ?···(व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं।

इसलिए आज एक ऐसा समय आया है कि हम इस बिल के द्वारा जो कुछ सियासी दलबा है अपनी राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए, पार्लियामेंट या विधान सभा में आने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं, मैं समझता हूं कि देश की एकता और अखंडता के लिए इससे बड़ा कानून कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश से जहां गरीबी है, जहां लाखों और करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जहां शिक्षा की जरूरत है, जहां रोटी की जरूरत है, जहां सड़कों की जरूरत है, पुल और मकानों की जरूरत है अगर वहां राजनीतिक दल बजाए इसके कि मसलों का हल निकालें, इस देश की गरीबी को हटाने के बजाए लोगों के दिलों में मजहब का जहर भरकर उनको असली रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पर ले जायेंगे तो मैं समझता हूं कि गरीबी और बढ़ जाएगी और कभी भी हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। आज इस अवसर पर मेरे ख्याल में इस बिल के बाद हमें एक और मौका मिला है कि हम जात-पात और धर्म की लड़ाई को छोड़कर एक हिन्दुस्तानी की तरह सभी भाई बन्धुओं की तरह एक होकर चाहे हिन्दू हिन्दुस्तान में रहते हों, मुसलमान, सिख ईसाई या बौद्ध रहते हों, उनको हिन्दुस्तानी मानकर चलें और उनके लिए प्रयास करें कि किस तरह से इस देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी तथा मंहगाई हटे। अगर हम इन चीजों की तरफ से लोगों का ध्यान हटाकर दूसरी ओर ले जायेंगे तो मैं नहीं समझता हमें और अवसर प्राप्त होगा कि हम इस हिन्दुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाएं, जहां हम चाहते हैं कि पूरा भारत, भारत के लोग एक होकर आगे बढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं हमारे भारत में यह खून-खराबा कब तक बहेगा ? यह आग कब तक लगेगी। जो मजहब के नाम पर हर मन में, हिन्दुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में मजहब के नाम पर आग लग रही है। आज इन्सान इन्सान की हत्या कर रहा है, कत्ल कर रहा है। आज जो बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, सी. आर. पी. और जो आर्मी है, हमारी सीमाओं पर, हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए बैठी है, मुझे अफसोस है कि वह बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, सी. आर. पी. और फौज का बजाए हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के एक इन्सान को दूसरे इन्सान से बचाने लिए इस्तेमाल हो रहा है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं हो सकती कि आज इन्सान को इन्सान से बचाने के लिए फौज की जरूरत पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भारत में आज मजहबी भावना से काम ले रहे हैं और जब तक इन्सान मजहबी भावना से काम लेगा तब तक यह आग नहीं बुझेगी। तब तक अमन और शांति नहीं होगी। मेरे ख्याल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। जब तक हम इस देश में रिलीजियस एक्सप्लायटेशन को बन्द नहीं करेंगे तो तब तक इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बढ़ेगी। चाहे वह किसी भी मजहब के द्वारा हो। मैं एक मजहब नहीं कहता। किसी भी मजहब के द्वारा जब तक रिलीजियस एक्सप्लायटेशन बन्द नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी बढ़ नहीं सकती है। यहां पर एकता और अखंडता नहीं रह सकती तो देश की स्वतन्त्रता को कायम रखना भी असम्भव होगा। सबसे बड़ा काम करना है तो सभी मजहब के सामने वालों को मजहबी एक्सप्लायटेशन को बन्द करना होगा अपनी राजनीति के लिये नहीं। जैसा मेरे साथी ने बताया कि कौन किसको रोकता है। इस सदन में आने से कौन रोकता है। इस देश में किसी पार्टी को या इस देश के किसी मजहब के इन्सान को सरकार बनानी है। हम नहीं चाहते कि कोई राजनीतिक दल मजहब का शोषण करके सरकार बनाए क्यों कि वह पहला स्टेट होगा जो हिन्दुस्तान को डिस इंटीगेशन का होगा। हमारे भाई जो उस

तरफ बैठे है, वे सरकार बनाएं लेकिन वह नीतियों, प्रोग्राम, विकास, एकता, अखंडता, हिन्दू-मुसलमान, सिख-इसाई की एकता के आधार पर होनी चाहिए। वह देशवासियों को कबूल होगी। लेकिन वह किसी एक्सप्लायटेशन के आधार पर होगा तो वह न सरकार चलेगी और न देश आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने एक्सप्लायटेशन किया है, चाहे किसी तरह का किया है तो वह न आगे बढ़े हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। पं. नेहरू ने भाखड़ा डैम का उद्घाटन करते हुये कहा था कि हमारे मन्दिर मस्जिद से और भाखड़ा डैम से लाखों खेतों को पानी मिलता है और अनाज पैदा होता है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारा ध्यान मन्दिर मस्जिद की तरफ जाता है जहां हम लोगों को लड़ाते रहे और अपनी राजनीति को चमकाते रहें और खुद आगे बढ़ते रहें। लोग आपस में खुद लड़ते रहें और खून-खराबा करते रहें और हमारी राजनीति चलती रहे। पं. नेहरू के शब्दों में यह था कि हमारे मंदिर, मस्जिद वो है जिससे हमारे खेतों में पानी जाता है और जिससे सड़कें चलती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इलेक्शन में मैंने अहमदाबाद में एक बोर्ड पर लिखा हुआ देखा और उसको लिख लिया। वह सिटीजन फोरम का था। वह मुझे अच्छा लगा। यह आपका तो नहीं हो सकता।..... (व्यवधान)

वह शेर यह था :

"मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर ने
बाँट लिया भगवान को,
धरती बांटी, सागर बांटी,
मत बांटो, इन्सान को"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी पूरी तरह तथा बिना किसी विरोध के इस विधेयक का समर्थन करती है और सब जानते है कि काफी लम्बे समय से हमारी यह मांग रही है कि इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिये। यह केवल एक ही मामला विशेष के बारे में है। केवल यही विधेयक अथवा कानून साम्प्रदायिकता की सम्पूर्ण समस्या को हल नहीं कर सकता है परन्तु यह एक ऐसा कदम है जो कि आवश्यक है जिसे पहले ही उठाया जाना चाहिये था और मुझे आशा है कि मन्दिर-मस्जिद विवाद से उत्पन्न झगड़े की स्थिति का हल निकालने में यह काफी अधिक सहायक होगी।

मैं समझता हूं कि कुछ सालों में हमारे देश में विश्व के सामने विभिन्न धर्म सम्प्रदायों के लोगों के एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक दंगा फसाद करने और टकराने का जो नजारा पेश किया है जिसके बारे में अनेक वक्ताओं ने पहले ही बता चुके है, और जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित हजारों निर्दोष लोग मारे गये, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई, सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः भंग हो गई उससे देश की बहुत बदनामी हुई है। यह एक ऐसा नजारा था जिससे मेरे विचार से देश ने विश्व में कहीं भी अच्छा नाम नहीं कमाया वस्तुतः यह बात हमारे दुश्मनों को हमें और अधिक अपमानित करने का अवसर देती है। मेरी राय में तो यह विधेयक इस समा

में सर्वसम्मति से पारित किया जाये, जो मेरे विचार से हो नहीं पाएगा। इसमें सन्देह बहुत ही सीमित सन्दर्भ में केवल एक ही विषय का उल्लेख है, परन्तु सब जानते हैं कि ऐसा विस्फोटक मामला है इसे मामला बना दिया गया है कि मैं समझता हूं कि यह विश्व में भारत की स्थिति जो कि खराब हो गई है को ठीक करने में बहुत सहायक होगी। मैं अपने भा. ज. पा. के मित्रों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का विरोध न करें और हम सभी जो इस सभा में बैठे हैं उन्हें अपने आप को सर्वप्रथम भारतीय समझना चाहिये। जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि हमारे देश की छवि न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अच्छी हो।

श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है कि यदि श्री वी. पी. सिंह की सरकार ने भा. ज. पा. का समर्थन नहीं लिया होता तो शायद भा. ज. पा. का मनोबल तथा प्रभाव इतना अधिक नहीं बढ़ा होता। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मुझे आशा है कि वे यह समझते हैं कि उन्होंने गलती की थी। परन्तु निश्चित रूप से किसी कार्यक्रम संबंधी अथवा राजनीतिक एकता का कोई सवाल नहीं था जिसके परिणामस्वरूप शक्तियों के समीकरण की आवश्यकता हुई हो। परन्तु क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर अवसर है इसलिये मैं बिना एक दूसरे पर आरोप लगाने के इरादे के एक बात कहूंगा कि जब श्री वी. पी. सिंह की सरकार गिराई गई, जब भा. ज. पा. ने समर्थन वापस ले लिया था तो ऐसा केवल इसी मसले को लेकर किया गया था, किसी अन्य मसले को लेकर नहीं। ऐसा केवल इसी मसले को लेकर किया गया था कि आप अयोध्या में कार सेवा की अनुमति देंगे या नहीं। इसमें कहा गया था, "यदि कोई हस्तक्षेप हुआ, यदि कार सेवकों को रोका गया या उन्हें गिरफ्तार किया गया या उनको बचाया गया और यदि श्री आडवाणी की रथ यात्रा उस स्थान तक नहीं पहुंचने दी गई तो हम सरकार से तुरन्त समर्थन वापस ले लेंगे।" यह मामला था। इससे पहले जो कुछ भी हुआ हो पर यही एकमात्र मसला ऐसा था जिस पर भा. ज. पा. ने समर्थन वापस लिया। यही चेतावनी थी जो दी गई थी और इस चेतावनी में और कुछ नहीं कहा गया था। जब हम विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे यह सभा में पढ़ा गया था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय मेरे कांग्रेसी मित्रों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिये था। मुझे दल द्वारा तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी से यह बात करने को भेजा गया था कि वे श्री वी. पी. सिंह की सरकार को कभी भी गिरा देना चाहते हैं, ऐसा कई अन्य मसलों को लेकर किया जा सकता है।

उस दिन विशेष को उस अवसर पर जब सरकार के पक्ष में अथवा विपक्ष में मतदान होने जा रहा था, उस मसले पर जिसे भा. ज. पा. लेकर आई थी, मैंने कहा था कि आपको उनका साथ देकर समझौता नहीं करना चाहिए। आप उनके साथ मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं? हम विश्वास करते हैं कि कांग्रेस एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है। उसका धर्म निरपेक्ष कार्यक्रम है वह धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध है। वह समय-समय पर कुछ दबावों के कारण कुछ भी करें, परन्तु वह निश्चित रूप से एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है, वह साम्प्रदायिक पार्टी नहीं है। मैंने श्री राजीव गांधी से पर्याप्त समय देने के लिए कहा था और यह कहा था कि इस अवसर पर वे अपनी पार्टी को उन लोगों से अलग कर लें जो केवल इसी कारण सरकार को गिराना चाहते हैं कि उन्होंने दृढ़तापूर्वक तथा बिना कोई किसी समझौता किये दृढ़तापूर्वक यह कह दिया है कि वे उस स्थान पर

मन्दिर का निर्माण नहीं करने देंगे जहां मस्जिद स्थित है। यदि वे अपने आपको बचाना चाहते हैं तो समझौता कर सकते थे। वह किसी प्रकार समझौते की कोशिश कर सकते, वे किसी प्रकार समझौता कर सकते थे···(व्यवधान))

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आपने किस स्थिति में समर्थन वापस लिया था यह कार्यक्रम पर आधारित समर्थन नहीं था, यह श्री वी. पी. सिंह की व्यावहारिक अवसरवादिता थी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसी वजह से हमने सरकार का कुल मिलाकर समर्थन किया है और वे इस बात पर अडिग रहे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो इस देश के निरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध हो, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो संविधान के विरुद्ध हो। (व्यवधान)

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरिया) : आप 11 महीने तक भा. ज. पा. के साथ सरकार को समर्थन देने की बात सोच सकते थ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : यह गलत है, आपने स्पोर्ट किया था वी जे. पी. को और गवर्नमेंट गिराया था (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने इस मसले पर कभी समर्थन नहीं दिया था। मैं कह रहा हूं कि यह सही नहीं कि ऐसे व्यक्ति की आलोचना को जाये जो दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच नहीं हैं, श्री राजीव गांधी, ने उस निवेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, चाहे उसका कुछ भी कारण रहा हो मैं उन तर्कों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : परन्तु उन्होंने कारण बताये थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कारण यह दिया था कि श्री वी. पी. सिंह वह इन्सान है जिन्हें वह समर्थन नहीं दे सकता है उनका यही तर्क था :···(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने कारण बताए थे···

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री मणिशंकर अय्यर, उन्होंने मुझसे कहा था "इन्द्रजीत जी, आप ऐसे व्यक्ति को समर्थन देने को कह रहे हैं जिसने यह सब किया है" मैंने कहा "मैं आपसे उन्हें समर्थन देने के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मसले पर विरोध न करें और अगले दिन आप इस सरकार को किसी और मुद्दे पर गिरा सकते हैं और मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं

होगी। आपकी निष्ठा, आपकी धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा हो रही है।"

1989 में आप जानते हैं श्री राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज का नारा देते हुये अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरु किया थ··· (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : वह महात्मा गांधी का नारा था। आप एक धर्म निरपेक्ष नारे का साम्प्रदायीकरण क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : जब चर्चा शुरु हुई थी आपको तब कहना चाहिये था, आज नहीं

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपकी बात को नहीं मानता। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

इसी कारण उनके चुनाव अभियान के प्रारम्भिक भाषण का हर हर महादेव के गगनचुम्बी नारों से स्वागत किया गया था। आप जानते हैं उनके साथ कौन बैठे थे ?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं उस अवसर पर उपस्थित था। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से निवेदन करता हूं कि एक महान नेता की यादगार तथा शब्दों को बदनामी न करें··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय। इस सभा में जिस प्रक्रिया तथा प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है वह यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और कोई माननीय सदस्य कोई सवाल उठाना चाहते हों अथवा कोई स्पष्टीकरण चाहते हों, तो वह अपना हाथ खड़ा करें और बोल रहे माननीय सदस्य से निवेदन करें और यदि वे उस निवेदन को स्वीकार करते हैं, तो ही वे ऐसा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम इसका अनुपालन करें तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : परन्तु क्या मन्त्री महोदय को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में सभी माननीय सदस्यों के लिए समान नियम है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि श्री राजीव गांधी हमारे बीच अब नहीं है। अतः वह उस बात का जिक्र नहीं करें। जो उनके बीच क्या बात हुई थी क्योंकि हमें उसके दूसरे भाग के बारे में पता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा इसलिए कहा कि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उन्हें दूसरे भाग के बारे में पता हो सकता है।क्योंकि वह जानते हों।

मैं यह समझता हूं कि हम सभी को चुनाव संबंधी तथा अन्य कई विवशतायें होती हैं। मैं जानता हूं कि इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है। कभी-कभी जब कोई अन्तर होता है तो आप इसे मतभेद कह सकते हैं। हममें से कोई भी इस मामले में निर्दोष नहीं है। कठोर सिद्धांतों के संबंध में कोई अन्तर हुआ है इसके लिये हम औपचारिक रूप से कटिबद्ध है।

अब मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जिससे आप उत्तेजित हो सकते हैं। किन्तु ऐसा नहीं होना। पिछले दिनों तीन दिनों तक मेरे कुछ मित्रों ने सभा की कार्यवाही को रोका तथा लोक सभा को कार्य नहीं करने दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति और वह भी मंत्री ने उनके दल के खिलाफ किसी प्रेस-सम्मेलन में कुछ अभिव्यक्ति की थी।

एक माननीय सदस्य : उनकी पार्टी के खिलाफ नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, उन्होंने ऐसा बाहर के एक प्रेस सम्मेलन में कहा था। जब उन्होंने यहां वह बात कही तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। फिर भी उन्होंने उसका बुरा माना और कहा कि इस वक्तव्य को हर हालत में वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार की तरफ से किसी को यह कहना पड़ेगा कि मंत्री ने जो भी कहा है वह सरकार का मत नहीं है। उन्हें उनकी निन्दा करनी होगी या इससे खुद को अलग करना पड़ेगा। मुझे कहना पड़ रहा है कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए हम तीन दिनों तक सलाह मशविरा करते रहे थे। यह पक्ष (विपक्ष) इस बात पर अड़ा हुआ था कि जब तक उन शब्दों को वापस नहीं लिया जाता है या और कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे इस सभा की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। दूसरी ओर सभा के नेता के नेतृत्व में दूसरा पक्ष जो उतना ही अड़ा हुआ था। वे कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यह कह कर कि हम उसके असहमत है, हम उसका परित्याग नहीं कर सकते हैं। या मंत्री का वे भी बचाव ही अड़े हुए थे। तीन दिनों तक यही चलता रहा। फिर, अचानक यह अड़ियलपन रातोंरात गायब हो गया और उनका व्यवहार इतना लचीला हो गया कि दोनों पक्षों ने मिलकर आपको घेराबंदी करने के लिए साथ-साथ मतदान किया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।

श्री मणिशंकर अय्यर : ऐसा इसलिए है कि उपाध्यक्ष महोदय देश-द्रोही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो जिनके साथ आपने मतदान किया था वे आपके अनुसार देश द्रोही थे?

श्री दाऊ नाईक (मुंबई उत्तर) : यदि आप इस विधेयक पर उनके साथ मतदान करेंगे तो क्या इसका मतलब यह होगा कि आप उनसे सहमत हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सारे विवाद को राम के तथा कथित जन्म स्थान के इर्द-गिर्द खड़ा किया गया है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस संबंध में अब तक प्रस्तुत किसी भी सबूत से यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जहां बाबरी-मस्जिद है वहीं राम का जन्म हुआ था।

कुछ महीने पहले जब यह विवाद शुरू हुआ तो हमारे कुछ मित्रों ने कहना शुरू किया कि किसी सबूत या प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब हमारे करोड़ो हिंदू-भाई और बहिन अपने दिलो दिमाग से मानते हैं कि यहीं राम का जन्म है, तो इतना ही काफी है। इससे इतर प्रमाणों की जरूरत ही क्या है ? पर बाद में जब दोनों पक्षों ने साथ बैठकर कुछ तरीका अपनाया और उनके पास जो भी अभिलेख और विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध थे, उन्हें प्रस्तुत किया तब ये सब बातें आरम्भ हुईं। किन्तु कोई भी बात न तो सिद्ध न हो सकी और निश्चित हो सकी।

जो भी हो, अयोध्या में एक हजार से कम मंदिर नहीं हैं। फैजाबाद से अयोध्या के बीच छोटे, मझोले और बड़े कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा ही मंदिर होंगे। यदि आप वहां किसी भी एक मंदिर में जायें तो आप पायेंगे कि उस मंदिर के पुजारी को पूरा विश्वास है कि उसी जगह पर राम का जन्म हुआ था, और किसी अन्य जगह नहीं। इन सारी बातों को आप किस तरह समाप्त या अमान्य घोषित कर सकते हैं ? आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि कोई मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़ा था और मस्जिद बनवायी थी। मैं तो नहीं जानता हूं।

इतिहासकारों के एक पूरे दल ने इस मामले की छानबीन की है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में रत्ती-भर भी प्रमाण नहीं है। (व्यवधान) बाबर यहां 1526 में आया था। उस समय तक तुलसीदास की रामायण प्रकाशित हो चुकी थी हर एक को इसकी जानकारी थी।

श्री मणिशंकर अय्यर : उसके बाद। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 1570 इस्वी सन् के बाद (व्यवधान) भी नहीं वह वाल्मीकि की थी (व्यवधान)। इनमें से न तो तुलसीदास ने और वाल्मीकि ने और न ही रामचरित मानस में कोई ऐसा जिक्र है कि वहां कोई राम मंदिर था जिसे बाबर नामक आक्रमणकारी ने तोड़ा था। और वहां मस्जिद बनवायी थी। (व्यवधान) अतः मुझे लगता है कि भाजपा विश्व हिन्दू परिषद के दावों का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं हैं। उनका जन्म निश्चित रूप से कहीं हुआ होगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : राम एक साहित्यिक व्यक्तित्व थे। उनका जन्म हुआ ही नहीं था।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका जन्म कहीं नहीं हुआ था। आप तो इस पूरे मसले पर ही नयी रोशनी डाल रहे हैं। (व्यवधान) यदि उनका जन्म कहीं हुआ ही नहीं था तो फिर आप इतना जोर किस लिए दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं आपको इतिहास का पाठ पढ़ा रहा हूं। आपको नहीं पता कि राम का जन्म कहां हुआ था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे पता है कि राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ होगा। आखिर राम का जन्म और कहां हो सकता है ? उनका प्रादुर्भाव तो कौशल्या के गर्भ में ही हुआ होगा। पर वह गर्भ गृह कहां था, यह तो किसी को पता नहीं है। अतः यह विचार और प्रचार कि इसी

जगह पर उनका जन्म स्थान है, इस बात को भाजपा ने पूरे देश के गांवों में लाखों-करोड़ो ग्रामीण, अशिक्षित और निरक्षर लोगों के बीच फैलाया है, वही इस सारे बवाल के जड़ है।

अत: मेरे विचार से यह बेहतर होगा कि भाजपा इस विषय पर फिर से सोचें और इस तरह के कट्टर पंथी आंदोलनों, जिनके परिणाम भयंकर होते हैं, से बचे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मुझे विश्व हिन्दू परिषद के बारे में कोई चिंता नही है। क्योंकि वे राजनैतिक दल नही है जैसा कि वे कहते हैं वह एक छोटे संगठन हैं। वे पर भाजपा तो बिलकुल ही राजनैतिक दल है। यह भारतीय संसद में एक प्रमुख विपक्षी दल है। जिस संविधान के नाम पर वे शपथ लेते हैं उसके प्रति वे कटिबद्ध हैं हर एक सदस्य को संविधान की सप्त लेनी पड़ती है। मेरी आपत्ति यह है कि भारतीय गणराज्य के संविधान की शपथ लेकर कोई बाहर जाकर हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने की शिक्षा नही दे सकता है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हिन्दू राष्ट्र का नारा देश की अखंडता और एकता के बिल्कुल विरुद्ध है। यदि हिंदू राष्ट्र का मतलब 'हिंदू राज्य है तो यदि इसे मान्य और स्वीकार्य माना जायेगा तो फिर 'खालिस्तान' के नारे के साथ भी यही बात लागू होगी। खुद 'हिन्दू राष्ट्र' का प्रचार करते हुए आप 'खालिस्तान' का प्रचार करने वालों को कैसे काबू में कर सकेंगे ? ऐसा करके आप उन अतिवादियों की मदद कर रहे हैं जो आज खालिस्तान नाम के अलग राज्य की जरूरत की बात कर रहे हैं। वे ऐसा तो कह ही सकते है कि देखो, अब कोई और चारा नहीं है क्योंकि देश के बहुसंख्यक हिन्दू भी अब हिन्दू राष्ट्र की रचना करने जा रहे हैं, और तब सिखों का यहां रह पाना मुश्किल होगा। अत: उन्हें एक अलग राष्ट्र की नितांत आवश्यकता है। (व्यवधान) ऐसे में तो आप उन्हें एक और औजार दे रहे हैं। इसका अर्थ तो यही है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : राष्ट्र एवं राज्य की धारणा में बहुत भारी अंतर है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह हिन्दू राज्य है। हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक विचारधारा है। ऐसा किसी ने नही कहा है कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं। (व्यवधान) यदि विश्व हिंदू परिषद ने कहीं भी ऐसा कहा है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य एक ही चीज हैं तथा आप इसे साबित कर दें तो हम आप के साथ सहमत होने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस वाद-विवाद के दौरान यह कई बार कहा जा चुका है कि हम इस विसंगत को स्वीकार नहीं करते है कि इस देश में सिर्फ एक ही संस्कृति है। यह बहुत सारी संस्कृतियों और अनेक धर्मों का देश है। यह एक मिली-जुली संस्कृति का देश है और हमें इस पर नाज है। हम इसे एक वर्गीय अर्थ नहीं देना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही संस्कृति है जो हिंदुओं से जुड़ी है। यह स्वीकार्य नहीं है तथा यदि खालिस्तान और लोग तथा कुछ अन्य लोग इसी राह पर चलते रहे तो देश एक जुट नहीं रह पायेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश कई टुकड़ों में बंट जायेगा। पूर्वोत्तर प्रांतों में भी कुछ लोग पहले से ही अलगाववाद की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप जानते है कि रूस किस तरह खण्ड खण्ड हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही आपका अंतिम तर्क है। पर आपको यह तर्क नहीं देना चाहिए कोई भी आप रूस में नहीं रह रहे हैं। हम भारत में रहते हैं तथा हमें अपने भविष्य और भाग्य का फैसला खुद करना है। आपको दूसरे देशों की नकल या उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए।

श्री राम नाईक : यह एक अच्छी सीख है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आपके लिए भी एक सीख है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश-विभाजक शक्तियों द्वारा आपस में ही जुझने के इस तमाशे से सिर्फ उन्हें ही खुशी होगी जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। इससे इन लोगों को मदद मिलेगी जिनके हाथ में पाकिस्तान का शासन है। वे हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों द्वारा एक दूसरे को हत्या किये जाने के नजारे का आनन्द उठायेंगे। इस नजारे से किसी अन्य किसी को लाभ नहीं होगा।

मैं विधेयक के बारे में एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। विधेयक में कहा गया है :

"कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थान का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थान मे संपरिवर्तन नहीं करेगा।"

यहां किस प्रकार के विचार की कल्पना की जा रही है। इसका तात्पर्य एक प्रकार के उपासना स्थान का दूसरे प्रकार के उपासना स्थान में संपरिवर्तन से है। परन्तु क्या ऐसे सभी उपासना स्थानों के संबंध में कोई ऐसा भी प्रावधान किया जाना है। जिन्हें अन्य धर्म के उपासना स्थान में परिवर्तित नहीं किया गया बल्कि किसी के मकान को, गाय और जानवरों के तबेले में परिवर्तित किया गया है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। विभाजन के बाद का पंजाब ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, उन स्थानों को गुरुद्वारा में नहीं परिवर्तित किया गया। अनेक मस्जिदों पर कब्जा किया गया और लोग उनमें रहने लगे। कुछ स्थानों को गाय तथा अन्य जानवरों के तबेले में परिवर्तित किया गया है। आप ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं कि उस समय विद्यमान परिस्थिति और माहौल में वैसे लोगों में जिनका उस सम्पत्ति पर दावा था अपने दावे के लिए आवाज उठाने या अदालत में जाने या कुछ और करने के लिए भी साहस था। कुछ लोग कोर्ट गये ही होंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं। यदि ऐसा हुआ भी होगा तो उनके मामले अभी भी लम्बित पड़े होंगे यद्यपि कि इतने वर्ष बीत गये हैं। परन्तु यदि अन्य मामलों में यदि कोई विवाद है जिसमें पर्याप्त सबूत है और जिन्हें अभी भी उठाया जा सकता है तो क्या सरकार ऐसे मामलों में किसी प्रकार का उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए तैयार है ? उन स्थानों को एक धर्म स्थान से दूसरे धर्म स्थान में परिवर्तित नहीं किया गया परन्तु पुर्णरूपेण ऐसे स्थान में परिवर्तित किया गया जिसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए ? उस समय एक काफी भयावह स्थिति थी।

यही घटना सरहद के उस पार भी घटी होगी। हमें इस बात की जानकारी नहीं हैं और वैसे भी वह हमारा देश नहीं हैं। वह पूरी तरह से एक अलग देश बन गया है। अतः मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस समस्या विशेष पर कुछ ध्यान दें और इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि ऐसे लोग जिन्हें ऐसे तरीके से बेदखल किया गया है,

जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, और जिनके पास कुछ सबूत है, अथवा दावा अभी भी पेश कर सकते हैं या नहीं। क्या उस पर विचार किया जाएगा या इसे विधेयक के क्षेत्र और विषय से अलग किया गया है? मैं गृह मंत्री से इस बात की जानकारी चाहूंगा। निःसंदेह इन शर्तों पर हम इस विधेयक का खुले दिल से स्वागत करते हैं।

*श्री भू विजय कुमार राजू (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं इस विधेयक की पुरःस्थापना का स्वागत करता हूं। वास्तव में, इस इस विधेयक को काफी पहले ही पुरस्थापित किया जाना चाहिए था। मेरी पार्टी इस विधेयक का खुले दिल से समर्थन करती है।

महोदय बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि विवाद को बातचित से निपटाया जाना चाहिए यदि इस समस्या का समाधान बातचीत से संभव नहीं होता है तो इस विवाद को अदालत के निर्णय से सुलझाया जाना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करनी है।

हमारी संस्कृति से धार्मिक असहिष्णुता काफी परे है। अन्य आस्था के प्रति असम्मान का भाव हमारे धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वह धरती है, जिस पर सभी धर्म शांतिपूर्वक साथ-साथ चल रहे हैं। धर्म में राजनीति मिलाकर शायद हम अपनी ही संस्कृति को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हिन्दू शब्द एक भौगोलिक शब्द है। फारस के राजा ने सिन्धु नदी के आस पास के क्षेत्रों पर 518 ई. पू. विजय हांसिल की थी। इस क्षेत्र को उन्होंने सिन्धु के बजाए हिन्दू कहा। और इसी प्रकार हिन्दू शब्द बना. यह देश हिन्दू देश और 'भारत वर्ष' के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजो साम्राज्य में हमारे देश को एक और नाम "इंडिया" मिला।

अपने लम्बे और उतार चढ़ाव वाले इतिहास में अनेक धर्म के लोग यहां आए और बसे। मुसलमान आये और क्रिश्चियन आए। अंग्रेजो साम्राज्य के दौरान क्रिश्चियन धर्म फला फूला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। यहां सभी धर्म शांतिपूर्वक साथ-साथ चल रहे हैं। सहिष्णुता तथा अन्य आस्थाओं के लिए सम्मान हमारे संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है। हमारी एक मिली जुली संस्कृति है लगभग छः हजार वर्ष पहले यहां आर्य आए। उसी काल में वेद रचे गये। उसी समय से वेदों का काफी सम्मान दिया जा रहा है और उसकी हिन्दुओं द्वारा पूजा की जा रही है। हिन्दुत्व जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं वैदिक काल के फला फूला, तब जैन धर्म का उत्थान हुआ। महोदय हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति में प्रत्येक आस्था को उचित मान्यता तथा सम्मान दिया गया है। बुद्ध का जन्म छठी शताब्दी ई. पू. में हुआ था और उन्होंने बौद्धधर्म का प्रचार किया। बुद्ध धर्म न सिर्फ भारत में लोक प्रिय हुआ बल्कि दूर और नजदीक दोनों के अनेक देशों जैसे कि चीन कम्बोडिया, श्रीलंका जापान और थाइलैंड में भी लोकप्रिय हुआ। इसलिए शताब्दियों के दौरान हमने अनेक धर्मों का

*मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपनी इस पवित्र धरती पर बसे हुए देखा है। अनेक धर्म के लोग निडर होकर अपनी धारनाओं का प्रचार करते रहे हैं और पूजते रहे हैं।

सभी धर्मों की शिक्षा का मूल एक ही है और समान है। चाहे वह भगवान राम हों या अल्लाह जीसस क्राइस्ट या बुद्ध या भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षा हो इसकी मूल बात पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की शांति और सम्पन्नता है। सार्वभौमिक भ्रातृत्व सभी मतों का मूल है। किसी भी धर्म ने कभी भी विवाद या झगड़े का समर्थन नहीं किया। कोई भी धर्म अपने अनुयायियों को अन्य धर्म, यानि, समुदाय भाषा या क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ लड़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। कोई भी धर्म हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाता। हमें इन भौतिक अच्छाइयों को नहीं भूलनी चाहिए। प्रत्येक धर्म प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण प्रगति तथा सम्पन्नता के लिए करता है।

महोदय, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और पूजने की निश्चित रूप स्वतंत्रता है, प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की कतिपय समस्याएं हो सकती हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में साम्प्रदायिक लड़ाई हो। धर्म में राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए, राजनीतिक दल के आड में किसी भी धर्म को देश की शांति भंग करने नहीं देनी चाहिए। धर्म के नाम पर ऐसे दलों को देश को तोड़ने नहीं देना चाहिए। एकता और अखंडता के समय की मांग है। ऐसी पार्टी को बने रहने का अधिकार नहीं है और हम सबों को खुले दिल से इस बात का समर्थन करना चाहिए। भगवान राम की सभी हिन्दू पूजा करते हैं यदि वे किसी भी पार्टी के हों, कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन हमें विद्यमान स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, रामराज्य एक आदर्श राज्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जहां हर व्यक्ति शान्ति और खुशहाल रहता है। परन्तु काल्पनिक उनके जन्म स्थान पर मंदिर के निर्माण के लिए उसी भगवान राम के नाम का आह्वान कर अन्य धर्म के लोगों की भावना की अवहेलना करना उचित नहीं है। उसी स्थान पर मंदिर के निर्माण करने का कुछ लोगों को जिद से अन्ततोगत्वा देश टूट जाएगा। धर्म को देश को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भगवान राम ने सर्वदा शांति का समर्थन किया है। वास्तव में यह शर्मनाक बात है कि हम खून बहाने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना काफी खतरनाक है। वर्ष 1973 में जब जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार बनायी थी तो भाजपा ने अपने पिछले अवतार में सरकार का एक अभिन्न अंग था। श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में वे अपने पार्टी को एक धर्म निरपेक्ष पार्टी होने का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें रा.स्व.स. जैसी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। परन्तु उसी पार्टी ने आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव के ठीक पहले 1989 में रथ यात्रा की। हिन्दुत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूरी तरह दर्शाई गई। रथ यात्रा नाम इस बात को दरशाया है कि यह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है। वे धार्मिक भावनाओं को भड़का कर चुनाव जीतने के लिए वोट जीतना चाहते थे, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि धार्मिक भावनाओं को भड़का कर वोट प्राप्त करने की नीति का विरोध करे। पिछले चुनाव में रथयात्रा और अयोध्या की घटनाओं का वीडियो क्लैसेट दिखलाया गया था। यदि ऐसी बातों की भी जाती है तो कोई सामान्य व्यक्ति कैसे इस देश में जी सकता है। काफी समय से विभिन्न धर्म, क्षेत्र भाषा जाति और समुदाय के लोग भाई बहनों

की तरह साथ-साथ रहते आए हैं। परन्तु अब देश के लोगों को धार्मिक सौहार्द, जो अब तक बरकरार है को भंग करने के लिए भड़काया जा रहा है। हमें ऐसी भड़काऊ नीति का हर तरह से विरोध करना होगा। मैं इस महान सभा में, जो कि देश का सर्वोच्च मंच है, यह अपील कर रहा हूं। मैं इस बात की चेतावनी देता हूँ कि धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम ऐसी नीति को अनुमति नहीं देंगे। हम मंदिर के निर्माण के खिलाफ नहीं है। परन्तु वर्तमान स्थिति से मस्जिद को हटाने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। पिछले चुनाव में भगवान राम का विशाल चित्र लगाया गया था : यह धर्म का साफ दुरुपयोग है। धर्म के नाम पर भा.ज.पा. केन्द्र में सत्ता हथियाना चाहती थी। भगवान राम का नाम लेकर हिन्दू भावनाओं को भड़का कर के किसी प्रकार सत्ता में आना चाहते थे। वर्ष 1984 में लोक सभा में उनको केवल दो सीटें मिली थीं। यदि धर्म का आसरा न लिया गया होता तो 1989 के चुनाव में वे इतना अधिक सीट कैसे जीतते ? उन्होंने हिन्दुत्व का दुरुपयोग किया. उन्होंने अपनी संकीर्णता दर्शायी है। अतः अब समय आ गया है कि साम्प्रदायिक पार्टियों पर रोक लगायी जाए चाहे वह भाजपा हो, मुस्लिम लीग हो, या मजिलिस हो या कोई भी पार्टी हो जो साम्प्रदायिकता की बात करता है, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं इस महान मंत्र पर माननीय गृह मंत्री से ऐसे राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का विधेयक इसी सत्र में पुरस्थापित करने की अपील करता हूं जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। हम अब धर्म के साथ राजनीति को नहीं जोड़ने देंगे। हमारा देश सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, जनसंख्या का 59 प्रतिशत से अधिक गरीबी रेखा से नीचे है। इस समय जबकि जनता खाद्य सामग्री की कमी से दबी पड़ी है, हम अपने धार्मिक स्थलों के लिए अधिक चिन्तित हैं वास्तव में भूखों को भोजन प्रदान करने के। देश का विकास पिछड़ गया है। अब समय आ गया है जबकि हम अपनी मौलिक जरूरतों की पूर्ति करें। यह कहा जा रहा है कि बाबर जिसने 2:वीं शताब्दी मे भारत पर आक्रमण किया था। ने अयोध्या में एक मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनवायी थी। पंजाब में बाद में क्या हुआ था ? जब सिख धर्म अस्तित्व में आया तथा बाद में अंग्रेजी हकूमत के दौरान अनेक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को गुरुद्वारा में परिवर्तित कर दिया गया। क्या हम उन सभी को तोड़ने जा रहे हैं। पूरी बात कितनी अव्यवहारिक है। हमारा देश प्राचीन है। समय-समय पर अनेक धर्म बने और विलुप्त हुए। आज हम एक आधुनिक समाज मे रह रहे है। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा लक्ष्य सहिष्णुता के साथ प्रगति और सम्पन्नता होनी चाहिए, जब अन्य लोग भूख से मर रहे हों तो लोगों को अपने सहयोग के बारे में सोचना चाहिए। हमारे विचार संकीर्ण नहीं होने चाहिए। इस मंच के लोगों के विकास और कल्याण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इस मंच का धार्मिक मुद्दों के नाम से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। केवल वही लोग जो अधिक बुद्धिमान नहीं होते है राजनीति को ओढ़ते हैं।

5. म.प.

चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों हिन्दू का पूर्ण सम्मान करते हैं। महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं भागवत गीता में भगवान कृष्ण का उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा,

"वे सभी जीवों के दिल में रहते हैं। अतः बाहर मन्दिर बनाने के बजाए हम अपने दिल को भगवान का मन्दिर बनाएं और अपने दिलों में उसकी पूजा करें।"

हमें आध्यात्म को मन में बैठाना होगा। हिन्दू धर्म आध्यात्मिकता का खजाना है। आत्मा और शरीर की शुद्धता आध्यात्म की देन है। हमें छोटी-छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। हमें अपने आपको हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि नहीं समझना चाहिए। गृह मंत्री महोदय मैं पुनः आपसे साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध करता हूं। यदि जरूरत हो तो आप संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। हम सभी ऐसे कदम का खुले दिल से समर्थन करेंगे।

मुझे भाषण देने का जो यह अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप समय का पालन करें तो वाद-विवाद में अधिक सदस्य भाग ले सकते हैं। अतः कृपया ऐसा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह काला कानून है।

श्रीमन्, अभी तक यहां पर जितने भी अधिकृत भाषण हुए, उनमें उपदेश अधिक, वास्तविकता से दूर और इतिहास को भुलाकर···(व्यवधान)···उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको उस वास्तविकता की ओर ले जाऊंगा, जब हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनके सभी साथी, इसी प्रकार से जैसे आज यहां अय्यर और आजाद साहब ने बार-बार कई प्रकार के उपदेश देकर के यह प्रयास किया था कि यह देश और इस देश में रहने वाले सब लोग एक होकर रहें, सब की मिली-जुली संस्कृति रहे, कॉमन कल्चर बन जाए और खंडित भारत एक बना रहे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अधिकतर समय, अपना पूरा का पूरा जीवन इसी बारे में समर्पित किया था। परन्तु हुआ क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, गोल मेज कान्फ्रेंस में जब महात्मा गांधी जी गए थे, तो जिन्हा साहब ने खड़े होकर कहा था—

[अनुवाद]

—श्री गांधी, आप भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आप हिन्दू नेता हैं। आप केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद हम यह न भूलें कि वह काला इतिहास जब पाकिस्तान बनाया गया, देश में खून-खराबा हुआ, हजारों-लाखों लोगों को मारा गया और आज ये लोग कह

रहे हैं सैफ्टिस्ट बघु कि देश का कामन कल्चर है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं...।

[अनुवाद]

श्री भू. विजय कुमार राज (नरसापुर) : मैं वामपंथी नहीं हूं।

श्री गुमान मल लोढा : मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी और इन्द्रजीत गुप्त की बात कर रहा हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी के लिए एक अच्छा बहाना है। वह तेलगु में बोले।

[हिन्दी]

जिन्होंने यह कहा कि देश का कामन कल्चर है, वे उस समय कहा करते थे कि मुसलमानों को आत्म-निर्णय का अधिकार है। "राइट आफ सैल्फ डिटर्मिनेशन" है और इस देश के टुकड़े करने के लिए सबसे जिम्मेदार लोग, जिन्होंने लोगों का खून बहाया, जिन्ना की मांग को यह कह कर माना कि मुसलमानों को राइट आफ सैल्फ डिटर्मिनेशन है, इसलिए पाकिस्तान बनना चाहिए, वे लोग आज हमें शिक्षा देते हैं। (व्यवधान) तब जिला कीटू नेशन्स ब्यूरो को स्पोर्ट किया।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह बिल्कुल गलत है (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : मैं नहीं मानता। यह विभाजन के इतिहास के रिकार्ड में है कि कम्युनिस्टों ने "आत्म निर्णय के अधिकार" के औचित्य के आधार पर "पाकिस्तान की दो राष्ट्रों के सिद्धान्त" का समर्थन किया था।

[हिन्दी]

इन्होंने कहा कि मुसलमानों को राइट आफ सैल्फ डिटर्मिनेशन है, इसका समर्थन किया और सुभाषचन्द्र बोस को नाजियों की, फासिस्टों का दलाल और देश का गद्दार कहा, सुभाषचन्द्र बोस को देश का गद्दार कहने वाले आज हमें राष्ट्रीयता की शिक्षा दे रहे हैं जब रूस व साम्यवाद जल चुका है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री अय्यर साहब ने बड़ी भावनात्मक बात कही, उन्होंने इंतवाद की बात कही, मैं भी यहां पर एकात्मवाद, अनेकान्तवाद, समाजवाद की बात कर सकता हूं लेकिन हकीकत क्या है, मैं उनसे कहना चाहूंगा। आज तक ये लोग राजीव गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को सलाह देते रहे, क्या सलाह दी कि यह भारत का संविधान है, इससे स्पष्ट हो जाता है। इस संविधान के अन्दर एक विचित्र बात है। जो सेकुलरिजम की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात आज जोर-जोर से यहां पर और सदन के बाहर उठाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस कांस्टीट्यूसन के अन्दर जम्मू और कश्मीर का कांस्टीट्यूसन जो बनाया गया, जिसको लोकसभा द्वारा पारित किया गया, उसके बारे में यहां पर बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम नहीं

होगा, उसमें सबसे बड़ा प्राविजो बनाया गया उसमें लिखा गया—

[अनुवाद]

प्रस्तावना में पहले पैरा में समाजवादी धर्म निर्पेक्ष शब्दों का लोप किया जाना चाहिए। पूर्वान्तिम पैरा में "अखण्डता" शब्दों का लोप किया जाये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कश्मीर में धर्म-निर्पेक्षता की बात नहीं है, यह हमने तय किया, यहां से तय किया। वहां के संविधान मे सेकुलरिजम को हटा दिया और जब राजीव गए तो एक बात और की—

[अनुवाद]

तुम भारतीय कुत्तो—अपने देश जाओ।

[हिन्दी]

देश की एकता, अखण्डता को इन्होंने कश्मीर के लिए प्रोमिट कर दिया। आज गुलाम नबी आजाद बहुत जोर-जोर से कह रहे थे, कविता सुना रहे थे, उनका स्वयं का कश्मीर आज संप्रदायवाद से ग्रसित है, लेकिन संवैधानिक संप्रदायवाद की मान्यता देने का दोषी और इस अक्षम्य अपराध करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है।

(व्यवधान)

मैं लैफटिस्ट बंधुओं से जानना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई अमेंडमेंट पेश नहीं किया कि इस कश्मीर के संविधान के अन्दर सेकुलरिजम को रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यहां बैठे हुए अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते कि कश्मीर के संविधान में भारत के संविधान के प्रिएबल "सेकुलरिजम" को प्रोमिट कर दिया गया है, "इंटेग्रिटी" को प्रोमिट कर दिया गया है और उनको छूट दे दी गई है कि वे जो चाहें करें। जब राजीव गांधी जी वहां पर गए तो कहा गया "यू इंडियन डाग, गो बैक" और वे सहन करके आ गए। आज हम से कहा जाता है कि सदियों पहले जो अपमान हुआ, उसको आप सहन करो। हम सहन नहीं कर सकते। कोई भी जागृत राष्ट्र, जीवित राष्ट्र, जिसमें थोड़ा बहुत भी जीवन है, वह पुरखों का अपमान, इतिहास का अपमान कभी सहन नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, उस समय सोमनाथ मंदिर का प्रश्न आया था और यही हमारे कांग्रेस के बंधु थे, पता नहीं अय्यर साहब उस समय राजनीति में जमे थे या नहीं, गुलाम नबी जी थे या नहीं, गुलाम नबी जी थे या नहीं, लेकिन अगर होते तो इसका भी विरोध करते और भूख हड़ताल कर के बैठ जाते कि सोमनाथ का उद्धार नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

सोमनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार करके डा. राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रपति महोदय वहां पर गए और भारत की केबीनेट ने पास किया कि गाजी ने जिस हिन्दू मन्दिर को गिराया था, वहां पर वापिस मन्दिर बनाया जाए कहां गई कंपोजिट कल्चर ?

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने जाकर मन्दिर बनाया और बहुत बड़ा सम्मेलन वहां पर हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ राष्ट्र के स्वतन्त्र स्वाभिमान की। (व्यवधान) गाडगिल ने लिखा—

[अनुवाद]

"1 नवम्बर, 1947 को सरदार और मैं सोमनाथ मन्दिर जो सताब्दियों पहले मुसलमानों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया, गए थे। मैंने मन्दिर का पुनर्निर्माण करने के भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। स्वर्गीय वल्लभ भाई ने भी इसी प्रकार की घोषणा की थी। (पृष्ठ 659—गवर्नमेन्ट काम इनसाइड गाडगिल"

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : वहां कोई मस्जिद नहीं थी ?

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता नहीं क्या हुआ था। (व्यवधान) मजार को हटाकर मन्दिर बनाया गया था 1951 में

उपाध्यक्ष महोदय, ये राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किए गए कार्य को झुठला सकते हैं। पण्डित नेहरू ने ऐसा कानून लाने की कभी आवश्यकता नहीं समझी। जवाहर लाल नेहरु केवल भारत के लिए नहीं देश के बहुत बड़े महान् नेता थे और सैक्युलेरिज्म की शिक्षा जवाहर लाल नेहरू दे सकते थे। उन्होंने कभी ऐसा कानून लाने की आवश्यकता नहीं समझी कि ऐसा कानून लाया जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1946 में, इतिहास इस बात का साक्षी है, यह रिकार्ड पर है, सबसे ज्यादा दंगे इस देश में हुए हिन्दू और मुसलमानों के बीच में तो 1946-47 में हुए। सबसे ज्यादा खून-खराबा हुआ। माता-बहनों को नंगा कर के लाहौर की सड़कों पर घुमाया गया। उनके वक्षस्थल के ऊपर लिखा गया "पाकिस्तान जिन्दाबाद"। उनके साथ बलात्कार किया गया। कांग्रेसी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इनको पता ही नहीं, जैसे इन्हीं ने आज ही जन्म लिया है, जैसे इन्होंने देश का इतिहास नहीं पढ़ा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कहने की बात अलग होती है। मिजोलैंड में जब चुनाव घोषणा-पत्र इन्होंने जारी किया, यही अय्यर साहब थे, जो ऐडवाइजर थे। उसमें लिखा था कि हम मिजोलैंड का शासन क्रिश्चियन रिलिजन के अनुसार चलायेंगे।··· (व्यवधान)···उस समय भूल गए कि देश में गरीबी है, उस समय भूल गए कि सड़कें बनानी हैं, उस समय भूल गए कि बिजली पहुंचानी है। वहां कहने लगे, क्रिश्चियन लोगों के वोट लेने के लिए, हम बाईबल के अनुसार, क्रिश्चियन रिलिजन के अनुसार यहां का शासन चलायेंगे और धर्मान्धता पैदा कर के वहां के लोगों के वोट लिए। आज यहां आ कर हमें शिक्षा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय,

मैं एक निवेदन यह करूंगा, ये जवाब दें कि दिल्ली बार रूम में एक बहुत बड़ी मिटिंग हुई थी, अशोक सेन लॉ-मिनिस्टर वहां पर थे, मैंने उनसे पूछा ऐडवोकेट्स की मिटिंग है, आप कहते हैं कि धर्म की बात, मजहब की बात नहीं लानी चाहिए, आप कहते हैं धर्मनिरपेक्षता इस देश में लाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई है, कमिटिड है, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि शिव शंकर जो लॉ-मिनिस्टर थे, उस समय वे यहां पर विधि मंत्री थे, उन्होंने बम्बई के बाईकला में जा कर बम्बई में एक लाख मुसलमानों का नेतृत्व किया। किस बात के लिए किया। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चौराहों पर ला कर आग लगायी गयी और चन्द्रचूड़ का पुतला बना कर वहां जलाया गया। चन्द्रचूड़ का पुतला जलाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आग लगायी, किस लिए ? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। शाह बानो का फैसला कायम रह गया तो शाह बानो के फैसले में क्या था ? उसमें यह था कि एक महिला को मैंटीनेंस दी जाए, गरीब महिला को मेंटीनेंस दी जाए।···(व्यवधान) इसका विरोध एक मुसलमान कांग्रेस के सदस्य ने किया। मैं उन्हें आज लोक सभा के अन्दर इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आरिफ मोहम्मद साहब ने कहा कि यह तरीका नहीं है। मुसलमान वोटों के लिए तुम हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो। आरिफ मोहम्मद साहब जो नवीं लोक सभा के सदस्य थे मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विरोध किया। लेकिन उनका विरोध नहीं चला। उनका विरोध नहीं चला।·····(व्यवधान) यदि वोट चले जायेंगे तो फिर क्या होगा। आज आरिफ मुहम्मद खां इस सदन में नहीं हैं।···(व्यवधान) हमने बराबर हराया। आपने उनको बाई-इलैक्शन में श्री वी.पी सिंह के आने तक नहीं दिया। यह कहकर कि आप आ जाओगे तो हमारे वोट कट जायेंगे और बुलाया किसको, हाजी मस्तान के लोगों को। सैयद शहाबुद्दीन और हाजी मस्तान को लेकर खड़ा किया·····(व्यवधान) मुस्लिम वोट लेने के लिए। श्री आरिफ मुहम्मद खां सैक्युलर मुसलमान हैं और सैयद शहाबुद्दीन वो हैं जिन्होंने एक्शन कमेटी बनाकर न्यायालय के ताले खोलने के विरोध में "काला दिवस" 26 जनवरी का मनाया। (व्यवधान)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह गरिमा है क्योंकि हमारे पास कागज फेंके जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है।···(व्यवधान) मैं इस कागज के टुकड़े को सभा-पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह कागज कोई नहीं लाया है जो आपको दिया गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने इसे फेंका है। अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर इस तरह से कोई कागज दे सकता है ? क्या इसकी अनुमति है ? (व्यवधान) इस तरह की गलत प्रेरणा देना बिल्कुल गलत है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (मैदपुर) : आपने कई बार व्यवस्था दी, इसके पहले भी जो पीठासीन सभापति थे उन्होंने भी कई बार व्यवस्था दी थी। आपने भी निवेदन किया, माननीय

भट्टाचार्य जी जब सभापति थीं तो उन्होंने हाथ जोड़कर इधर निवेदन किया कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है इसको कायदे से, हाउस के डेकोरम के अनुसार करना चाहिए। इन लोगों ने सबमें गड़बड़ी पैदा की और सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं पान नहीं खाता हूं और उल्टे यह कहा जा रहा है कि जेब से निकालकर आपके सामने मैंने रखा है। यह इनकी जेब में से ले आया है और वे वहां से टुकड़े फेंक रहे हैं। मैंने तो आपका सम्मान करते हुए आपके सामने उसको रखा और कहा कि आप पता लगायें कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं ··

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें, जब कभी भी पीठासीन अधिकारी खड़े हों तो सुस्थापित प्रथा है कि सदस्यगण अपने सीट पर बैठ जाते हैं। चूंकि यहां इतना हल्ला हो रहा है कि मुझे यह पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है ? मुझे श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री से पता चला किसी ने इसे फेंका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए हमें इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। मैं यहां उपाध्यक्ष के हैसियत से हूं। श्री शास्त्री की ओर से यहां श्री रवि राय जी और श्री वसुदेव आचार्य हैं। मैं इस सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रवि राय जी और अनुभवी सांसद श्री वसूदेव आचार्य से जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए यह अपनी जेब में रख कर आये हैं। हम लोग क्या इन्हें पान फेकेंगे, इसका क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : मैं नहीं जानता कि इस पर इतना विवाद हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह चीज कहां से आई है मैं नहीं जानता लेकिन यह जिसने भी गिराई वह बहुत गलत काम किया। (व्यवधान)

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके साथ हम सारे संसद सदस्य हाऊस में डेकोरम मैंनटेन करने के लिए हैं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कागज हमारे सामने यहां गिरा, तो मैंने आचार्य वसुदेव से कहा कि कहां से आ गया ? मैं नहीं जानता क्योंकि मेरा मुंह दूसरी तरफ था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यह जो कागज गिरा है, संसद के प्रति अपमान का काम है, असंसदीय कार्य है। इसलिए इसको यहीं समाप्त किया जाये। यदि कोई आईडेंटीफाई कर पाया तो बात को यही समाप्त करें। या कोई वालेंट्ली कह दें तो ठीक है। फिर भी जब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस चल रहा है तो उसे चलाया जाये। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सभा की प्रतिष्ठा बनाए रखना सभी सदस्यों का एकमात्र दायित्व है। दूसरी बात, हम राजनीतिक तौर पर अलग हो सकते हैं लेकिन हम इस सभा के स्वामी हैं। हमें सभा की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखना है। निश्चितता यदि ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें इसका काफी खेद है और हमें ऐसी घटनाएं नहीं होने देनी चाहिए। हमें इस सभा की प्रतिष्ठा और गौरव बनाए रखना चाहिये। इस सभा के सभी सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि हमें इस बहुमूल्य विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हममें राजनीतिक मतभेद हैं परन्तु यह एक अलग बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हुआ, वास्तव में मुझे उसके लिये खेद है और उसके लिये मैं क्षमा मांगता हूं। ऐसी घटना इस महान सदन में नहीं होनी चाहिये। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो कुछ भी अनचाही घटना घटी हो उसे भूल जाएं। यह हमारे लिए काफी सम्मान जनक होगा। हमें चर्चा को आगे बढ़ाते हुये अधिक उत्साह उमंग प्यार और स्नेह का बर्ताव करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये.....

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोढा साहब को धन्यवाद देता हूं कि इनके भाषण में एक प्रसंग में बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखण्डता के बारे में बात हुई है।

हम लोगों का कर्तव्य है कि हम देश की अखंडता को बरकरार रखें और इसलिये मेरे लायक दोस्त श्री लोढा जी ने अपने भाषण में एक अच्छी बात कही है और मैं उनसे और सदन से कहना चाहता हूं कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को याद करने का विषय है आजाद हिन्द फौज में तीन नेता उनके साथ थे। आजाद हिन्द फौज के तीन नेता, जिनको हम स्मरण करते हैं, उनमें शाहिनवाजखान इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। मैं उन तीनों के नाम लेना चाहता हूं। बिलान सहगल और शाहनवाजखान। आज इस मौके पर याद करने के लायक बात है वह यह है कि बहादुर शाह जफर जिनको इस देश ने और सारे हिन्दुस्तान ने अपना नेता माना था और उनको नेता बनाया था तो आज लोढा जी जब नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को मानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आजाद हिन्द फौज को बनाया था और जिस तरीके से बहादुर शाह जफर को हिन्दुस्तान की सारी राष्ट्रीयता का प्रतीक माना था तो उस विचार को भी इनको मानना पड़ेगा। हमको लगता है कि हाउस के लिए ये अच्छा रहेगा, देश की अखण्डता के लिये, उनके संदेश को मानते हैं तो ठीक चीज होगी। मैंने इस बात को इसलिए उठाया कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का नाम लिया गया।

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रवि राय जी ने जो बात कही है, सुभाषचन्द्र जी बोस का जो मैंने निवेदन किया, उसके संदर्भ में उनके बड़े-बड़े सेनानी शाहनवाज और सब प्रकार के मतावलम्बी लोग थे और इसलिये सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्र की आजादी के लिए जो बाहर जाकर संघर्ष किया, उसमें धर्म का भेद नहीं था। हम उनके द्वारा बताये गये रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि यह दो तरफा हो डबल एज्ड हमारे लिये और राज्य सभा के जो नेता हैं वह सिकन्दरबख्त जी हैं, शायद माननीय सदस्य को पता होगा। हमारे यू. पी. में मन्त्री भी हैं। राजस्तान में भी मन्त्री है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि बहादुर शाह जफर इस देश के इन्कलाबी नेता थे, उनका एक शेर बहुत प्रसिद्ध है जब उन्हें रंगून में दफनाया गया कितना बदनसीब जफर "दो गज जमीन न मिल सकी", उसे अक्सर हम गाया करते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गुलाम नबी आजाद भी अब विराजमान हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि वह जो काश्मीर के संविधान के अन्दर सैक्यूलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी, इन तीनों पर आपने कालिख पोत दी, इनको आपने डिलीट कर दिया, इनको संविधान से फाड़कर फेंक दिया, यहां कौनसी धर्मनिरपेक्षता आप दिखाने की कोशिश करेंगे : कब कश्मीर का विलय हुआ और आज हम 1991 में हैं, लेकिन यहां कितने बड़े-बड़े भाषण दे दें, कितनी नेतागिरि कर लें, लेकिन न मणिशंकर अय्यर कहीं जाकर कह सके इन्दिरा गांधी को कि आप सेक्यूलरिज्म लाइये कश्मीर के कांस्टीट्यूशन के अंदर और अगर मेरा यह स्टेटमेंट गलत हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं कि काश्मीर के संविधान में "सेक्यूलरिज्म" शब्द को ओमिट कर दिया गया है, कश्मीर के संविधान में "इंटीग्रिटी" शब्द को ओमिट कर दिया गया है। आप हमें शिक्षा देते हैं! हमें कहते हैं कि नष्ट कर देंगे। अरे! आप क्या नष्ट कर दोगे? डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस समय यहां थे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनको कहा था कि

[अनुवाद]

मैं आपको नष्ट कर दूंगा।

[हिन्दी]

तो डा. मुखर्जी ने अवाज दिया था।

[अनुवाद]

मैं प्रधानमन्त्री की इस तबाह करने वाली मानसिकता को नष्ट कर दूंगा,

[हिन्दी]

और मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपको नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके द्वारा भारत की असली राष्ट्रीयता को 40 साल से पीस दिया गया है, वह जनता नष्ट करेगी और जनता ने बता दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह निवेदन करना चाहता था। मैं ही यह नहीं कह रहा हूं, इनकी नेहरू की कैबिनेट में मन्त्री रहे गाडगिल साहब। उनकी पुस्तक है "गवर्नमेंट फ्राम इनसाइड"। उसका एक क्वोटेशन पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : कौन से गाडगिल हैं, यह बताइए।

श्री गुमान मल लोढा : ये वही गाडगिल हैं जो मन्त्री थे यहां पर, जिनके पुत्र सदस्य थे पिछली लोकसभा में, अब नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : यह भी बता दीजिए कि पंडित जी ने इन गाडगिल जी को कैबिनेट से निकाल दिया था। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : क्यों निकाला था वह बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने लिखा है कि

[अनुवाद]

मैंने इस बात को पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार पाकिस्तान ने तरीके से वहां के हिन्दुओं को भगाया और किस प्रकार उन्होंने बंगाली मुसलमानों को असम के कुछ क्षेत्र में प्रवेश करने और कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत सरकार को इन बातों का पता लगा है। दूसरी ओर नेहरू ज्यादा खिन्न थे..... यह काफी महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

आप यहां हमें शिक्षा देने की बात करते हैं। जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था।

[अनुवाद]

"वल्लभभाई पटेल ने हिन्दू और मुसलमानों के आपसी अदला-बदली तथा भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन के आनुपातिक बंटवारे का सुझाव दिया।

श्री मणिशंकर अय्यर * (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, उसको **

कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, आप पहले मेरे प्वाइंट आफ आर्डर को सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : ये लोग जिनकी वजह से आज यहां बैठे हैं, उन्हीं के लिये * का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि एक महान देशभक्त के प्रति, जिसे इस देश का सर्वोच्च सम्मान "भारत रत्न" दिया गया, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, आज कांग्रेस के एक माननीय सदस्य उनके प्रति * कह रहे हैं, यह कहां तक उचित है, इस बारे में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)। पहले राजीव गांधी के बारे में कुछ जिक्र किया गया था। उनकी ओर से तब यह सलाह दी गई थी कि राजीव गांधी का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए उनका लोप किया जाए। अब कैसे उनकी तरफ से एक सदस्य उठे और कहते हैं *। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हाल ही में सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मान लो यदि यह सभा लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : उनकी वजह से, आज ये लोग यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

* * कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री फूलचन्द वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य को कहें कि वे माफी मांगे क्योंकि उन्होंने सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति के प्रति अपशब्द कहे हैं । आपके माध्यम से इन्हें माफी मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस पर पहले ही अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : यदि ये सदन में माफी नहीं मांगते हैं तो इन्हें सदन से निकाल देना चाहिए । ऐसे सदस्य को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है । (व्यवधान)

इनको आप बाहर निकालिए । इनके खिलाफ पर संसदीय कार्य मन्त्री जी को माफी मांगनी चाहिए अन्यथा इन्हें बाहर निकाल दीजिए । एक महान देशभक्त के प्रति उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं । यदि यह शब्द असंसदीय हैं और यदि यह इस सभा की संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, वह शब्द निकाल दिया जाएगा । मैंने पहले ही यह बताया है । हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे वे ।

[अनुवाद]

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह (राजनंदगांव) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं उस पुस्तक की प्रमाणिकता जानना चाहूंगा जो यहां लाई गई है तथा जिसमें से वे अपने रूपान्तर की कल्पना कर रहे हैं । क्या उन्होंने इसके लिये अध्यक्षपीठ की इजाजत ली है ?

श्री गुमान मल लोढा : वह लोकसभा की लाइब्रेरी से है ।

श्री मणिशंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री गुमान मल लोढा : मैं विचलित होने वाला नहीं हूं ।

श्री मणिशंकर अय्यर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। हमारे माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि क्या यह पुस्तक प्रमाणित है या प्रामाणिक है। अतः मैं व्यवस्था देता हूं। वह इस सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं निश्चित तौर पर सभा में एक पुस्तक लाए हैं जिसका कि यहां जिक्र किया जाना चाहिए और उन्होंने पुस्तक के लेखक का नाम भी बताया है। इसलिए मैं उसे अस्वीकार करता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर : मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि जो श्री गुमान मल लोढा सभा में जो कुछ पढ़ रहे हैं वह सरदार ने नहीं कहा था लेकिन श्री गाडगिल का कहना है कि यह सरदार ने कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एन. वी. गाडगिल की पुस्तक है, जिसका नाम है "गवर्नमेंट फ्राम इनसाइड", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, जिसमें से मैंने यहां कोट किया है। यह पुस्तक हमारी पार्लियामेंट लाइब्रेरी की है, जिसका नम्बर है 72847 और मैंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी से ही इसे इश्यू कराया है। इसके पृष्ठ 84 पर लिखा हुआ है, आप कृपया नोट कर लें, उसमें यह भी लिखा हुआ है, गाडगिल ने उसके बाद अपने कमैंट्स दिये हैं :

[अनुवाद]

"लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा आदान-प्रदान लम्बे समय में लाभप्रद होता है। हमारा एक धर्म निरपेक्ष देश है और हमारा धर्मनिरपेक्षता में मौलिक विश्वास है लेकिन वह भी स्थिति की कठिन सच्चाईयों के अनुकूल होना चाहिए। अंग्रेज विशेष रूप से मुसलमानों का पक्ष लेते थे, और हमने उनकी बहुत सी गलतियों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे अल्पमत में थे। आज हमारी परेशानियां उस कमजोरी से उत्पन्न हुई हैं।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गाडगिल लिखा है। ये महात्मा गांधी का विस्मरण कर सकते हैं, ये जवाहर लाल नेहरू का विस्मरण कर सकते हैं, ये वे इंदिरा गांधी का विस्मरण कर सकते हैं। आज वित्तीय स्थिति यह है कि सारी की सारी नीति को अकाउंट टर्न कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गाडगिल की भावना है—उनके बीच में समता और समानता के साथ व्यवहार नहीं होता, अपीजमेंट होता है। इसलिए यह लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

और हमने उनकी बहुत सी गलतियों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे

अल्पमत में थे। आज हमारी परेशानियां इस कमजोरी से उत्पन्न हुई हैं। हमें डर था कि भारत में मुसलमानों के प्रति सख्ती पाकिस्तान में हिन्दुओं को बुरी तरह से झकझोर देगी। "इसके परिणामस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान में एक भी हिन्दू नहीं रहा और पूर्वी पाकिस्तान के 20 मिलियन हिन्दुओं में से लगभग आधे रह गए हैं। इसके विपरीत बाद में 1949 में भारत से मुसलमानों का पाकिस्तान को पलायन न के बराबर था।

[हिन्दी]

जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बंगला देश में क्या होगा, वहां पर क्या होगा। अरे, क्या हो रहा है, आज मुस्लिम कंट्रीज में कोई हिन्दू मरता है, तो उसकी लाश को वहां जलाने नहीं दिया जाता है। आज वहां पर ऐसी हालत है कि रोजे के दिनों में कोई खाना खाने जाता है, तो उसको सड़क पर पटक कर कोड़े लगाए जाते हैं। वहां हिन्दू को खाने को नहीं दिया जाता है, उसको जलाने को नहीं दिया जाता है और आज हम यहां यह शिक्षा दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा में सम्पूर्ण विश्व में मौजूद प्रणाली की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढा : परन्तु उसकी इजाजत दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपने समक्ष लिये गये मामलों पर ही बात करें हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, हम नकल नहीं करते। मैं आपको श्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे दल की भावना क्या है—कितनी उदार है :—

"कोई बतलाए काबुल में कितनी हमने मस्जिदें तोड़ीं
भूभाग नहीं सत्-सत् मानव का हृदय जीतने का निश्चय"

यह बाजपेयी जी की कविता की एक पंक्ति है। इससे हमारी भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मैं एक बात कहना चाहता हूं—हमारे भारत के मुसलमानों को अधिकतर उनकी अशिक्षा के कारण, कम समझी के कारण, उस वोट बैंक को बरगलाने के लिए यह किया गया है। यह कानून तो यहां पहले से ही है कि 12 साल के बाद में कोई यदि किसी प्रकार के सम्पत्ति को ट्रैसपास का दावा करे तो उस पर सुना नहीं जाता है, उसको देखा नहीं जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुसलमानों को क्या मिला ? मुसलमानों को केवल यह मिला कि उनको फुसलाया, उनको बहकाया, उनको भरमाया, जिस तरह से हमारे जामा मस्जिद के इमाम के पास जाकर एक तरफ वी. पी. सिंह और दूसरी तरफ राजीव गांधी के आदमी जाकर

चरणों में बैठते हैं और कहते हैं कि हमसे कुछ भी लिखवा लो, लेकिन मुस्लिम वोट हमको ही मिलने चाहिए। आज यह मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण के लिए है। उनको खुश करने के लिए यह कानून बनाया गया है। वरना हमारे राष्ट्र का यह कानून है कि कोई किसी के खिलाफ ट्रेस पास नहीं कर सकता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि का मसला ओ है और इसी प्रकार से वाराणसी के अंदर और मथुरा के अंदर जो देश के मान-बिन्दु हैं, उनका निर्णय राष्ट्रीय कानून से नहीं होता है, उनका निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून से होता है। लेनिन ग्रेड का नाम बदला जा रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर जब परिवर्तन होता है, तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। आज लेनिन का नाम बदला जा रहा है, यहां कम्युनिस्ट द्वारा कितना ही कीर्तन हो, भजन हो, कुछ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से लेनिन के स्टेच्यू को फेंक दिया गया रूस का विघटन होकर सब प्रदेश आबाद हो गए हैं वहां के कम्युनिस्ट कम्पोजिट कलचर व रूस की एकता की बात नहीं करते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यह कानून भुलावे का कानून है, छलावे का कानून है, प्रपंच का, झूठ का कानून है। इससे दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हिन्दू और मुसलमान दोनों को इसका विरोध करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, खत्म करना चाहिए इसको अस्वीकार करना चाहिए, इतना निवेदन कर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयदीश टाईटलर) : क्या यह वही न्याय-मूर्ति लोढा है जो कि असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ?

श्री गुमान मल लोढा : यह आपकी सरकार थी जिसने मुझे मुख्य न्यायाधीश बनाया था।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें इस बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। भारत में इंसान की जिन्दगी से जुड़ा हुआ यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आज हम भारत के लोग काफी लम्बी अवधि के बाद एक ऐसे बिल पर विचार कर रहे हैं जो निश्चित ही देश को नई दिशा देगा। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। अभी इस बिल के विरोध में बात करते समय हमारी बहन उमा भारती जी ने बड़ी वेदनाभरे शब्दों में यह कहा कि वे बनारस गई थीं। उस समय बनारस गई थीं जब बरसात हो रही थी। बरसात में भीगते हुए ज्ञान पायी काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास गई थीं। उन्होंने देखा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई है। इससे उनके दिल को चोट लगी और बरसात में भी इनके दिल में आग जल रही थी। मैं आपके माध्यम से अपनी साध्वी बहन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह उस ज्वाला के बाद विश्वनाथ मंदिर के उस दरवाजे पर गईं जिसपर आज भी लिखा हुआ है, प्रवेश के सिंह द्वार पर लिखा है कि अछूतों का इस मन्दिर में प्रवेश वर्जित है। ..(व्यवधान) इस सम्बन्ध में

[हिन्दी]

मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में पार्लियामेंट की कमेटी वहां जाए और इसको देखे कि मैं जो बात कह रहा हूं क्या वह गलत है या मुझको झूठ कहने वाले लोग गलत हैं।...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि वहां पर यह लिखा है तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं और यदि नहीं लिखा है तो शास्त्री जी त्यागपत्र दें।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। सारा दिन बीता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सौहार्दपूर्ण रहेंगे। यदि संयोगवश श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी की जानकारी आपको उद्धरित नहीं हो रही है तो आप अपना आपा नहीं खोए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का मौका मिले तो आप अपनी बात नम्रतापूर्वक कहें। मैं किसी का सलाहकार नहीं हूं। मेरा काम तो सिर्फ आपसे अपील करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर बैठें। आपको भी मौका मिला है। श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित का नाम यहां है। वह हमें तथ्यों के बारे में बता सकते हैं। हमें बिना वजह अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। हमें कुछ तो अनुशासन में रहना चाहिये। मैं श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री से आगे बोलने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। जब मौका मिलेगा तो आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शास्त्री जी ने जो कुछ कहा उससे विवाद खड़ा होगा और मतभेद बढ़ेंगे। (व्यवधान)—हिन्दू समाज को अपमानित करने के लिए ही इन्होंने यह बात कही है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप अपनी गलतियों को मत छिपाइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा पांच मिनट से अधिक समय बरबाद हो गया है और हमें कुछ नहीं मिला। कुछ माननीय सदस्य तैयारी के बावजूद बोलने से वंचित रह गए हैं। कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिन्हें इस पूरे सत्र में ही बोलने का मौका नहीं मिल सका। हमें उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। यदि कोई गलत जानकारी दी जाती है तो आप अपनी बारी पर उस मुद्दे को उठा सकते हैं। तथा माननीय सदस्य भी अपनी गलती सुधार कर सकते हैं।

श्री कृशिण पटेल, क्या अब भी आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृशिण पटेल (सीवान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि पहले ऐसा लिखा हुआ था। वक्त के साथ मिट गया हो तो कह नही सकते हैं। (व्यवधान)

श्री कालका दास : यह तो स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने गलत कहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : यह तो एक स्वीकारोक्ति है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर हमारे मित्र ने कहा, यह उनका अपना विचार होगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जो विश्वनाथ मंदिर है, वह मेरे मकान से तीन किलोमीटर दूरी पर है और मैं वहां का रहने वाला हूं। इत्तिफाक से जो इस समय लोकसभा के वहां के सदस्य हैं, वे वहां के रहने वाले नही है। मेरा इसमें कोई झगड़ा नहीं है। इस मामले को मैंने 1984 में भी कहा, इस मामले को मैंने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लेते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के जो संरक्षक है, काशी नरेश, उनको भी मैंने लिखा। इतना ही नही, मैं हिन्दू हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं। देश के तमाम कोने से लोग जब आते हैं, कुछ हमारे परिचित भी होते हैं, हम उनको मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में हम दिखाते हैं कि देखो यह क्या लिखा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर हमारे मित्रों को लोकसभा से इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। यदि मेरी बात इनको बुरी गलती हो, तो मैं यहां से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। मैं अनुसूचित जाति का हूं। हमें दुःख है कि हमारी सच्चाई को भी दबाया जा रहा है, यह कह कर के कि नहीं·· (व्यवधान) मैं अब उधर नही जाऊंगा।···(व्यवधान) ···मेरी साध्वी बहन ने यह कहा कि इतिहास से लोग आंखें चुरा रहे हैं। वे बड़ी विद्वान महिला हैं, साध्वी हैं। उनके प्रति हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है, वे कुशल वक्ता है। आज हमने उनकी बात बड़े गौर से सुनीं, वे कह रही हैं कि इतिहास से आंखें चुराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि इतिहास से आंखें हम नहीं चुरा रहे हैं, इस देश के लोग नहीं चुरा रहे है, बल्कि हमारे इस पक्ष में बैठे हुए हमारे कुछ साथी इतिहास से आंखें चुरा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मनु-स्मृति को मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा और यहां के तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। मनु-स्मृति के अन्दर क्या-क्या हम लोगों के लिए व्यवस्थायें की गई हैं, शूद्र के लिए क्या-क्या अपमानजनक शब्द कहे गए हैं कि शूद्र कुत्ते के समान है। शूद्र यदि चले तो गले में इंडिया लटका कर चले, शूद्र चले तो कमर में झाड़ू बांधकर चले। यह हमारा हिन्दू धर्म कहता है और जिसके अन्दर ये व्यवस्थायें।···(व्यवधान)···हमारे मित्र लोग यदि चाहते हैं कि उसी व्यवस्था को यहां कायम रखा जाए या मनु-स्मृति की व्यवस्था को कायम रखें, गौतम सत्र की व्यवस्था को कायम रखें या शतपथ ब्राह्मण की व्यवस्था को कायम रखें तो मैं समझता हूं कि इस देश के लिए इस से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है।···(व्यवधान)···मैं आपसे ज्यादा जानता हूं···(व्यवधान)···

श्री बूटा सिंह (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सोनकर जी ने कहा कि उन्होंने मनु-स्मृति को पढ़ा है, जिसमें शूद्र को चतुर्थ वर्ण कहा गया है और उनके बारे में कुछ व्यवस्थाओं की बात कही गई। मैं उस में कुछ संशोधन करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति जिसको माना जाता है, उनको मनु-स्मृति में शूद्र में भी नहीं लिया गया है. वे तो शूद्र से भी बाहर हैं। शूद्र तो·····
···(व्यवधान)···मनु-स्मृति के मुताबिक पशु से भी बदतर हमारे लिए व्यवस्था है। पशु भी हम से ऊपर रखे गए हैं···(व्यवधान)···

6-00 म. प.

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन का मत जानना चाहता हूं क्या हम थोड़ी देर और वाद-विवाद जारी रख सकते हैं।

संसदीय कार्यमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : हम सदन की कार्यवाही एक घंटा और बढ़ा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय अब सदन का मत जान सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव, क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है ? क्या आप सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाते जाने के पक्ष में है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्री गुलाम नबी आजाद क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

कुछ माननीयसदस्य : हम इसे कल जारी रख सकते है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : आप सभा की कार्यवाही को एक घंटा बढ़ा सकते हैं। हम वाद-विवाद कल जारी रख सकते है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पांडे (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सहमति हुई थी कि लंच आवर समाप्त करेंगे तो शाम को लेट नहीं बैठेंगे। बजट पर बहस लगभग पूरी हो चुकी है, फिर भी लंच आवर समाप्त रखा गया है और अब शाम को लेट बैठने के लिए कहा जा रहा है, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, आप सभा की कार्यवाही एक घंटा और बढ़ा सकते हैं। इस

बाद-विवाद को कल जारी रखेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरा अनुरोध यह है कि अभी बहुत वक्ता बाकी है तथा यदि हम इसे कल भी जारी रखें तो भी इसे कल समाप्त कर पाना मुश्किल होगा। कल हमें दूसरे कार्य भी करने हैं। अतः आप सभी की कार्यवाही एक घंटा बढ़ा सकते हैं और कल भी भोजनावकाश तक जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा का यही विचार है।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : हम आज एक घंटा और बैठ सकते हैं और कल भी इसे जारी रख सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : यह सहमति थी कि लंच-आवर नहीं होगा तो शाम को देर से नहीं बैठेंगे। आज लंच-आवर नहीं था और अब लेट बैठ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडे : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तय हो गई थी कि लंच आवर नहीं होगा तो लेट नहीं बैठेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सारे वक्ता बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें समय नहीं मिल रहा है। हर दो तीन या चार मिनटों के बाद घंटी बजाई जाती है और उन्हें पूरा समय नहीं मिलता है। अतः यदि आप सब आज कुछ और देर बैठना स्वीकार करें ... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, हम इसे कल जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य अब ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहते।

श्री गुलाम नबी आजाद : आप सभा का मत ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का मत क्या है ?

कुछ माननीय सदस्य : हम कल फिर बहस को जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब सभा को 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

6 04 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा, मंगलवार, 10 सितम्बर, 1991/19 भाद्र, 1913 शक के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006